

R.N.I. No. UPBIL/1996/7631
I.S.S.N. - 0975-4903

UTTAR PRADESH GEOGRAPHICAL JOURNAL

Volume 24

2019



Editor
Dr. J. P. Gupta

THE BRAHMAVARTA GEOGRAPHICAL SOCIETY OF INDIA
124 C-1, Indira Nagar, Kanpur - 208 026 (India)

CONTENTS

Page

1.	SPATIO-TEMPORAL PATTERNS OF CHILD SEX RATIO IN RAJASTHAN	- Alok Chauhan	1-6
2.	NATIONAL RURAL LIVELIHOOD MISSION PAVING WAY FOR RURAL TRANSFORMATION IN JHARKHAND : A CRITICAL ANALYSIS	- Abhay Krishna Singh	7-16
3.	LEVEL OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN ROHTAS DISTRICT, BIHAR	- Rekha Kumari and Sanjay Kumar	17-21
4.	NUTRITION CONDITION IN RURAL AREA OF PALARI BLOCK : A GEOGRAPHICAL STUDY	- Ghanshyam Nage	22-26
5.	GROWTH, DISTRIBUTION AND CAUSES OF INTER-STATE OUT-MIGRATION FROM UTTAR PRADESH : A GEOGRAPHICAL ANALYSIS	- Alok Kumar Choubey and Gayatri Rai	27-36
6.	बालोद जिले के ग्रामीण बाजारों पर क्षेत्रीय विकास मॉडल का प्रभाव	– रीना एवं सरला शर्मा	37-44
7.	अल्पकालिक ग्रामीण उत्प्रवासियों की आर्थिक दशाएँ : राजनांदगाँव एवं कबीरधाम जिले का तुलनात्मक अध्ययन	– ओमकुमारी वर्मा एवं सेवन कुमार भारती	45-54
8.	कोरबा नगर में आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं की स्वास्थ्य दशाएँ एवं स्तर	– यतिनंदिनी पटेल	55-61
9.	दुर्ग –भिलाई नगरों में कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता : एक भौगोलिक अध्ययन	– शिवेन्द्र बहादुर एवं सरला शर्मा	62-73
10.	जनपद–मऊ (उ०प्र०) में संसाधन विकास स्तर एवं स्थानिक नियोजन हेतु वरीयता के क्षेत्रों का निर्धारण	– सुनील कुमार ओझा	74-79
11.	दुर्ग जिले के शस्य प्रतिरूप, कृषि दक्षता एवं शस्य गहनता में स्थानिक कालिक परिवर्तन (1990–93 से 2011–13)	– पायल साहू	80-89
12.	गोरखपुर महानगर (उ०प्र०) में मलिन बस्तियों में साक्षरता प्रतिरूप	– संजीव कुमार सिंह एवं चन्द्र मिलन वर्मा	90-96
13.	गोड़ जनजातियों में व्याप्त अंधविश्वास उनके पोषण, स्वास्थ्य एवं विकास में बाधक	– काजल मोइत्रा एवं श्रीमती मंजूषा साहू	97-101
14.	धमतरी जिले में धान की जैव–विविधता पर मिट्टी का प्रभाव	– सुरेश कुमार साहू एवं टी. एल. वर्मा	102-109
15.	रायपुर नगर में बाल आयु वर्ग विद्यार्थियों में पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं पोषण दशाएँ	– लक्ष्मी नायक	110-117
16.	भारत–चीन सम्बन्धों में डोकलाम का र्त्रातेजिक महत्व	– संध्या सिंह एवं अजय कुमार सिंह	118-121
17.	ग्रामीण आवास की स्थिति एवं उसका तुलनात्मक अध्ययन अरुणाचल प्रदेश के विशेष संदर्भ में	– मुन्ना लाल गुप्ता	122-130



SPATIO-TEMPORAL PATTERNS OF CHILD SEX RATIO IN RAJASTHAN

Alok Chauhan

ABSTRACT

The study of sex ratio ventilates the demographic scenario of any nation. Its calculation is of prime importance for understanding the population structure and its peculiarities within any territorial area. Sex ratio is defined as the number of females per 1,000 male population. According to Census of India, the general sex ratio in India in 2001 was 933 which have experienced an upward trend up to 940 in 2011. On the contrary, child sex ratio in the country has experienced a declining trend from 927 in 2001 to 914 in 2011. The State of Rajasthan has experienced a positive increase in general sex ratio from 921 (2001) to 928 (2011) while the child sex ratio has declined from 909 (2001) to 888 (2011). Rajasthan has witnessed a decline by 44 points in child sex ratio during the period from 1971 to 2011. The rate of decline has been even more conspicuous since 1981. Between 1981 and 2011, child sex ratio in the state has gone down from 954 to 888, a decline by 66 points. However, the decline in child sex ratio is decreased to 21 points in the decade of 2001 to 2011. The present paper aims to study the trends and patterns of child sex ratio in Rajasthan and to examine the causes for deficiency of girl children in 0-6 age group resulting into imbalances in child sex ratio in the state.

Kew Words: Female Foeticide, Child Sex Ratio, Sex Ratio, Patriarchy, Male dominance, Son preference, Dowry, Foeticide and Infanticide, Maternal Mortality.

Introduction

Child Sex ratio is an index of the socio-economic conditions of any population in an area and has a profound impact on the demographic structure of a region. The final outcome of sex ratio depends on the sex ratio at birth, sex ratio at death and sex selectivity among migrants. An understanding of sex ratio of an area is important for different types of planning and for comprehending demographic dynamism in terms of natality, mortality, migration, marital status, economic characteristics and so forth (Chandna, 1986). In India sex ratio is very low when compared to other countries of the world (Bhat and Zavier, 2007) and according to some scholars, the low sex ratio is the result of high female mortality because of biasness against female who are deprived of basic needs such as food, nutrition and health care (Murthi et al, 1995).

Child Sex ratio is one of the social indicators which depicts the status of women and measures the extent of prevailing equity between males and

females in a society at a given point of time. A change of sex composition largely reflects the underlying socio-economic and cultural patterns of a society in different ways. Child sex ratio is mainly the outcome of the interplay of sex differentials in mortality, sex selective migration, sex ratio at birth and at times the sex differential in population enumeration.

The measurement of Child sex ratio is one of the vital demographic attributes for any country. It is defined as the ratio of females per 1,000 male population. The sex ratio at birth may be skewed by factors such as the age of mother, sex-selective abortion which is commonly known as female feticide as well as incidences of female infanticide. Despite being one of the fastest growing economies in the world, India is still grappled with the declining Child sex ratio. The global sex ratio at birth was estimated to be 936 girls / 1,000 boys in 2011 while the child sex ratio was 931. In India, the general sex ratio was 933 females / 1,000 males in 2001 which has substantially improved to 940 in 2011. The country has recorded

negative child sex ratio which has declined from 927 girls in the age group 0-6 years / 1,000 boys in the same age group in 2001 which came down to 914 girls in the same age group in 2011. In India, 132,000 girls in the age group of one to five years die because their parents do not provide them with equal medical care and attention that is given to a boy (Kristof, 2009). As per Census 2011, the child sex ratio (CSR) fell to sub 900 levels in Rajasthan. It was 909 in the 2001 census, but a decade later it came down to 888. Out of 33 districts in the state, barely 10 districts had a CSR of 900 or above. In case of general sex ratio it was 921 in 2001 which have exhibited an upward trend in 2011 (928). On the contrary the child sex ratio has declined in the State from 909 in 2001 to 888 in 2011, which is one of the grave concern and demographic threats for the state. In this context, this study aims to examine district wise child sex ratio and sex ratio at birth and study socio economic variations in child sex ratio focusing on

The Study Area

Rajasthan state is one of the prosperous states of India. It lies between 23°3' north to 30°12' northern latitude and 69°30' east to 78°17' eastern longitude (Fig.1). It occupies a geographical area of about 3, 42,239 sq.km. On the northern side of it Punjab and northern –east of Haryana , Delhi and south of Gujarat and western of Pakistan ,Uttar Pradesh are on east and south west of Madhya Pradesh . According to 2011 census, its population is 68548437 out of which 35550997 males and 32997440 females. The density is 200 persons per square kilometre. The sex ratio recorded 928 females per thousand males which is lower than national average sex ratio. Rajasthan state has 66.11% literacy rate with differential of 79.19% male literacy and 52.12% female literacy.

Objectives

- To study the trend of child sex ratio (0-6 year age) in Rajasthan state.
- To interpret the spatial pattern of Child Sex Ratio (CSR) in Rajasthan state.
- To analyze decadal change in child sex ratio in

districts of Rajasthan.

Data Sources and Methodology

The study has been accomplished mainly through secondary data which have been collected from Census records published by the Government of India since independence to till date and Statistical abstract of Rajasthan. The collected data are processed to analyze the spatial pattern of sex ratio in Rajasthan. Arc GIS 9.3 software used for preparing the map and to show the spatial pattern of sex ratio in Rajasthan. On calculating child sex ratio, the districts of Rajasthan have been classified into various categories (keeping in view the state average) and represented cartographically so as to present a regional perspective, showing spatial patterns of child sex ratio in Rajasthan. The census map of Rajasthan (2011) showing district boundaries has been adopted as the base map.

Temporal Patterns of Child Sex Ratio in India and Rajasthan

The child sex ratio has been on a continuous decline with certain ups and downs since 1971 (Table 1). Child sex ratio in Rajasthan was 932 females per 1000 males in 1971. Highest child sex ratio of 954 is shown in 1981 and lowest sex ratio of 888 is shown in 2011. During 1971 to 2011 India's average child sex ratio is more than Rajasthan's average child sex ratio. There are only two decades i.e. 1991-2001 and 2001 – 2011 which show the negative variation of child sex ratio in both India as well as in Rajasthan.

Apart from that, during other decades National average child sex ratio is higher than State average child sex ratio. During 1991 to 2011 variation in child sex ratio shows downward trends. From the recent past both National and State sex ratio are going to downward this trend of sex ratio is due to economic development, Urbanization and misuse of modern medical facilities. The problem of declining sex ratio is multifaceted and there is no one single reason for it and many researchers are of the view that traditional mindset of the society is the major reason behind the declining sex ratio.




Fig. 01

Table 01: Trend of Child Sex Ratio, 1971-2011

	Female Children per 1000 Male Children		Decadal Change	
	Rajasthan	India	Rajasthan	India
1971	932	964	-	-
1981	954	962	+22	-2
1991	916	945	-38	-17
2001	909	927	-7	-18
2011	888	914	-21	-13

Source: Census of India, 2011.




Fig. 02

Spatial Pattern of Child Sex Ratio in Rajasthan, 2011

There is observed substantial variation in child sex ratio at district level in the study area (Table 2). To better understanding about the trends of spatial

pattern and variation of sex ratio in Rajasthan, three choropleth maps have been given for the two census years (Fig. 02). The sex ratios of the entire districts have been classified into five categories and in every map these categories have been remained the same.

Table 02 : Spatial Pattern of Sex Ratio in Rajasthan, 2011

Category	Name of Districts	Child Sex Ratio (Females/1000 Males)
Very High	Pratapgarh, Banswara, Udaipur, Bhilwara and Dungarpur	>913
High	Jhalawar, Chittaurgarh, Baran, Bikaner, Barmer, Churu, Pali, Ajmer, Rajsamand, Jalor, Jodhpur, Sirohi and Kota	888-913
Moderate	Nagaur, Bundi, Tonk, Hanumangarh, Jaisalmer and Sawai Madhopur	863-888
Low	Bharatpur, Alwar, Dausa Jaipur, Ganganagar, Dhaulpur, Karauli and Sikar	838-863
Very Low	Jhunjhunun	<838

Very High Child Sex Ratio (Above 913)

Fig. 02 A depicts that Pratapgarh, Banswara, Udaipur, Bhilwara and Dungarpur districts registered highest child sex ratio in 2011, i.e. above 913. These districts have very high proportion of scheduled tribe population which are still away from misuse of modern medical facilities.

High Child Sex Ratio (888-913)

In 2011 the average child sex ratio for the state was 888. In this category there are 13 districts which have child sex ratio above the state average. It is important to mention here that these are the districts which showed high decrease in child sex ratio during 2001-2011 (Fig. 02C)

Moderate Child Sex Ratio (863-888)

Nagaur, Bundi, Tonk, Hanumangarh, Jaisalmer and Sawai Madhopur showed moderate child sex ratio which is lower than state average but higher than 863 females per thousand males. It explains the pathetic condition of child sex ratio in the state as only 6 out of total 33 districts showed moderate child sex ratio.

Low Child Sex Ratio (838-863)

Fig. 02A clearly depicts that eastern part of

state shows low child ratio. In this category there are 8 districts. The capital; district Jaipur and grain bowl of Rajasthan, i.e., Ganganagar district both lies in this category. The districts affected by Chambal ravines, i.e., Dhaulpur and Karauli also fall in this category.

Very Low Child Sex Ratio (838-863)

In this category there is only one district, i.e., Jhunjhunun. This district lies in the category of very low level of child sex ratio in the country. It is ironical to note that this district has very high female literacy in the entire state despite the child sex ratio is lowest among all the districts of state.

It is evinced from the preceding discussion that only southern part of the district shows high child sex ratio while all the other parts show low level of child sex ratio. The districts which lie in eastern part of the state showed very low level of child sex ratio. It is indeed a matter of great concern.

Conclusion

In view of the findings it may be concluded that the position of child sex ratio in Rajasthan is not satisfactory. The child sex ratio is declining continuously and it has reached to ever low to 888 in

2011. Rajasthan's skewed sex ratio figures are very unfortunate and alarming. There are various factors related to low sex ratio in Rajasthan mainly are the preference of son because of social and cultural factors. Many other factors attributed to the decline in the number of women are neglect of the girl child, female infanticides, female foeticide, dowry deaths, discrimination in health treatment and maternal mortality.

In the light of the present study there are some recommendations for improving the overall condition of women. Restoration of the gender balance is not only the sole duty of the Government but its responsibility is bestowed on Non-government Organizations also for championing the campaign for mass awareness. 'Beti bachao, beti padao' or 'Save and educate the girl child' has to be the motto for every Indian family now-a-days. Empowerment of women in the field of socio-economic and political arena should be the essence of modern Indian society and then only a balanced demographic structure within the country could be achieved.

References

1. Bhat, P. N. M., and Zavier, A. J. F., 2007, Factors Influencing the Use of Prenatal Diagnostic Techniques and the Sex Ratio at Birth in India, *Economic and Political Weekly*, Vol. 42 (24), pp.2292-2302.
2. Chand, P., 2016, Spatial Patterns of Sex Ratio in Rajasthan, 2011: A Geographical Analysis", *The Journal of Population Research*, Dason Research Foundation, Vol. 03, No. 02, pp. 4-19
3. Chandna, R. C., 1986, *A Geography of Population: Concepts, Determinants and Patterns*, Kalyani Publishers, New Delhi.
4. Kumar, J. and Devi, S., 2013, Sex Ratio of Haryana: A Geographical Analysis, *Global Research Analysis*, Vol. 2(12), pp. 76-78.
5. Mathur, K. and Rajagopal, S., 2011, No Right To Be Born in Rajasthan" *Economic and Political Weekly*, June 18, Volume XLVI, NO 25.
6. Murthi, M., Guia, A. and Dreze, J., 1995, Mortality, Fertility and Gender Bias in India: A District Level Analysis, *DERC Discussion Paper No. 61*, London School of Economics.
7. Saha, C., 2017, Spatio-Temporal Patterns Of Sex Ratio And Its Differentials In West Bengal, *International Journal of Research in Social Sciences*, Vol. 7(9), pp. 687-702.
8. Sangwan, R.S. and Sangwan, Sneh, 2008, Unborn Girls in Haryana: Evidence from the Field, *Population Geography*, Vol. 30, Nos. 1&2, pp. 91-101.
9. Singariya, M.R., 2012, Determinants of Declining Child Sex Ratio in Rajasthan, *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol.3, No.1, pp. 9-19
10. Yadav, N., 2015, Correlation between literacy and sex ratio in Rajasthan: A Geographical Analysis, *International Journal of Engineering Development and Research*, Vol. 3(4), pp.1108-11.





NATIONAL RURAL LIVELIHOOD MISSION PAVING WAY FOR RURAL TRANSFORMATION IN JHARKHAND : A CRITICAL ANALYSIS

Abhay Krishna Singh

ABSTRACT

With more than 75 per cent population residing in the rural areas of the state, Jharkhand a mineral rich state aspires to climb the ladder of development through transforming its rural areas. The true sustainable development cannot become a reality unless the rural areas undergo serious poverty alleviation process. The guiding principle of the state being 'Gram Uday se Jharkhand Uday' is self explanatory. Keeping in mind the creation of strong community institution for the rural populace and provide them opportunities of sustainable livelihood, empowering rural women by gaining more access to the benefits accruing from the central as well as state governments, a flagship programme National Rural Livelihood Mission (NRLM) was launched. The mission in simple words believes 'To reduce poverty through building strong grassroots institutions for the poor. These institutions enable the poor households to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities, resulting in appreciable increase in their incomes, on a sustainable basis'. The present endeavor dares to investigate the impact of NRLM in actually uplifting the standard of living of the people of the rural Jharkhand, through the implementation of various plans and sub plans. All the rural development plans targeted at poverty alleviation are designed to work in tandem with the flagship programme of NRLM, under an autonomous body at the state level, Jharkhand State Livelihood Promotion Board (JSLPB). Creation of livelihood opportunities along with skill development initiatives is also critically assessed.

Key Words: National Rural Livelihood mission (NRLM), SHGs (Self Help Groups), Sakhi Mandals, Pashu Mandals, JSLPB (Jharkhand State Livelihood Promotion Board)

Introduction

Jharkhand is an agrarian society where 75.95 per cent of the total population resides in rural areas. The economy of the state is majorly dependent upon the agriculture and allied activities. Almost 60 per cent of the state population is engaged and dependent upon agriculture for their livelihood. Jharkhand has 36,827 villages spread across the 24 districts of the state. Most of these villages are very small in comparison to the neighbouring states of Bihar, West Bengal, Chhattisgarh and Uttar Pradesh.

Less than 1 per cent of villages here have population more than 5000, whereas 46.47 per cent of the total villages having population less than 500. 27 per cent falls under the category of villages whose population varies from 500 to 999 and another 26 per cent villages of the state have population between

1000 to 5000 persons.

The state has very miniscule percentage of villages in and around 10 km radius of the urban centre. Garwha district with 19 per cent followed by Koderma 12 per cent have some villages in and around the 10 km radius of an urban centre. Districts like Pakur, Saraikela, Dumka, Khunti, Bokaro Ramgarh, etc, including the district of Ranchi have less than 5 per cent of their village near urban vicinity. (Jharkhand Economic Survey 2017-18).

The remoteness of the rural settlement in the state rendered the penetration and percolation of facilities, infrastructural developmental initiatives including development and growth delivery system tardy and difficult. The presence of outlawed institutional outfits camouflaged in the garbs of political and social ideology, have successfully

Dr. Abhay Krishna Singh, Department of Geography, Dr. Shyama Prasad Mukherjee University, Ranchi, Jharkhand.

Table No. 01 : Percentage of Villages in Different Population Class.

Year	<500		500-999		1000-5000		>5000	
	India	Jharkhand	India	Jharkhand	India	Jharkhand	India	Jharkhand
2001	36.9	54.15	24.35	25.35	31.44	19.81	3.17	0.69
2011	32.9	46.47	23.7	26.95	39.42	25.7	3.9	0.88

Source: Census of India, 2011

created a chasm between urban Jharkhand and Jharkhand which resides in the rural areas. These outfits, having clear vested interest in keeping the waves of development at bay from percolating the rural areas of the state, are squarely being challenged by the more aggressive and rigorous implementation of government policies. The winning over of hearts of the rural residents by clearing the air of confusion created by left leaning extremist outfits is amply complemented by all inclusive and encompassing barrage of rural development schemes launched by the Government of India and ably supported by the state government machineries.

The present Paper is an effort to study, analyse, interpret and critically evaluate the various schemes and policies of the government and its impact in uplift of the living standard of the rural Jharkhand. The thrust

Methodology

The methodology is analytical based on the secondary data released by the government of India and Jharkhand in form of several reports, information available in public domain by the agencies bestowed with responsibility like NSSO (National Sample Survey office), Census of India and others. Effort has been made to assess the present status of the rural development with an investigating eye in the backdrop of ambitious projects and schemes launched to provide access to the livelihood creation, building skilled reservoir through Pradhanmantri Kaushal Vikas and creation of employability in the rural Jharkhand.

Besides providing a critical appraisal the present endeavor also aims at highlighting the

shortcomings as well as the genius of the ongoing plans and the policies in the state.

Objectives

The simple objective is to

1. To look into the technical and other viability of the ongoing Plans particularly, the one based on livelihood Schemes.
2. To assess and evaluate the impact of the Rural Development Policies of the government in terms of step toward rural transformation.

Hypotheses

1. The first hypothesis of the present endeavor is the policies are well planned and has sound technical foothold.
2. Though not well executed the ongoing policies targeted towards rural uplift is working in tandem in bringing rural transformation in Jharkhand.
3. Both State government and Central government schemes are being executed in a coordinated manner.

1. National Rural Livelihood Mission

Among the various schemes launched by the incumbent government both at state level and at the centre the first and of foremost importance is National Rural Livelihood Mission (NRLM)

National Rural Livelihoods Mission (NRLM) was launched by the Ministry of Rural Development (MORD), Government of India in June 2011. Aided in part through investment support by the World Bank, the Mission aims at creating efficient and effective institutional platforms of the rural poor, enabling them

to increase household income through sustainable livelihood enhancements and improved access to financial services. It seeks to lay greater emphasis upon poverty reduction and alleviation in tune with Millenium Goal

NRLM set out with an agenda to cover 7 crore rural poor households, across 600 districts, 6000 blocks, 2.5 lakh Gram Panchayats and 6 lakh villages in the country through self-managed Self Help Groups (SHGs) and federated institutions and support them for livelihoods collectives in a period of 8-10 years. In addition, the poor would be facilitated to achieve increased access to rights, entitlements and public services, diversified risk and better social indicators of empowerment. DAY-NRLM believes in harnessing the innate capabilities of the poor and complements them with capacities (information, knowledge, skills, tools, finance and collectivization) to participate in the growing economy of the country. In November 2015, the program was renamed Deendayal Antayodaya Yojana (DAY-NRLM). NRLM aims to alleviate rural poverty and create sustainable livelihood opportunities for the rural poor. Towards this objective, NRLM seeks to promote sustainable community based institutions which will facilitate provision of financial services, economic services and other entitlements to the rural poor. In order to implement the programme in a Mission mode, the state governments are required to create autonomous societies, establish dedicated Mission implementation architecture at the state, district and block levels and set up adequate complementary systems (viz., human resource, administration, finance, procurement, MIS and M&E).

Thus, Ministry of Rural Development (MoRD) is required to provide technical and professional support to the states to establish the Mission societies, implementation architecture and systems and guide them in the implementation and monitor their progress.

In this context, Union Cabinet in 2013 gave clearance to set up autonomous society at national level i.e. National Rural Livelihoods Promotion Society (NRLPS) under Ministry of Rural

Development. NRLPS is envisaged as a compact, professional and multi-disciplinary body to provide wide ranging professional and technical support to the National Rural Livelihoods Mission (NRLM) and the State Rural Livelihoods Missions (SRLMs) in the implementation of their Mission Objectives.

The basic purpose of National Rural Livelihoods Mission is to put in place a dedicated and sensitive support structure from the national level to the sub-district level which will focus on the poor, build and sustain their organizations at different levels. This will provide the poor a platform for collective action based on self help and mutual cooperation and they become a strong demand system, build linkages with mainstream institutions, including banks, and Government departments to address the various dimensions of poverty. The process of development is thus led by the poor and the interventions are locally relevant and suit the specific needs and contexts of poverty in which they live. These institutions would focus on ensuring timely and sustainable access to savings and credit services to meet their priority needs, both for social needs and livelihoods purposes and graduate them out of poverty.

The core belief of NRLM is that the poor have innate capabilities and a strong desire to come out of poverty. This intrinsic capability of the poor is unleashed only when they are organized into institutions which are truly owned by them, provided sufficient capacity building and handholding support. A sensitive support structure from national level to sub district level is required to induce such a social mobilization process. A strong institutional architecture owned by the poor, enables them to: access institutional credit for various purposes, pursue livelihoods based on their resources, skills and preferences, access other services and entitlements, both from the public and private sector. On the basis of large scale experience it has been observed that even the poorest of the poor family can come out of abject poverty in a period of six to eight years. NRLM also believes that the programme can be up scaled in a time bound manner only if it is driven by the institutions of the poor.

Mission Statement, Values and Strategy

NRLM Mission: **“To reduce poverty through building strong grassroots institutions of the poor. These institutions enable the poor households to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities, resulting in appreciable increase in their incomes, on a sustainable basis”.**

Guiding Principles of NRLM -

- Poor have a strong desire to come out of poverty, and, have innate capabilities.
- Social mobilization and building strong institutions of the poor is critical for unleashing their capabilities.
- An external dedicated and sensitive support structure is required to induce social mobilization.

Values: The core values which will guide all the activities under NRLM are as follows:-

- Inclusion of the Poorest, Transparency, Accountability, Equity – to the disadvantaged, esp. women and vulnerable groups.

Key Features of NRLM:-

1. Sensitive Support Structure of National Rural Livelihood Mission:
2. Universal Social Mobilization
3. Promotion of Institutions of the Poor
4. Demand Driven
5. Training and Capacity building:
6. Revolving Fund and Capital Subsidy
7. Universal Financial Inclusion:
8. Provision of Interest Subsidy
9. Infrastructure creation and Marketing support
10. Convergence
11. Skills and Placement Projects
12. Partnership with CSOs
13. Linkages with PRIs

14. Innovations
15. Technical Support by Ministry of Rural Development (MoRD)
16. Monitoring and Learning
17. Funding Pattern under NRLM
18. Package of Economic Assistance/Financial Norms as approved by the Cabinet Committee

Jharkhand State Livelihood Promotion Board (JSLPB):

Poverty is a complex and multidimensional phenomenon. The mandate of the Ministry of Rural Development (MoRD), GoI is rural poverty alleviation through programmes directly targeted at the rural poor households. NRLM has an ambitious mandate. It aims to reach out to all the rural poor families (BPL families) and link them to sustainable livelihoods opportunities. It will nurture them till they come out of poverty and enjoy a decent quality of life. To achieve this, NRLM intends to place dedicated and sensitive support structures at various levels. These structures will work towards organizing the poor, building their capacities and the capacities of their organisations, enabling them access to finance and other livelihoods resources. The support institutions will play the roles of initiating the processes of organizing them in the beginning, providing the livelihoods services and sustaining the livelihoods outcomes subsequently. The Institutions of the poor – SHGs, their federations and livelihoods collectives – provide the poor the platforms for collective action based on self- help and mutual cooperation. They become a strong demand system. They build linkages with mainstream institutions, including banks, and Government departments to address their core livelihoods issues and other dimensions of poverty. These institutions provide savings, credit and other financial services to meet their priority needs. These include consumption needs, debt redemption, food and health security and livelihoods. They also increase their voice, space and bargaining power in dealing with service providers. With time, as the institutions of poor grow and mature, they themselves become sensitive support structures and institutions for the poor. Jharkhand State




Fig. 01

Livelihood Promotion Board was formed as an autonomous society in the year 2009 within the Rural Development Department Government of Jharkhand. The primary objective of the creation of the board was to serve as a special purpose vehicle for smooth implementation of poverty reduction schemes and programmes in the state of Jharkhand. Later on in 2011, the JSLPB was designated and shouldered the responsibility of a nodal organisation to implement National rural Livelihood mission (NRLM). The following table (s) show the progress made by the state of Jharkhand in terms of district, bloc and village coverage and in terms of Self Help Groups (SHGs).

NRLM endeavors, through its dedicated

sensitive support structures and organizations at various levels, to reach out to all the BPL households in the country, and take them out of poverty through building their capacities, financial muscle and access, and self-managed self-reliant institutions; through placement in jobs, and nurturing them into remunerative self-employment and enterprises. Since, reaching out to all the excluded community juxtapose setting of dedicated support structure requires phasing strategy, hence the districts and blocks are divided into either intensive or non-intensive.

A Self Help Group is voluntarily formed by informal groups of 10-20 persons to encourage among them to save certain amount on regular basis.

Table No. 02 : Proposed District and Block Intensive Phasing Plan of Jharkhand SRLM (State Rural Livelihood Mission)

Phase	Time Period	Districts	Blocks	Villages	SHGs
I	2012-13	3	7	110	1,454
II	2013-14	12	40	1,222	8,005
III	2014-15	12	40	2,313	16,945
IV	2015-16	20	80	3,603	27,493
V	2016-17	24	122	7,000	52,000
VI	2017-18	24	200	13,500	1,21,000
VII	2018-19	24	263	19,000	1,72,000
VIII	2019-2020	24	263	26,000	2,33,000
IX	2020-2021	24	263	32,000	2,91,000

Source: Progress report of NRLM, 2017

This pooled up resource is used for the credit needs of the intra group members. The weekly savings and timely repayment is the key feature of the SHGs. The JSLPB also provides Revolving funds (RF) to SHGs and the community Investment funds (CIF) to community institutions to meet the credit need and it also provides facilitation support for credit linkages from the bank for creating the sustainable livelihood asset. (**Jharkhand Economic Survey, 2017-18**).

Banks in the rural areas have also developed trust on these institutions by treating them would be clients. Bank Sakhi model has also been initiated by the JSLPS, which help community institutions identify members of SHGs and place them bank branches to help other members of the SHGs facilitate and help in bank related work. At door banking system is also being provided by the bank through specially deployed banking correspondents.

Generation of livelihood in the Rural Areas:

The SHGs are considered a foundation bloc to realize the objectives of NRLM and a prerequisite for the rural transformation. The SHGs in the state is called 'Sakhi Mandal' at village and cluster level. The Jharkhand State Livelihood promotion plans to

expand its outreach to 10 lakhs Rural Poor Households in 125 blocks of all (24) districts of the state in the fiscal year 2017-18. However, the penetration and percolation of SHGs in Jharkhand considered not up to the mark. A concerted effort from the Jharkhand State livelihood Promotion Board the financial year 2017-2018 saw a steep rise in the number as well as the total savings by the SHGs in the state. The Sakhi Mandals in the state have been bestowed with many responsibilities. In an experimental initiative the sakhi mandals in the Itki Block of the Ranchi district have been given the charge of selling building materials through 'Panch Mart' shops opened in the block. These shops operate under the aegis of the Jharkhand State Livelihood Promotion project under the department of Rural Development, government of Jharkhand. All the programmes working under the banner of rural development and poverty alleviation including the MNREGA shall purchase building materials and other home making items (as required) from these panch marts. The government has ensured that the credit / savings of the Sakhi Mandal do not get trapped and payment is done within 15 days by the Gram Panchayat.

Similarly, 'Pashu Mandals' are introduced by the JSLPB to promote livestock rearing at community level. The livestock rearing innovations, livestock insurance, vaccination and other health related issues of the livestock are being taken up by the

Pashu Mandals.

JSLPB is working in tandem towards the primary objective of targeted approach of Gram Uday Se Jharkhand Uday strategy. Keeping in view the renewed focus of the government of the day both at

Table No. 03 : Status of Financial Inclusion under NRLM (2017-18)

No. of Sick SHGs with Bank Account	77835
No. of SHGs that have received Revolving Funds	45820
Amount of Rf Disbursed in (Rs. In lakhs)	6872
No. of SHGs credit linked to banks	58469
Amount of Community Investment Fund disbursed (Rs. In Lakhs)	17759
Total Amount of RF and CIF disbursed in Lakhs	24631
No. of SHGs that have received CIF	31515
Estimated Amount of Credit limit leveraged from Banks (Rs. Lakhs)	46775

Source: NLRM Progress Report -2017

the centre and state level the National Rural Livelihood Mission through its counterpart in Jharkhand seems to progress in substantive and noteworthy manner, as the statistics indicated in the subsequent tables presented here.

However, it has always been a matter of grave concern when the rosy pictures indicated through the statistical jugglery and the grass root reality not being in synchronization. The real targeted beneficiary being the rural populace of the Jharkhand heavily dependent upon agriculture and the allied services has yet to come up with the terms of real transformation in their standard of livings. However, it has been a common consumption that the Self Help Groups (The Sakhi Mandals) in the state have made their strong presence felt in the rural Jharkhand. The basic objective of the flagship programme of National Rural Livelihood mission is to create sustainable

source of livelihood through various opportunities.

Mahila Sashaktikaran Pariyojna (MSKP)

It aims at empowering women in agriculture by making systematic investment to increase their participation and productivity. Further it is to create and sustain agriculture based livelihood for rural women and make them gain access to inputs, services and the facilities rendered through government policies and other agencies working in tandem towards the rural uplift. The idea behind is to facilitate rural women gain more control over the local resources and support system in order to enhance their participation and productivity in the local resource based efficient agriculture and allied services, once it happens the household food security will automatically ensue at the community level. The basic idea of empowering rural women may go long way in a sustained effort to alleviate rural poverty.

Uttar Pradesh Geographical Journal Vol. 24, 2019

Skill Development is another components of the rural livelihood mission. In fact the present government has tremendous focus on providing livelihood opportunities to both rural and urban populace. The focus is on providing diversified employment opportunities for the youth in future. It was in this perspective that Ministry of Rural

Development (MoRD) launched Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojna (DDU-GKY) in 2014. Being a part of the NRLM, this programme has significant coverage in 19 districts of the state. It offers 34 different trades through 14 Programme Implementing Authorities across the state.

Table No. 04 : Physical Progress of the MSKP

MKSP (Sustainable Agriculture) Total No. of women Farmers	46,399
MKSP –(Livestock) Total number of household	40,860
MKSP (NTFP) Total number of HH	23,625
Total Livelihood Institution (Producer Group) Formed	271
Number of AKM/APS/AVM Developed	1,575

Government has taken a particular cognizance of presence of left wing extremists in the rural areas of some of the districts. NRLM initiated a special skill development scheme 'Roshni'in the districts of Gumla, Palamu, Chatra, Latehar, Garhwa and West Singhbhum. Skill development programme managed to train 18872 youths and provide placement to 5038 youths in the state. Rural livelihood Mission has facilitated setting up of an incense stick making cluster at five places in and around Ranchi along with Sanitary Napkins, tailoring unit, Tamrind processing unit etc in the various districts of Jharkhand

The flagship and highly successful programme MGNREGA has contributed seminally not only in providing livelihood opportunities to the rural youths of the state but has also contributed towards the asset building at rural level which increased the rural infrastructural base.

Conclusion

It has been obvious that a plethora of

Schemes and Programmes are targeted towards the overall development of the rural areas in general and to bring a substantial uplift in the living standard of the rural populace. The larger goal of these plans and programmes is rural poverty reduction.

State of Jharkhand has done commendable work by implementing local targeted plans along with the National programmes in a holistic manner, where the two worked in tandem and in fine coordination. It has been a common perception based on fiscal experience that plans of national and local character usually don't complement each other and most of the cases they found themselves at the loggers end with each other. The implementation aspect of the programmes also seems not well chalked out. However, in case of Jharkhand the convergence of several programmes targeted at the various components of the rural uplift not only strengthened the individual programmes but help achieve a greater momentum towards the rural development.

Livelihood Programme under the aegis of National rural livelihood Mission at pan India level with Jharkhand State Livelihood Promotion Scheme, an autonomous organisation constituted by Ministry of rural development government of Jharkhand. The JSLPB is doing commendable job in providing livelihood opportunities at the village level in the state of Jharkhand.

The livelihood programme being run at the state level has complemented the ongoing housing, poverty alleviation, asset and infrastructure building programmes both of national and state character. The blend is appreciable and probability of yielding desired fruits is strong. However, its bit early to assess the real impact of the livelihood programmes coupled by other targeted national as well as local plans and schemes on the grass root level in the rural Jharkhand, some important apprehensions plagued these programmes right from the time of their inceptions.

The main thrust of the National Rural Livelihood mission and its counterpart in the state of Jharkhand (JSLPS) is upon the Self Help Groups (SHGs). The livelihood generation as well as implementation of the provisions of other rural poverty reduction targeted programmes is routed through the Self Help Groups. If it is made mandatory it will fail in achieving the objectives, for many people are not part of the SHGs and many don't want to be associated with SHGs. The livelihood opportunities many individuals in the rural area may believe shouldn't be the one originating through the help groups, it can be individual centric also. Moreover, there is a sustained suspicion that these SHGs may become elite among the poor and behave in manner suitable and favourable to some individuals, ignoring the large section of the rural poor. This may alienate the poor making the whole exercise selective and not so inclusive.

As in a case of Tamil Nadu where a group money lenders emerged who played the role of intermediaries between the SHGs and the banks for loan disbursement on the commission basis.

There are many instances where the SHGs disintegrated and taken over by some vocal and more influential people (elites) among the rural populace creating a situation of the highhandedness. Rural development, poverty alleviation through livelihood generation programmes must include individual house hold units as primary target.

Going through the guidelines and objectives of the Livelihood programmes as well as other poverty reduction schemes at national, state and at Panchayat level, it is being observed that there is not adequate and requisite attention being paid to rural micro, small and medium enterprises (MSMEs) and on the value added agriculture and allied services. It is a common belief based on the experiences of many developing economies across the world; MSMEs adorn the role of growth engines in the rural areas. It also plays significant role in sustaining inclusive growth. The hypotheses of the present work stand validated.

References

1. Jharkhand Economic Survey, 2016-17, Prepared by Planning Cum Finance Department, Government of Jharkhand.
2. Jharkhand Economic Survey, 2017-18, Prepared by Planning Cum Finance Department, Government of Jharkhand.
3. National Rural livelihood Mission: Framework for implementation, Ministry of Rural Development, Government of India, 2011.
4. Ahluwalia, M. S., 1978, "Rural Poverty and Agricultural Performance in India", Journal of Development Studies, Vol. 14, No. 3, pp. 298-323.

5. Datt, R., 2003, "Food Security in India", in R. K. Sen (Ed.), Indian Economy Agenda for the 21st Century Essay in Honour of Professor P. R. Brahamananda, Deep and Deep Publication, 432-476.
6. Anirudh, K. et al., 2004, "Falling into Poverty in Villages of Andhra Pradesh, Why Poverty Avoidance Policies are Needed", Economic and Political Weekly, Vol. XXXIX, No. 29, July, pp. 17–23.
7. Bardhan, P. K., 1973, "On Minimum Level of Living and the Rural Poor", Indian Economic Review, Vol. 5.
8. Chakraborty, D. and A. Guha (2005), "Poverty in Nineties" in K. N. Rao (Ed.), Poverty in India: Global and Regional Dimensions, Deep and Deep Publications, New Delhi, pp. 197-210.
9. Dandekar, V.M. and Rath, N., 1971, "Poverty in India - Dimensions and Trend", Economic and Political Weekly, January 2, p. 40.
10. Dhawan, M. L., 2005, "Challenges and Opportunities of Rural Poverty Reduction", in Dhawan, M. L. (Ed.), Rural Development Priorities, Isha Books Publication, New Delhi, pp. 191-245.





LEVEL OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN ROHTAS DISTRICT, BIHAR

Rekha Kumari and Sanjay Kumar

ABSTRACT

Rohtas district has an agricultural economy. There are so many elements which are responsible for present day agriculture development. Among them are seed quality controls, National seed corporation, the state farms corporation, agricultural credit and marketing societies, storage, chemical fertilizers, organic manure, pesticides and insecticides, soil testing, planet protection measure soil and water conservation, etc. state agro-industries corporation has taken up the responsibility of distribution of tractors, agricultural implements, pumpsets, bullockcarts. Agricultural productivity does not consummate with the population growth. so it creates big gap. As a result of higher population growth men land ratio is decreasing day by day every effort should be made of enhance the agriculture productivity so that the basic problem of food could be solved.

Keyboard : Rohtas district, Agricultural development, Agricultural development programme, Problem and Planning.

Introduction

Agriculture is the most important source of livelihood, which should be organised in such a manner that the limited land is able to yield the maximum through judicious application of modern technology adopted to local condition NCAR (1969) Hence, in the area due to the heavy pressure of people, it is very essential to know about the agricultural development from the point of view of future planning, because the agricultural development can be hampered by many physical and climatic conditions. Agricultural development is unquestionably a multi-dimensional concept. Crop productivity, commercialization of agriculture or cash crops, agricultural inputs (irrigation, fertilizers, HYVS, improved implements etc.) diversification of agriculture or promotion of dairying, cattle rearing, poultry farming, fishing piggery are the important elements of agricultural development. Agricultural development is a much more comprehensive concept than normally understood. Crop productivity is only one vital aspect of its dimensions. Hence, in this paper main emphasis has been given to the crop productivity (trends of production of crops), poultry,

piggery and fisheries development and levels of agricultural development.

Objectives

The objective of this paper is to find out the level of development of agriculture in Rohtas district and describe programming of agriculture development.

The Study Area

Rohtas district, a part of Patna division is a district of Bihar state with its administrative headquarters located at Sasaram, which is well known for its historical importance. Geographically, Rohtas district is located on global between 24°30' and 25°25' North latitude and 83°45' and 84°22' East longitude. The district encompasses a geographical area of 3,881 sq km and it is bounded by Buxar district on the north, Jharkhand state on the south west, Rohtas district is characterized as sub tropical climate. During summer the climate of the district remains dry hot and it remains fairly cold during the winter. The actual rainfall in the district was 903.93mm in the year of 2015-16.

1. Rekha Kumari, Research Scholar, Department of Geogrophy, V.K.S. University, Ara, Bihar, Email-rekha.vksee1989@gmail.com.
2. Dr. Sanjay Kumar, Supervisor and H.O.D., PG. Department of Geography, Maharaja College, Ara, Bihar.

Administration wise, the district is divided into 3 sub-divisions namely Sasaram, Bikramganj and Dehri. Moreover, it comprises 19 sub district, 10 towns and 2,072 villages in district. There are 3 Lok Sabha and 7 Assembly constituencies in the district.

Methodology

The present study has been conducted through secondary sources like books, research papers, articles, etc. Some empirical studies of researchers are also approached to decipher the relation of Levels with Agriculture and vice versa.

Levels of Agricultural Development

Here, the individual elements called the indicators, have been taken into account to average the levels of agricultural development. In terms of their temporal characteristics as well as spatial patterns, it has been tried also to see the spatial situation of the determinants of the levels of the development. These indicators are to be combined to give a composite picture of development so that blocks with different levels of development can be grouped for farming regions of different levels. Ultimately these areas of different levels can be utilized for further planning for agricultural development.

Selection of Indicators

Criteria are chosen on random basis depending upon the convenience of data availability. Numbers of geographer's have studied with the measurement of agricultural development. In these studies, different indicators have been applied for analysing the levels of development. The authors have selected some indicators as follows:

Highly Developed Blocks

On the basis of percentage of irrigated area, rice production/hect, HYV of rice Lurea/hect. and no. of electric pumps in each block of the district. These have been ranked and then development of block is calculated the highly developed blocks are Karagahar, Bikramganj, Dinara and Karakat .

Medium Developed Blocks

Sasaram, Nokha, Kochas, Akorhigola falls under this category.

Low Developed Blocks

Sheosagar, Dehri, Sanjhauli, Dawath and Rajpur comes under this category.

Very low Developed Blocks

Chenari, Rohtas, Tilouthu, Suryapura, Nauhatta and Nasriganj comes under this category .

Agricultural Development Programmes

Due to heavy growth in population and much deficiency in food grains from time to time the government has introduced many programmes and policies for development of agriculture and as a result, there has been vertical and horizontal expansion of agriculture. Some of the development programmes are as follows:

Grow More Food Campaign

At the time of independence, country was much deficient in food grains. So the 'Grow more food campaign' was launched in 1948.

Community Development Programme

At micro-level this programme is the first attempt of the government of India as for rural development with an account on Panchayat Raj, co-operative and agricultural development. Agriculture is the base of rural economy of our country. Due to the rapid growth of population and its heavy pressure on land, the government has begun several development programmes for betterment of agriculture and its allied sectors through five year plans. But, in fact, majority of farmers of the study area are poor and illiterate.

They find themselves helpless and mean less to adopt the modern techniques of farming. Therefore, the result of development of agriculture and its allied sectors is not satisfactory. The problem of agricultural development is actually less important in respect to spatial problem and more in respect to its socio-economic problem. To remove the problems of agricultural and its allied sectors several suggestions have been made. Thus, the problems and plannings

ROHTAS DISTRICT LEVELS OF AGRICULTURE DEVELOPMENT




Fig. 01

have been made the subject matters in this present paper. There are various physical, socio-economic infrastructural and other problems, which affect the development of agriculture and its allied sectors.

Physical Problems to Agricultural Development

The study area suffers from the physical and climatic problems like irregular rainfall, drought, temperature, drainage, soils and others. In the rainy season drought and water logging are the most spectacular phenomenon in the area which heavily damage the kharif crops and other properties minor hazard such as occasional frost, excessive rain. hail. storm, etc. in the harvesting period of rabi crops cause heavy damage. Thus, the physical and climatic

conditions make the agriculture a highly risky business to the farmers. Therefore, long term management planning must be made for those problems. Different types of soils also create problems for agricultural development. Due to different nature and fertility of soils, the balanced fertilization is not possible. For balanced fertilization the facilities for soil testing analysis are necessary in the area. The change of Usar and other unfertile soils to fertile soils is an important need. Thus, the analysis of soils to give proper suggestions to the farmers for balanced fertilization and intensive cropping pattern is an important aspect of scientific crop planning.

Land Reform, Land Reclamation And Development

Fragmented holdings, scattered plots and unproductive lands are the main causes of low productivity of agriculture in the study area. Fragmented and scattered land holdings create problems in irrigational and other facilities. It is very remarkable problem observed here that many farmers have no irrigational facilities in spite of their good economical and holding conditions due to their fragmented and scattered field plots. It is also a major problem observed that some farmers, who have irrigational facilities, could not irrigate their total cropped area due to their scattered field plots. The subdivisions of holdings are chiefly due to the law of inheritance. The custom of the division of the landed property to give equal proportionate share to each successor in their fertile and unfertile lands has led to smaller and smaller shares. This custom of inheritance breaks the land holdings into smaller and smaller plots.

Input Problems And Planning

The innovations and applications of modern inputs such as irrigation, fertilizers high yielding variety of seeds, crop protection measures, improved agricultural implements, etc., increase in the production per hectare. But the farmers suffer from various problems related to these inputs. Therefore, the balanced application of these inputs district. As most of the farmers impose in of the area are poor from the point of view of economic conditions, therefore they could not apply the balanced inputs for better production. Agricultural tools and implements of inferior quality are supplied on high cost by various agencies. The farmers, who take loan from bank or cooperatives for tools and implements of agriculture, are bound to purchase these tools from the certain agencies or shops, which are decided by the bank workers because they get commission from those certain agencies and shops. At the same time farmers are also forced to give commission to block workers and bank workers to get the loan. It is also found that to get fertilizers, H. Y.V. of seeds and crop protection are the major problems of the area, The products are also sold after mixed on high prices, from which farmers suffer from the production damages. It is of

great significance that the inputs like fertilizers, H.Y.V. of seeds, crop protection products and other agricultural implements should be quality tested before they are used by the farmers. For this purpose, it is necessary to set up laboratories to check the quality of agricultural inputs by draining samples in the field and from the stocks maintained by the various distributing agencies. It should also be necessary that the farmers should get cash in the form of loan and they should be free to purchase any agricultural inputs from any agency or shop. Side by side all agricultural inputs should be supplied on low cost. Here, it is a remarkable feature that for modern agricultural practices, the utilization of plant protection products is very essential for preparing of field stock of grains. Now most of the farmers could not use plant protection measures due to the ignorance about pests and insects and pesticides and insecticides. Religious faith, lack of implements for dusting and spraying and costly supply of pesticides are also responsible. Most of them use the traditional methods for field preparation, seed sowing, weeding, harvesting and storing, etc. and cause heavy damage of plants and productions. To solve this problem, it is necessary to provide crops protection products as well as proper technical knowledge to the farmers through the co-operative service centres. Thus, the farmers must be mobilized for utilization of crop protection products.

Conclusion

These allied activities are difficult to maintain for the poor peasants. Therefore, some important suggestion is given as follows for planned allied sectors and its improvement:

- (i) The farmers, who are desired for these allied activities., should be trained. The interest free loans, cross breeding and good veterinary facilities should be provided to help the farmers.
- (ii) Marketing centres are also needed to sell all products of allied sectors. Hence, purchase centres should be established through co-operatives at block level. There is urgent need to provide special attention specially for piggery

and sheep development because this business is limited to lower castes Milch cattle such as cow and buffaloes are also provided to the small.

- (iii) Marginal farmers and landless farmers should be provided loan without any interest. The rich diet ful green fodder should be produced in adequate amount.
- (iv) There is scope for the extension of fish farming in the area. For this farming, the ponds or water bodies of 'Gram Sabha' should be provided to the farmers on lease because these are misused due to village people.
- (v) The interest free loans for the construction of ponds as well as to make the suitable water bodies for fish farming, good varieties of fish, methods of farming, care of diseases and other facilities should be provided to the farmers.
- (vi) For the development of poultry farming the publicity of methods for poultry farming poultry equipments, hatchery management and hygiene management of chicks, growers, layers, broilers and borders and poultry breeding facilities are needful. These should be provided through the co-operatives.

References

1. Mohammad Noor, 1978, Agricultural landuse in India 'A case study, Inter India Publications, Delhi.
2. Morgan, W.B. and Munton, R.J.C., 1971, Agricultural Geography Methuen, London.
3. Pandey, Kishore Chandra, 1986, Rural Development in Modern India, B.R. Publishing corporation, New Delhi.
4. Raja, Moonis, 1978, Levels of Regional Development in India, Indo- Soviet-Symposium on National planning, Tbilisi-Baku, R.C. Chandra, p. 229.
5. Ronald, R. Renne, 1947, 'Land Economics: Principles, Problems and Policies in Utilizing Land Resources', Harper and Brothers, New York, p. 17.
6. Report on 'National Commission on Agriculture Govt, of India, Ministry of Agriculture', pt. II, 1976, p. 62.





NUTRITION CONDITION IN RURAL AREA OF PALARI BLOCK : A GEOGRAPHICAL STUDY

Ghanshyam Nage

ABSTRACT

Availability of good nutrition diet in any area can maintain the quality of life of the residents there while, Different type of diseases are born when its deficiency. Increasing the size of the agricultural holdings increases the amount of food consumed. The amount of essential nutrients in the study area is lacking in the food items being taken by the villagers. Due to lack of nutrient in the food there is a problem of underweight. Average consumption of meat is 5.34g, wheat is 33.02g and oil is 13.76g, pulse is 23.78g. rice is 477g. All is much less than recommended amount. Average consumption of protein per day per adult in surveyed families of the study area is 40.05g. This is much less than recommended amount (55g). Consumption of calories is 2063 kcal.

Key words : Nutrition, Availability, Consumed, Agriculture Holdings, Recommended.

Introduction

The quality and quantity of food consumed by human, determines its nutrition condition. The quantity of consumption of food items in any area and the availability of food items, economic conditions, including the economic activities of the residents are determined by the lifestyle of their dietary habits.

The availability of good nutrition diet in an area maintains high levels of life and health of the residents, while its lack resistance to disease, lack of malnutrition and many other types of mental and physical illness are born and our labour force and productivity are affected. Therefore, analyzing the problems related to nutrition levels in the study area and the local factors affecting it are extremely important.

Objectives

1. Assessment of the availability and nutritional level of food items in different farming families of the study area.
2. Analysis the problems caused by lack of nutritional level and suggesting suggestions.

Research Hypothesis

Dr. Ghanshyam Nage, Guest lecturer, S.O.S. in Geography, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur C.G.

1. Availability of food items and nutritional level is low in landless farming families.
2. The size of agriculture holdings and nutrition level has a positive relation.

The Study Area

Palari block is located in the Mahanadi basin in Raipur district of Chhattisgarh states. It is geographically extended from 21°28'06" north latitude to 21°53'07" north latitude and 81°57'24" east to 82°21'33" east longitude. The total geographical area is 57,087 sq Km. Mahanadi basin the stream structure here is almost flat ground. According to the census of 2011 the total population of the study area, 1,19,610 in which the population of men is 58,447 and the female population is 61,163. Most of the population in the study area is rural.

Methodology

The study is based on primary data. Villages have been selected by random sampling method. They are Girra, Tila, Rasauta and Tipawan. Availability of food items in 308 families of selected four villages has been interviewed through the

schedule of individual interview techniques. using the recommended method by the Indian council of Medical Research. Nutritional level measurement has been studied

Table 01 : Selected Farming Families And Population.

S.No.	Farming families	No. of families	Male	Female	Total population
1.	Landless	70	125	111	236
2.	Small farmer	143	284	269	553
3.	Marginal	61	14	128	269
4.	Large	34	87	74	161
	Total	308	637	582	1219

Source:-Individual survey.

Crop Pattern

In the study 80.67% of the sown area are kharif and 19.23% come under the rabi. There is 98.46% grain in the total cropped area. The most important grain is paddy in the study area, under which 84.32% area is now included. The place of wheat after paddy is cultivated in 2.79% area. In other grains are kodo, kutki, jawar and maize under which

0.03% of the total cropped area comes. In 10.79% area are cultivated lentils in which arhar, masoor and tuar are major crops. There area are respectively 56.72% and 27.56%. In the remaining 15.72% area gram and other pulse are produced in small quantities only. 1.53% area are sown under oilseed comes under, mustard, linseed, sesame, etc.

Table 02 : Total Area of Selected Village And Families.

S. No.	Selected Village	Area (hec.)	No. Of Total Families	Total Population
1.	Girra	509.65	249	1,304
2.	Tila	448.38	100	891
3.	Rashuta	540.64	342	1,488
4.	Tipawan	382.92	150	983
	Total	1,881.60	851	4,666

Source- Revenue office Palari, 2002

Food And Dietary Habits in The Study Area

Various farming families in the study area have a differentiation in their food consumption patterns due to the difference in yields and economic

conditions produced by them. In the study area paddy, wheat, kodo, kutki, maize, jawar, tiwra, arhar, etc. are mainly grown, where as oil, jiggery, sugar, salt, pepper, spices are purchased from shops. It is

usually consumed meal three times in a day in the study area.

1. Morning meal- Wheat and rice Roti.
2. Mid day meal- Green vegetables are used with rice and pulses.
3. Night Meal- Rice and Roti, vegetables are used in dinner

Consumption Pattern of Foods

Cropping pattern has great effect on the

food of the people there. Paddy production is generally more common in the study area. The food pattern also has the highest percentage of the same crop. Rice is the main food grains of the surveyed area. Surveyed-families have been classified into four farming classes in the basin, i.e. land availability, food pattern and nutrition level which is as under landless labourers 0 acre, small farmers 0-5, marginal farmers 5-10 and large farmers more than 10 acres, etc.

Table 03 : A Balance Diet For Per Day Per Adults (Hard Work).

S.No	Food Items	Recommended Amount (gm)	Per day per adult average consumption pattern (gm) according to farmer family				Average
			Landless	Small farmer	Marginal	Large Farmer	
1.	Rice	500	474	483	491	455	477
2	Wheat	70	8.0	24.50	31.50	68.10	33.02
3	Pulse	70	14.32	21.50	25.86	33.05	23.78
4	Milk	80	22.00	24.10	60.43	71.12	44.41
5	Vegetables	300	185	213	230	252	220.19
6	Meat	25	3.10	4.42	5.30	8.57	5.34
7	Oil/fat	30	10.90	12.33	14.91	16.33	13.76
8	Molasses sugar	30	23.21	26.61	28.57	35.44	28.45

Sources-Individual survey, 2002

Consumption Pattern

Rice is the main food crop in the study area. The average consumption of rice in surveyed families is less than 477 g. per day but recommended by the Indian Council of Medical Research is 500g. Average consumption of rice in the landless families is 474 g., small farming families is 483g., marginal family is 491g and the large families are 455 g. per day per adult, The average consumption of rice in the large agricultural household is lesser than other farming families, due to use of other food grains (wheat) in these families.

Consumption Pattern of Wheat

There are plenty of protein, vitamins and carbohydrate in the study area, wheat is used in very

small quantities. Wheat consumption in surveyed households is 33.02g per adult per day. Average consumption of wheat, in landless families 8.0 gram, small families is 24.50g, marginal families 31.50g, the maximum consumption is in the large farming families 68.10g. Thus, studies have shown consumption of wheat is significantly less than pulses recommended amount(70g).

Consumption Pattern of Pulses

Pulse is the main source of protein. The use of gram, mung, tiwra, lentil, arhar, urad is more. There is a quantity of both production and consumption in the surveyed area. Average consumption of pulses in surveyed families is 23.78 g per day per adult. Consumption of pulses in landless families are

14.32g, small families 21.90g, marginal families 25.86g and large farmer families 33.05g per adult per day. Thus, the average consumption of pulses in the surveyed area is very less than the recommended amount 70g.

Consumption of Milk

Milk is the main sources of all nutrient, protein, vitamins, fat, mineral and carbohydrate. It is helpfully in physical growth and development. Its average consumption in surveyed families is 44.10g per adult per day. Average consumption of milk in landless families is 22g, small families in 24.10g, marginal families in 60.43g and 71.12g per adult per day in large farming families. This is less than the recommended amount 80g.

Consumption Pattern of Vegetables

Vegetables are the main source of mineral salts and vitamins. Vegetables give energy and power to the human body through various nutrients. Seasonal vegetables are available in surveyed area, i.e., potatoes, brinjal, lady's finger, gourd, leaf cabbage and vegetables. The average consumption of vegetables per day per adult in surveyed families is 22g which is much below the recommended amount 300g. The average consumption of vegetables among the landless families 185g, small farmer families is 213g, marginal families 230g and 252g per adult per day large farmer families.

Consumption Pattern of Edible Oil

Edible oil is the main source of calories and fat. The average edible oil in selected families of surveyed area is 13.76g per day per adult. The consumption of edible oil in the landless families 10.90g, small Farmer families in 12.33g, marginal families in 14.91g and 16.93g per day per adult in the large families is below the recommended quantity (30g).

Consumption Pattern of Molasses And Sugar

Sugar is the main source of carbohydrate in the rural areas, It is used in dessert recipes and beverages. The average consumption of sugar in surveyed families is 28.45g per adult per day.

Average consumption of sugar in landless households is 23.21g, small farmer 26.61g, marginal farming family's in 28.57g and 35.44g in the large farming families. Increasing use of sugar in major families is their economic prosperity and purchasing power.

Consumption Pattern of Meat–Fish

Meat is the main source of protein and vitamins. It gives the necessary energy. The average consumption of meat in the study area is much low. The consumption in landless farmers is 3.10g and small farmer 4.42g, in marginal farming family 5.30g and 8.57g per day per adult in the large farming families and it's much below the recommended quantity 25g.

Availability of Nutrients

For the growth and development of the body essential nutrients require such as calorie, protein, vitamins, calcium, iron, etc. It can be supplied in certain quantities from grain pulses, green vegetables, milk, fruit, and meat fish egg, etc.

Consumption Pattern of Calories

Calorie gives the ability to work. The function of a person is depend on the amount of calorie intake according to the body texture, age structure and gender. Per capita daily consumption of calories per day in surveyed families of the study area is 2063 kcal, which is much less than recommended amount (2400kcal) of I. C.M.R consumption of calorie in landless labour families (1839 kcal), small farmer families (2110kcal) and 2211 kcal per adult per day in large farmer families households, which is -560, -306, -289 and -188 kcal less than the recommended amount. Thus, the study clearly shows that the calorie consumption has a positive relationship with the size of the stock.

Consumption Pattern of Protein

It provides energy to the body and is useful in body building. Average consumption of protein per day per adult in surveyed families of the study area is 40.05g., which is much less than recommended amount (55g) Consumption of protein in landless

families (36.85g), small families (42.19g). In marginal farmer families 37.30g per adult per day which is much less than recommended quantities respectively -18.15g, -12.81g, -11.13g and -17.07g per adult per day.

Suggestions and Planning

1. People in the study area should change their diet pattern and life style.
2. To increase milk production in rural areas there is a need to pay attention to cattle breed of fine breed.
3. Planting of various types of fruit tree in the village should be increased to remove the lack of protein, vitamin deficiency
4. In place of conventional food crop, production of protein rich crop like wheat, gram, maize, millet cane, etc should be given prominence and their production area should be increased as well.
5. Considering the importance of good nutrition died by organizing awareness and street drama programme in connection with the problem of quality and availability and lack of nutrition in rural areas, due to lack of nutrition in people
6. In the surveyed area's due to the increase in the availability of agricultural produce, adequate management of irrigation facilities in the area can reduce the food shortage
7. Increasing employment opportunities in the rural area can improve the economic condition of the people as well as the availability of their good nutrition died
8. The level of education can be understood by the importance of the availability of a balanced diet for the body, and regular exercise can be

achieved by removing the body from diseases and thus getting the normal weight.

Conclusion

The above study clearly states that due to the decrease in the average consumption of nutrition food items in the families of the study area which is less than the recommended amount. It is depends on the economic status. It is clear from economic status that there is considerable difference in the availability of food habits and food items due to which their nutrition level is also affects. It is therefore clear that lack of calories affects efficiency.

References

1. Ali, Mohammad, 1977, Food and Nutrition in India, K.B. Publication, New Delhi.
2. Dikshit Arun, 2013, Local Model of Health Facilities of Kaushambi District, Journal Of Integrated Development And Research Vol.3.No.2, P.P. 63-68
3. Gopalan, C, 1983, Food Of Nutrition Value In India, Haryana Literature Academy, Chandigarh.
4. Joglekar, Abhya, 1993, Nutrition and Diet, Madhya Pradesh Hindi Granth Academy.
5. I.C.M.R., 1980, Nutritive Value of Indian Food, National Institute of Nutrition, Hyderabad.
6. Shrivastava Lokesh And Mansuri Shahira, 2013, Child Health and Nutrition, Journal Of Integrated Development and Research, Vol.3, No.1, Page 123-128.



GROWTH, DISTRIBUTION AND CAUSES OF INTER-STATE OUT-MIGRATION FROM UTTAR PRADESH: A GEOGRAPHICAL ANALYSIS

Alok Kumar Choubey and Gayatri Rai

ABSTRACT

Process of inter-state out-migration is a demographic necessity in a backward state like Uttar Pradesh. It arises due to various socio-economic factors and results in redistribution of human resources and growth of population in other states. Out-migration from Uttar Pradesh has increased over the years due to persistent underdevelopment and poverty, with long distance inter-state migration proving a viable alternative. Equity in distribution of male and female migrants is a major highlight of inter-state migration, while distance, destination characteristics and cause of migration controls its spatial distribution and growth. The present paper aims at examining the inter-state out-migrants from Uttar Pradesh, their classification based on duration of residence at out-migrated state and factors responsible for such migration for the census period 2001-2011. The paper also attempts to find differential reasons for out-migration to different states for identification of emerging trends. The study is based on secondary data collected from Census of India's migration tables (D2 and D3) for 2001 and 2011. Out-migration figures are not implicitly recorded in census, and are instead calculated from migration tables of all states. Duration of residence and reasons for migration are also used in the study. It is found that, out-migrants from the state are increasing at brisk rate while preferring to stay for long duration of more than 10 years at migrated place. 'Work' and 'marriage' continues to be the dominant factor influencing male and female out-migration respectively. Economic migration is more towards distant industrialised states of the country, while social migration was found to be associated with neighbouring states, possibly driven by marriage migration of females.

Keywords: Inter-state, Out-migration, Demographic, Spatial, Census.

Introduction

Migration is a dynamic process encompassing diversified forms of temporal and geographical mobility. It is the third component of population change and plays important role in population growth of any area. The Census of India does not give direct data on population mobility, but provides enough data to study the spatial variation and distribution of inter-regional migration (Sinha, 1986). Migration is not merely the shift of people from one place of adobe to another but also is fundamental to the understanding of the ever present 'space-content' and 'space-relation of an area (Gosal, 1961). People who were having their last residence in

other state (Uttar Pradesh in this case) but enumerated in other Indian states beyond the previous state of enumeration are known as out-migrants at inter-state level (Census of India, 2011). Out migration is greater in the poorly developed agricultural areas and particularly high among the landless farmers (Keshri and Bhagat, 2012). These characteristics are common in the study area which consequently results in large scale out-migration.

The heavy flow of out-migrants from Uttar Pradesh has been universal reality from the past which continues to hold true in 21st century. This migration is the result of persistent underdevelopment and poverty which forces people to

1. Alok Kumar Choubey, Research Scholar, Department of Geography, Banaras Hindu University, Varanasi, U.P.
email: alok.choubey4@bhu.ac.in
2. Dr. Gayatri Rai, Associate Professor, Department of Geography, Banaras Hindu University, Varanasi, U.P.
email: graivnsbhu@gmail.com

move out. The inability of the economy to absorb workers, lack of social harmony, political hostility, asymmetrical rural-urban development and agrarian distress has resulted in large scale out-migration from the state in search of employment and better living standard. Male migrants usually migrate outwards as a measure of desperation and with uncertainty of participation in informal sector of other state, while female out-migration is dominantly governed by marriage and distance. Vaidyanathan (1967) observed that migration tends to flow towards the areas of greater economic opportunities. Out of the three types of migration based on distance and administrative boundary, inter-state out-migration comprehends the spatial perspective of population movement at national level. The temporal study helps in understanding growth and distribution of migrants as well as changing motives behind such migration. The proportion and significance of inter-state migration has gradually increased over the years with improvement in transport and communication. Rate of inter-state out-migration has far exceeded the rate of in-migration and return migration. Present paper focuses on quantitative and spatial aspects of out-migration from Uttar Pradesh, with emphasis on finding out the differential causes of state-wise spatial movement of migrants in 2001 and 2011.

The Study Area

Uttar Pradesh is the most populous state of India and covers a total geographical area of about 240,928 km². It extends from 23° 52' to 31° 28' North latitudes and 77° 30' to 84° 39' East longitudes. Bordered by Nepal in the North, the state of Uttar Pradesh also touches 9 Indian states/ union territories. It is bounded in the north by Uttarakhand, on the north-west by Himachal Pradesh, on the west by Haryana and Delhi, on the south-west by Rajasthan, on the south by Madhya Pradesh and Chhattisgarh and on the east by Jharkhand and Bihar. India is located in Northern and Eastern hemisphere of the world between 23° 52' to 31° 28' North latitudes and 77° 30' to 84° 39' East longitudes. The country is

divided into 28 states and 9 union territories (August, 2019), but according to reference year of study and availability of out-migration data, only 28 states and union territory of Delhi is demarcated.

Only four countries in the world have population higher than that of Uttar Pradesh i.e. 199.8 Million (Census of India, 2011). 77.73 per cent of population is rural and urbanisation in the state is metropolitan heavy. Sex ratio is 912 females per 1000 males (2011). The state is distinguished as an agrarian state with low economic growth, subsistence agriculture, high population pressure, diverse social groups, mineral scarcity, industrial deficiency, chronic poverty and unemployment along with inter-regional variations in geographical conditions and disparity in rural-urban development. Summing up, it is fair to say that Uttar Pradesh is among the most backward states of the country which brings us to the theme of out-migration. The backwardness of the state compels the people to out-migrate for other states in search of employment and better living conditions.

Uttar Pradesh is a major out-migrating state with nearly 92.55 and 123.20 lakhs of migrants being enumerated as inter-state out-migrants in 2001 and 2011 respectively. Males contribute more to the process of out-migration but females have closed the gap in recent years by recording higher growth than male migrants. Economic and social causes necessitate male and female inter-state migration respectively but these patterns differ spatially on the account of destination characteristics, distance of migration and socio-economic status of out-migrants.

Objectives

- 1) To calculate the state-wise distribution and growth of out-migrants from Uttar Pradesh for the period of 2001-2011.
- 2) To examine the out-migrants according to duration of residence and to analyse the major factors affecting differential inter-state out migration from the state.
- 3) To comparatively identify the causes influencing

migrants to move out from Uttar Pradesh to particular State/U.T.s and find out emerging trends.

Database and Methodology

The study uses place of last residence (POLR) data of Migration tables published by Census of India for 2001 and 2011 to analyse the inter-state out-migration from Uttar Pradesh. Out-migrants are not directly recorded in census publications, so they have to be calculated. The compilation is done using D2 tables of all states and union territories. Relevant entries are taken for each state by recording migrants whose last place of residence is enumerated as 'Uttar Pradesh' which means those migrants have moved out to that particular state from reference state (inter-state out-migrant). Desirable data is obtained by repeating the process for all states for the temporal period of 2001 and 2011. Similarly, based on rural and urban nature of place where the migrant last resided, out-migrants can be enumerated as rural or urban.

Census of India 2001 and 2011 captured the reasons of migration into 7 categories. These are work/employment, business, education, marriage, moved after birth, moved with household and others. Duration of residence of out-migrants is classified into 4 interval of less than 1 year, 1-4 years, 5-9 years and 10 years & above according to D3 migration tables. Inter-state distribution is recorded for only those states which have received more than 1 per cent of total out-migrants from Uttar Pradesh in both 2001 and 2011 (13 states/U.T.'s). Inter-state out-migration requires political boundaries of the country to be demarcated. For the geographical analysis of distribution and growth, states and union territories of the country are taken as study units in reference to Uttar Pradesh. Political map of the country is digitised on ArcGIS software. Distribution maps are prepared for depicting geographical patterns and temporal changes in the distribution and growth of out-migrants w.r.t. reference state. Decadal Growth rate, decadal changes, ratios and percentages are used in this spatio-temporal analysis of long distance inter-state

out-migration.

Results and Discussion

Number of migrants moving out of Uttar Pradesh to other states has increased from about 92.55 lakhs in 2001 to 123.20 lakhs in 2011, showing growth of 33.11 per cent. Male out-migrants increased from 49.30 lakhs to 62.52 lakhs registering 26.80 per cent growth, while female out-migrants grew from 43.25 lakhs to 60.68 lakhs recording growth of 40.30 per cent in the same period. On the account of their superior growth over males in recent decades, it can be forecasted that female out-migrants from the state will overtake their male counterparts in 2021. Historically Uttar Pradesh is an out-migrating state due to chronic poverty and burgeoning population, its proximity with other states provide impetus to potential migrants for moving out. Development of modern means of transportation and communication has also resulted in migration to far distant states over the years. So, inter-state migration constitutes important aspect of migration in the state.

Table 01 shows the distribution of out-migrants from Uttar Pradesh to various states in 2001 and 2011 along with male-female differentials. Delhi received the largest number of migrants with 24.81 and 23.17 per cent migrants moving out from Uttar Pradesh to Delhi in 2001 and 2011 respectively, Maharashtra remains in second position having received 22.39 and 22.36 per cent of migrants in the same period. It may be observed that out migration from Uttar Pradesh has been primarily directed towards the neighbouring states. Not considering the case of Delhi, the 8 surrounding states had about 40.4 and 40 per cent of total out-migrants from Uttar Pradesh in 2001 and 2011 respectively. On the basis of proportion of out-migrants moving out from Uttar Pradesh, state-wise distribution can be divided into 5 categories i.e. very low (less than 1.00 per cent), low (1.00 – 4.00 per cent), medium (4.00 – 7.00 per cent), high (7.00 – 10.00) and very high (10.00 per cent and above). State-wise distribution of total out-migrants from Uttar Pradesh is depicted in Fig. 01.

Table 01: Distribution and Growth of Inter-state Out-Migrants from Uttar Pradesh (%), 2001-11.

Country/ State/ U.T.	Inter-state Out-Migrants from Uttar Pradesh								
	2001 (%)			2011 (%)			Growth Rate, 2001-2011 (%)		
	Persons	Males	Females	Persons	Males	Females	Persons	Males	Females
India	9255257	4930458	4324799	12319592	6251980	6067612	33.11	26.80	40.30
Delhi	24.81	26.35	23.06	23.17	24.25	22.06	24.30	16.71	34.18
Maharashtra	22.39	28.92	14.95	22.36	28.14	16.41	32.94	23.38	54.01
Madhya Pradesh	9.18	5.28	13.62	8.85	5.02	12.80	28.46	20.65	31.91
Haryana	8.77	7.70	9.99	9.04	7.78	10.33	37.24	28.20	45.18
Uttarakhand	6.29	5.09	7.66	7.23	5.91	8.59	52.93	47.10	57.35
Punjab	4.98	5.75	4.10	5.27	5.73	4.81	40.95	26.25	64.45
Gujarat	4.83	6.09	3.39	7.54	9.60	5.42	107.77	99.83	124.03
Bihar	4.72	0.94	9.03	2.60	0.51	4.75	-26.81	-31.90	-26.20
Rajasthan	4.00	2.68	5.49	4.76	2.97	6.60	58.48	40.45	68.50
West Bengal	3.22	3.73	2.64	1.94	2.05	1.82	-19.96	-30.35	-3.21
Chandigarh	1.45	1.68	1.19	1.46	1.67	1.24	33.75	25.85	46.45
Chhattisgarh	1.32	1.28	1.35	1.37	1.34	1.39	38.21	32.55	44.33
Jharkhand	1.13	1.05	1.22	0.87	0.71	1.05	2.99	-14.60	20.16
Rest States/U.T.'s	2.91	3.46	2.31	3.54	4.32	2.73	61.76	58.89	66.67
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			

Source: based on Migration Tables (D2) of all states and U.T.'s, Census of India, 2001-2011

In terms of decadal growth of out-migrants from Uttar Pradesh, Gujarat recorded the highest growth of 107.77 per cent among major states for 2001-11, followed by Rajasthan (58.48) and Uttarakhand (52.93), while Bihar (-26.81) and West Bengal (-19.96) registered declining growth in the last decade. These spatial patterns of growth and decline were nearly identical for male and female migrants. Sex-wise out migration from Uttar Pradesh also shows that Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh Geographical Journal Vol. 24, 2019

Rajasthan, Uttarakhand had more female out-migrants than males in 2001 and 2011, manifesting that more females migrate to neighbouring states for marriage. Western and Northern Indian states were more preferred for out-migration than Eastern and Southern states, which can be attributed to variety of factors like distance, linguistic similarities, marriage obligations, socio-economic opportunities and historical migration. It can also be observed that migrants from Uttar

Pradesh are moving to more urbanised states of Delhi, Maharashtra, Gujarat and Haryana for greater economic and occupational opportunities. Based on growth of out-migrants during last decade, the states

are divided into 5 categories i.e. low negative, low positive, medium, high and very high positive. State-wise decadal growth of out-migrants is shown in Fig. 02.




Fig. 01




Fig. 02

Table 02 : Inter-state Out-Migration from Uttar Pradesh by Duration, 2001-2011

Duration of Stay	2001 (%)			2011 (%)			Change, 2001-2011 (%)		
	Persons	Males	Female	P	M	F	P	M	F
All Out-Migrants	9255257	4930458	4324799	12319592	6251980	6067612	3064335	1321522	1742813
less than 1 year	3.93	4.42	3.36	6.27	7.24	5.27	2.34	2.82	1.91
1-4 years	19.59	20.93	18.06	18.38	19.12	17.62	-1.21	-1.81	-0.44
5-9 years	17.66	18.40	16.81	16.31	16.52	16.09	-1.35	-1.88	-0.72
10 years & above	53.01	50.27	56.14	53.22	51.34	55.16	0.21	1.07	-0.98
Not stated	5.81	5.98	5.62	5.82	5.78	5.85	0.01	-0.2	0.23
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			

Source: based on Migration Tables, Census of India, 2001-2011

Table 02 presents the classification of migrants on the basis of duration of residence at the out-migrating destinations. Inter-state out-migration from Uttar Pradesh at the place of enumeration has been assessed by 4 time intervals viz. less than 1 year, 1-4 years, 5-9 years and 10 years and above. Majority of out-migration occurred for 10 years and above (53.01 and 53.22 per cent in 2001 and 2011), followed by durations of 1-4 years and 5-9 years. Short term out-migration of less than 1 year was lowest with only 3.93

and 6.27 per cent migrants reporting this duration in 2001 and 2011 respectively, although it was observed recently that migrants out-migrating for less than 1 year are on the rise. Nearly 6 per cent migrants didn't stated their duration of out-migration. Similar patterns are followed in the sex-wise out-migration from the state, but it was observed that females prefer long duration stay at place of enumeration and were slightly less mobile than their male counterparts after migration.

Table 03 : Inter-state Out-Migration from Uttar Pradesh by Reasons (%), 2001-11

Reasons for Migration	2001 (%)			2011 (%)			Change, 2001-2011 (%)		
	Persons	Males	Females	P	M	F	P	M	F
Total out-migrants	9255257	4930458	4324799	12319592	6251980	6067612	3064335	1321522	1742813
Work/employment	34.23	61.49	3.15	30.31	55.82	4.04	-3.92	-5.67	0.89
Business	1.49	2.59	0.24	1.14	1.83	0.44	-0.35	-0.76	0.2
Education	0.96	1.45	0.41	1.04	1.49	0.58	0.08	0.04	0.17
Marriage	24.27	0.48	51.39	24.91	1.04	49.51	0.64	0.56	-1.88
Moved after birth	2.60	2.89	2.27	2.81	3.28	2.32	0.21	0.39	0.05
Moved with HH*	25.11	17.91	33.31	26.93	20.91	33.13	1.82	3	-0.18
Others	11.34	13.19	9.22	12.86	15.64	9.99	1.52	2.45	0.77
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			

Source: based on Migration Tables, Census of India, 2001-2011, Note: *Household

Reasons for inter-state out migration from Uttar Pradesh is shown through Table 03, which gives an idea about the factors influencing migrants to move out. Census classify the causes of migration into 7 categories. In 2001, maximum out-migration was reported for work/ employment purpose (34.23 per cent), followed by reasons of household migration (25.11), marriage (24.27) and others. Migration for business and education accounted for only 2.45 per cent of total out-migration. Gender variation in causes of migration are abundantly evident as most common

reason for male migration was employment (61.49 per cent), while females listed marriage (51.39 per cent) as primary reason for their out-migration from Uttar Pradesh.

Similar trends were followed in 2011, although some observations can be made by comparing migration reasons for 2001 and 2011 census. Although migration for work remained the primary cause for total out-migration in 2011 but its proportion declined to 30.31 per cent, a steep drop of 3.92 per cent (Table 03). Male migration for work (55.82) also declined by

5.67 per cent from 2001 to 2011. Work was followed by household (26.93) and marriage (24.91) migration, both of which registered increase from their respective proportion in 2001. Female reason of migration for marriage (49.51) also declined from its previous level

by 1.88 per cent. Business related out-migration also declined while educational migration increased insignificantly in 2011. It can be said that migration due to household movement will continue to grow in future with decline of female marriage migration.

Table 04 : Out-Migration from U.P. to Major States/U.T.'s by Reasons (%), 2001

State/ U.T.	Total Out-Migrants	Reasons for Migration (%)						
		Work/employment	Business	Education	Marriage	Moved after birth	Moved with household	Others
Delhi	22,96,367	37.33	0.54	0.98	15.60	2.16	34.69	8.69
Maharashtra	20,72,193	48.52	1.11	0.97	13.61	5.01	17.71	13.08
Madhya Pradesh	8,49,232	16.68	0.80	1.34	50.69	1.53	19.50	9.44
Haryana	8,11,374	30.07	0.33	0.55	27.19	1.24	30.29	10.33
Uttarakhand	5,82,405	23.54	0.65	1.67	32.26	1.04	29.44	11.41
Punjab	4,60,858	43.54	0.65	0.33	12.25	1.98	24.05	17.20
Gujarat	4,47,325	40.09	10.55	0.38	11.94	3.87	23.89	9.28
Bihar	4,37,060	3.68	0.34	0.33	78.92	0.44	5.86	10.43
Rajasthan	3,69,754	20.58	0.53	0.92	43.25	1.32	22.38	11.02
West Bengal	2,98,356	32.35	4.62	1.09	17.25	2.73	24.43	17.52
INDIA	92,55,257	34.23	1.49	0.96	24.27	2.60	25.11	11.34

Source: based on Migration Tables (D3) of all states and U.T.'s, Census of India, 2001

Table 05 : Out-Migration from U.P. to Major States/U.T.'s by Reasons (%), 2011

State/ U.T.	Total Out-Migrants	Reasons for Migration (%)						
		Work/employment	Business	Education	Marriage	Moved after birth	Moved with household	Others
Delhi	28,54,297	31.62	0.59	1.13	18.97	2.15	35.26	10.29
Maharashtra	27,54,706	40.10	1.16	1.00	14.27	5.10	20.79	17.57
Haryana	11,13,535	27.08	0.53	0.59	29.44	1.85	31.10	9.42
Madhya Pradesh	10,90,881	15.75	0.85	1.23	53.21	1.55	18.09	9.32
Gujarat	9,29,411	37.27	3.00	0.36	10.22	3.18	25.35	20.62
Uttarakhand	8,90,663	22.84	0.63	1.48	33.23	1.05	31.55	9.23
Punjab	6,49,557	35.56	0.75	0.47	14.37	3.05	32.04	13.76
Rajasthan	5,85,982	18.37	0.49	1.55	47.31	1.46	22.82	8.00
Bihar	3,19,887	3.75	0.46	0.34	80.58	0.74	5.50	8.62
West Bengal	2,38,819	23.10	4.42	0.98	22.88	3.93	25.16	19.54
INDIA	1,23,19,592	30.31	1.14	1.04	24.91	2.81	26.93	12.86

Source: based on Migration Tables (D2) of all states and U.T.'s, Census of India, 2011

Table 04 and 05 shows the out-migration from Uttar Pradesh to major states/ union territories in 2001 and 2011 respectively by reasons of migration. Through these tables, differential reasons for migration to a particular state can be easily interpreted from temporal perspective. This is beneficial for understanding the motives for out-migration to specific states. As per individual reasons in 2001, the highest proportion of migrants for employment, business, education, marriage, moved after birth and movement with household categories were recorded in Maharashtra (48.52), Gujarat (10.55), Madhya Pradesh (1.34), Bihar (78.92), Maharashtra (5.01) and Delhi (34.69) respectively. Similarly in 2011 census, corresponding leading states were

Maharashtra (40.10), West Bengal (4.42), Rajasthan (1.55), Bihar (80.58), Maharashtra (5.10) and Delhi (35.26). The figures in the bracket are representative of the proportion of state's total out-migrants enumerating the respective reasons to migrate which is highest for that particular reason. It is important to mention that only major states (mentioned in Table 4) are used for this analysis, rather than the whole country. So, from 2001 to 2011, West Bengal displaced Gujarat while Rajasthan displaced Madhya Pradesh as the leading state in terms of highest percentage of migrants moving out for business and education reasons in these major states, although these reasons were universally low for every state.




Fig. 03




Fig. 04

On the basis of out-migrant's proportion (of state's total out-migrants received from Uttar Pradesh), state-wise spatial variations are depicted. Fig. 03 shows variations caused by employment factor in 2011, similarly Fig. 04 represents the changes in out-migrants proportion in the states due to marriage migration in 2011. Out-migration caused by work/ employment among the states varies from 48.88 per cent (Tripura) to 3.75 per cent (Bihar). Marriage out-migration among the state ranges from 80.58 per cent (Bihar) to 5.03 per cent (Mizoram). Similarly out-migration due to movement with

to marriage migration in 2011. Out-migration caused by work/ employment among the states varies from 48.88 per cent (Tripura) to 3.75 per cent (Bihar). Marriage out-migration among the state ranges from 80.58 per cent (Bihar) to 5.03 per cent (Mizoram). Similarly out-migration due to movement with

household varies from 38.02 per cent (Meghalaya) to 5.50 per cent (Bihar). This range of variation is categorised into three groups of low (below 15 per cent), medium (15–30 per cent) and high (30 per cent and above).

Every state except Bihar witnessed decline in migrants moving for work/employment reason in 2011 as compared to 2001 and in case of marriage, barring Gujarat all major states registered growth in out-migrants for the same period. Taking distance into account, migrants favoured long distance movement for employment as Maharashtra received 40.10 per cent and Gujarat received 37.27 per cent of its total out-migrants from Uttar Pradesh for work (2011). Employment or economic migration from the state was driven by male migrants and directed more towards industrialized and urbanised states of the country. In contrast, migrants preferred short distance movement for marriage, evident from Table 05 with Bihar and Madhya Pradesh receiving 80.58 and 53.21 per cent of their total out-migrants from UP due to marriage (2011). Marriage or social migration is essentially female driven phenomena commonly associated with states having strong agrarian economies, caste and linguistic similarities. As previously remarked, migration due to household movement is growing in all states and expected to dominantly influence future movement patterns

Summary and Conclusion

Existence of imbalances in the degree of development across the country and dominance of 'push' factors in Uttar Pradesh results in strengthening the process of inter-state out-migration from the state. Motivated to migrate for better states and achieving higher socio-economic development than before, migrants are increasingly committed to travel long distance and for longer duration. So, this process has become imperative and inevitable in today's time. This is evident by the volume of inter-state out-migrants which has increased to 123.20

lakhs in 2011, registering growth 33.11 per cent in the last decade. Females recorded higher growth than males while proportion of male and female migrants in overall out-migration was found to be nearly equal. Delhi is the most preferred out-migrated place from Uttar Pradesh with 23.17 per cent migrants going there in 2011, followed by Maharashtra. Neighbouring states accounted for nearly two-thirds of all out-migrants. Distance seems to be a factor but nature of destination also contributes significantly in the decision making of migrants. Economically more advanced, industrialised and urbanised states than Uttar Pradesh were preferred irrespective of distance considerations. Gujarat registered highest growth (107.77 per cent) in out-migrants, followed by Rajasthan, while nearby states of Bihar and West Bengal recorded negative growth in the last decade. Overall, states of northern and western India received more migrants from Uttar Pradesh than the rest of the country. Out of 4 time intervals of duration, it was found that more than half of migrants (53.22 per cent) desired to stay for more than 10 years at migrated place, which implies that rate of return migration to Uttar Pradesh is extremely low and the state will continue to be net out-migrating state for foreseeable future.

Migration for 'work' is the most important factor of migration, followed closely by household and marriage migration. 'Employment' and 'Marriage' were unsurprisingly the most dominant factors affecting male and female out-migration respectively. Linguistically similar states received more female migrants due to marriage factor, while economically superior states had more male out-migrants from the state for work purpose. Proportion of migrants moving for 'work' has declined appreciably in the last decade, but the gains are not in favour of tertiary migration (business and education). So, causes of out-migration from Uttar Pradesh remains primitive, predictable and subsistent. Migrants not reporting their cause of migration has increased over the years (12.86 per cent in 2011) which reflects the

deficiencies of census. Regarding differential reasons for out-migrating to different states, it was observed that Bihar leads all the states in terms of having maximum proportion of marriage migrants, proving above argument of correlation between social factors and distance migration. Household movement to Delhi was highest among all states. Business and educational migration remained at insignificant level for all major states. It can be concluded that though inter-state out-migration is on the rise, but it is essentially primitive in its character, implying that majority of migrants are unskilled and illiterate rural folks moving for work and marriage. Trends in household migration, however gives hope for the future. Inter-state out-migration from Uttar Pradesh is expected to grow further, but desirable migration and socio-economic development of migrants also requires inclusive development of Uttar Pradesh and appropriate policy intervention.

References

1. Bhattacharya, P.C., 1998, The Informal Sector And Rural-to-Urban Migration: Some Indian Evidence, *Economic and Political Weekly*, Vol. 33, No. 21, p. 1255–1262.
2. Census of India, 2011, Migration D-Series Tables, Ministry of Home Affairs, Office of the Registrar General, Govt. of India, New Delhi.
3. Das, M., 2017, Male Out-migration and Women in Rural Bihar: A Socio-legal Study, *Journal of Migration Affairs*, p. 21-40.
4. Debnath, M. and Nayak, D.K., 2018, Male Out-Migration in West Bengal: Regional Pattern and Determinants, *Transactions*, Vol. 40, No. 1, p. 119-130.
5. Gosal, G. S., 1961, Internal Migration in India: A Regional Analysis, *Indian Geographical Journal*, Vol. 36, No. 2, p. 106-121
6. Kalotra, G., 2009, Patterns of Out-Migration From Punjab: A Spatial Perspective, *Population Geography*, Vol. 31, No. 1 & 2, p. 43-64.
7. Kalotra, G., 2010, Trend and Patterns of Sex Ratio among In-Migrants to Punjab (2001), *Punjab Geographer*, Vol. 6, p. 68-82.
8. Keshri, K. and Bhagat, R.B., 2012, Temporary and Seasonal Migration: Regional Pattern, Characteristics and Associated Factors, *Economic & Political Weekly*, Vol. 47, No. 4, p. 81-88.
9. Khan, J.H. and Shazia., 2017, Volume and Reasons of Inter-State Rural out-Migration from Uttar Pradesh, *International Journal of Scientific Research and Reviews*, Vol. 6, No. 3, p. 59-77.
10. Kumar, N. and Bhagat, R.B., 2012, Outmigration from Bihar: Causes and Consequences, *Journal of Social and Economic Studies*, Vol. XXII, No. 2, p. 134-144.
11. Saha, S.Goswami, R. and Paul, S.K., 2018, Recursive Male Out-migration and the Consequences at Source: A Systematic Review with Special Reference to the Left-behind Women, *Space and Culture*, Vol. 5, No. 3, p. 30-53.
12. Sharma, A., 2018, Spatial Patterns of Migration in Himachal Pradesh, 1991-2001, *International Journal of Research in Social Sciences*, Vol. 8, No. 2, p. 101-117.
13. Siddiqui, F.A. and Banu, N., 2014, Out-Migration from West Bengal: A Spatial Analysis, *National Geographical Journal of India*, Vol. 60, No. 4, p. 329-342.
14. Singh, J. P., 1984, Distance Patterns of Rural to Urban Migration in India, *Genus*, Vol. 40, No. 1, p. 119-129.
15. Singh, S.P. and Agarwal, R.K., 1998, Rural-Urban Migration: the Role of Push and Pull Factor Revisited, *the Indian Journal of Labour Economics*, Vol. 41, No. 4, p. 653-668.
16. Sinha, S.K., 1986, Internal Migration in India: 1961-1981, an Analysis, Office of the Registrar General, New Delhi.



बालोद जिले के ग्रामीण बाजारों पर क्षेत्रीय विकास मॉडल का प्रभाव

रीना एवं सरला शर्मा

शोध सारांश

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बालोद जिले के ग्रामीण बाजारों पर क्षेत्रीय विकास मॉडल का प्रभाव का भौगोलिक विश्लेषण करना है। जिले के ग्रामीण बाजारों पर क्षेत्रीय विकास का मॉडल के तहत क्रिस्टॉलर के केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त के आधार पर जिले के सभी ग्रामीण बाजार को षट्कोण प्रतिरूप में प्रस्तुत किया गया, वही अगस्त लॉश के त्रिभुजाकार षट्कोणीय सिद्धान्त के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 18 गाँव को बाजार केन्द्र के अन्तर्गत रख कर मॉडल प्रभाव बनाया गया है। इस प्रकार परिवहन सुविधाओं और दूरी को ध्यान में रखते हुए क्रिस्टॉलर एवं अगस्त लॉश महोदय के बाजार केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त के तहत बालोद जिले के छोटे ग्राम बाजारों का मॉडल सेवा केन्द्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गाँव की जनसंख्या जितनी अधिक सघन होगी, सेवा केन्द्र के रूप में बाजार केन्द्रों का विस्तार भी उतना अधिक होगा।

मुख्य बिन्दु:— क्षेत्रीय विकास मॉडल, क्रिस्टॉलर एवं लॉश।

प्रस्तावना

किसी भी क्षेत्र में निवासरत मानव समुदाय स्वयं अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यापार एवं बाजार केन्द्रों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसे वे वस्तुओं एवं सेवाओं की सुविधाएँ, वस्तु विनिमय की क्रिया सम्पन्न होने से प्राप्त करते हैं। बाजार स्थल कृषक समुदाय की व्यापारिक गतिविधियों के प्रमुख नाभिय बिन्दु होते हैं, जिसका किसी वस्तु विशेष के व्यापार में विशेषीकरण व अर्थव्यवस्था के विकास, सामाजिक उत्थान में विशेष योगदान होता है (ब्रामले 1971)। इस प्रकार बाजार प्रक्रिया का आरंभ मानव सभ्यता के विकास के साथ ही वस्तुओं के विनिमय से प्रारंभ हुआ, जिससे किसी सीमित घरेलु क्षेत्र से उत्पादित वस्तुएँ, विस्तृत क्षेत्रों में, उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के बीच गति प्रदान करने लगी है। बाजार केन्द्र अब न केवल उसी क्षेत्र के उत्पादों एवं सेवाओं के वितरण पर आधारित है, बल्कि अपने आस-पास के विभिन्न क्षेत्रों को भी अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति रखते हैं। इन बाजार केन्द्रों में

सेवा प्रदाताओं को ऐसे मूल्यों की प्राप्ति हो रही है, जिससे वे अपने हर सम्भव प्रयास में वस्तु उत्पादकता को बढ़ावा देने लगे हैं तथा अधिक से अधिक उत्पादक के विक्रय के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं, जिससे इनका आय, वस्तुओं के विनिमय क्रिया के विस्तार पर आधारित होती है।

अध्ययन क्षेत्र

बालोद जिला (24° 44' उत्तरी अक्षांश से 20.73° उत्तरी अक्षांश एवं 81° 12' पूर्वी देशान्तर से 81° 2' पूर्वी देशान्तर), छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिमी मध्य क्षेत्र में विस्तृत है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,52,700 हेक्टेयर (2,780 वर्ग किमी.) है, जिसमें प्रदेश का 3.52 प्रतिशत क्षेत्र समाहित है। बालोद जिला उत्तर में दुर्ग, पश्चिमोत्तर भाग में राजनादगांव उच्चभूमि, दक्षिण में कांकेर, पूर्व में धमतरी जिले से घिरा हुआ है। इसका मातृ जिला—दुर्ग है। प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र बालोद जिले के ग्रामीण बाजारों में पाँच विकासखण्ड व जनपद है, जिसमें 393 ग्राम पंचायत व 238 ग्राम बाजार है। जहाँ डौण्डीलोहारा विकासखण्ड ग्राम

1. रीना, शोध छात्रा, भूगोल अध्ययनशाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छ.ग., reenathakur931@gmail.com.

2. प्रो. सरला शर्मा, भूगोल अध्ययनशाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छ.ग., drsarlasharma2011@gmail.com.

पंचायत स्तरीय में कुल 32.8 प्रतिशत बाजार विद्यमान है। प्रतिदर्श ग्राम में साप्ताहिक बाजारों की संख्या 27 है, जो कुल ग्रामीण बाजारों का 75 प्रतिशत, द्वै-साप्ताहिक बाजार 22.2 प्रतिशत और प्रतिदिन लगने वाले बाजार 2.8 प्रतिशत है।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। अध्ययन के लिए सर्वप्रथम बालोद जिले के सभी विकासखण्डों से ग्राम बाजारों की सूची तैयार कर यादृच्छिक निदर्शन द्वारा 15 प्रतिशत प्रतिदर्श ग्रामीण बाजार का चयन किया गया। चयनित प्रतिदर्श ग्रामीण बाजार के प्रतिदर्श के आकार का सांख्यिकीय विधि द्वारा परीक्षण किया गया।

इस प्रकार जिले से कुल 36 गाँव चयनित हुए, चयनित प्रतिदर्श ग्रामीण बाजार से क्रेता एवं विक्रेता संबंधी जानकारी साक्षात्कार अनुसूची एवं ग्राम डायरी के द्वारा प्राप्त की गई।

उद्देश्य

ग्राम बाजार अधिकांशतः साप्ताहिक और द्वैसाप्ताहिक होते हैं, जिसका आकार छोटा होता है जहाँ एक निश्चित खाली मैदानों व कहीं कहीं चबूतरों में पसरे लगाकर बैठकर सामानों का विक्रय किया जाता है। ग्रामीण बाजार छोटे व बड़े आकार के होते हैं जो अपने आस पास के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है।

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बालोद जिले के ग्रामीण बाजारों पर क्षेत्रीय विकास मॉडल का प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में भौगोलिक विश्लेषण करना है।

ग्रामीण बाजार के क्षेत्रीय विकास पर बाजार मॉडल का प्रभाव

किसी भी प्रदेश का क्षेत्रीय विकास उस क्षेत्र के भौगोलिक स्वरूप, वहाँ उपस्थित प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा का मुख्य आधार होता है। "विकास किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की कालक्रम में आर्थिक -सामाजिक परिस्थिति

की वह अवस्था है, जिसे हम निर्धारित मानकों के आधार पर विकसित, अविकसित या विकासशील कहते हैं।" सभी क्षेत्रों में संसाधनों की मात्रा अलग-अलग होती है, जो उस क्षेत्र विशेष का अलग प्रतिरूप निर्धारित करता है। भूमि उच्चावच, संसाधनों का वितरण, नदी जल प्रवाह, जनसंख्या वितरण, मानव संस्कृति, भाशा, कृषि-भूमि उपयोग, यह सभी क्षेत्रीय विकास का प्रतिरूप है।

पृथ्वी धरातल पर घटित होने वाली घटनाएँ सभी स्थान पर एक साथ घटित नहीं होती हैं वह प्रकृति और मानव अन्तर्सम्बन्धी क्रियाकलापों का अलग-अलग समय और क्षेत्रों में हुई घटनाओं से सम्बंधित होती हैं। जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा अनुकूल है और उसका उपयोग अधिक हो रहा है, उस क्षेत्र का विकास जहाँ अधिक होगा, वहीं संसाधनों की कम मात्रा व कम मानवीय अन्तर्क्रिया से उस क्षेत्र का विकास कम होगा।

अतः क्षेत्रीय विकास, मानव एवं प्रकृति के मध्य अन्तर्सम्बन्धी क्रियाकलापों पर आधारित है। मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लाते हैं, गुणवत्ता युक्त उपयोगी बनाते हैं, जो सम्पूर्ण विश्व में मात्रा एवं उपयोगिता के आधार पर, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रतिरूपों में समान रूप से वितरित नहीं होती है। उन क्षेत्रों में विकास तीव्रता से हुआ है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा अधिक है एवं जिन क्षेत्रों में संसाधनों की कमी व मानवीय क्षमता कम है उन क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी रही है।

बालोद जिला प्रमुखतः पाँच विकासखण्डों में विभक्त है। यहाँ की भौतिक उच्चावच, प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या वितरण में जहाँ भिन्नताएँ हैं, वही कृषि भूमि उपयोग, भाशा प्रजाति में समानता पाई जाती है जिसके कारण जिले के क्षेत्रीय विकास में जहाँ विभिन्नताएँ निहित हैं वहीं क्षेत्रीय समस्याओं में समानता है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्षेत्रीय नियोजन प्रक्रियाएँ द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका ग्रामीण बाजारों के क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है।

किसी भी क्षेत्र में निवासरत मानव समुदाय स्वयं अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यापार एवं बाजार केन्द्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। ग्रामीण बाजारों में वस्तुओं एवं सेवाओं की सुविधाएँ, वस्तु विनिमय की क्रिया सम्पन्न होने से प्राप्त होती है। इस प्रकार बाजार प्रक्रिया का आरंभ मानव सभ्यता के विकास के साथ ही वस्तुओं के विनिमय होने से प्रारंभ हुआ, जिससे किसी सीमित क्षेत्र की घरेलू उत्पादित वस्तुएँ, विस्तृत क्षेत्रों में उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के बीच प्रदान होने लगी। बाजार केन्द्र अब न केवल उसी क्षेत्र के उत्पादों एवं सेवाओं के वितरण पर आधारित है, बल्कि अपने आस-पास के विभिन्न क्षेत्रों को भी

अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति रखती है। इन बाजार केन्द्रों में सेवा प्रदाताओं को ऐसे मूल्यों की प्राप्ति हो रही है, जो उसे अपने हर सम्भव प्रयास में वस्तु उत्पादकता को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक कारक होते हैं, जिससे वे अधिक उत्पादक के विक्रय के लिए प्रोत्साहित भी होते हैं, विक्रय से प्राप्त आय वस्तुओं के विनिमय क्रिया के विस्तार पर आधारित होती है।

ग्रामीण बाजारों का वितरण

बालोद जिले के अधिकांश ग्राम बाजार ग्राम पंचायत स्तर के हैं जिसे हाट बाजार के रूप में जाना जाता है।

सारणी 01 : बालोद जिला : ग्राम बाजारों का वितरण।

क्रमांक संख्या	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत स्तर पर गाँव की संख्या	प्रतिशत	कुल ग्राम बाजारों की संख्या	प्रतिशत
1	बालोद	53	13.5	30	12.61
2	गुण्डरदेही	106	26.96	70	29.41
3	डौण्डीलोहारा	107	27.23	78	32.77
4	डौण्डी	55	13.99	24	10.08
5	गुरुर	72	18.32	36	15.13
योग		393	100	238	100

स्रोत : कृषि विभाग बालोद सन् 2015.

जिले के पाँच विकासखण्डों में 393 ग्राम पंचायत में कुल ग्रामीण बाजारों की संख्या 238 है। इन पाँचों विकासखण्ड में सबसे अधिक ग्राम बाजार डौण्डीलोहारा में (32.77%) है, जबकि गुण्डरदेही विकासखण्ड (29.41%) एवं गुरुर विकासखण्ड (15.13%) में भी ग्राम बाजारों का विस्तार अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त हुआ। इन विकासखण्डों में अधिक ग्राम बाजार विकसित होने का प्रमुख कारण बड़ा एवं समतल मैदानी भूमि, तांदूला जलाशय, फसल उत्पादन हेतु

प्रयाप्त जल की उपलब्धता है, वहीं अन्य दो विकासखण्ड बालोद विकासखण्ड (12.61%) और डौण्डी विकासखण्ड में उच्च भूमि एवं वनाच्छादित भूमि के कारण जहाँ गाँव बसाव अपेक्षाकृत दूर-दूर हुए वहीं ग्राम बाजार दूर-दूर एवं अपेक्षाकृत कम रहे। जिससे जिले के व्यापारियों (क्रेता-विक्रेताओं) को अधिक दूरी के, ग्राम बाजार में सामान खरीदने व बेचने जाना पड़ता है। जिले में कुछ ग्राम बाजार ऐसे हैं, जहाँ अभी तक सड़क मार्ग का निर्माण नहीं हो पाया

है, जिनमें आदिवासी क्षेत्र में स्थित डौण्डी एवं डौण्डीलोहारा विकासखण्ड प्रमुख है। इन सभी कारणों से क्रेता-विक्रेताओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनका सम्मिलित प्रभाव ग्रामीण बाजारों के क्षेत्रीय विकास में विशेष महत्व रखता है (सारणी 01)।

ग्रामीण बाजारों का विकास

जिले में ग्रामीण बाजारों का क्षेत्रीय वितरण अलग-अलग विकासखण्डों में भिन्न-भिन्न है। विकासखण्डों में लगने वाले ग्राम बाजारों का आकार, वहाँ के व्यापारियों की संख्या के आधार पर छोटे एवं बड़े बाजार को निश्चित करता है।

सारणी 02 : बालोद जिला : विक्रेताओं की संख्या के आधार पर चयनित ग्रामीण बाजारों का वितरण

क्रमांक संख्या	विक्रेताओं की संख्या	ग्राम बाजार की संख्या	बालोद	गुण्डरदेही	डौण्डीलोहारा	डौण्डी	गुरुर
1	30 से कम	18	03	06	05	01	03
2	31 से 60	12	01	04	04	01	02
3	61 से 90	02	00	00	02	00	00
4	91 से 120	01	00	00	01	00	00
5	121 से अधिक	03	01	00	00	02	00
योग		36	05	10	12	04	05

स्रोत :- व्यक्तिगत सर्वेक्षण सन् 2017-18.

ग्राम बाजार को व्यापारियों की निश्चित संख्या के आधार पर पाँच भागों में विभक्त किया गया है जिसमें 30 से कम व्यापारियों वाले बाजार है, 31 से 60 व्यापारियों वाले ग्राम बाजार में विक्रेताओं की संख्या कम होने का मुख्य कारण आस-पास के अन्य ग्रामों में सप्ताह के अन्य दिनों में बाजार लगना, ग्रामों का नजदीक में बसा होना एवं कम दूरी तय करना है जबकि 61 से 90 विक्रेताओं वाले ग्राम बाजार-दो एवं 91 से 120 व्यापारियों वाले ग्राम बाजार-एक, डौण्डीलोहारा विकासखण्ड में प्राप्त हुए। इस प्रकार अधिक व्यापारियों वाले ग्राम बाजार (तीन) बहुत ही कम है। इन ग्राम बाजारों के क्षेत्रीय आकार के अर्न्तगत बालोद विकासखण्ड से एक ग्राम बाजार मटिया पी., डौण्डी से दो ग्राम बाजार घोटिया एवं पचेड़ा (आदिवासी ग्राम) क्षेत्रीय आकार में अपेक्षाकृत बड़े बाजार हैं। इन बड़े ग्राम बाजारों में विक्रेताओं की संख्या अधिक होने का मुख्य कारण आस-पास के अन्य ग्रामों में बाजारों का ना होना, ग्रामों का दूर-दूर पर बसाव होना, सप्ताह में एक दिन ग्राम बाजार

लगना है, जिसके कारण उपभोक्ता पूरे सप्ताह के लिए हरी सब्जियाँ व अन्य आवश्यक सामान खरीदते हैं। इस प्रकार इन बड़े बाजारों पर समीपस्थ सभी छोटे ग्राम बाजार निर्भर होते हैं और उपभोक्ता एवं विक्रेता अधिक दूरी तय कर सामान खरिदने व बेचने बाजार स्थल तक आते हैं (सारणी 0 2)।

ग्रामीण बाजारों के अभिनिर्धारण पर बाजार मॉडल का प्रभाव

बाजार केन्द्रों की परिकल्पना मुख्य रूप से केन्द्रीय स्थल सिध्दान्त पर निहित है। इसका उपयोग बस्तियों में आकार, प्रकार, संख्या और वितरण के अध्ययन, नगरीय प्रकार्यों, तृतीयक उद्योगों, विनिर्माण एवं क्रियानवित्त उद्योगों को स्थापित करने के लिए किया जाता है। जिसके संदर्भ में केन्द्रीय स्थल सिध्दान्त का सर्वप्रथम प्रयोग मार्क जेफरसन (1931) ने ऐसे केन्द्र के लिए किया था जो अपने चतुर्दिक क्षेत्र की जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति भिन्न-भिन्न

क्रियाकलापों द्वारा सम्पादित करता है। किन्तु इस सिद्धान्त के क्रमबद्ध एवं विशद अध्ययन का श्रेय जर्मन विद्वान क्रिस्टॉलर (1966) को है जिन्होंने सन् 1933 ई. में दक्षिण जर्मनी के नगरीय और ग्रामीण अधिवासों के वितरण के विशद अध्ययन के आधार पर अपने केन्द्रीय स्थल सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रामाणिक रूप से किया, तदपश्चात् अनेक भारतीय एवं अन्य वैज्ञानिकों ने भी केन्द्रीय स्थल सिद्धान्त के विभिन्न तरीकों से नया आयाम सम्मिलित करने का प्रयास किया।

वाल्टर क्रिस्टॉलर का सिद्धान्त

वाल्टर क्रिस्टॉलर ने वास्तव में अपना सिद्धान्त नगरीय एवं ग्रामीण अधिवास के वितरण का प्रतिपादन करने के लिये किया था। उनके अनुसार केन्द्र स्थल एक निश्चित क्षेत्रफल के मानव अधिवास को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करता है, जहाँ की भूमि उपजाऊ, फसल उत्पादन की अधिकता, परिवहन सुविधाएँ एवं प्रशासनिक अलग-अलग दृष्टिकोण के आधार पर, केन्द्र स्थल को प्रदर्शित करता है। क्रिस्टॉलर के अनुसार किसी केन्द्र की सत्ता इसलिए बनी रहती है कि वह अपने चारों ओर के क्षेत्र को अनिवार्य सेवाएँ प्रदान करता है। सबसे अधिक समीपवर्ती छः आश्रित स्थानों में से केवल दो स्थानों के साथ सम्बन्ध स्थापित होते हैं, जिसमें निम्न वर्ग के केन्द्र, ऊँचे वर्ग के केन्द्र के शट्कोणीय बाजार क्षेत्र के सिरों पर स्थित होते हैं। वास्तव में केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त में ऐसे शट्भुजीय केन्द्र की रचना की गई है, जिसमें आस-पास के किन्ही तीन केन्द्रों को, सीधी रेखाओं में मिला देने पर समन्वित त्रिभुज का निर्माण होता है, जिसमें दो बाजार केन्द्रों की आपस की दूरी न्यूनतम एवं परिवहन मूल्य के आधार पर समान आकृति निर्मित होती हो। इसी आधार पर बालोद जिले के स्थापित क्षेत्रीय ग्राम बाजारों में केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त के तहत शट्कोणीय मॉडल द्वारा विकास का प्रस्तुत किया गया है।

क्रिस्टॉलर के केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त में बाजार का मॉडल 'के' मूल्य पर आधारित है। जिसमें $k=3$ के तहत जिला मुख्यालय बालोद को केन्द्र माना गया है तथा उसके समिपस्थ 6 छोटे ग्राम बाजार केन्द्रों से शट्कोणीय रूप में


स्थापित किए गए।

$k=4$ मूल्य के तहत परिवहन मार्गों के आधार पर केन्द्र से समान अन्तराल पर छोटे ग्राम बाजारों की दूरी निश्चित की गई जिससे प्रभावित होते हुए बाजार परिवहन क्षेत्र शट्कोणीय रूप प्राप्त करता है। इस प्रकार केन्द्र की दूरी एवं आकार क्षेत्र में भी परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाएगी।

$k=7$ मूल्य के अन्तर्गत प्रशासनिक क्षेत्र का मुख्यालय बालोद को माना गया जिसमें बड़े बाजार केन्द्रों को स्थापित किया गया तथा छोटे ग्राम बाजार के रूप में एक बाजार सेवा क्षेत्र का अर्द्धव्यास 4 किमी. होगा। इस शट्कोणी बड़े बाजार केन्द्रों में छोटे-छोटे ग्राम बाजार सम्मिलित होंगे जिससे जिले में एक पदानुक्रम बाजार सेवा केन्द्र विकसित होगा।

बालोद जिला धरातलीय समतल मैदान वाला क्षेत्र है जहाँ डौण्डीलोहारा व डौण्डी के अधिकांश भाग उच्च भूमि वनाच्छादित है, जिसका प्रभाव छोटे ग्राम बाजार की स्थापना एवं परिवहन मार्गों पर दृष्टिपूर्व्य हुआ। इस प्रकार क्रिस्टॉलर के केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त के तहत बालोद जिले के क्षेत्रीय विकास के लिए प्रतिस्थापन ग्रामीण बाजारों का विकास मॉडल प्रस्तुत किया गया। चूँकि क्रिस्टॉलर ने बाजार मॉडल में बड़े बाजार से छोटे बाजार की ओर वस्तुओं के विनिमय के प्रभाव को माना है। इसी मॉडल के तहत बालोद जिले के बड़े एवं छोटे सभी ग्रामीण बाजार में छोट-बड़े आवश्यक वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय प्रणाली सम्पन्न की जाती है। इस विनिमय प्रणाली में विक्रेता बड़े बाजारों से आवश्यक वस्तुएँ खरीदकर छोटे ग्राम बाजार को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हैं। क्रिस्टॉलर के सिद्धान्त के अनुसार जिले के बाजार मॉडल में एक निश्चित दूरी में समान अन्तराल पर बाजारों का विकास संभव नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय उच्चावच बाजारों के निश्चित दूरी समान अन्तराल के विकास में बाधक सिद्ध होते हैं। इस बाजार मॉडल के आधार पर परिवहन मार्गों को यदि शट्कोणीय प्रारूप में जोड़कर सुविधाएँ प्रदान की जाए तो जिले के ग्रामीण बाजार केन्द्रों की आधारभूत संरचना निर्धारित होगी जो जिले के क्षेत्रीय विकास की गतिशीलता का मार्ग प्रसस्त

जिला बालोद : ग्रामीण बाजार केन्द्रों की अवस्थिति (क्रिस्टालर के अनुसार) 2017-18



मानचित्र 01

करेगा (मानचित्र 01)।

अगस्त लॉश का सिद्धान्त

क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए लॉश महोदय ने 1954 में क्रिस्टॉलर के सिद्धान्त की तरह एक बाजार मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें कृषि क्षेत्रीय ग्राम के सघन बस्तियों के त्रिभुजाकार षट्कोणीय प्रतिरूप को बताया है। लॉश का केन्द्र स्थल सिद्धान्त, क्रिस्टॉलर के सिद्धान्त की मान्यताओं पर आधारित है तथापि मान्यताओं को लचीला या परिवर्तनशील माना गया है। इस सिद्धान्त के आधार पर केन्द्रस्थलों की व्यवस्था आदर्श त्रिभुजाकार


होता है और उनके सेवाक्षेत्र की आकृति षट्कोणीय होती है जिसमें कृषि ग्रामों या पुरवों को लघुत्तम अधिवास की इकाई माना गया है। इसमें 18 गाँवों को त्रिभुजाकार षट्कोणीय केन्द्र के रूप में लिया गया है।

लॉश के बाजार मॉडल को दृष्टिगत रखते हुए बालोद जिले के मुख्यालय बालोद को बड़े बाजार के केन्द्र के रूप में मानकर 18 छोटे ग्राम बाजारों को त्रिभुजाकार षट्कोणीय केन्द्र के अन्दर स्थापित किया गया। इस प्रकार प्रत्येक षट्कोणीय त्रिभुजाकी प्रत्येक भुजाओं में तीन-तीन ग्रामीण बाजार स्थापित हुए जो एक त्रिभुजाकार में बाजार स्वरूप में 18 ग्राम बाजार को प्रदर्शित करते हैं। इस ग्राम

बाजार मॉडल में कृषि ग्राम एवं पुरवा को लघुत्तम अधिवास की ईकाई माना गया है। लॉश के अनुसार बालोद जिले के

बाजार सेवा केन्द्रों में 'के' का मूल्य क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ परिवर्तन होंगे (मानचित्र 02)।

जिला बालोद : ग्राम बाजार केन्द्रों की अवस्थिति (लॉश के अनुसार) 2017-18



मानचित्र 02

इस प्रकार बालोद जिले के छोटे एवं बड़े ग्रामीण बाजारों के विकास पर क्रिस्टॉलर एवं लॉश महोदय के बाजार विकास मॉडल का प्रभाव परिलक्षित होता है जो जिले के क्षेत्रीय विकास में प्रशासनिक स्तर की सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रसस्त करेगा।

लॉश ने क मूल्य को परिवर्तित माना है और कहा की 'के' मूल्य बदलते रहते हैं केन्द्रीय स्थान क = 3,4,7,9,12,13,

16,19,21 इस प्रकार 9 भागों में सेवाएँ प्रदान करते हैं।

इस प्रकार लॉश के इस सिध्दान्त के आधार पर बालोद जिले के छोटे ग्राम बाजारों से बड़े प्रशासनिक स्तर तक की सेवाओं को मॉडल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

ग्रामीण बाजारों के विक्रेताओं पर दूरी का प्रभाव

भू-वैन्यासिक रूप में मानव हमेशा बाजार केन्द्रों का निर्माण एवं विकास वहां करता है जहां उनके कार्यों को कम

लागत में अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, इसका सीधा सम्बन्ध क्षेत्र की जनसंख्या व उसके आस-पास के दूसरे क्षेत्रों से होता है, जिन्हें वह बाजार की सुविधाएँ प्रदान करता है। बाजार केन्द्रों का वर्तमान में आधुनिक स्वरूप निर्धारित हुआ है, जो कि मानवीय अधिवासों, सड़क, परिवहन व दूरसंचार के साधनों एवं स्वरूपों को प्रभावित करता है।

बालोद जिले के चयनित ग्राम बाजारों में विक्रेताओं द्वारा बाजार स्थल तक की अधिकतम दूरी 80 कि.मी. है। परिणामतः विक्रेता विक्रय सामग्री को साइकिल, ठेले दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों द्वारा बाजार में लाते हैं। बाजार गाँव अथवा आस-पास गाँव के वे किसान, जो छोटे व बड़े रूप में सब्जियों का स्वयं उत्पादन करते हैं, कृषि बाजार के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बालोद जिले में ग्राम बाजार तक सामग्री वहन का सर्वाधिक अधिकतम प्रतिशत 5 किमी. से कम दूरी वाले ग्राम बाजारों (75.11 प्रतिशत) के प्राप्त हुआ। दूरी बढ़ने के साथ ही विक्रेताओं की संख्या में कमी हुई है। जिले में 15 कि.मी. से कम दूरी वाले व्यापारी अधिक हैं, जिसका प्रमुख कारण ग्राम बाजार का नजदीक होना, सड़क व परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध होना है, जिससे कम समय में सामग्रियों को बिना नुकसान पहुँचाएँ ग्राम बाजार तक पहुँचाया जाता है, इसमें बालोद, गुण्डरदेही एवं गुरुर विकासखण्ड के ग्राम बाजार अपेक्षाकृत अधिक विकसित हैं।

निकटवर्ती गाँव के व्यवसायी को आस-पास के ग्राम बाजारों के विक्रय से बची वस्तुओं को तुरन्त दूसरे दिन विक्रय हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, विशेषरूप से शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएँ जैसे- सब्जी, फल, मटन आदि। अतः विक्रेता कम दूरी के ग्राम बाजारों को अधिक महत्व देते हैं, जिससे सामान खराब नहीं होता और वस्तु क्रेता तक पहुँच जाता है। इसके विपरीत 15 किमी. से अधिक दूरी के ग्रामीण बाजारों में जाने वाले व्यवसायी डौण्डी एवं डौण्डीलोहारा विकासखण्ड से अपेक्षाकृत अधिक हैं, इन क्षेत्रों में परिवहन वाहन की विशेष सुविधा के कारण विक्रेता कपड़े, राशन, फेंसी-सामग्री, मिठाई आदि का विपणन अधिक करते हैं। इस प्रकार ग्राम बाजारों में विक्रेताओं की संख्या बाजार गाँव एवं सम्प्रस्थ निकटवर्ती गाँव की जनसंख्या की माँग पर निर्भर

करती है, जो ग्रामीण बाजारों को आकार एवं बाजार प्रारूप क्रेता-विक्रेताओं की संख्या से प्रभावित होता है।

निष्कर्ष

बालोद जिले के ग्रामीण बाजारों की भूमिका पर क्रिस्टॉलर एवं लॉश के बाजार मॉडल का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है, जिले के भूमि उच्चावचन छोटे ग्राम बाजारों के वितरण में प्रमुख बाधक सिद्ध होते हैं, जिससे जिले के दक्षिण भाग के ग्रामीण बाजार विशेष प्रभावित हुए, जो क्षेत्रीय विकास में प्रादेशिक भिन्नता के प्रमुख कारक बने।।

संदर्भ सूची

1. Bromley, R. J. and R. Symanki, April, 1971, "Market Place trade in Latin America", (N.S) Geography, Vol. 56, pp. 124-132.
2. श्रीवास्तव, वीरेन्द्र कुमार एवं हरिहर प्रसाद, 1980, "विपणन केन्द्र स्थलों का उद्भव एवं विकास", उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, गोरखपुर, अंक-16, संख्या-2, पृ. 115-124.
3. कार्यालय जनपद पंचायत बालोद जिला, जनगणना सांख्यिकीय पुस्तिका वर्ष 2013-14.
4. आजाद, चन्द्रशेखर सिंह एवं सिंह, पुष्पलता, 1994, "जबलपुर नगर में विपणन क्रिया का विकास : एक भौगोलिक अध्ययन", उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, गोरखपुर, अंक-1-2, पृ. 53.
5. कुमारी, सरिता, 2014, "दक्षिण छोटानागपुर प्रमण्डल के क्षेत्रीय विकास एवं नियोजन में ग्रामीण बाजारों की भूमिका : एक भौगोलिक अध्ययन", पी-एच. डी. उपाधि हेतु समर्पित शोध-प्रबंध, राँची।
6. बंसल, डॉ. सुरेश चन्द्र, 2016-17, "ग्रामीण बस्ती भूगोल" मीनाक्षी, प्रकाशन, मेरठ, पृ. 288,308-310.
7. बंसल डॉ. सुरेश चन्द्र, 1999, "नगरीय भूगोल" मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, पृ. 540,41.



अल्पकालिक ग्रामीण उत्प्रवासियों की आर्थिक दशाएँ: राजनांदगाँव एवं कबीरधाम जिले का तुलनात्मक अध्ययन

ओमकुमारी वर्मा एवं सेवन कुमार भारती

शोध सारांश

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राजनांदगाँव एवं कबीरधाम जिले से अल्पकालिक ग्रामीण उत्प्रवासियों के गंतव्य स्थल की कार्यिक दशा एवं प्रतिरूप का विश्लेषण करना है। प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित है। सर्वप्रथम अध्ययन क्षेत्र के सभी विकासखण्डों से विकासखण्डवार उन गाँवों की सूची प्राप्त की गई जहाँ कई वर्षों से विशेषकर अध्ययन वर्ष 2013-14 में अल्पकालिक उत्प्रवास अपेक्षाकृत अधिक हुए हैं। उत्प्रवास प्रभावित गाँवों की सूची के आधार पर उद्देश्यपूर्ण दैवनिदर्शन विधि द्वारा 43 प्रतिदर्श गाँवों का चयन किया गया, जहाँ से अल्पकालिक उत्प्रवास सर्वाधिक हुए हैं एवं कई वर्षों से हो रहा है। प्रतिदर्श गाँवों के उन सभी परिवारों से उत्प्रवास सम्बंधित सूचनाएँ एकत्र की गयीं, जो वर्ष 2012-13 में उत्प्रवासित हुए हैं। इस प्रकार कुल 1306 उत्प्रवासी परिवार चयनित हुए। चयनित परिवारों से उत्प्रवास संबंधी, उनके सामाजिक-आर्थिक एवं अध्ययन संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिए साक्षात्कार एवं अनुसूचि का प्रयोग किया गया।

सर्वशिक्षित उत्प्रवासी परिवारों की कुल जनसंख्या (7190 व्यक्ति) में से उत्प्रवासियों का प्रतिशत 47.63 है। जिसमें पुरुष 56.08 प्रतिशत एवं महिला 38.42 प्रतिशत है। अल्पकालिक ग्रामीण उत्प्रवासियों में 34.46 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 21.75 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 43.79 प्रतिशत अन्य जाति से है। ग्रामीण उत्प्रवासियों में 62.13 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर है। कुल साक्षर उत्प्रवासियों में 40.12 प्रतिशत मात्र साक्षर, 39.17 प्रतिशत प्राथमिक, 14.13 प्रतिशत माध्यमिक, 5.68 प्रतिशत उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक एवं शेष 0.90 प्रतिशत व्यक्ति स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षित हैं। वर्ष 2012-13 में गंतव्य स्थल में राजनांदगाँव एवं कबीरधाम जिले से कुल उत्प्रवासी व्यक्तियों में से 78.77 प्रतिशत व्यक्ति क्रियाशील रहे। कुल उत्प्रवासी पुरुषों में 82.65 प्रतिशत पुरुष एवं कुल उत्प्रवासी महिलाओं में 72.60 प्रतिशत महिलाएँ क्रियाशील रही। गंतव्य क्षेत्र में क्रियाशील उत्प्रवासियों में से 26.80 प्रतिशत ईंट भट्ठा में, 38.51 प्रतिशत सड़क भवन निर्माण, 12.05 प्रतिशत कृषि मजदूर, 15.31 प्रतिशत उद्योगों में एवं 7.33 प्रतिशत अन्य कार्यों में संलग्न हुए। कुल क्रियाशील उत्प्रवासित व्यक्तियों में से 13.53 प्रतिशत व्यक्तियों के गंतव्य स्थल में कार्य की अवधि 100 दिन से कम, 49.56 प्रतिशत व्यक्तियों 100-150 दिन, 28.69 प्रतिशत व्यक्ति 150-200 दिन तथा 8.22 प्रतिशत व्यक्तियों की क्रियाशीलता 200 दिनों से अधिक रही। कार्यशील उत्प्रवासित व्यक्तियों में से 6.15 प्रतिशत बाल श्रमिक को, 4.86 प्रतिशत स्त्रियों को, 1.45 प्रतिशत पुरुषों को प्रतिदिन की दैनिक मजदूरी 150 रुपये से कम प्राप्त हुई। वहीं 28.50 प्रतिशत महिलाओं और 36.95 प्रतिशत पुरुषों को दैनिक मजदूरी 150-300 रुपये प्राप्त हुई, जबकि 300 रुपये से अधिक दैनिक मजदूरी सिर्फ पुरुषों (22.09 प्रतिशत) को प्राप्त हुई। उत्प्रवासित परिवारों में 2.83 प्रतिशत परिवारों की प्रतिदिन की आय 200 रुपये से कम रही। जबकि 35.53 प्रतिशत परिवारों की प्रतिदिन की आय 200-400 रुपये, 41.96 प्रतिशत परिवारों के 400-600 रुपये एवं 19.68 प्रतिशत परिवारों की प्रतिदिन की आय 600 से अधिक प्राप्त किए। कुल उत्प्रवासी परिवारों में से 98.24 प्रतिशत परिवारों द्वारा बचत की गई। कुल बचत करने वाले उत्प्रवासी परिवारों में से 37.33 प्रतिशत परिवार 20000 रुपये से कम, 50.04 प्रतिशत परिवार 20000-40000 रुपये एवं 12.63 प्रतिशत परिवार 40000 रुपये से अधिक बचत किये। सारांशतः राजनांदगाँव एवं कबीरधाम जिले से अल्पकालिक ग्रामीण उत्प्रवास में उत्प्रवासियों के उत्प्रवास का प्रमुख कारण माध्यम की उपलब्धता एवं पूर्णकालिक रोजगार का अभाव है, वहीं गंतव्य स्थल में अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी में कार्य की उपलब्धता है।

1. डा. ओम कुमारी वर्मा, रिसर्च एसोसिएट, पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर, छ.ग.।

2. डा. सेवन कुमार भारती, सहायक अध्यापक भूगोल, शासकीय महाविद्यालय, प्रेमनगर, जिला सूरजपुर, छ.ग.।

प्रस्तावना

किसी स्थान के जनसंख्या परिवर्तन एवं विश्लेषण में प्रजननता और मर्त्यता की भांति प्रवास का भी मुख्य स्थान है। जिस प्रकार प्रवास की प्रवृत्ति, आर्थिक अवसरों के परिवर्तन का सुंदर सूचकांक होता है। उसी प्रकार प्रवास, सामाजिक परिवर्तन का अत्यंत महत्वपूर्ण सूचक भी है। औद्योगिक क्रांति ने ग्रामीण कृषि श्रमिकों को नगरों एवं महानगरों की ओर आकर्षित किया जिससे निरन्तर ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास की धारा बहती जा रही और जिस मात्रा में महानगरों और औद्योगिक केन्द्रों की संरचना विकसित हुई, उसी मात्रा में उत्प्रवास में भी वृद्धि हुई। रोजगार के अवसर तथा आर्थिक दशाओं में सुधार की लालसा में लोग अनेक कठिनाइयों के बावजूद उत्प्रवास के लिए प्रोत्साहित होते हैं (मिश्रा, 2013)। प्रवास से जनसंख्या विकास की दर घट जाती है तथा जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, जनसंख्या की संरचना एवं आकार में अन्तर आ जाता है और लिंग अनुपात भी बदल जाता है (पंत, 2013)। अल्पकालिक प्रवास के अन्तर्गत वे मानव प्रवास सम्मिलित होते हैं, जिनकी अवधि (छः माह से कम) थोड़ी होती है। इसमें प्रवासी कुछ दिन या महीने के भीतर ही अपने मूल स्थान को लौट आते हैं (मौर्य, 2013)।

“धान का कटोरा” कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ भारत में अल्पकालिक ग्रामीण उत्प्रवास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। छत्तीसगढ़ में वर्षा की अनियमितता एवं सिंचाई की कमी के कारण प्रदेश में खरीफ फसल का उत्पादन सर्वाधिक प्रभावित होता है। प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जहाँ सिंचाई एवं लघु-कुटीर उद्योगों की नगण्यता है तथा अनुसूचित जातियों की बहुलता है, प्रतिवर्ष ग्रामीण जनसंख्या के समक्ष खरीफ फसल कटाई के बाद, रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। परिणामतः पूर्णकालिक रोजगार के अभाव में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या जहाँ प्रतिवर्ष राज्य अथवा भारत के अन्य राज्यों के विभिन्न नगरों एवं महानगरों की ओर उत्प्रवासित होते हैं, वहीं खरीफ फसल बुआई के पहले लौट आते हैं। अध्ययन क्षेत्र में, ग्रामीण उत्प्रवास की समय सीमा प्रत्यक्ष रूप से खरीफ फसल विशेषतः धान से

नियंत्रित होती है। तथापि गन्तव्य स्थल में रोजगार का अनुबंध एवं अधिकतम आय का प्रलोभन निवास की अवधि के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है (त्रिपाठी, 2001)।

राजनांदगाँव एवं कबीरधाम जिला, छत्तीसगढ़ बेसिन का पश्चिम भाग है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यह राज्य का सबसे कम वर्षा वाला भाग है, जो मैकाल श्रेणी के वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ कम वर्षा एवं सिंचाई की कमी के साथ अनुसूचित जाति की भी अधिकता है। परिणामतः ग्रामीण क्षेत्रों से अल्पकालिक उत्प्रवास बड़ी मात्रा में किया जाता है, जिसने राज्य की जनसंख्या नियोजकों के समक्ष न केवल चुनौती दी है, अपितु सामाजिक-आर्थिक विकास पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगा दिया है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन हेतु इस विषयवस्तु का चयन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राजनांदगाँव एवं कबीरधाम जिले से उत्प्रवास की मात्रा एवं कारणों का अध्ययन करना, उत्प्रवासित परिवारों की जनांकिकी, सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं का अध्ययन करना। उत्प्रवासियों के गंतव्य स्थल की कार्यात्मक दशा एवं प्रतिरूप का अध्ययन करना एवं उत्प्रवासियों की समस्याओं का अध्ययन करना है।

शोध परिकल्पनाएँ

1. अल्पकालिक ग्रामीण उत्प्रवास, असिंचित एवं पिछड़े क्षेत्रों से अधिक होता है, जिनमें भूमिहीन एवं सीमांत कृषकों की अधिकता होती है।
2. उत्प्रवासियों में युवा, अकुशल एवं अशिक्षित क्रियाशील व्यक्तियों की अधिकता होती है।

विधितंत्र

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित है, आवश्यकतानुसार द्वितीयक आँकड़ों का भी प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम राजनांदगाँव एवं कबीरधाम जिले में अल्पकालिक ग्रामीण उत्प्रवास से प्रभावित विकासखण्डों की

पहचान की गई। इसके लिए विकासखण्ड अधिकारी, राहत शाखा एवं जनपत पंचायत कार्यालयों से विकासखण्डवार उन गाँवों की सूची प्राप्त की गई, जहाँ से पिछले कई वर्षों से और विशेषकर अध्ययन वर्ष 2013-14 में अल्पकालिक उत्प्रवास हुए हैं। इन प्रभावित गाँवों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर अल्पकालिक ग्रामीण उत्प्रवास के क्षेत्रों की पहचान की गई। क्षेत्र के सभी विकासखण्ड से अल्पकालिक ग्रामीण उत्प्रवास का अध्ययन करने के लिए उद्देश्यपूर्ण दैनिकदर्शन विधि द्वारा प्रत्येक विकासखण्डों से 3-3 गाँवों का चयन कर कुल 43 प्रतिदर्श गाँवों का चयन किया गया जिसमें कुल 1306 अल्पकालिक उत्प्रवासी ग्रामीण परिवारों से अध्ययन संबंधी जानकारी प्राप्त की गई। इन 1306 परिवारों से ग्रामीण अल्पकालिक उत्प्रवासियों के उत्प्रवास की प्रवृत्ति तथा उनके सामाजिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक दशाओं के अध्ययन के लिए साक्षात्कार अनुसूची प्रयुक्त की गई।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र, महानदी बेसिन का पश्चिम भाग है जिसमें राजनांदगाँव एवं कबीरधाम जिला (2007' उत्तर से 22036' उत्तरी अक्षांश एवं 80023' से 82037' पूर्वी देशांतर) सम्मिलित है। राजनांदगाँव एवं कबीरधाम जिला 13 विकासखण्डों में विभक्त है। यहां का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 11980 वर्ग किलोमीटर है। राजनांदगाँव एवं कबीरधाम, मैकल पर्वत श्रेणी के दृष्टि-छाया प्रदेश के साथ राज्य का कम वर्षा वाला (100 सेमी से कम) क्षेत्र भी है। यहाँ सिंचित क्षेत्र 41.08 प्रतिशत से भी कम है। क्षेत्र का 8.20 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है। उत्तरी भाग बैगा तथा दक्षिण भाग गोड़ जनजाति बहुल क्षेत्र है, जिसमें उत्प्रवास की प्रवृत्ति कम होती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्र की कुल जनसंख्या 23,59,759 व्यक्ति है, जिसमें 49.74 प्रतिशत पुरुष एवं 50.26 प्रतिशत महिला है। जनसंख्या घनत्व 193 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है एवं जनसंख्या वृद्धिदर 30.24 प्रतिशत है। क्षेत्र में लिंगानुपात 1010 महिला प्रतिहजार पुरुष है, जबकि कबीरधाम जिले (997) की अपेक्षा राजनांदगाँव जिले (1017) का लिंगानुपात अधिक है।

क्षेत्र की कुल जनसंख्या (0-6 आयुवर्ग को छोड़कर) में 69.46 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर है, जबकि कबीरधाम जिले (61.95) की अपेक्षा राजनांदगाँव जिले (76.97) में साक्षर व्यक्ति का प्रतिशत अधिक है।

उत्प्रवासित व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक दशा

उत्प्रवास की जनांकिकी संरचना से गंतव्य स्थल में, न केवल मनुष्य एवं भौतिक साधनों का संतुलन सुधार होता है। अपितु, जनसंख्या के अंतर सम्बंधों से क्षेत्र में स्वस्थ सामाजिक एवं आर्थिक दशाएँ निर्मित होती है (त्रिपाठी, 2001)। यद्यपि राजनांदगाँव एवं कबीरधाम जिले से ग्रामीण जनसंख्या का उत्प्रवास अल्पकालिक होता है। अल्पकाल के लिए, हुए उत्प्रवास में ही अध्ययन क्षेत्र एवं गंतव्य स्थल की अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। क्षेत्र में मौसमी प्रवास के समय कृषि मजदूरों की कमी से, कृषि व्यवस्था विशेष रूप से प्रभावित होती है। जिले से उत्प्रवासित परिवारों की कुल जनसंख्या में 47.64 प्रतिशत व्यक्ति उत्प्रवासित हुए। चयनित उत्प्रवासित परिवारों में पुरुषों (56.08 प्रतिशत) का प्रतिशत अधिक रहा। उत्प्रवासित व्यक्तियों में 25.87 प्रतिशत बालवर्ग (0-14 आयु) एवं 73.64 प्रतिशत युवा से हैं। प्रवासियों का लिंगानुपात गंतव्य क्षेत्र की अर्थव्यवस्था एवं जनांकिकी तत्वों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण होते हैं। अध्ययन क्षेत्र से उत्प्रवासित व्यक्तियों का औसत लिंगानुपात 627 महिला प्रतिहजार पुरुष है। तुलनात्मक दृष्टि से राजनांदगाँव जिले (596 महिला प्रतिहजार) की अपेक्षा कबीरधाम जिले (694 महिला प्रतिहजार) का लिंगानुपात अधिक है।

जनसंख्या की सामाजिक संरचना, आर्थिक विकास का आधार स्तंभ है। कोई भी देश या समाज अथवा व्यक्ति तब तक प्रगति की राह पर अग्रसर नहीं हो सकता, जब तक वहाँ की जनसंख्या की सामाजिक दशाएँ ठीक नहीं होगी (वशिष्ठ, 2010)। परिवार का आकार, प्रकार, जाति संरचना, वैवाहिक स्थिति एवं साक्षरता स्तर आदि सामाजिक संरचना के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के सामाजिक दशा को प्रमुखतः तीन कारक-शिक्षा, स्वास्थ्य एवं व्यावसायिक संरचना, महत्वपूर्ण

ढंग से प्रभावित करती हैं। इसमें परिवार का आकार एवं प्रकार सबसे महत्वपूर्ण है। क्षेत्र के उत्प्रवासित परिवारों में 60.18 प्रतिशत परिवार एकल परिवार है। उत्प्रवासी परिवारों में 40.05 प्रतिशत परिवार बड़े आकार के है, जिसमें सदस्यों की संख्या छः से अधिक है, जबकि 59.95 प्रतिशत परिवारों का आकार छोटा है, जिनमें परिवार के सदस्यों की संख्या पाँच से कम है। ज्ञात हो कि मात्र 10.72 प्रतिशत परिवार के सदस्यों की संख्या जहाँ नौ से अधिक है। उत्प्रवासी परिवारों में 21.75 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति, 34.46 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जनजाति एवं 42.95 प्रतिशत परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग से है। अध्ययन क्षेत्र से ग्रामीण अल्पकालिक उत्प्रवास में निम्न आर्थिक स्तर के लोगों की अधिकता होती है, जिसके कारण उत्प्रवासी, परिवार सहित प्रवासित होता है, जिसमें उनकी वैवाहिक स्थिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्षेत्र से उत्प्रवासित व्यक्तियों में 38.10 प्रतिशत व्यक्ति अविवाहित, 60.29 प्रतिशत विवाहित एवं 1.61 प्रतिशत विधवा, विधुर एवं परित्यक्ता है। अविवाहित में पुरुषों का प्रतिशत (40.35 प्रतिशत) अपेक्षाकृत अधिक है।

किसी भी क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सुदृढ़ता के लिए उत्प्रवासियों के शिक्षा का विशेष महत्व होता है। शिक्षा जहाँ लोगों में प्राचीन रुढ़िगत परम्पराओं की बुराईयों को दूर करने की क्षमता तथा आधुनिक जीवन पद्धति को अपनाने में जागरूकता उत्पन्न करती है, वहीं निरक्षरता किसी समाज के सामाजिक विकास, आर्थिक प्रगति एवं राजनीतिक प्रौढ़ता पर अंकुश का कार्य करता है (चांदना एवं सिद्धू, 1980)। क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों से उत्प्रवासियों द्वारा यद्यपि अल्पकालिक प्रवास होता है किन्तु इस अल्पकाल के प्रवास से क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रतिवर्ष कृषि श्रमिक की मात्रात्मक कमी स्पष्ट दिखाई देती है। चांदना, (2012) के अनुसार उत्प्रवासियों की साक्षरता दर और उनके सामाजिक स्तर में उच्च धनात्मक संबंध होता है। क्षेत्र से उत्प्रवासित व्यक्तियों (0-6 आयु वर्ग को छोड़कर) में 62.13 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं। तुलनात्मक रूप से राजनांदगाव जिले में जहाँ निरक्षर उत्प्रवासियों (39.37 प्रतिशत) का प्रतिशत अधिक

प्राप्त हुआ है वहीं साक्षर उत्प्रवासियों (65.41 प्रतिशत) का प्रतिशत कबीरधाम जिले में अधिक प्राप्त हुआ। कुल साक्षर व्यक्तियों में से 40.12 प्रतिशत व्यक्ति मात्र साक्षर, 39.17 प्रतिशत प्राथमिक, 14.13 प्रतिशत माध्यमिक एवं 5.68 प्रतिशत उच्च एवं उच्चतर-माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हैं। तुलनात्मक दृष्टि से उत्प्रवासियों में जहाँ मात्र-साक्षर तक शिक्षित व्यक्तियों (43.88 प्रतिशत) का प्रतिशत कबीरधाम जिले में अधिक है वहीं प्राथमिक स्तर (40.45 प्रतिशत) में राजनांदगाँव जिले का प्रतिशत अधिक रहा है।

गंतव्य स्थल के आधार पर उत्प्रवास प्रतिरूप

क्षेत्र के कुल अल्पकालिक ग्रामीण उत्प्रवास का 81.78 प्रतिशत उत्प्रवास भारत के अन्य राज्यों में तथा 13.49 प्रतिशत उत्प्रवास छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में हुआ। जबकि 4.73 प्रतिशत उत्प्रवास जिले के अन्दर दृष्टव्य हुआ। तुलनात्मक रूप से भारत के अन्य राज्यों में उत्प्रवासित व्यक्तियों का प्रतिशत राजनांदगाँव जिले (79.08 प्रतिशत) की अपेक्षा कबीरधाम जिले (87.19 प्रतिशत) में अधिक रहा। वहीं जिले के अन्दर (6.48 प्रतिशत) एवं छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों (14.44 प्रतिशत) से उत्प्रवासित व्यक्तियों का प्रतिशत राजनांदगाँव जिले में अपेक्षाकृत अधिक रहा। स्थानीय स्तर पर जिले के अंदर सर्वाधिक उत्प्रवास राजनांदगाँव जिले के मानपुर विकासखण्ड (11.67 प्रतिशत) से हुआ। छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में उत्प्रवास का सर्वाधिक प्रतिशत राजनांदगाँव जिले के छुईखदान विकासखण्ड (19.14 प्रतिशत) से हुआ।

भारत के राज्यवार सर्वाधिक उत्प्रवास क्रमशः राजनांदगाँव जिले से महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, आंध्रप्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों की ओर अपेक्षाकृत अधिक रही। इसके विपरीत कबीरधाम जिले से उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, दिल्ली एवं पश्चिम बंगाल में अपेक्षाकृत अधिक हुआ। कबीरधाम जिले से भारत के अन्य राज्यों की ओर सर्वाधिक उत्प्रवास कवर्धा विकासखण्ड (89.56 प्रतिशत) से अधिक हुआ। क्षेत्र से भारत के अन्य राज्यों की ओर उत्प्रवासित परिवारों का सर्वाधिक प्रतिशत महाराष्ट्र राज्य (38.27 प्रतिशत) में एवं न्यूनतम

प्रतिशत बिहार राज्य (0.79 प्रतिशत) में दृष्टव्य हुआ। कबीरधाम जिले से भारत के अन्य राज्यों की ओर उत्प्रवास प्रतिरूप में भिन्नता रही जहां पंजाब एवं हरियाणा राज्य में सर्वाधिक उत्प्रवास कवर्धा विकासखण्ड (11.21 प्रतिशत) से, मध्यप्रदेश, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर एवं पं. बंगाल राज्य में पंडरिया विकासखण्ड से तथा झारखण्ड राज्य में बोड़ला विकासखण्ड (7.14 प्रतिशत) से अधिक उत्प्रवासित हुए। इस तरह राजनांदगाँव जिले से भारत के अन्य राज्यों में उत्प्रवासित व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रतिशत उत्तर प्रदेश राज्य में कवर्धा विकासखण्ड (34.53 प्रतिशत) से, महाराष्ट्र राज्य में डोंगरगढ़ विकासखण्ड (57.05 प्रतिशत) से, गुजरात राज्य में अम्बागढ़ चौकी विकासखण्ड (22.73 प्रतिशत) से, बिहार में खैरागढ़ विकासखण्ड (2.90 प्रतिशत) से, आंध्रप्रदेश राज्य में छुरिया विकासखण्ड (22.92 प्रतिशत) से, तमिलनाडू राज्य में मानपुर विकासखण्ड (28.57 प्रतिशत) से अधिक उत्प्रवासित हुए।

उत्प्रवास के कारण

उत्प्रवास के कारणों के अन्तर्गत आर्थिक कारण जिसमें रोजगार की निश्चितता एवं आर्थिक लाभ ऋणग्रस्तता, भूमिहीन कृषक, बेरोजगारी आदि कारणों को रखा गया है। प्राकृतिक कारणों में वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत अल्प वर्षा प्रधान गाँवों से उत्प्रवासित व्यक्तियों को रखा गया है, वहीं अन्य कारणों में शौकिया तौर पर, रिश्तेदारों एवं मित्रों के साथ, छुआछुत रूढ़ीवादिता, सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्तियों आदि को सम्मिलित किया गया है।

राजनांदगाँव एवं कबीरधाम जिले के कुल उत्प्रवासी परिवारों (1306) में से 84.30 प्रतिशत परिवारों द्वारा आर्थिक कारणों से, 11.03 प्रतिशत प्राकृतिक कारणों से एवं 4.67 प्रतिशत परिवारों द्वारा अन्य कारणों से उत्प्रवास हुआ। तुलनात्मक दृष्टि से आर्थिक कारणों से उत्प्रवास में राजनांदगाँव जिले (84.42 प्रतिशत) में अपेक्षाकृत अधिक रहा वहीं प्राकृतिक कारणों (11.22 प्रतिशत) एवं अन्य कारणों (4.74 प्रतिशत) से उत्प्रवास में कबीरधाम जिले में अपेक्षाकृत अधिक दृष्टव्य हुआ। क्षेत्रीय आधार पर उत्प्रवास

के कारणों में आर्थिक कारणों से उत्प्रवासी परिवारों का सर्वाधिक प्रतिशत कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखण्ड (95.19 प्रतिशत) में तथा सबसे कम बोड़ला विकासखण्ड (72.94 प्रतिशत) में प्राप्त हुआ। जबकि प्राकृतिक कारणों से उत्प्रवासी परिवारों का सर्वाधिक प्रतिशत कबीरधाम जिले के ही बोड़ला विकासखण्ड (21.18 प्रतिशत) में प्राप्त हुआ। वहीं अन्य कारणों से उत्प्रवासी परिवारों का सर्वाधिक प्रतिशत राजनांदगाँव जिले के राजनांदगाँव विकासखण्ड (11.01 प्रतिशत) में तथा न्यूनतम प्रतिशत कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखण्ड (1.75 प्रतिशत) में प्राप्त हुआ। छुरिया विकासखण्ड में इसका प्रतिशत नगण्य रहा। उल्लेखनीय है कि कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखण्ड में अल्पवर्षा एवं वृष्टिछाया प्रदेश के कारण यहाँ के कृषक परिवारों द्वारा सर्वाधिक उत्प्रवास हुआ, जबकि आर्थिक कारणों से पंडरिया विकासखण्ड से अधिक उत्प्रवास हुए जो दोनों क्षेत्रों में पूर्ण कालिक रोजगार के अभाव में उत्प्रवास को प्रदर्शित करता है।

गंतव्य स्थल में उत्प्रवासियों की कार्यिक एवं व्यावसायिक दशाएँ

रिचर्ड (1978) के अनुसार किसी भी देश अथवा प्रदेश के विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत जनसंख्या के स्वरूप को व्यावसायिक संरचना की संज्ञा दी जाती है। किसी भी देश के अर्थतंत्र पर कार्यशील जनसंख्या का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है (यादव एवं विलास, 2014)। किसी भी स्थान की व्यावसायिक संरचना, वहाँ के आर्थिक-सामाजिक विकास का सूचक होता है। नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में, जहाँ कार्यिक विभेदन अधिक होते हैं। तथापि दोनों क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं सामाजिक जीवन में अत्यधिक अन्तर होता है। आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने की दर नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से कम होता है (मजूमदार, 2002)। कार्यशील जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना किसी भी समाज की आर्थिक स्थिति एवं उसमें होने वाले परिवर्तन पर प्रभाव डालती है। आर्थिक दृष्टि से किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था व

आर्थिक जीवन के सम्बंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। व्यावसायिक संरचना के अध्ययन से क्षेत्र विशेष के निवासियों के रहन-सहन एवं जीवन यापन के स्तर का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है (अग्रवाल, 1977)।

प्रवास के प्रेरक कारकों में आर्थिक उद्देश्य अधिक प्रबल होते हैं, तथापि उत्प्रवासियों की अभिगम्यता एवं निवास की अवधि पर रोजगार के अवसरों की निश्चितता, कार्य की प्रकृति एवं अधिक आय का प्रलोभन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अल्पकालिक ग्रामीण उत्प्रवास में सामान्यतया, निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के अशिक्षित एवं अकुशल व्यक्तियों की बहुलता होती है जिसके कारण इनमें प्रवास जनन क्षेत्र के आकर्षण का प्रभाव, कम समय तक ही प्रभावशील होता है। परिणामतः उत्प्रवासी व्यक्ति, गन्तव्य स्थल में लम्बे समय तक स्थिर नहीं रह पाते। किसी भी क्षेत्र में, आने वाले प्रवासियों में वहाँ की लम्बी अवधि में निवासरत् व्यक्तियों में, वहाँ की अपेक्षा पुनः प्रवास की संभावनाएँ अधिक होती हैं (मोरिसन, 1967)। इस प्रकार प्रवास से प्रवास का जनन होता है। अतः अध्ययन क्षेत्र के उत्प्रवासियों के उत्प्रवास की मात्रा एवं बारम्बारता के निर्धारण में गन्तव्य स्थल में, उत्प्रवासियों के निवास की अवधि विशेष महत्व रखती है। मिश्रा (2013) के अनुसार रोजगार के अवसर तथा आर्थिक दशाओं में सुधार की लालसा में लोग अनेक कठिनाइयों के बावजूद उत्प्रवास के लिए प्रोत्साहित होते हैं। गन्तव्य स्थल में ग्रामीण उत्प्रवासियों की आर्थिक दशाओं के अंतर्गत, उत्प्रवासियों के कार्य एवं कार्य की अवधि, उत्प्रवासी परिवार की आय एवं बचत आदि का अध्ययन सम्मिलित हैं। सामान्यतया, उत्प्रवासियों के गन्तव्य स्थल में क्रियाशील रहने की या अधिक दिनों तक कार्य मिलने की अवधि, परिवार की आय एवं बचत का सीधा सम्बंध व्यावसायिक दशाओं से होता है। आर्थिक दशाओं की अनुकूल परिस्थिति न केवल उत्प्रवासियों के उत्प्रवास की अवधि को बढ़ाता है, बल्कि उनके एक ही स्थल पर होने वाले प्रवास की बारम्बारता में भी वृद्धि करता है।

अध्ययन क्षेत्र, राजनांदगाँव एवं कबीरधाम जिले

की ग्रामीण जनसंख्या के अल्पकालिक उत्प्रवास की प्रवृत्ति में निरन्तर वृद्धि, गन्तव्य स्थल की अनुकूल आर्थिक दशाओं का द्योतक है। सामान्यतया, राजनांदगाँव एवं कबीरधाम जिले से उत्प्रवासित व्यक्तियों में निरक्षर अथवा अल्पसाक्षर एवं अकुशल, कृषि मजदूर अधिक है। गन्तव्य स्थल में उत्प्रवासियों की कार्यिक संरचना के निर्धारण में उनकी अकुशलता अथवा अल्पसाक्षरता का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उत्प्रवासियों की कार्यिक संरचना का निर्धारण दलाल अथवा ठेकेदार द्वारा अनुबंधित होता है, तथापि उत्प्रवासियों की कार्यिक दक्षता को विकसित करने में उनके प्रवास की बारम्बारता एवं एक ही गन्तव्य स्थल का चयन महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

अध्ययन क्षेत्र से उत्प्रवासित कुल कार्यशील जनसंख्या (2698) में से 38.51 प्रतिशत व्यक्ति सड़क एवं भवन निर्माण कार्य में, 26.80 प्रतिशत ईंट भट्ठा कार्य में, 15.31 प्रतिशत उद्योगों में, 12.05 प्रतिशत कृषि कार्य एवं 7.33 प्रतिशत व्यक्ति अन्य कार्य में सक्रिय रहे। इस प्रकार गन्तव्य स्थल में उत्प्रवासियों के प्रमुख कार्य सड़क एवं भवन एवं ईंट भट्ठा में मजदूरी का रहा। तुलनात्मक दृष्टि से ईंट भट्ठा कार्यों में राजनांदगाँव जिले (23.58 प्रतिशत) की अपेक्षा कबीरधाम जिले (34.02 प्रतिशत) के उत्प्रवासियों की सहभागिता अधिक रही। क्षेत्रीय आधार पर ईंट भट्ठा कार्यों में उत्प्रवासियों की सबसे अधिक सक्रियता कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखण्ड (37.76 प्रतिशत) में दृष्टव्य हुआ। वहीं राजनांदगाँव जिले के कार्यशील उत्प्रवासियों की सहभागिता उद्योग (18.33 प्रतिशत), सड़क एवं भवन निर्माण (37.30 प्रतिशत) कार्यों में अपेक्षाकृत अधिक रही। क्षेत्रीय आधार पर सड़क एवं भवन निर्माण कार्य में उत्प्रवासियों की सबसे अधिक सहभागिता राजनांदगाँव जिले के अम्बागढ़ चौकी विकासखण्ड के उत्प्रवासियों (50.74 प्रतिशत) में रहा। एवं उद्योगों में सबसे अधिक सहभागिता मानपुर विकासखण्ड के उत्प्रवासियों (26.46 प्रतिशत) में रही। कृषि कार्य में संलग्न क्रियाशील उत्प्रवासियों का प्रतिशत राजनांदगाँव जिले (11.20 प्रतिशत) की अपेक्षा कबीरधाम जिले (13.94 प्रतिशत) में अधिक प्राप्त हुआ। क्षेत्रीय आधार पर कृषि में सबसे अधिक सहभागिता राजनांदगाँव जिले के

खैरागढ़ विकासखण्ड के उत्प्रवासियों (20.09 प्रतिशत) में प्राप्त हुआ। जबकि अन्य कार्य में संलग्न क्रियाशील उत्प्रवासियों का प्रतिशत कबीरधाम जिले (2.28 प्रतिशत) की अपेक्षा राजनांदगाँव जिले (9.59 प्रतिशत) में अपेक्षाकृत अधिक दृष्टव्य हुआ। क्षेत्रीय आधार पर अन्य कार्य में सबसे अधिक सहभागिता राजनांदगाँव जिले के मानपुर विकासखण्ड (33.53 प्रतिशत) में रहा।

गंतव्य स्थल में कार्य की अवधि

उत्प्रवासी व्यक्ति, उत्प्रवास स्थल पर जितनी अवधि तक रुकता है, उसे श्रमिकों के प्रवास की अवधि या कार्य की अवधि कहा जाता है। सामान्यतः उत्प्रवास को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। प्रथम मौसमी या अल्पकालिक उत्प्रवास एवं द्वितीय निरंतर या स्थायी उत्प्रवास। जब उत्प्रवासी कम अवधि के लिए प्रवास करता है, तो उसे अल्पकालिक उत्प्रवास कहते हैं तथा जब उत्प्रवासी निरन्तर एवं अधिक अवधि तक गंतव्य स्थल में रुकते हैं, तो इसे स्थायी उत्प्रवास कहते हैं (यादव, 2008)। राजनांदगाँव एवं कबीरधाम जिले के कुल क्रियाशील उत्प्रवासित व्यक्तियों में से 13.53 प्रतिशत व्यक्तियों के गंतव्य स्थल में कार्य की अवधि 100 दिन से कम, 49.56 प्रतिशत व्यक्तियों के 100–150 दिन, 28.69 प्रतिशत व्यक्तियों के 150–200 दिन तथा 8.22 प्रतिशत व्यक्तियों की 200 से अधिक दिन रही। तुलनात्मक दृष्टि से जहां 100 दिन से कम कार्य का सर्वाधिक प्रतिशत राजनांदगाँव जिले (15.92 प्रतिशत) में अधिक रहा। वहीं 100–150 (53.85 प्रतिशत) एवं 150–200 (32.45 प्रतिशत) दिन कार्य की अवधि का सर्वाधिक प्रतिशत कबीरधाम जिले में रही। जबकि 200 दिन से अधिक कार्य का प्रतिशत अपेक्षाकृत राजनांदगाँव जिले (9.43 प्रतिशत) के उत्प्रवासियों में अधिक रहा।

स्थानिक दृष्टि से क्षेत्र के उत्प्रवासित व्यक्तियों में 100 दिन से कम कार्य दिवस का सर्वाधिक प्रतिशत राजनांदगाँव जिले के डोंगरगढ़ विकासखण्ड (40.14 प्रतिशत) में रहा। जबकि 100–150 दिन तक कार्य का सबसे अधिक प्रतिशत कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखण्ड के उत्प्रवासियों (64.29 प्रतिशत) में रहा। इसी

प्रकार 150–200 दिन कार्य का सबसे अधिक प्रतिशत राजनांदगाँव जिले के डोंगरगढ़ विकासखण्ड (42.32 प्रतिशत) में दृष्टव्य हुआ। एवं 200 दिन से अधिक कार्य का उच्च प्रतिशत राजनांदगाँव जिले के मानपुर विकासखण्ड के उत्प्रवासियों (27.06 प्रतिशत) में प्रदर्शित हुआ। इस प्रकार गंतव्य स्थल में सर्वाधिक उत्प्रवासियों में से 49.56 प्रतिशत उत्प्रवासियों का कार्य दिवस 100–150 दिन था, दूसरी ओर 200 से अधिक कार्य की अवधि, मात्र 8.22 प्रतिशत उत्प्रवासियों में रहीं। इससे स्पष्ट होता है कि गंतव्य स्थल में उत्प्रवासियों को अधिक काम 5 माह तक उपलब्ध होता है।

गंतव्य स्थल में प्रतिदिन की मजदूरी

छत्तीसगढ़ का मजदूर यदि अपने राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों की ओर उत्प्रवास कर रहा है तो इसका सर्वप्रमुख उद्देश्य अधिक मजदूरी प्राप्त होने की आकांक्षा है (यादव, 2008)। क्षेत्र में उत्प्रवासित व्यक्तियों की प्रतिदिन की मजदूरी निर्धारण में परिवार के प्रतिदिन के आय का विशेष महत्व है। गंतव्य स्थल में प्राप्त दैनिक मजदूरी का प्रभाव उत्प्रवासी परिवार के प्रतिदिन के आय पर पड़ता है। गंतव्य स्थल में उत्प्रवासी परिवारों के प्रतिदिन की आय की गणना परिवार के क्रियाशील सदस्यों को प्राप्त कुल मजदूरी के आधार पर की गयी है।

क्षेत्र से उत्प्रवासित कार्यशील व्यक्तियों में से 6.15 प्रतिशत बच्चे को, 4.86 प्रतिशत स्त्रियों को, 1.45 प्रतिशत पुरुषों को दैनिक मजदूरी प्रतिव्यक्ति 150 रुपये से कम प्राप्त हुई। वहीं 28.50 प्रतिशत महिलाओं और 36.95 प्रतिशत पुरुषों को दैनिक मजदूरी 150–300 रुपये प्राप्त हुई। जबकि 300 रुपये से अधिक दैनिक मजदूरी 22.09 प्रतिशत पुरुषों को प्राप्त हुई। तुलनात्मक दृष्टि से कबीरधाम जिले (32.43 प्रतिशत) के उत्प्रवासियों में 150–300 रुपये के दैनिक मजदूरी प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक रहा। क्षेत्रीय आधार पर 150 रुपये से कम पर बच्चों में दैनिक मजदूरी का सर्वाधिक प्रतिशत राजनांदगाँव जिले के डोंगरगढ़ विकासखण्ड (8.72 प्रतिशत) में एवं स्त्रियों का सर्वाधिक प्रतिशत छुईखदान विकासखण्ड (10.40 प्रतिशत) में एवं पुरुषों का सर्वाधिक

प्रतिशत राजनांदगाँव विकासखण्ड (2.61 प्रतिशत) में प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 150–300 रुपये का दैनिक मजदूरी का स्त्रियों में सर्वाधिक प्रतिशत कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखण्ड (37.24 प्रतिशत) में एवं पुरुषों का सर्वाधिक प्रतिशत राजनांदगाँव जिले के मानपुर विकासखण्ड (64.12 प्रतिशत) में दृष्टव्य हुआ एवं 300 रुपये से अधिक दैनिक मजदूरी में पुरुषों का सर्वाधिक प्रतिशत राजनांदगाँव जिले के अम्बागढ़ चौकी विकासखण्ड (30.05 प्रतिशत) में दृष्टव्य हुआ।

गंतव्य स्थल में प्रतिदिन प्रति परिवार की आय

ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों के उत्प्रवास में उत्प्रवास स्थल से होने वाली अधिक आय महत्वपूर्ण कारक होता है जिससे उनके भरण-पोषण की स्थिति सुधरती है (गजपाल, 2009)। उत्प्रवासियों की कार्थिक संरचना के निर्धारक घटकों का प्रभाव उत्प्रवासियों के आय स्तर पर भी दिखाई देता है समान्यतया, निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर, निरक्षर अथवा कम साक्षर, बच्चों एवं महिलाओं का आय स्तर अपेक्षाकृत कम होता है (शर्मा, 2002)। क्षेत्र से उत्प्रवासित व्यक्तियों में प्रति परिवार दैनिक आय में 2.83 प्रतिशत परिवारों की 200 रुपये से कम, 35.53 प्रतिशत परिवारों की 200–400 रुपये, 41.96 प्रतिशत परिवारों के 400–600 रुपये, 14.93 प्रतिशत परिवारों के 600–800 रुपये तथा 4.75 प्रतिशत परिवार 800 रुपये से अधिक प्रतिदिन परिवार की आय प्राप्त किए। तुलनात्मक दृष्टि से राजनांदगाँव जिले में जहाँ 400 रुपये से कम आय प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक रहा वहीं 400 रुपए से अधिक आय प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत कबीरधाम जिले में अपेक्षाकृत अधिक रहा। क्षेत्रीय आधार पर 200 रुपये से कम आय प्राप्त करने वाले उत्प्रवासी परिवारों का सर्वाधिक प्रतिशत राजनांदगाँव जिले के डोंगरगढ़ विकासखण्ड के उत्प्रवासियों (12.64 प्रतिशत) में, 200 से 400 रुपये की आय प्राप्त करने वाले परिवारों का सर्वाधिक प्रतिशत छुरिया विकासखण्ड (60.00 प्रतिशत) में प्राप्त हुआ। वहीं 400–600 प्रतिदिन आय प्राप्त करने वाले परिवारों का सर्वाधिक प्रतिशत कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखण्ड (60.00

प्रतिशत) में, 600–800 रुपये आय प्राप्त करने वाले परिवारों का सर्वाधिक प्रतिशत राजनांदगाँव जिले के डोंगरगढ़ (29.47 प्रतिशत) में तथा 800 रुपये से अधिक प्रतिदिन प्रति परिवार आय प्राप्त करने वाले का सर्वाधिक प्रतिशत इसी जिले के राजनांदगाँव विकासखण्ड (11.92 प्रतिशत) में रहा।

परिवार की बचत

गंतव्य स्थल में प्रायः सभी उत्प्रवासी परिवारों की मनोवृत्ति अधिक से अधिक पैसे जमा करने की होती है, परिणामतः वे अपनी आवश्यकताओं को बहुत सीमित कर खर्च करते हैं। बचत की प्रवृत्ति में कार्य कुशलता का भी प्रभाव पड़ता है जो प्रवासी कुशल श्रमिक है उनकी मजदूरी अधिक होने से उनका बचत भी अधिक होगा तथा जो उत्प्रवासी अकुशल श्रमिक है मजदूरी कम होने से बचत भी कम होगा।

वर्ष 2012–13 में अध्ययन क्षेत्र में कुल उत्प्रवासी परिवारों में से 98.24 प्रतिशत परिवारों द्वारा बचत की गई। तुलनात्मक दृष्टि से जहाँ कबीरधाम जिले में 20000 रुपये से कम आय प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत अधिक है वहीं 20000 रुपये से अधिक बचत करने वाले उत्प्रवासी परिवारों का प्रतिशत राजनांदगाँव जिले के अपेक्षाकृत अधिक है। क्षेत्रीय आधार पर बचत करने वाले उत्प्रवासी परिवारों का प्रतिशत राजनांदगाँव जिले के छुईखदान, राजनांदगाँव, डोंगरगढ़ एवं कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखण्ड में शत प्रतिशत रहा। कुल बचत करने वाले उत्प्रवासी परिवारों में से 37.33 प्रतिशत परिवार 20000 रुपये से कम, 50.04 प्रतिशत परिवार 20000–40000 रुपये एवं 12.63 प्रतिशत परिवारों की बचत 40000 रुपये से अधिक रही। क्षेत्रीय आधार पर 20000 रुपये से कम बचत करने वाले उत्प्रवासी परिवारों का सर्वाधिक प्रतिशत कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखण्ड (66.25 प्रतिशत) में, 20000–40000 रुपये बचत करने वाले परिवारों का सर्वाधिक प्रतिशत राजनांदगाँव जिले के छुईखदान विकासखण्ड (67.86 प्रतिशत) एवं 40000 रुपये से अधिक बचत की प्रवृत्ति राजनांदगाँव जिले के राजनांदगाँव

विकासखण्ड (44.95 प्रतिशत) के उत्प्रवासी परिवारों में अपेक्षाकृत अधिक रहा।

उत्प्रवासियों का गंतव्य स्थल में समस्याएँ

प्रवास प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्प्रवासी क्षेत्र की जनांकिकी विशेषताओं यथा घनत्व, वृद्धि, आयु, लिंग, शिक्षा इत्यादि में मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। जनसंख्या के मात्रात्मक परिवर्तन से उत्प्रवासी क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व एवं दबाव में वृद्धि होती है, जिससे संसाधनों की षोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। परिणामतः क्षेत्र का आर्थिक विकास जहाँ उन्नत एवं समृद्धशाली होता है, वहीं जनसंख्या घनत्व में वृद्धि से आप्रवासी क्षेत्र में कई सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ भी उत्पन्न होती है (सिंह, 2009)।

सामान्यतया, नगर केन्द्रों में उत्प्रवासियों की मुख्य समस्या सर्व सुविधायुक्त सस्ते मकान की होती है। परिणामतः नगरों में गंदी बस्तियों का विस्तार हो रहा है। अध्ययन क्षेत्र से उत्प्रवासित परिवारों में 16.77 प्रतिशत परिवारों को सुविधाजनक एवं निःशुल्क आवास प्राप्त नहीं हुआ। उत्प्रवासित परिवारों में 21.76 प्रतिशत परिवार को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ा वहीं 93.80 प्रतिशत उत्प्रवासित परिवारों को गंतव्य स्थल में शौचालय की सुविधा से वंचित रहना पड़ा। साथ ही उत्प्रवासित परिवारों में 62.33 प्रतिशत परिवारों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हुई, जिससे उन्हें गंतव्य स्थल पर शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार 95.25 प्रतिशत परिवारों के बच्चों को खेलने के लिये मैदान की सुविधा प्राप्त नहीं हुई। यहीं नहीं 32.70 प्रतिशत परिवारों का रोजगार पंजीकरण नहीं हुआ, जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने एवं सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न हुई। जबकि उत्प्रवासित परिवारों में 76.42 प्रतिशत परिवारों को शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी से (300 रूपयें से) कम दैनिक मजदूरी प्राप्त हुई। 16.77 प्रतिशत परिवारों को नियमित साप्ताहिक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। जबकि 42.42 प्रतिशत परिवार को साप्ताहिक अवकाश का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार 65.39

प्रतिशत परिवारों को दुर्घटना पर मुआवजा की सुविधा प्राप्त नहीं हुई। तथा 69.68 प्रतिशत परिवारों को अतिरिक्त कार्य का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही 61.26 प्रतिशत परिवारों को वापसी का किराया प्राप्त नहीं हुआ। यह सभी समस्याएँ अनुबंधित उत्प्रवासी के अधिक उत्प्रवास का प्रतिफल है।

उत्प्रवासी न केवल अग्रिम वर्ष के प्रवास के लिये पुनः अनुबंधित होते हैं अपितु अपने रिश्तेदारों एवं परिचितों को भी उत्प्रवास के लिये प्रोत्साहित करते हैं। परिणामतः अध्ययन क्षेत्र से प्रतिवर्ष उत्प्रवासित ग्रामीण जनसंख्या की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हो रही है। ग्रामीण जनसंख्या के अल्पकालिक उत्प्रवास की अवधि में प्रवास जनन क्षेत्रों में जहां श्रमिकों की कमी से, रचनात्मक कार्य के विकास में बाधा उत्पन्न हुई है वहीं गंतव्य स्थल में रचनात्मक कार्य के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

जनसंख्या उत्प्रवास से गंतव्य क्षेत्र एवं उत्प्रवासी को कई सामाजिक, आर्थिक एवं आवासीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परिवार सहित स्थानान्तरण से उत्प्रवासियों के बच्चों को पढाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। परिणामतः उत्प्रवासियों की शिक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक से अधिक नहीं हो पाती है। इसीलिए उत्प्रवासियों में निरक्षर एवं अल्पसाक्षर व्यक्तियों की अधिकता होती है। अल्पकालिक ग्रामीण उत्प्रवास से यद्यपि, उत्प्रवासियों की धान कटाई के बाद बेरोजगारी की समस्या जहाँ हल होती है वहीं गंतव्य स्थल से अधिक आय प्राप्त कर बचत भी करते हैं जिससे वे अपने कर्ज से भी मुक्त होने का प्रयास करते हैं। इस अल्पकालिक ग्रामीण उत्प्रवास से क्षेत्र में कृषि मजदूर एवं मजदूरी की समस्या उत्पन्न होती है, साथ ही अल्पकालिक उत्प्रवासी व्यक्ति, ठेकेदारों से अग्रिम राशि प्राप्त कर अगले वर्ष के लिए अनुबंधित हो जाते हैं जिसका लाभ ठेकेदार बंधक स्वरूप में लेता है।

उत्प्रवास एक स्वतंत्र मानवीय प्रक्रिया है, जिसमें अंकुश लगाना असम्भव है परन्तु उसे नियंत्रण करने का

प्रयास किया जा सकता है। अतः शासन द्वारा जिले की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि नवप्रर्वन कर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करें तथा खरीफ फसल कटाई के पश्चात् मौसमी बेरोजगार व्यक्तियों के लिये प्रशासनिक स्तर पर राहत कार्य क्रियान्वित करें जिससे उत्प्रवासी परिवारों में आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिकता में सुधार हो सकें।

References :

1. Agrawal, S. N., 1977 : India's Population Problem, Tata Mc-Graw Hill, Publishing Company Ltd., New Delhi. pp. 59.
2. Morrison, P., 1967, Duration of Residence and Prospective Migration, Demography, Vol. 8, PP. 171-84.
3. Rechards, I., 1978, Population and Settlement in Meerut District, Unpublished Ph.D. Thesis, Gorakhpur University, Gorakhpur, p. 43-93.
4. चांदना, आर. सी., 2012, जनसंख्या भूगोल, कल्याणी पब्लिकेशर्स, लुधियाना पृष्ठ 206-336।
5. गजपाल, एल. एस., 2009, कृषि मजदूरों का प्रवास, प्रकाशित शोध प्रबंध, सिंघई पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, रायपुर, पृष्ठ 54-79।
6. मौर्य, एस.डी., 2013, जनसंख्या भूगोल, शारदा पुस्तक भवन, इलाहबाद, पृष्ठ 78-250।
7. मजूमदार, शैली, 2002, रायपुर नगर में महिला आप्रवास : एक भौगोलिक विश्लेषण, अप्रकाशित शोध प्रबंध, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर।
8. मिश्रा, जय प्रकाश, 2013, जनांकिकी, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा, पृष्ठ 233-241।
9. सिंह, यशवंत, 2009, सोनभद्र (उ.प्र.) में सामान्य आंकिक जनसंख्या का विश्लेषण, उत्तर प्रदेश भौगोलिक पत्रिका, अंक 14ए पृष्ठ 96.104।
10. त्रिपाठी, शकुन्तला, 2001, छत्तीसगढ़ से अल्पकालिक ग्रामीण उत्प्रवास, अप्रकाशित शोध प्रबंध, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
11. वशिष्ठ, सरिता, 2010, महिला सशक्तिकरण, के.के. पब्लिकेशनस्, नई दिल्ली।
12. यादव, विनोद कुमार, 2008, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ग्रामीण क्षेत्रों से श्रम पलायन की समस्या-एक आर्थिक विश्लेषण, अप्रकाशित शोध प्रबंध, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
13. यादव, राकेश कुमार एवं विलास, राम, 2014, जनपद गोरखपुर के नगरों की व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन: एक भौगोलिक अध्ययन, राष्ट्रीय भौगोलिक पत्रिका, वर्ष 5, अंक 2, पृष्ठ 151.158।





कोरबा नगर में आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं की स्वास्थ्य दशाएँ एवं स्तर

यतिनंदिनी पटेल

शोध सारांश

किसी भी क्षेत्र की आर्थिक विकास की दिशा एवं दशा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य दशाएँ उत्तम होने पर श्रमशक्ति में व्यक्तियों की भागीदारी अधिक होती है। एक बीमार देश की श्रमशक्ति कम होती है तथा उत्पादन भी घटने लगता है। उत्पादन घटने से देश आर्थिक रूप से पिछड़ जाता है तथा व्यक्तियों का जीवन स्तर भी गिर जाता है (पण्डा, 2015)। उत्तम आवासीय सुविधा, व्यक्तियों के स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखता है तथा स्वास्थ्य सुविधाएँ, स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं (चौबे, 2012)। समाज में महिलाओं का स्वास्थ्य विशेष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि महिलाओं का उत्तम स्वास्थ्य देश के विकास का प्रतीक होता है। एक अस्वस्थ महिला पूरे परिवार को बीमार कर देती है, इससे देश की अर्थव्यवस्था तथा उत्पादन प्रभावित होता है। अतः देश, समाज तथा परिवार के विकास के लिए महिलाओं का स्वस्थ रहना आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य भी है।

शब्द कुंजी:— प्रवास क्षेत्र, आयु, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय तथा शैक्षणिक स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य स्तर।

प्रस्तावना

स्वास्थ्य जीवन का एक गुण होता है, जो व्यक्ति को सर्वोत्तम जीवन व्यतीत करने तथा क्रियाशील रहने हेतु प्रेरित करता है (सिंह, 2004)। स्वास्थ्य का मानव जीवन की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मानव जीवन के सभी पक्षों में स्वास्थ्य एक अमूल्य संसाधन है, जो उच्चतर सामाजिक तथा मानवीय जीवन के लिए आवश्यक है। महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर देश की आर्थिक विकास की कुंजी होती है। हाजरा (2010) ने महिलाओं के स्वास्थ्य का विश्लेषण करते हुए बताया है कि किसी भी देश के विकास में महिलाओं के स्वास्थ्य की निर्णायक भूमिका होती है तथा भविष्य में बच्चों का स्वास्थ्य मुख्यतः माता के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, यदि किसी माता का स्वास्थ्य निम्न स्तर का है, तो उनकी आने वाली संतान अस्वस्थ होंगी। मानव की हर क्रियाकलाप, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक सक्रियता आदि स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध में अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कोरबा

नगर में आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं की स्वास्थ्य दशाएँ एवं स्तर का विश्लेषण करना है। साथ ही स्वास्थ्य स्तर का विश्लेषण प्रवास क्षेत्र, आयु, वैवाहिक स्थिति, व्यावसाय तथा शैक्षणिक स्थिति के आधार पर अलग अलग अध्ययन प्रस्तुत करना है।

विधितंत्र

नगर के चयनित आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं के स्वास्थ्य दशा एवं स्तर का परिकलन मानवमितीय अध्ययन, रोग एवं बीमारी तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर किया गया। आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं में स्वास्थ्य दशा के विश्लेषण हेतु मानवमितीय अध्ययन में शरीर द्रव्यमान सूचकांक (BMI) का परिकलन किया गया, जिसके लिए निम्नलिखित सूत्र प्रयोग किया गया।

$$\text{शरीर द्रव्यमान सूचकांक (BMI)} = \frac{\text{शरीर का वजन (कि.ग्रा.)}}{\text{ऊँचाई (मीटर)}^2}$$

प्राप्त शरीर द्रव्यमान सूचकांक को तीन वर्गों में रखकर विश्लेषित किया गया –

डॉ. (श्रीमती) यतिनंदिनी पटेल, सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, शासकीय शबरी माता कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)।

1. न्यून वजन सूचकांक – 16 से कम (अत्यधिक निम्न), 16 से 16.9 (अति निम्न), 17 से 18.4 (निम्न)
2. सामान्य वजन सूचकांक – 18.5 से 19.9
3. अत्यधिक वजन सूचकांक – 20 से 24.9 (उच्च वजन), 25 से 30 (अति उच्चवजन), 30 से अधिक (अत्यधिक उच्च वजन)

अध्ययन क्षेत्र

कोरबा नगर (22° 30' उत्तरी अक्षांश एवं 82° 42' पूर्वी देशांतर) पर स्थित है। इसकी समुद्र सतह से औसत ऊँचाई 304.8 मीटर है। यह नगर द.पू. मध्य रेलमार्ग पर स्थित चांपा जंक्शन से रेल एवं सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 35.41 वर्ग किमी. है, नगर की जनसंख्या 3,63,390 व्यक्ति (2011) है। सन् 1951-61 के दशक में नगर की जनसंख्या में आकस्मिक 454.60% वृद्धि देखी गयी। यह वृद्धि निश्चित रूप से नगर में एल्युमिनियम संयंत्र सहित अन्य राष्ट्रीय व संयुक्त प्रतिष्ठान स्थापित होने एवं खनन गतिविधियों में वृद्धि के कारण थी। कोरबा वन, खनिज (प्रमुख रूप से कोयला) संपदा से परिपूर्ण जनजाति बाहुल्य जिला है। वर्ष 1965 में भारत एल्युमिनियम संयंत्र BALCO, 1975 में राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र NTPC तथा SECL की स्थापना के पश्चात आप्रवासियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है।

आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं की स्वास्थ्य दशाएँ

नगर के आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर का विश्लेषण, मानवमितीय अध्ययन, रोग एवं बीमारी तथा स्वास्थ्य सेवाएँ एवं सुविधाओं के आधार पर किया गया है तथा उपर्युक्त सभी कारकों के आधार पर आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर का अध्ययन किया गया है।

मानवमितीय अध्ययन के आधार पर

मानव शरीर के वैज्ञानिक विश्लेषण में मानवमितीय मापन प्रविधि का विशेष महत्व है। मानवमितीय अध्ययन में जिन मापों का प्रयोग किया जाता है, उनमें ऊँचाई एवं वजन का मापन सर्वप्रमुख है। नगर के आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर का अध्ययन ऊँचाई एवं वजन के आधार पर किया गया है।

इसके लिए शरीर द्रव्यमान सूचकांक (Body Mass Index) का प्रयोग किया गया है—

ऊँचाई

आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं की ऊँचाई को तीन स्तर, यथा— सामान्य से कम ऊँचाई (1.5 मीटर से कम), सामान्य ऊँचाई (1.5 से 1.6 मीटर) तथा सामान्य से अधिक ऊँचाई (1.6 मीटर से अधिक) में वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है।

नगर के चयनित आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं में 10.04% महिलाएँ सामान्य से कम ऊँचाई से हैं, वहीं 57.29% महिलाएँ सामान्य ऊँचाई की हैं, जबकि 32.66% महिलाएँ सामान्य से अधिक ऊँचाई से हैं।

वजन प्रतिरूप

वजन प्रतिरूप व्यक्ति के आहार उपभोग के वास्तविक मात्रा को प्रदर्शित करता है। सामान्य से कम वजन तथा सामान्य से अधिक वजन अस्वस्थता का परिचायक है। नगरीय आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं के वजन प्रतिरूप का विश्लेषण के लिए (BMI) का प्रयोग किया गया है।

नगर के आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं में 14.16% महिलाएँ सामान्य से कम वजन से हैं, वहीं 20.72% महिलाएँ सामान्य वजन से हैं। जबकि 65.12% महिलाएँ सामान्य से अधिक वजन से हैं। इस प्रकार आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं में सामान्य से अधिक वजन वाली महिलाओं की अधिकता है, जो उनके असंतुलित आहार से अस्वस्थता को प्रदर्शित करता है।

आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर

नगर की आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं की स्वास्थ्य स्तर के निर्धारण के लिए मानवमितीय अध्ययन तथा रोग एवं बीमारी एवं स्वास्थ्य सेवाओं एवं उपभोग प्रतिरूप को गुणवत्ता के आधार पर पृथक-पृथक भार देकर उनका संयुक्त भार सूचकांक ज्ञात किया गया। प्राप्त कुल संयुक्त भार सूचकांक के आधार पर आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं को तीन स्वास्थ्य स्तर, यथा— निम्न (3 से कम), मध्यम (4 से 5) तथा उच्च (5 से अधिक) में वर्गीकृत कर विश्लेषित किया गया है।

नगर के चयनित आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं में 42.07% महिलाएँ निम्न, 40.49% महिलाएँ मध्यम एवं 17.44% महिलाएँ उच्च स्वास्थ्य स्तर से हैं। इस प्रकार

आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं में निम्न स्वास्थ्य स्तर का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक रहा, जो महिलाओं के निम्न स्वास्थ्य दशाएँ एवं निम्न शारीरिक स्थिति का परिणाम है।

सारणी 01 : कोरबा नगर: आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर

स्वास्थ्य स्तर	कुल आप्रवासी महिला	प्रतिशत
निम्न	398	42.07
मध्यम	383	40.49
उच्च	165	17.44
योग	946	100

स्रोत: व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2013

नगर के आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर का विश्लेषण प्रवास क्षेत्र, आयु, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय एवं शैक्षणिक स्थिति के आधार पर पृथक-पृथक रूप से किया गया है।

(1) प्रवास क्षेत्र के अनुसार आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर

नगर के चयनित आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं में प्रवास क्षेत्र के आधार पर स्वास्थ्य स्तर के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जिले के अंदर विभिन्न विकासखण्डों से

आप्रवासित कार्यशील महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर क्रमशः 44.51% निम्न, 42.31% मध्यम एवं 13.19% उच्च है। वहीं छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आप्रवासित कार्यशील महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में निम्न (40.43%) एवं मध्यम (43.22%) की तुलना में उच्च स्वास्थ्य स्तर का प्रतिशत (16.33%) कम रहा। इसी प्रकार भारत के अन्य राज्यों से आप्रवासित कार्यशील महिलाओं में निम्न (14.21%) एवं उच्च (16.67%) की तुलना में मध्यम स्वास्थ्य स्तर का प्रतिशत (69.13%) अधिक रहा।

सारणी 02 : कोरबा नगर : प्रवास क्षेत्र के अनुसार आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर

स्वास्थ्य स्तर	कुल आप्रवासीय महिला		जिले के अंदर से		छ.ग. के अन्य जिलों से		भारत के अन्य राज्यों से	
	महिला	%	महिला	%	महिला	%	महिला	%
निम्न	398	42.07	81	44.51	161	40.45	52	14.21
मध्यम	383	40.49	77	42.31	172	43.22	253	69.13
उच्च	165	17.44	24	13.19	65	16.33	61	16.67
योग	946	100	182	19.24	398	42.07	366	38.69

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2013

नगर के आप्रवासित कार्यशील महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कोरबा जिले के विभिन्न विकासखण्डों एवं छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आप्रवासित कार्यशील महिलाओं में जहाँ निम्न स्वास्थ्य स्तर अधिक प्राप्त हुआ, वहीं भारत के विभिन्न राज्यों में आप्रवासित कार्यशील महिलाओं में मध्यम एवं उच्च स्वास्थ्य स्तर अपेक्षाकृत अधिक रहा, जो भारत के विभिन्न राज्यों से आप्रवासित कार्यशील महिलाओं के उच्च स्वास्थ्य का द्योतक है।

(2) आयु के अनुसार आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर

नगर के चयनित आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों में आयु संरचना प्रमुख है। नगर के आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं में आयु संरचना के आधार पर स्वास्थ्य स्तर के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि युवा आयु वर्ग की आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर क्रमशः 24.36% निम्न, 47.94% मध्यम एवं 27.40% उच्च है।

सारणी 03 : कोरबा नगर: आयु के अनुसार आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर

स्वास्थ्य स्तर	कुल आप्रवासी महिला		युवा वर्ग (15-34 आयु)		प्रौढ़ वर्ग (35-59 आयु)		वृद्ध वर्ग (60-65 आयु)	
	महिला	%	महिला	%	महिला	%	महिला	%
निम्न	398	42.07	124	24.36	237	60.15	37	86.05
मध्यम	383	40.49	244	47.94	134	34.01	05	11.63
उच्च	165	17.44	141	27.70	23	5.84	01	2.32
योग	946	100	509	53.80	394	41.65	43	4.54

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2013

इस प्रकार युवा आयु वर्ग की महिलाओं का सर्वाधिक प्रतिशत मध्यम स्वास्थ्य स्तर में पाया गया। वहीं प्रौढ़ आयु वर्ग की आप्रवासी महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में मध्यम (34.01%) एवं उच्च (5.84%) की तुलना में निम्न स्वास्थ्य स्तर का प्रतिशत (60.15%) अधिक रहा। इसी प्रकार वृद्ध आयु वर्ग की आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में मध्यम (11.63%) एवं उच्च (2.32%) की तुलना में निम्न स्वास्थ्य स्तर का प्रतिशत (86.05%) सर्वाधिक रहा। स्पष्ट है कि आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं की उम्र में वृद्धि के साथ स्वास्थ्य स्तर में कमी दृष्टव्य हुई है, जो महिलाओं की निम्न स्वास्थ्य दशाएँ एवं निम्न शारीरिक स्थिति का प्रतिफल है।

(3) वैवाहिक स्थिति के अनुसार आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर

नगर के चयनित आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में वैवाहिक स्थिति का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं में वैवाहिक स्थिति के आधार पर स्वास्थ्य स्तर के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विवाहित महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर क्रमशः 41.61% निम्न, 46.48% मध्यम एवं 11.91% उच्च रहा। वहीं अविवाहित महिला आप्रवासीयों में 36.21% निम्न, 28.88% मध्यम एवं 34.91% उच्च स्वास्थ्य स्तर से है। इसके विपरीत विधवा/परित्यक्ता महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर क्रमशः 55.93% निम्न, 33.05% मध्यम एवं 11.02% उच्च रहा।

सारणी 04 : कोरबा नगर : वैवाहिक स्थिति के अनुसार आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर

स्वास्थ्य स्तर	कुल आप्रवासी महिला		विवाहित		अविवाहित		विधवा/परित्यक्ता	
	महिला	%	महिला	%	महिला	%	महिला	%
निम्न	398	42.07	248	41.61	84	36.21	66	55.93
मध्यम	383	40.49	277	46.48	67	28.88	39	33.05
उच्च	165	17.44	71	11.91	81	34.91	13	11.02
योग	946	100	596	63.0	232	24.52	118	12.47

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2013

स्पष्ट है कि विवाहित एवं विधवा/तलाकशुदा महिलाएँ पारिवारिक जिम्मेदारी के निर्वहन के कारण अपने स्वास्थ्य का उचित देखभाल नहीं कर पाती हैं, फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य स्तर अपेक्षाकृत निम्न रहा है, वहीं अविवाहित महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर उच्च पाया गया।

(4) व्यवसाय के अनुसार आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर

नगर के चयनित आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर पर व्यावसायिक संरचना का समतुल्य प्रभाव दृष्टव्य हुआ है। निम्न स्वास्थ्य स्तर के आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं में 49.10% मजदूर वर्ग से तथा 48.22% महिलाएँ शासकीय सेवाओं में कार्यरत हैं। वहीं उच्च स्वास्थ्य स्तर में 37.50% महिलाएँ निजी संस्थान तथा 23.33% महिलाएँ अन्य व्यवसाय में कार्यरत हैं।

सारणी 05 : कोरबा नगर : व्यवसाय के अनुसार आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर

स्वास्थ्य स्तर	कुल आप्रवासी महिला		शिक्षा संस्थान		निजी संस्थान		शासकीय सेवाएँ		व्यापार/उद्योग		मजदूर		अन्य	
	महिला	%	महिला	%	महिला	%	महिला	%	महिला	%	महिला	%	महिला	%
निम्न	398	42.07	91	35.69	20	27.78	149	48.22	36	43.37	82	49.10	20	33.33
मध्यम	383	40.49	116	45.49	25	34.72	131	42.39	32	38.55	51	30.54	26	43.33
उच्च	165	17.44	48	18.82	27	37.50	29	9.38	15	18.07	34	20.34	14	23.33
योग	946	100	255	26.95	72	7.61	309	32.66	83	8.77	167	17.65	60	6.34

स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2013

जबकि मध्यम स्वास्थ्य स्तर के अंतर्गत शिक्षा संस्थान (45.49%), शासकीय सेवाओं (42.39%) एवं अन्य व्यवसायों (43.33%) में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत अधिक रहा।

(5) शैक्षणिक स्थिति के अनुसार आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर

नगर के चयनित आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर के निर्धारण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि शिक्षा का सीधा संबंध जीवनशैली से होता है तथा जीवन शैली का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वास्थ्य स्तर पर पड़ता है।

सारणी 06 : कोरबा नगर : शैक्षणिक स्थिति के अनुसार आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर

स्वास्थ्य स्तर	साक्षर महिला		निरक्षर महिला		प्राथमिक/माध्यमिक स्तर		उच्चतर माध्यमिक स्तर		स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर		चिकित्सा स्तर		व्यावसायिक स्तर		अन्य स्तर	
	महिला	%	महिला	%	महिला	%	महिला	%	महिला	%	महिला	%	महिला	%	महिला	%
निम्न	369	41.32	29	54.72	46	47.42	44	47.83	198	38.82	8	36.36	14	38.89	59	43.70
मध्यम	369	41.32	14	26.41	33	34.02	30	32.61	224	43.92	13	59.09	11	30.55	58	42.96
उच्च	155	17.36	10	18.87	18	18.56	18	19.56	88	17.25	1	4.54	11	30.55	18	13.33
योग	893	94.40	53	5.60	97	10.86	92	10.30	510	57.11	22	2.46	36	4.03	135	15.12

स्रोत— व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2013

इस प्रकार निम्न स्वास्थ्य स्तर वाले महिलाओं का अधिक प्रतिशत निरक्षर (54.72%) तथा प्राथमिक/माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक स्तर (47.62%) से प्राप्त हुआ है, जबकि उच्च स्वास्थ्य स्तर वाली महिलाओं का सर्वाधिक प्रतिशत व्यावसायिक स्तर की महिलाओं (30.55%) में प्रदर्शित हुआ है। वहीं मध्यम स्वास्थ्य स्तर वाली महिलाओं की सबसे अधिक प्रतिशत चिकित्सा स्तर (59.09%) एवं स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर (43.92%) की शिक्षा प्राप्त महिलाओं में दृष्टव्य हुआ।

निष्कर्ष

नगर के चयनित आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं में सर्वाधिक (42.07%) महिलाएँ निम्न स्वास्थ्य स्तर से हैं। युवा वर्ग (24.36%) एवं प्रौढ़ वर्ग (60.15%) की तुलना में वृद्ध आयु वर्ग के आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं में निम्न स्वास्थ्य स्तर का प्रतिशत (86.05%) सर्वाधिक रहा, स्पष्ट है

कि आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं की उम्र में वृद्धि के साथ स्वास्थ्य स्तर में कमी दृष्टव्य हुई है, जो महिलाओं की निम्न स्वास्थ्य दशाएँ एवं निम्न शारीरिक स्थिति का प्रतिफल है। वहीं अविवाहित महिलाओं (11.91%) एवं विधवा/तलाकशुदा महिलाओं (11.02%) की तुलना में अविवाहित महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर (34.91%) उच्च पाया गया। विवाहित एवं विधवा/तलाकशुदा महिलाएँ पारिवारिक जिम्मेदारी के निर्वहन के कारण अपने स्वास्थ्य का उचित देखभाल नहीं कर पाती हैं, फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य स्तर अपेक्षाकृत निम्न रहा है, वहीं अविवाहित महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर उच्च पाया गया।

References

1. Hazra, Jyoti, 2010, "Women and Health", Geographical Review of India, Vol. 56, No. (1), pp. 1-8.
2. Singh, Bhupender, 2004, "A Study of Spatial

- Variations of Medical Centres in Haryana, India",
The Decan Geographer, Vol. 42, No.1, pp.1-11.
3. चौबे, कैलाश, 2001, स्वास्थ्य/चिकित्सा भूगोल,
मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृ. 23।
 4. पण्डा, बी.पी. एवं वर्मा, एल.एन., 2015 जनसंख्या
भूगोल, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पृ. 214।
 5. सिंह, आलोक, 2004, आजमगढ़ जनपद (उ.प्र.) में
जीवन की गुणवत्ता का स्तर, उत्तर भारत भूगोल
पत्रिका, अंक 40, पृष्ठ 36-42।





दुर्ग –भिलाई नगरों में कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता : एक भौगोलिक अध्ययन

शिवेन्द्र बहादुर एवं सरला शर्मा

शोध सारांश

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य, छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग – भिलाई नगरों में कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर का भौगोलिक विश्लेषण करना है। दुर्ग –भिलाई नगरों में कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर के निर्धारण के लिए नगरीय कार्यशील महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, आवासीय एवं स्वास्थ्य दशाओं को गुणवत्ता के आधार पर पृथक-पृथक भार देकर उनका संयुक्त भार सूचकांक ज्ञात किया गया है। प्राप्त कुल संयुक्त भार सूचकांक के आधार पर नगरीय कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर को तीन वर्गों उच्च, मध्यम एवं निम्न में वर्गीकृत किया गया। कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर का विश्लेषण स्थानिक एवं कालिक प्रतिरूप के आधार पर तथा रोजगार के पूर्व एवं रोजगार के बाद की स्थिति में किया गया है। इसी प्रकार कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारकों यथा –जाति संरचना, शैक्षणिक स्तर, वैवाहिक स्तर, व्यावसायिक संरचना तथा प्रवास प्रतिरूप के आधार पर उनका पृथक-पृथक विश्लेषण किया गया है।

शब्द कुंजी :- सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, आवासीय स्तर, स्वास्थ्य स्तर, जीवन की गुणवत्ता स्तर।

प्रस्तावना

किसी प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में उस प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रदेश के जनांकिकी, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए उस प्रदेश के कार्यशील पुरुषों के साथ-साथ कार्यशील महिलाओं का अध्ययन भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि कार्यशील महिलाओं की मात्रात्मक एवं गुणात्मक विशेषताएँ प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण होती हैं। पिछली दो शताब्दी में महिलाओं की स्थिति में जो कुछ बदलाव हुआ है, उससे निःसंदेह महिलाओं के अस्तित्व में सकारात्मक सुधार हुआ है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के प्रसार, आधुनिकीकरण एवं नगरीकरण की प्रक्रिया से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन संभव हुआ है। महिलाएँ धनोपार्जन हेतु विविध प्रकार के आर्थिक कार्यों में संलग्न होकर समाज, राष्ट्र एवं विश्व के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं साथ ही स्वयं के आर्थिक एवं

सामाजिक स्तर को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही हैं। वर्तमान समय में कार्यशील महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में अपनी योग्यता अवश्य सिद्ध कर रही हैं, परंतु इससे उन्हें सामाजिक तथा पारिवारिक दबाव एवं अनेक आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है (सिंघल, 2003)। इसी संदर्भ में दुर्ग-भिलाई नगरों में कार्यशील महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक, आवासीय एवं स्वास्थ्य दशा का सूक्ष्मता से अध्ययन कर कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर ज्ञात किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य दुर्ग-भिलाई नगरों में कार्यशील महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक, आवासीय तथा स्वास्थ्य दशा का अध्ययन करना एवं कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर ज्ञात करना है।

1. श्री शिवेन्द्र बहादुर, शोध छात्र, भूगोल अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल, विश्वविद्यालय, रायपुर, छ.ग., 492010. मो0-7828197170.
2. प्रो. सरला शर्मा, भूगोल अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छ.ग.।

शोध परिकल्पना

- 1) कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर उनकी शैक्षणिक स्थिति से प्रभावित होती है।
- 2) महिलाओं की क्रियाशीलता से स्वयं तथा उनके परिवार के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है।

अध्ययन क्षेत्र

दुर्ग नगर छत्तीसगढ़ का प्रमुख व्यापारिक एवं वाणिज्यिक नगर तथा भिलाई नगर सर्वोपरि औद्योगिक नगर है। दुर्ग नगर के विकास में भिलाई औद्योगिक नगर की निकटता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसीलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का एक मात्र जुड़वा नगर कहा जाता है। दुर्ग नगर जिले का प्रशासनिक केन्द्र एवं जिला मुख्यालय है। भिलाई नगर का विकास भिलाई ग्राम से हुआ जो नगर के उत्तरी भाग में स्थित है। वर्ष 1956 में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना के पूर्व तक भिलाई एक छोटा ग्राम था परन्तु लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना के बाद भिलाई नगर का विकास औद्योगिक नगर के रूप में हुआ। दोनों नगर से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 गुजरती है। दुर्ग नगर, राज्य की राजधानी रायपुर से 45 किलोमीटर तथा भिलाई नगर 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दुर्ग एवं भिलाई नगर के मध्य की दूरी 12 किलोमीटर है। वर्तमान में दुर्ग नगर 58 वार्डों में जबकि भिलाई नगर 70 वार्डों में विभक्त है। दुर्ग नगर का कुल क्षेत्रफल 54.11 वर्ग किमी. है, वहीं भिलाई नगर का कुल क्षेत्रफल 142.32 वर्ग किमी. है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दुर्ग नगर की कुल जनसंख्या 2,68,806 व्यक्ति है वहीं भिलाई नगर की कुल जनसंख्या 6,27,734 व्यक्ति है। दुर्ग नगर का जनसंख्या घनत्व (4,968 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी.) भिलाई नगर कि तुलना में (4,411 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी.) अधिक है। दुर्ग नगर की कुल महिला जनसंख्या में 72.62 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं जबकि भिलाई नगर की कुल महिला जनसंख्या में 71.85 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं। दुर्ग नगर की तुलना में (17.76 प्रतिशत) भिलाई नगर में कुल महिला जनसंख्या में कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत (12.07 प्रतिशत) निम्न है।

आंकड़ों के स्रोत एवं विधितंत्र

प्रस्तुत शोध मुख्यतः प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। इनमें नगरीय कार्यशील महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा संबंधी आँकड़ें प्रमुख हैं, तथापि नगर से संबंधित भौगोलिक एवं सांस्कृतिक जानकारी द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है।

प्राथमिक आंकड़ें

दुर्ग-भिलाई नगरों की कार्यशील महिलाओं के अध्ययन संबंधी विविध जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया। जिसमें कार्यशील महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक, आवासीय एवं स्वास्थ्य दशा की जानकारी एवं कार्यशील महिलाओं की समस्याओं से संबंधित प्रश्न रखे गए। दुर्ग-भिलाई नगरों में कार्यशील महिलाओं का विस्तृत अध्ययन करने हेतु कार्यिक प्रतिरूप को दृष्टिगत रखते हुए उद्देश्य पूर्ण दैव निदर्शन विधि के आधार पर विभिन्न कार्यों में संलग्न कार्यशील महिलाओं तथा उनके परिवारों से सम्बंधित जानकारी साक्षात्कार एवं अनुसूची के माध्यम से प्राप्त की गई। कार्यशील महिलाओं के कार्यिक प्रतिरूप को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित जानकारी उसके कार्यस्थल यथा-शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय, शिक्षण संस्थानों, अस्पताल, दुकानों, निर्माण स्थलों, गंदी बस्तियों में जा कर प्राप्त की गई। इस प्रकार दोनों नगरों से कुल 1202 कार्यशील महिलाओं से जानकारी प्राप्त की गई। चयनित कार्यशील महिलाओं से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण सामाजिक एवं आर्थिक दशा को ध्यान में रख कर किया गया है।

द्वितीयक आंकड़ें

शोध में दुर्ग-भिलाई नगरों की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों के विश्लेषण के लिए द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया। नगरों की जनसंख्या संबंधी आंकड़ें जनगणना पुस्तिका 2011, नगर निगम दुर्ग -भिलाई, नगर निवेश दुर्ग से प्राप्त किया गया है।

विधितंत्र

साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त आंकड़ों को, अध्ययन की विषय वस्तु के आधार पर विश्लेषित कर नगरीय कार्यशील महिलाओं की क्रमशः सामाजिक-आर्थिक, आवासीय तथा स्वास्थ्य दशा का पृथक-पृथक अध्ययन किया गया। तथापि नगर की कार्यशील महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्तर के परिकलन के लिए क्रमशः सामाजिक एवं आर्थिक दशा की मानक इकाईयों को मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर भार दिया गया तथा समस्त मानक इकाईयों के भार का संयुक्त भार सूचकांक ज्ञात किया गया है। प्राप्त संयुक्त भार सूचकांक के आधार पर कार्यशील महिलाओं को तीन स्तर उच्च, मध्यम एवं निम्न वर्ग में वर्गीकृत कर विश्लेषित किया गया है। दुर्ग-भिलाई नगरों कि कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर के निर्धारण के लिए नगरीय कार्यशील महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, आवासीय एवं स्वास्थ्य दशाओं को गुणवत्ता के आधार पर पृथक-पृथक भार देकर उनका संयुक्त भार सूचकांक ज्ञात किया गया प्राप्त कुल संयुक्त भार सूचकांक के आधार पर नगरीय कार्यशील महिलाओं के जीवन कि गुणवत्ता स्तर को तीन वर्गों उच्च, मध्यम एवं निम्न में वर्गीकृत किया गया। निम्न जीवन की गुणवत्ता स्तर के तहत उन सभी कार्यशील महिलाओं को रखा गया जिसका संयुक्त भार सूचकांक 80 से कम है, जबकि जीवन की गुणवत्ता के मध्यम स्तर में उन कार्यशील महिलाओं को सम्मिलित किया गया, जिनका संयुक्त भार सूचकांक 80 से 120 है तथा जीवन की गुणवत्ता के उच्च स्तर में उन सभी कार्यशील महिलाओं को सम्मिलित किया गया, जिनका संयुक्त भार सूचकांक 120 से अधिक है। कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर का विश्लेषण स्थानिक एवं कालिक प्रतिरूप के आधार पर तथा रोजगार के पूर्व एवं रोजगार के बाद की स्थिति में किया गया है। इसी प्रकार कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारकों यथा-जाति संरचना, शैक्षणिक स्तर, वैवाहिक स्तर, व्यावसायिक संरचना तथा प्रवास प्रतिरूप के आधार पर

उनका पृथक-पृथक विश्लेषण किया गया है। शोध परिकल्पनाओं का परीक्षण कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक परीक्षण द्वारा तथा जीवन की गुणवत्ता के निर्धारक घटकों का पृथक-पृथक बहुचर कारक विश्लेषण किया गया। बहुचर कारक विश्लेषण में जतराना (2001) एवं कान्स (1972) द्वारा प्रयुक्त बहुचर मॉडल (Multivariate Model) के अन्तर्गत बहुचर गुणनपूर्ण सहसम्बन्ध गुणांक का प्रयोग कर कारकों की प्रभावशीलता का विश्लेषण किया गया जो उच्च सार्थकता स्तर (0.01) पर प्रमाणित हुआ।

दुर्ग-भिलाई नगरों में कार्यशील महिलाओं की सामाजिक दशा एवं स्तर

कार्यशील महिलाओं की सामाजिक दशा ही उनके सामाजिक स्तर के निर्धारण का प्रमुख कारक है। महिलाएँ चाहे ग्रामीण या शहरी हो, उनको आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने में सामाजिक स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है (अहमद, इरफान 2014)। दुर्ग नगर में कुल चयनित कार्यशील महिलाओं में सर्वाधिक 36.74 प्रतिशत महिलाएँ 30-44 आयु वर्ग से तथा भिलाई नगर में कुल चयनित कार्यशील महिलाओं में सर्वाधिक 39.90 प्रतिशत महिलाएँ 15-29 आयु वर्ग से हैं। दुर्ग नगर में कार्यशील महिलाओं में सर्वाधिक 73.81 प्रतिशत महिलाएँ सामान्य वर्ग से हैं जबकि भिलाई नगर में भी कार्यशील महिलाओं में सर्वाधिक 61.73 प्रतिशत महिलाएँ सामान्य वर्ग से हैं वहीं दोनों नगरों में कुल चयनित कार्यशील महिलाओं में अनुसूचित जाति की कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत न्यूनतम प्राप्त हुआ। दुर्ग नगर में चयनित कार्यशील महिलाओं में 93.36 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं जबकि भिलाई नगर में चयनित कार्यशील महिलाओं में 91.70 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं। निम्न आय वर्ग वाली महिलाओं में निरक्षरता का प्रतिशत अधिक है। दुर्ग नगर में कार्यशील महिलाओं में सर्वाधिक 46.44 प्रतिशत एवं भिलाई नगर में कार्यशील महिलाओं में सर्वाधिक 54.52 प्रतिशत कार्यशील महिलाओं को स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त है जबकि दोनों नगरों में चयनित कार्यशील महिलाओं में प्राथमिक स्तर तक कि शिक्षा प्राप्त कार्यशील महिलाओं का

प्रतिशत न्यूनतम प्राप्त हुआ। दुर्ग नगर में चयनित कार्यशील महिलाओं में 65.14 प्रतिशत महिलाएँ विवाहित हैं, भिलाई नगर में भी यह प्रतिशत 54.52 सर्वाधिक प्राप्त हुआ। दुर्ग नगर में चयनित कार्यशील महिलाओं में सर्वाधिक 61.73 प्रतिशत महिलाएँ जिले के विभिन्न विकासखण्ड से अप्रवासित एवं भिलाई नगर में चयनित कार्यशील महिलाओं में सर्वाधिक 54.56 प्रतिशत महिलाएँ जिले के विभिन्न विकासखण्ड से अप्रवासित हैं जबकि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले से अप्रवासित कार्यशील महिलाओं का दोनो नगरों में प्रतिशत न्यूनतम प्राप्त हुआ।

दुर्ग-भिलाई नगरों में कार्यशील महिलाओं का सामाजिक स्तर

नगरीय कार्यशील महिलाओं के सामाजिक स्तर ज्ञात करने के लिए उनकी सामाजिक दशा के सूचक तत्वों जैसे-आयु संरचना, साक्षरता स्तर, शैक्षणिक स्थिति, जाति संरचना आदि को मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर भार दिया गया तथा समस्त मानक इकाईयों के भार का संयुक्त भार सूचकांक ज्ञात किया गया है। दुर्ग-भिलाई नगरों में चयनित कार्यशील महिलाओं का अधिकतम संयुक्त भार सूचकांक 42 प्राप्त हुआ। प्राप्त संयुक्त भार सूचकांक के आधार पर कार्यशील महिलाओं को तीन सामाजिक स्तर निम्न, मध्यम एवं उच्च में रखा गया। निम्न सामाजिक स्तर के अंतर्गत उन कार्यशील महिलाओं को सम्मिलित किया गया, जिनका संयुक्त भार सूचकांक 14 से कम है, जबकि मध्यम सामाजिक स्तर में उन कार्यशील महिलाओं को सम्मिलित किया गया, जिनका संयुक्त भार सूचकांक 15 से 28 तथा उच्च सामाजिक स्तर के तहत उन कार्यशील महिलाओं को सम्मिलित किया गया, जिनका संयुक्त भार सूचकांक 29 से 42 है। इस प्रकार नगरीय कार्यशील महिलाओं के संयुक्त भार सूचकांक के आधार पर सामाजिक स्तर का रोजगार के पूर्व एवं रोजगार के पश्चात् की स्थिति के आधार पर विश्लेषण किया गया। दुर्ग नगर में सामाजिक स्तर चयनित कार्यशील महिलाओं में रोजगार के पूर्व क्रमशः 42.35 प्रतिशत निम्न, 40.48 प्रतिशत मध्यम तथा 17.18 प्रतिशत उच्च था, जो रोजगार के पश्चात् क्रमशः 38.27

प्रतिशत निम्न, 42.01 प्रतिशत मध्यम तथा 19.73 प्रतिशत उच्च प्राप्त हुई। वहीं भिलाई नगर में सामाजिक स्तर चयनित कार्यशील महिलाओं में रोजगार के पूर्व क्रमशः 42.51 प्रतिशत निम्न, 38.44 प्रतिशत मध्यम तथा 19.06 प्रतिशत उच्च था, जो रोजगार के पश्चात् क्रमशः 32.74 प्रतिशत निम्न, 43 प्रतिशत मध्यम तथा 24.27 प्रतिशत उच्च प्राप्त हुआ। दोनो नगरों में रोजगार के पश्चात् कार्यशील महिलाओं का सामाजिक स्तर उन्नत हुआ। इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से कार्यशील महिलाओं के सामाजिक स्तर में रोजगार के पश्चात् निम्न स्तर में जहाँ कमी हुई है, वहीं उच्च स्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जो रोजगार की उपलब्धता के कारण कार्यशील महिलाओं की उच्च शैक्षणिक स्तर तथा आर्थिक सुदृढ़ता के फलस्वरूप भौतिक सुविधाओं में वृद्धि का परिणाम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि महिलाओं की क्रियाशीलता से उनका सामाजिक स्तर समृद्ध एवं उन्नत होता है

दुर्ग-भिलाई नगरों में कार्यशील महिलाओं की आर्थिक दशा एवं स्तर

दुर्ग-भिलाई नगरों में चयनित कार्यशील महिलाओं की व्यावसायिक संरचना का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि यह कार्यशील महिलाओं के सुदृढ़ आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। दुर्ग नगर में कुल चयनित कार्यशील महिलाओं की कार्यिक संरचना के अन्तर्गत सर्वाधिक 23.64 प्रतिशत महिलाएँ निजी व्यवसाय में तथा भिलाई नगर में सर्वाधिक 26.87 प्रतिशत महिलाएँ निजी व्यवसाय में ही संलग्न हैं वहीं दोनो नगरों में कुल चयनित कार्यशील महिलाओं में बैंकिंग जैसे अन्य कार्य में संलग्न कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत न्यूनतम प्राप्त हुआ। आधुनिक समाज में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति आय द्वारा परिलक्षित होती है। दुर्ग नगर में चयनित कार्यशील महिलाओं में से सर्वाधिक 54.42 प्रतिशत तथा भिलाई नगर में सर्वाधिक 49.19 प्रतिशत कार्यशील महिलाओं की मासिक आय 10,000 रुपये से कम एवं दुर्ग नगर में 16.33 प्रतिशत कार्यशील महिलाओं की मासिक आय 20,000 रुपये से अधिक है, वहीं भिलाई नगर में 20,000 रुपये से अधिक मासिक आय प्राप्त करने

वाली कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत 20.52 प्राप्त हुआ। अस्तु चयनित कार्यशील महिलाओं में भी निम्न आर्थिक परिवार की महिलाएँ परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मजदूरी एवं निजी व्यवसाय में अधिक संलग्न हैं जिसके कारण निम्न मासिक आय प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या अधिक है। दोनों नगरों में चयनित कार्यशील महिलाओं का पारिवारिक आय में आर्थिक सहभागिता सर्वाधिक 25-50 प्रतिशत तक प्राप्त हुआ जो दुर्ग नगर में सर्वाधिक 44.90 प्रतिशत तथा भिलाई नगर में सर्वाधिक 44.14 प्रतिशत प्राप्त हुआ।

दुर्ग-भिलाई नगरों में कार्यशील महिलाओं का आर्थिक स्तर

किसी प्रदेश की जनसंख्या का आर्थिक स्तर उस प्रदेश में निवास करने वाले लोगों की आय के स्तर द्वारा निर्धारित होता है। जनसंख्या के आय स्तर को ध्यान में रखकर आर्थिक नियोजन का कार्य किया जाता है। नगर की कार्यशील महिलाओं के आर्थिक स्तर को ज्ञात करने के लिए उनकी आर्थिक दशा के सूचक तत्वों जैसे-वार्षिक आय, ऊर्जा उपभोग, औद्योगिक वस्तुओं का उपभोग, दैनिक उपयोग कि वस्तुओं, वाहन, संचार साधन, आदि को मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर भार दिया गया तथा समस्त मानक इकाईयों के भार का संयुक्त भार सूचकांक ज्ञात किया गया। इस प्रकार आर्थिक स्तर के सभी मानक इकाईयों का अधिकतम संयुक्त भार सूचकांक 40 प्राप्त हुआ। चयनित कार्यशील महिलाओं के कुल संयुक्त भार सूचकांक को आधार मानते हुए, कार्यशील महिलाओं को तीन आर्थिक स्तर, उच्च, मध्यम एवं निम्न में वर्गीकृत किया गया। चयनित कार्यशील महिलाओं में उन सभी कार्यशील महिलाओं को जिनके परिवार का संयुक्त भार सूचकांक 15 से कम प्राप्त हुआ, उन्हें निम्न आर्थिक स्तर में तथा जिन कार्यशील महिलाओं के परिवार का संयुक्त भार सूचकांक 15 से 30 प्राप्त हुआ, मध्यम आर्थिक स्तर में सम्मिलित किया गया, जबकि जिन कार्यशील महिला परिवारों का संयुक्त भार सूचकांक 30 से अधिक रहा उन्हें उच्च आर्थिक स्तर में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार नगरीय कार्यशील

महिलाओं के संयुक्त भार सूचकांक के आधार पर आर्थिक स्तर का रोजगार के पूर्व एवं रोजगार के पश्चात् कि स्थिति के आधार पर विश्लेषण किया गया। दुर्ग नगर में आर्थिक स्तर चयनित कार्यशील महिलाओं में रोजगार के पूर्व क्रमशः 42.35 प्रतिशत निम्न, 36.56 प्रतिशत मध्यम तथा 21.09 प्रतिशत उच्च था, जो रोजगार के पश्चात् क्रमशः 30.10 प्रतिशत निम्न, 39.63 प्रतिशत मध्यम तथा 30.27 प्रतिशत उच्च प्राप्त हुआ। वहीं भिलाई नगर में आर्थिक स्तर चयनित कार्यशील महिलाओं में रोजगार के पूर्व क्रमशः 42.18 प्रतिशत निम्न, 37.95 प्रतिशत मध्यम तथा 19.87 प्रतिशत उच्च था, जो रोजगार के पश्चात् क्रमशः 24.27 प्रतिशत निम्न, 42.67 प्रतिशत मध्यम तथा 33.06 प्रतिशत उच्च प्राप्त हुआ। दोनों नगरों में कार्यशील महिलाओं में रोजगार की उपलब्धता के कारण आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने से उनकी क्रयशक्ति में वृद्धि हुई। परिणामतः कार्यशील महिलाओं में उपभोग की क्षमता विकसित होने से इनके भौतिक सुख-सुविधाओं में भी वृद्धि हुई, जो कार्यशील महिलाओं के उच्च आर्थिक स्तर में गुणोत्तर स्वरूप को प्रदर्शित करता है।

दुर्ग-भिलाई नगरों में कार्यशील महिलाओं कि आवासीय दशा एवं स्तर

आवास मानव की तीन मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। कार्यशील महिलाओं की आवासीय दशाएँ न केवल इनके आर्थिक क्रियाशीलता से प्रभावित होती है, अपितु आय स्तर से भी निर्धारित होती है। आवास मानव निर्मित महत्वपूर्ण वातावरणीय कारक है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं रोग की तीव्रता को प्रभावित करता है अतः स्वास्थ्य आवासीय स्थिति न सिर्फ जीवन शैली की गुणवत्ता को निर्धारित करती है, बल्कि स्वास्थ्य स्तर को संतुलित भी बनाए रखती है (चौबे, 2012)। नगरों में सामान्यतः निम्न सामाजिक, आर्थिक स्तर कि महिलाओं की आवासीय दशाएँ निम्न होती हैं जिससे मलिन बस्तियों की संख्या बढ़ती जाती है। आवासीय स्थिति किसी भी व्यक्ति के रहन-सहन या उसके जीवन की गुणवत्ता का सूचक होता है। नगर की कार्यशील महिलाओं के आवासीय स्तर को ज्ञात करने के

लिए उनकी आवासीय दशा जैसे—मकान का प्रकार, मकान का क्षेत्रफल, दीवार का प्रकार, छत का प्रकार, फर्श का प्रकार, कमरों की संख्या, बिजली की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था तथा पीने के पानी का स्रोत, आदि की मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर भार दिया गया तथा समस्त मानक इकाईयों के भार का संयुक्त भार सूचकांक ज्ञात किया गया। इस प्रकार आवासीय अधिकतम संयुक्त भार सूचकांक (39) के आधार पर कार्यशील महिलाओं के आवासीय दशा को उच्च (26–39 भार सूचकांक) मध्यम (13 से 26 भार सूचकांक) एवं निम्न (13 से कम भार सूचकांक) आवासीय स्तरों में विभाजित कर विश्लेषित किया गया। इस प्रकार नगरों के कार्यशील महिलाओं का संयुक्त भार सूचकांक के आधार पर आवासीय दशा का रोजगार के पूर्व एवं रोजगार के पश्चात् कि स्थिति के आधार पर विश्लेषण किया गया। दुर्ग नगर में आवासीय स्तर चयनित कार्यशील महिलाओं में रोजगार के पूर्व क्रमशः 61.39 प्रतिशत निम्न, 21.43 प्रतिशत मध्यम तथा 18.88 प्रतिशत उच्च था, जो रोजगार के पश्चात् क्रमशः 50.00 प्रतिशत निम्न, 27.72 प्रतिशत मध्यम तथा 22.28 प्रतिशत उच्च प्राप्त हुआ। वहीं भिलाई नगर में आवासीय स्तर चयनित कार्यशील महिलाओं में रोजगार के पूर्व क्रमशः 48.70 प्रतिशत निम्न, 23.13 प्रतिशत मध्यम तथा 19.38 प्रतिशत उच्च था, जो रोजगार के पश्चात् क्रमशः 44.30 प्रतिशत निम्न, 31.43 प्रतिशत मध्यम तथा 24.27 प्रतिशत उच्च प्राप्त हुआ। तुलनात्मक दृष्टि से दोनों नगरों में चयनित कार्यशील महिलाओं के आवासीय दशाओं में निम्न आवासीय स्तर में जहाँ कमी हुई है, वहीं मध्यम आवासीय स्तर एवं उच्च आवासीय स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कार्यशील महिलाओं की क्रियाशीलता के बाद परिवारों की अच्छी आवासीय दशा तथा परिवारों के आर्थिक स्तर में वृद्धि का परिणाम है।

दुर्ग—भिलाई नगरों में कार्यशील महिलाओं कि स्वास्थ्य दशा एवं स्तर

मानव जीवन के सभी पक्षों में स्वास्थ्य एक अमूल्य धरोहर है, जो कि उच्च सामाजिक, मानवीय जीवन के लिए

एवं शारीरिक क्रियाओं के उत्तम संचालन के लिए आवश्यक है (दाभड़कर एवं सिंह, 2005)। कार्यशील महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर का अध्ययन बहुत आवश्यक है क्योंकि कार्यशील महिलाएँ परिवार एवं कार्यस्थल दोनों के दायित्वों का निर्वाह करती हैं जिससे उनमें कई मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो जाती है। कार्यशील महिलाओं की स्वास्थ्य स्तर के निर्धारण के लिए उनके अल्पकालिक स्वास्थ्य समस्या एवं दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्या की जानकारी प्राप्त कर गुणवत्ता के आधार पर पृथक—पृथक भार देकर उनका संयुक्त भार सूचकांक ज्ञात किया गया। इस प्रकार प्राप्त कुल संयुक्त भार सूचकांक (12) के आधार पर कार्यशील महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर को तीन स्तर उच्च, मध्यम एवं निम्न में वर्गीकृत कर विश्लेषित किया गया है। निम्न स्वास्थ्य स्तर के अन्तर्गत उन कार्यशील महिलाओं को सम्मिलित किया गया है, जिनका संयुक्त भार सूचकांक 4 से कम है जबकि मध्यम स्वास्थ्य स्तर में 4–8 संयुक्त भार सूचकांक प्राप्त महिलाएँ एवं उच्च स्वास्थ्य स्तर में 8 से 12 संयुक्त भार सूचकांक प्राप्त कार्यशील महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। दुर्ग नगर में कुल चयनित कार्यशील महिलाओं में 65.65 प्रतिशत रोग ग्रसित, 34.35 प्रतिशत निरोगी हैं वहीं भिलाई नगर कि चयनित कार्यशील महिलाओं में 70.36 प्रतिशत रोग ग्रसित, 29.64 प्रतिशत निरोगी हैं। दुर्ग नगर में रोग ग्रसित कार्यशील महिलाओं में से 80.05 प्रतिशत कार्यशील महिलाएँ अल्पकालिक स्वास्थ्य समस्या से तथा 19.95 प्रतिशत कार्यशील महिलाएँ दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित हैं जबकि भिलाई नगर में रोग ग्रसित कार्यशील महिलाओं में से 75.54 प्रतिशत कार्यशील महिलाएँ अल्पकालिक स्वास्थ्य समस्या से तथा 25.46 प्रतिशत कार्यशील महिलाएँ दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित हैं। दुर्ग नगर में स्वास्थ्य स्तर चयनित कार्यशील महिलाओं में क्रमशः 11.56 प्रतिशत निम्न, 56.80 प्रतिशत मध्यम तथा 31.63 प्रतिशत उच्च प्राप्त हुआ वहीं भिलाई नगर में स्वास्थ्य स्तर चयनित कार्यशील महिलाओं में क्रमशः 18.24 प्रतिशत निम्न, 38.44 प्रतिशत मध्यम तथा 43.32 प्रतिशत उच्च प्राप्त हुआ।

दुर्ग-भिलाई नगरों में कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर

वर्तमान समय में भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं उत्थान पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है इसीलिए नगरों में कार्यशील महिलाओं के प्रत्येक पहलु का अध्ययन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सामान्यतः जीवन कि गुणवत्ता एवं जीवन स्तर कि अवधारणा को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है परन्तु वास्तव में यह एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न हैं। जीवन कि गुणवत्ता किसी व्यक्ति एवं उसके परिवार कि सामाजिक, आर्थिक, आवासीय एवं स्वास्थ्य दशाओं कि समग्र विशेषताओं को प्रदर्शित करता है परन्तु जीवन स्तर मुख्य रूप से आर्थिक कारक आय से संबंधित होता है। एक विकासशील देश में व्यक्तियों की जीवन की गुणवत्ता का अर्थ है, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से भोजन, वस्त्र, मकान, सेवा तथा सुविधाओं को उपलब्ध कराना (बिसालीह, 1979)। जीवन की गुणवत्ता के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, आवासीय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे तत्व आते हैं, जिनसे किसी भी व्यक्ति के रहन-सहन या उसके जीवन की गुणवत्ता का ज्ञान होता है। कुमदवल्ली (2013) ने मैसूर जिले में जीवन की गुणवत्ता के भौगोलिक विश्लेषण में ग्रामीण-नगरीय पर्यावरण, जाति संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास एवं आधारभूत अधोसंरचना, रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, राजनीति, मनोरंजन एवं सुरक्षा को सम्मिलित किया है। वर्तमान समय में समाज में विकास के साथ-साथ बहुत से परिवर्तन हुए हैं परंतु कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर में आंशिक सकारात्मक परिवर्तन ही दृष्टव्य हुए हैं। सिंह (2004) ने अपने अध्ययन में बताया कि व्यक्तियों का आर्थिक विकास, उच्च जीवन की गुणवत्ता से प्राप्त होता है तथा रोजगार की उपलब्धता तथा संसाधनों का समान वितरण, आर्थिक क्रियाकलाप एवं प्राकृतिक मानवीय पर्यावरण में अंतर्संबंध उच्च जीवन की गुणवत्ता स्तर का मुख्य ध्येय हैं। नगरों में जहाँ कायशील महिलाएँ अपनी तथा परिवार की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति का दायित्व निभा रही हैं, वहीं निम्न सामाजिक-आर्थिक, आवासीय स्तर के फलस्वरूप

Uttar Pradesh Geographical Journal Vol. 24, 2019

उनके जीवन शैली में कोई विशेष गुणात्मक परिवर्तन न होने से उनके जीवन की गुणवत्ता स्तर आज भी निम्न है। महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर, बहुस्तरीय घटनाओं उनकी संचयी आवृत्ति एवं पारस्परिक क्रिया जैसे-आवासीय दशाएँ, अधोसंरचना सुविधा का विस्तार, जीवन शैली, भौतिक तथा सामाजिक वातावरण में सामंजस्य के द्वारा निर्धारित होता है।

स्थानिक प्रतिरूप के आधार पर कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर

दुर्ग-भिलाई नगरों में कार्यशील महिलाओं में स्थानिक प्रतिरूप के आधार पर जीवन की गुणवत्ता के स्तर में पर्याप्त भिन्नता है। प्रवासी कार्यशील महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ उनके जीवन की गुणवत्ता के स्तर में भी गुणात्मक परिवर्तन होता है। दुर्ग-भिलाई नगरों के चयनित कार्यशील महिलाओं के जीवन के गुणवत्ता स्तर का विश्लेषण प्रवास के अनुसार जिले के विभिन्न विकासखण्ड से आप्रवासित, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आप्रवासित एवं भारत के विभिन्न राज्यों से आप्रवासित महिलाओं के संदर्भ में किया गया है। कार्यशील महिलाओं के आप्रवासित स्वरूप का प्रभाव, उत्प्रवासित केन्द्र की तुलना में गन्तव्य स्थल का आर्थिक क्षेत्र अधिक समृद्ध दिखाई पड़ता है। तथापि इससे कार्यशील महिलाओं में आर्थिक स्तर में गुणात्मक परिवर्तन संभव हुआ है, जिससे कार्यशील महिलाओं एवं उनके परिवार का आर्थिक स्तर एवं जीवन की गुणवत्ता स्तर समृद्ध एवं उन्नत हुई है।

चयनित कार्यशील महिलाओं में स्थानिक प्रतिरूप के अनुसार जीवन की गुणवत्ता स्तर के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कार्यशील महिलाओं में जीवन की गुणवत्ता का निम्न स्तर सर्वाधिक दुर्ग नगर में 30.03 प्रतिशत जिले के अन्दर से अप्रवासित क्रियाशील महिलाओं में तथा भिलाई नगर में सर्वाधिक 42.11 प्रतिशत छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले से अप्रवासित क्रियाशील महिलाओं में प्राप्त हुआ, उल्लेखनीय है कि रोजगार के बेहतर अवसरों के कारण दुर्ग जिले के विभिन्न विकासखण्ड से दुर्ग नगर में तथा भिलाई

नगर में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले से अप्रवासित कार्यशील महिलाओं का अधिक प्रवास हुआ, जिनकी पारिवारिक आय एवं जीवन की गुणवत्ता स्तर निम्न थी। जीवन की गुणवत्ता का मध्यम स्तर सर्वाधिक दुर्ग नगर में 61.98 प्रतिशत तथा भिलाई नगर में 63.28 प्रतिशत जिले के अन्दर से अप्रवासित क्रियाशील महिलाओं में प्राप्त हुआ। इसके विपरीत उच्च जीवन का गुणवत्ता स्तर सर्वाधिक दुर्ग नगर में 22.81 प्रतिशत तथा भिलाई नगर में 42.41 प्रतिशत भारत के विभिन्न राज्यों से अप्रवासित कार्यशील महिलाओं में प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि भारत के विभिन्न राज्यों से अप्रवासित कार्यशील महिलाओं में उच्च आर्थिक एवं उच्च आय स्तर के परिवार की महिलाएँ अधिक हैं। इसके विपरीत दुर्ग नगर में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से अप्रवासित कार्यशील महिलाओं में तथा भिलाई नगर में दुर्ग जिले के विभिन्न विकासखण्ड से अप्रवासित क्रियाशील महिलाओं में यह प्रतिशत न्यूनतम प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्थानिक क्षेत्र की महिलाएँ जहाँ निम्न आर्थिक स्तर के परिवारों से अधिक संबंधित है वहीं इन महिलाओं के कार्यिक संरचना में मजदूरी एवं घरेलू कार्य की अधिकता है जिसके कारण महिलाओं की वर्तमान में आर्थिक स्तर में गिरावट हुई, परिणामतः जीवन की गुणवत्ता स्तर भी निम्न रही।

कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर का कालिक विश्लेषण

दुर्ग-भिलाई नगरों में चयनित कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता पर विभिन्न कालिक वर्षों में परिवार एवं समाज के रूढ़ीवादी मान्यताओं एवं कार्यशीलता के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव, रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक सुविधाओं का विकास, स्वयं आय प्राप्त करने की इच्छा का सम्मिलित प्रभाव दृष्टव्य हुआ। दुर्ग-भिलाई नगरों में वर्ष 1980 के पूर्व महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर का अभाव तथा सामाजिक रूढ़ीवादी मान्यताएं अधिक प्रबल थी इसीलिए वर्ष 1980 के पूर्व महिलाएँ अधिक क्रियाशील नहीं थी। परन्तु वर्ष 2001 के बाद महिलाएँ अधिक क्रियाशील हुई जिसका प्रमुख कारण

रोजगार के बेहतर अवसर एवं शैक्षणिक सुविधाओं का विकास है।

चयनित कार्यशील महिलाओं में कालिक स्वरूप के आधार पर 1980 से पूर्व निम्न जीवन की गुणवत्ता दुर्ग नगर (69.23 प्रतिशत) कि तुलना में जहाँ भिलाई नगर (90.38 प्रतिशत) में डेढ गुना अधिक प्राप्त हुआ, वहीं कार्यशील महिलाओं में मध्यम जीवन की गुणवत्ता दुर्ग नगर (23.08 प्रतिशत) कि तुलना में भिलाई नगर (5.77 प्रतिशत) में न्यूनतम प्राप्त हुआ। कार्यशील महिलाओं में उच्च जीवन की गुणवत्ता दुर्ग नगर में 7.69 प्रतिशत तथा भिलाई नगर में 3.85 प्रतिशत प्राप्त हुआ। 1981 से 2000 तक दोनों नगरों में निम्न, मध्यम एवं उच्च जीवन की गुणवत्ता स्तर की कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत लगभग समान रहा। भिलाई नगर में 1980 से पूर्व की तुलना में 1981 से 2000 तक निम्न स्तर की कार्यशील महिलाओं का मध्यम स्तर में स्थानांतरण अधिक हुआ है। 2001 के बाद कार्यशील महिलाओं में निम्न जीवन की गुणवत्ता दुर्ग नगर (35.21 प्रतिशत) की तुलना में जहाँ भिलाई नगर (38.57 प्रतिशत) में अधिक प्राप्त हुआ, वहीं कार्यशील महिलाओं में मध्यम जीवन की गुणवत्ता दुर्ग नगर (43.66 प्रतिशत) की तुलना में भिलाई नगर (37.71 प्रतिशत) में न्यूनतम प्राप्त हुआ। कार्यशील महिलाओं में उच्च जीवन की गुणवत्ता दुर्ग नगर में 21.13 प्रतिशत तथा भिलाई नगर में 23.71 प्रतिशत प्राप्त हुई। वर्ष 1980 के पूर्व महिलाओं में निम्न शैक्षणिक स्तर की अधिकता थी जिसके कारण उनकी सबसे अधिक सहभागिता, मजदूरी एवं घरेलू कार्यों में अधिक रही जिससे दोनों नगरों में निम्न जीवन की गुणवत्ता स्तर कि कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत अधिक प्राप्त हुआ। वर्ष 1981-2000 के मध्य निम्न जीवन की गुणवत्ता स्तर की कार्यशील महिलाओं की जहाँ कमी हुई वहीं मध्यम एवं उच्च आर्थिक स्तर में स्थिर वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई। इस कालावधि में महिलाएँ उच्च शैक्षणिक स्तर के कारण एवं तृतीयक एवं उच्च आय प्राप्त सेवाओं में अधिक संलग्न हुई, जिसके कारण उनके आर्थिक स्तर एवं उनकी जीवन शैली में गुणात्मक परिवर्तन परिलक्षित हुआ। वर्ष 2001 के बाद

महिलाओं की द्वितीयक एवं तृतीयक कार्यों के उच्च आय स्तर वाले पदों पर पदार्पण होने से उनके आर्थिक स्तर एवं जीवन की गुणवत्ता स्तर में भी उत्तरोत्तर परिवर्तन दिखाई देता है। वर्ष 2001 के बाद की कालावधि में उच्च जीवन की गुणवत्ता स्तर वाली कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत पूर्व वर्षों कि तुलना में दोनों नगरों में अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त हुआ।

कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर रोजगार के पूर्व एवं रोजगार के बाद

किसी नगर में महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता उनके रोजगार के पूर्व स्वाभाविक रूप से निम्न होती है क्योंकि महिलाएँ अपने परिवार के सदस्यों की आय पर निर्भर करती हैं जिससे अपने तथा अपने परिवार की आवश्यकताओं को सीमित आय में पूरा करना कठिन होता है। परन्तु जब महिलाएँ विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में संलग्न हो कर आय अर्जित करने लगती हैं तो स्वयं तथा परिवार की आय में वृद्धि होती है। जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक, आवासीय दशा में गुणात्मक परिवर्तन होता है तथा कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखित वृद्धि होती है। यही प्रवृत्ति दुर्ग- भिलाई नगरों में भी दृष्टव्य हुआ है।

दुर्ग नगर में चयनित कार्यशील महिलाओं में जीवन की गुणवत्ता स्तर रोजगार के पूर्व 48.92 प्रतिशत एवं भिलाई नगर में 51.08 प्रतिशत प्राप्त हुआ। चयनित कार्यशील महिलाओं में रोजगार के पूर्व निम्न जीवन की गुणवत्ता भिलाई नगर (48.05 प्रतिशत) कि तुलना में जहाँ दुर्ग नगर (57.65 प्रतिशत) में अधिक प्राप्त हुआ, वहीं कार्यशील महिलाओं में उच्च जीवन की गुणवत्ता दुर्ग नगर (15.48 प्रतिशत) की तुलना में भिलाई नगर (27.85 प्रतिशत) में अधिक प्राप्त हुआ। भिलाई नगर में रोजगार के पूर्व भी महिलाओं में उच्च जीवन की गुणवत्ता स्तर का प्रतिशत अधिक होने का प्रमुख कारण महिलाओं का उच्च आर्थिक एवं उच्च आय स्तर के परिवारों से होना है। जिससे रोजगार के पूर्व भी उच्च आर्थिक स्तर के कारण महिलाओं की आय स्तर अपेक्षाकृत अधिक उन्नत होने से महिलाओं के जीवन

की गुणवत्ता उच्च थी।

दुर्ग नगर में रोजगार के पूर्व महिलाओं में निम्न जीवन की गुणवत्ता स्तर का प्रतिशत अधिक होने का प्रमुख कारण महिलाओं का निम्न आय स्तर के परिवारों से होना है। चयनित कार्यशील महिलाओं में रोजगार के बाद निम्न जीवन की गुणवत्ता दुर्गनगर (22.62 प्रतिशत) कि तुलना में जहाँ भिलाई नगर (20.35 प्रतिशत) में कम प्राप्त हुई वहीं कार्यशील महिलाओं में उच्च जीवन की गुणवत्ता दुर्ग नगर (20.41 प्रतिशत) कि तुलना में भिलाई नगर (37.30 प्रतिशत) में लगभग 2 गुना अधिक प्राप्त हुई। दुर्ग नगर में कार्यशील महिलाओं में रोजगार के बाद भी जीवन की गुणवत्ता स्तर का प्रतिशत न्यूनतम होने का प्रमुख कारण महिलाओं के कार्यात्मक संरचना में मजदूरी एवं घरेलू कार्य की अधिकता है जिसके कारण महिलाओं की वर्तमान में आर्थिक स्तर में गिरावट हुई। परिणामतः इनके जीवन का गुणवत्ता स्तर भी निम्न रहा। चयनित कार्यशील महिलाओं में रोजगार के बाद मध्यम जीवन की गुणवत्ता भिलाई नगर (42.35 प्रतिशत) कि तुलना में दुर्ग नगर (56.97 प्रतिशत) में अधिक प्राप्त हुई जिसका प्रमुख कारण कार्यशील महिलाओं के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि के साथ-साथ उनके कार्य के स्वरूप में विविधता आना है, साथ ही उनके आय स्तर में सुधार से जीवन स्तर में भी गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार कार्यशील महिलाओं की क्रियाशीलता से स्वयं तथा उनके परिवार के आर्थिक आय में वृद्धि होती है, जिससे परिवार के जीवन की गुणवत्ता में धनात्मक वृद्धि होती है, जोकार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक परीक्षण द्वारा उच्च सार्थकता स्तर (0.001) पर प्रमाणित हुआ (परिकल्पना -2, सत्यापित)।

जाति संरचना के अनुसार कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर

जाति संरचना के अनुसार नगरीय कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर में विभिन्नता पाई जाती है। निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं में उच्च जीवन की गुणवत्ता स्तर अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, इसके

विपरीत अन्य जातियों की महिलाओं में अधिक सम्पन्नता तथा उच्च शैक्षणिक स्तर के कारण उनका जीवन स्तर उच्च पाया जाता है।

चयनित कार्यशील महिलाओं में जाति के अनुसार जीवन की गुणवत्ता स्तर को विश्लेषित किया गया जिसमें जीवन की गुणवत्ता का उच्च स्तर दुर्ग नगर में 30.18 प्रतिशत अन्य जातियों की कार्यशील महिलाओं में तथा भिलाई नगर में 44.85 प्रतिशत सर्वाधिक अन्य पिछड़ा वर्ग की कार्यशील महिलाओं में प्राप्त हुआ तथा निम्न जीवन की गुणवत्ता स्तर अनुसूचित जातियों की महिलाओं में दुर्ग नगर में 42.86 प्रतिशत तथा भिलाई नगर में 38.33 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की कार्यशील महिलाओं में सर्वाधिक प्राप्त हुआ। मध्यम जीवन की गुणवत्ता स्तर दुर्ग नगर में (66.95 प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग की कार्यशील महिलाओं में तथा भिलाई नगर में (68.18 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति की कार्यशील महिलाओं में सर्वाधिक प्राप्त हुआ।

वैवाहिक स्थिति के अनुसार कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर

कार्यशील महिलाओं की जीवन की गुणवत्ता के स्तर पर उनके वैवाहिक संरचना का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। विवाहित महिलाएँ पारिवारिक उत्तरदायित्व के निर्वाहन में अपने व्यक्तित्व को निखारने एवं भौतिक सुख-सुविधाओं की वस्तुओं को विस्तार नहीं दे पाती हैं जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता का स्तर अपेक्षाकृत निम्न होता है वहीं, अविवाहित महिलाएँ पारिवारिक दायित्वों से मुक्त होने से, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं के उपभोग हेतु स्वतंत्र होती है, फलतः उनके जीवन की गुणवत्ता का स्तर अपेक्षाकृत उच्च होता है।

चयनित कार्यशील महिलाओं में वैवाहिक स्थिति के अनुसार जीवन की गुणवत्ता स्तर के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कार्यशील महिलाओं में जीवन की गुणवत्ता का निम्न स्तर विधवा महिलाओं में दुर्ग नगर में 52.04 प्रतिशत तथा भिलाई नगर में 39.22 प्रतिशत सर्वाधिक रहा, जबकि

जीवन की गुणवत्ता का उच्च स्तर, अविवाहित महिलाओं में दुर्ग नगर में 29.91 प्रतिशत तथा भिलाई नगर में 38.71 प्रतिशत सर्वाधिक प्राप्त हुआ। वहीं जीवन की गुणवत्ता का मध्यम स्तर विवाहित महिलाओं में दुर्ग नगर में 68.15 प्रतिशत तथा भिलाई नगर में 66.35 प्रतिशत सर्वाधिक दृष्टव्य हुआ।

शैक्षणिक स्थिति के अनुसार कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर

किसी भी क्षेत्र की महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर के निर्धारण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामान्यतया शैक्षणिक स्तर में वृद्धि के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता स्तर में भी वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। चयनित कार्यशील महिलाओं में शैक्षणिक स्थिति के अनुसार जीवन की गुणवत्ता स्तर के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कार्यशील महिलाओं में जीवन की गुणवत्ता का निम्न स्तर जहाँ निरक्षर कार्यशील महिलाओं में दुर्ग नगर में 84.62 प्रतिशत तथा भिलाई नगर में 68.63 प्रतिशत सर्वाधिक प्राप्त हुआ, वहीं जीवन की गुणवत्ता का मध्यम स्तर स्नातक/स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक शैक्षणिक स्तर प्राप्त महिलाओं में दुर्ग नगर में 60.40 प्रतिशत सर्वाधिक रहा तथा भिलाई नगर में जीवन की गुणवत्ता का मध्यम स्तर हाई/हायर सेकंडरी शैक्षणिक स्तर प्राप्त महिलाओं में 56.47 प्रतिशत सर्वाधिक दृष्टव्य हुआ।

जीवन की गुणवत्ता का उच्च स्तर, स्नातक/स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक शैक्षणिक स्तर प्राप्त महिलाओं में दुर्ग नगर में 27.17 प्रतिशत तथा भिलाई नगर में 43.41 प्रतिशत सर्वाधिक प्राप्त हुआ। कार्यशील महिलाओं के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि के साथ-साथ उनके कार्य के स्वरूप में विविधता आई है जिससे उनके आय स्तर में सुधार के साथ उनके जीवन के गुणात्मक स्तर में भी धनात्मक परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार कार्यशील महिलाओं के शैक्षणिक स्तर का उनके जीवन के गुणावत्ता स्तर पर प्रभाव कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक परीक्षण द्वारा उच्च सार्थकता स्तर (0.001) पर प्रमाणित हुआ है (परिकल्पना-1, सत्यापित)।

व्यावसायिक संरचना के अनुसार कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर

भारतीय श्रम शक्ति में महिलाओं का एक प्रमुख हिस्सा है, लेकिन रोजगार के स्तर और गुणवत्ता की दृष्टि से वे पुरुषों से पीछे रह जाती हैं (एस. एन. गुप्ता, 2014)। दुर्ग-भिलाई नगरों में कार्यशील महिलाओं की व्यावसायिक संरचना में भिन्नता दिखाई देती है। कार्यशील महिलाओं की व्यावसायिक संरचना को उनका शैक्षणिक स्तर, परिवार, कार्य करने की इच्छा, बच्चों की देखभाल जैसे तत्व प्रभावित करते हैं। नगरीय क्षेत्रों में प्राथमिक कार्य नगण्य होते हैं, इसीलिए निम्न आय स्तर की महिलाएँ मजदूरी जैसे निम्न व्यावसायिक कार्यों में संलग्न होती हैं जिससे उनकी जीवन की गुणवत्ता स्तर निम्न होती है। जबकि शिक्षित महिलाओं की भागीदारी उच्च व्यावसायिक कार्यों में अधिक दिखाई देती है जिससे उनकी जीवन की गुणवत्ता उच्च होती है। दुर्ग-भिलाई नगरों में भी इसी तरह का प्रतिरूप देखने को मिलता है।

चयनित कार्यशील महिलाओं में व्यावसायिक संरचना के अनुसार जीवन की गुणवत्ता स्तर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कार्यशील महिलाओं में जीवन की गुणवत्ता का निम्न स्तर मजदूरी/घरेलू मजदूरी जैसे निम्न व्यावसायिक कार्यों में संलग्न महिलाओं में दुर्ग नगर में 68.70 प्रतिशत तथा भिलाई नगर में 73.61 प्रतिशत सर्वाधिक रहा, जबकि जीवन की गुणवत्ता का उच्च स्तर दुर्ग नगर में सर्वाधिक 37.25 प्रतिशत शैक्षणिक संस्थान में कार्यरत महिलाओं में तथा भिलाई नगर में जीवन की गुणवत्ता का उच्च स्तर सर्वाधिक 42.48 प्रतिशत शासकीय सेवा में कार्यरत महिलाओं में दृष्टव्य हुआ। उल्लेखनीय है कि मजदूर वर्ग की आप्रवासीय कार्यशील महिलाओं में निम्न साक्षरता स्तर तथा निम्न आय स्तर के कारण उनमें जीवन की गुणवत्ता का स्तर निम्न पाया गया, वहीं शासकीय सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थान में कार्यरत महिलाओं में आय स्तर उच्च होने के कारण उनके जीवन की गुणवत्ता का स्तर भी उच्च पाया गया।

बहुचर कारक विश्लेषण

कार्यशील महिलाओं में जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में सामाजिक, आर्थिक, आवासीय एवं स्वास्थ्य प्रमुख कारक हैं इन कारकों कि प्रभावशीलता के विश्लेषण के लिए जतराना (2001) एवं कान्स (1972) द्वारा प्रयुक्त बहुचर मॉडल (Multivariate Model) के अन्तर्गत बहुचर गुणनपूर्ण सहसम्बन्ध गुणांक का प्रयोग कर कारकों की प्रभावशीलता का विश्लेषण किया गया। दुर्ग-भिलाई नगरों में चयनित कार्यशील महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता स्तर को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, आवासीय एवं स्वास्थ्य संबंधी कारकों के आधार पर बहुचर कारक विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कार्यशील महिलाओं के जीवन की उच्च गुणवत्ता स्तर के उन्नयन में महिलाओं की उच्च सामाजिक स्तर, उच्च आर्थिक स्तर एवं उच्च आवासीय स्तर का प्रभाव जहाँ उच्च सार्थक स्तर पर प्रमाणित हुआ, वहीं महिलाओं की उच्च स्वास्थ्य स्तर का प्रभाव निम्न सार्थक स्तर पर प्रदर्शित हुआ। इसके विपरीत महिलाओं के जीवन की निम्न गुणवत्ता स्तर पर महिलाओं के निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव उच्च सार्थक स्तर पर प्रमाणित हुआ।

निष्कर्ष एवं सुझाव

आज शैक्षणिक स्तर में वृद्धि के साथ-साथ कार्यशील महिलाओं में व्यावसायिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता में पर्याप्त परिवर्तन दृष्टव्य हुआ है, जिसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व, रहन-सहन, सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा है, परंतु फिर भी कार्यशील महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में आंशिक सकारात्मक परिवर्तन ही दृष्टव्य हुए हैं। दुर्ग नगर के चयनित कार्यशील महिलाओं की जीवन की गुणवत्ता स्तर के भौगोलिक विश्लेषण से स्पष्ट होता है की दुर्ग-भिलाई नगरों में रोजगार के पश्चात् चयनित कार्यशील महिलाओं की जीवन की गुणवत्ता में निम्न स्तर में जहाँ कमी हुई वहीं मध्यम एवं उच्च स्तर में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई। कार्यशील महिलाओं की आर्थिक सक्रियता से निम्न स्तर की कार्यशील महिलाओं का मध्यम

स्तर में स्थानांतरण अधिक हुआ, जो महिलाओं के उच्च शैक्षणिक स्तर में वृद्धि के साथ-साथ व्यावसायिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता में पर्याप्त परिवर्तन का प्रतिफल है। इसके साथ ही कार्यशील महिलाओं की निम्न जीवन की गुणवत्ता स्तर का कारण निम्न सामाजिक-आर्थिक दशा तथा निम्न आवासीय दशा है।

दुर्ग- भिलाई नगरों में कार्यशील महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर शैक्षणिक स्तर का प्रभाव सर्वाधिक रहा। जिसमें निम्न शैक्षिक स्तर एवं अप्रशिक्षित कार्यशील महिलाएँ निम्न आय के आर्थिक कार्यों में संलग्न हैं। इसके विपरीत उच्च व्यावसायिक कार्यों में संलग्न कार्यशील महिलाओं में यह समस्या कम दिखाई देती है। इसी प्रकार महिलाएँ आर्थिक क्रियाशीलता के साथ परिवारिक तथा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी करती हैं इस अतिरिक्त दायित्वों के कारण कई कार्यशील महिलाओं में स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो रही है जो एक गंभीर समस्या है क्योंकि स्वास्थ्य स्तर जीवन की गुणवत्ता स्तर का महत्वपूर्ण सूचक है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार प्रयासों से राष्ट्र निर्माण एवं विकास कार्यों में मदद मिलेगी तथा समाज अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर जीवन की गुणवत्ता में सुधार द्वारा मानव संसाधन विकास का लक्ष्य शीघ्रता से प्राप्त कर सकेगा (एस. एन. गुप्ता, 2014)। कार्यशील महिलाओं की जीवन की गुणवत्ता स्तर में सुधार से निश्चित ही परिवार एवं समाज के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सकारात्मक परिवर्तन संभव होगा, जो राष्ट्र के विकास के लिये नितान्त आवश्यक है।

संदर्भ-सूची

1. Bisaliah, S., 1979, "Technology Output and Factor Price Effects on Employment", Manpower Journal, Vol. 15, No. 2, pp. 35
2. Desai, A.R., 1985, "Rural Sociology in India", Popular Prakashan, Bombay, pp.- 54-56.
3. Kumudavalli, 2013, "Quality Of Life In Mysore District. A Geographical Analysis", Unpublished Ph.D. Thesis, University Of Mysore, pp.1.
4. Singhal, Tara, 2003, "Working Women and Family", RBSA Publication, Jaipur, pp. 19-20.
5. अहमद, इरफान, 2014, "महिला सशक्तिकरण", इंस्टिट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड रिसर्च, रावी, पृ.-49.
6. गुप्ता, एस. एन., 2014, "जनांकिकी के मूलतत्त्व", वृंदा पब्लिकेशन्स प्रा. लि., दिल्ली, पृ.-468-469, ISBN: 927.81.8281.508.7.
7. चौबे, कैलाश, 2001, "स्वास्थ्य/चिकित्सा भूगोल", मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृ. 23.
8. दाभड़क, कावेरी एवं अन्य, 2005, "बिलासपुर जिले में रोग वितरण प्रतिरूप का भौगोलिक अध्ययन", उत्तर प्रदेश भौगोलिक पत्रिका, अंक-10, पृष्ठ 92-98.
9. सिंह, आलोक, 2004, "आजमगढ़ जनपद (उ.प्र.) में जीवन की गुणवत्ता का स्तर", उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अंक 40, पृष्ठ 36-42.



जनपद-मऊ (उ०प्र०) में संसाधन विकास स्तर एवं स्थानिक नियोजन हेतु वरीयता के क्षेत्रों का निर्धारण

सुनील कुमार ओझा

शोध सारांश

अध्ययन क्षेत्र जनपद-मऊ के संसाधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया है कि संसाधनों के बहुलता के बावजूद भी यह क्षेत्र तदनु रूप सम्यक रूप से विकसित नहीं हो सका है, जिसका मुख्य कारण संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग एवं नियोजन की गलत प्रक्रिया रही है। नियोजन की प्रक्रिया को सही स्वरूप प्रदान करने हेतु सर्वप्रथम संसाधनों का विकास स्तर एवं नियोजन हेतु वरीयता के क्षेत्रों का निर्धारण आवश्यक है।

शब्द संक्षेप: संसाधन, विकास, नियोजन, विकास स्तर, स्थानिक नियोजन, अल्पविकसित, संतुलित विकास।

प्रस्तावना

अध्ययन क्षेत्र जनपद-मऊ के विभिन्न संसाधनों के अध्ययन से उनके क्षेत्रीय वितरण का स्वरूप उभरकर सामने तो आ जाता है किन्तु क्षेत्र विशेष में संसाधनों की समुच्चयिक स्वरूप को उभारने हेतु यह आवश्यक है कि संसाधनों के विकास स्तर का विश्लेषण किया जाय, ताकि क्षेत्र के विभिन्न भागों में विभिन्न संसाधनों के सापेक्षिक महत्व को स्पष्ट रूप से समझा जा सके (ओझा, सुनील कुमार, 2005, पृ० 217)।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र जनपद-मऊ का संसाधन विकास स्तर ज्ञात कर स्थानिक नियोजन हेतु वरीयता के क्षेत्रों का निर्धारण करना है, ताकि उसके आधार पर अध्ययन क्षेत्र के लिए समन्वित विकास आयोजना तैयार की जा सके।

विधितंत्र

प्रस्तुत अध्ययन में विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधि तंत्रों का प्रयोग करते हुए अध्ययन को


पूर्णता प्रदान की गयी है।

अध्ययन क्षेत्र

मऊ जनपद उ०प्र० के पूर्वांचल में आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत 25°27' से 26°17' उत्तरी अक्षांश एवं 83°9' से 88°51' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है, जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1,727.9 वर्ग किमी० है। इस जनपद के उत्तर में घाघरा नदी के पार गोरखपुर तथा देवरिया, पश्चिम में आजमगढ़, दक्षिण में गाजीपुर एवं पूरब में बलिया जनपद स्थित है (चित्र 01)।

इस जनपद का सृजन सन् 1988 में आजमगढ़ के आठ विकास खण्डों (दोहरीघाट, फतेहपुर मण्डाव, मुहम्मदाबाद, घोसी, बड़राव, परदहा, कोपागंज तथा रानीपुर) एवं जनपद-बलिया के विकास खण्ड रतनपुरा को मिलकर हुआ। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जनपद को चार तहसीलों (मऊ, घोसी, मुहम्मदाबाद एवं मधुबन) एवं 9 विकास खण्डों (दोहरीघाट, घोसी, फतेहपुर मण्डाव, बड़राव, मधुबन, परदहा, कोपागंज, रतनपुरा, मुहम्मदाबाद एवं रानीपुर), 92 न्याय पंचायतों, 597 ग्रामसभाओं एवं 1,644

डा. सुनील कुमार ओझा, सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, अमर नाथ मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दूबेछपरा, बलिया-277205 (उ०प्र०) मो०-9454354932, Email: dr.sunilojha@gmail.com



चित्र 01

ग्रामों में विभक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें एक नगरपालिका (मऊ), 6 टाउन एरिया (दोहरीघाट, घोसी, कोपागंज, मुहम्मदाबाद, अमिला, अदरी) एवं दो जनगणना नगर (कुर्थाजाफरपुर एवं खैराबाद) हैं।


विश्लेषण एवं व्याख्या

संसाधन विकास स्तर का निर्धारण कोटि गुणांक विधि से किया गया है, जिसके लिए भूजल की उपलब्धता वन क्षेत्र, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, प्रति

व्यक्ति कृषित भूमि, उद्योगों की संख्या, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, सिंचाई गहनता, शस्य गहनता, प्रति हेक्टेयर उर्वरक का प्रयोग एवं प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का उत्पादन चरों को विकास खण्ड स्तर पर आरोही एवं अवरोहीक्रम में कोटिमान प्रदान किया गया है (सिंह, उर्मिलेश, 2002, पृ0 212)। प्रत्येक विकास खण्ड के सभी चरों के कोटिमान को अलग-अलग ज्ञात करके उनके योग को चरों की संख्या से विभक्त करके कोटिमान गुणांक प्राप्त किया गया है।

विकास खण्डवार विभिन्न चरों के कोटिक्रम एवं कोटिमान गुणांक को तालिका-1 (अ) एवं (ब) में प्रस्तुत किया गया है।

संसाधन विकास स्तर के विश्लेषण से अध्ययन क्षेत्र जनपद-मऊ का औसत संसाधन विकास सूचकांक 5.00 आया है। इस औसत को आधार मानकर अध्ययन क्षेत्र के संसाधन विकास स्तर को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है जो तालिका 02 एवं चित्र 02 से स्पष्ट है-



चित्र 02

तालिका 02 : जनपद-मऊ : संसाधन विकास स्तर।

श्रेणी	कोटि गुणांक	विकास खण्ड का नाम
उच्च	5.50 से अधिक	घोसी, बड़राव
मध्यम	4.50 से 5.50	दोहरीघाट, परदहां, मुहम्मदाबाद
निम्न	4.50 से कम	फतेहपुर मण्डाव, कोपागंज, रतनपुरा, रानीपुर

1. उच्च स्तर

तालिका 02 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उच्च स्तर के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र के दो विकास खण्ड-घोसी एवं बड़राव आते हैं, जिनका संसाधन विकास सूचकांक क्रमशः 6.00 एवं 5.75 हैं। इन क्षेत्रों में संसाधन विकास स्तर उच्च होने का प्रमुख कारण यह है कि इस क्षेत्र में विकास जन्य अवस्थापना तत्वों का विकास अधिक हुआ है, जिसके चलते संसाधनों को विकास का अवसर प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में कृषि एवं उद्योगों का विकास अधिक हुआ है।

2. मध्यम स्तर

मध्यम संसाधन विकास स्तर के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र की दोहरीघाट, परदहां एवं मुहम्मदाबाद विकास खण्ड आते हैं, जिनका संसाधन विकास सूचकांक क्रमशः 4.33, 4.42, 4.58 एवं 3.92 है। इन क्षेत्रों में संसाधन विकासजन्य सुविधाओं का अभाव है। फलतः संसाधनों का कम विकास हुआ है।

3. निम्न स्तर

निम्न संसाधन विकास स्तर के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र के फतेहपुर मण्डाव, कोपागंज, रतनपुरा एवं रानीपुर विकास खण्ड आते हैं, जिनका औसत विकास सूचकांक क्रमशः 4.33, 4.42, 4.58 एवं 3.92 है। इन क्षेत्रों में संसाधन विकासजन्य सुविधाओं का अभाव है। फलतः संसाधनों का कम विकास हुआ है।

स्थानिक नियोजन हेतु वरीयता के क्षेत्रों का निर्धारण-

संसाधन विकास स्तर के विभिन्न श्रेणियों के अध्ययन द्वारा अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न भागों में विभिन्न संसाधनों के विकास के स्तर का पता चलता है (ओझा, सुनील कुमार, 2005, पृ 219)। यद्यपि समूचा अध्ययन क्षेत्र

अल्पविकसित है, तथापि अध्ययन क्षेत्र के समग्र एवं संतुलित विकास के नियोजन हेतु प्रथम वरीयता निम्न श्रेणी के संसाधन विकास स्तर वाले क्षेत्र को, द्वितीय वरीयता मध्यम श्रेणी को एवं तृतीय वरीयता उच्च श्रेणी को दिया गया है। (चित्र 03)

1. नियोजन हेतु प्रथम वरीयता के क्षेत्र


इसके अन्तर्गत संसाधन विकास स्तर का निम्न श्रेणी क्षेत्र आता है। इसमें फतेहपुर मण्डाव, कोपागंज, रतनपुरा एवं रानीपुर विकास खण्ड सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र के विकास हेतु जहां एकतरफा वृक्षारोपण करने, भू-जल की उपलब्धता में वृद्धि करने एवं जनसंख्या के अन्य भागों में स्थानान्तरित करने के उपाय करने, स्कूल-कालेजों की स्थापना करने, सिंचाई के विविध साधनों के विकास करने, उन्नत किस्म के बीजों एवं उर्वरक तथा आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर यहां जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन, आदि कार्यक्रमों की भी आवश्यकता है।

2. नियोजन हेतु द्वितीय वरीयता के क्षेत्र

इसके अन्तर्गत संसाधन विकास स्तर का मध्यम श्रेणी क्षेत्र आता है, इसमें दोहरीघाट, परदहां एवं मुहम्मदाबाद ये तीन विकास खण्ड सम्मिलित हैं। इन क्षेत्रों में कृषि हेतु अप्राप्त भूमि को कृषित भूमि में परिवर्तन करने एवं प्रति हेक्टेयर उर्वरक की मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता है। उद्योग-धंधों एवं रोजगार के अन्य साधनों का विकास भी आवश्यक है। इसके साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण भी आवश्यक है।

3. नियोजन हेतु तृतीय वरीयता के क्षेत्र

इसके अन्तर्गत संसाधन विकास स्तर का उच्च



चित्र 03

श्रेणी क्षेत्र आता है। इसमें दो विकास खण्ड घोसी एवं बड़राव सम्मिलित होते हैं। इस विकास खण्ड में जनसंख्या पर नियंत्रण करना तथा कृषि योग्य बेकार भूमि को कृषित

भूमि में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जनसंख्या को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है (ओझा, सुनील कुमार, 2005, पृ0 221)।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि अध्ययन क्षेत्र जनपद-मऊ के विकास स्तर में असमानता व्याप्त है। इसका तात्पर्य यह है कि जो भी विकास हुआ है, वह संतुलित नहीं हुआ है। अतः इस क्षेत्र के संतुलित विकास हेतु समन्वित योजना आवश्यक है। किन्तु विकास योजनाओं को लागू करने से पूर्व नियोजन के वरीयता के क्षेत्रों का निर्धारण आवश्यक है, जिसके तहत सबसे निम्न विकास स्तर वाले क्षेत्र को प्रथम वरीयता क्षेत्र के अन्तर्गत एवं सबसे उच्च विकास स्तर वाले क्षेत्र को निम्न वरीयता के क्षेत्र के अन्तर्गत रखकर विकास करना होगा, ताकि विकास संतुलित हो सके।

संदर्भ सूची

1. ओझा, सुनील कुमार, 2005, "जनपद-मऊ (उ०प्र०) के संसाधनों का भौगोलिक विश्लेषण एवं नियोजन", अप्रकाशित शोध ग्रन्थ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, पृ० 217-221.
2. सिंह, उर्मिलेश, 2002, "बलिया जनपद (उ०प्र०) के संसाधनों का भौगोलिक विश्लेषण एवं नियोजन", अप्रकाशित शोध ग्रन्थ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, पृ० 212.





दुर्ग जिले के शस्य प्रतिरूप, कृषि दक्षता एवं शस्य गहनता में स्थानिक कालिक परिवर्तन (1990-93 से 2011-13)

पायल साहू

शोध सारांश

कृषि भूमि उपयोग मानव पर्यावरण एवं प्रकृति का वर्णन है, जो कि भौतिक, जलवायुविक एवं मृदा संबंधी परिस्थितियों के साथ मानव क्रिया कलापों से सीधा सम्बंधित है। भूमि उपयोग की दृष्टि से जिले का 68.47 प्रतिशत भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र एवं 31.89 प्रतिशत भाग द्विफसली भूमि के अंतर्गत सम्मिलित है। अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी उच्च प्रदेश में सिंचाई स्रोतों के अभाव के कारण निराफसली क्षेत्र अपेक्षाकृत कम है, वहीं जिले के शिवनाथ पार मैदान में निराफसली क्षेत्र अधिक है, जिसका मुख्य कारण उपजाऊ कृषि भूमि अमनेर, मूस्का नदियों एवं शिवनाथ दोआब क्षेत्र, ट्यूबवेल का सिंचाई हेतु प्रयोग है, वहीं अध्ययन क्षेत्र खरीफ फसल में अनाज का उत्पादन 87.54 प्रतिशत, दलहन का उत्पादन 1.59 प्रतिशत एवं तिलहन का उत्पादन 6.32 प्रतिशत है। जबकि रबी में गेहूँ का उत्पादन 11.07 प्रतिशत, चना 45.75 प्रतिशत, तिवरा 40.29 प्रतिशत एवं राई सरसों का उत्पादन मात्र 1 प्रतिशत कृषि भूमि में उपलब्ध है, यद्यपि अध्ययन क्षेत्र में अनाज में धान, दलहन में चना एवं तिलहन में सोयाबीन की प्रधानता है। 1990-93 में जिले के बालोद के मैदानी भाग में स्थित गुण्डरदेही एवं डौण्डीलोहारा तहसीलों में सर्वाधिक शस्य-गहनता-सूचकांक दृष्टव्य थी। 2011-13 में दुर्ग जिले में बेमेतरा (146.83 प्रतिशत) एवं साजा (157.18 प्रतिशत) तहसीलों में उच्च शस्य गहनता प्राप्त हुई है। जिले में साजा एवं बेमेतरा तहसील में सिंचाई हेतु नलकूप के प्रयोग एवं दोफसली क्षेत्र में विस्तार के कारण शस्य गहनता उच्च प्राप्त हुई। 2011-13 में दुर्ग जिले के डौण्डी (47.7 प्रतिशत) तहसील में निम्न शस्य गहनता स्तर प्राप्त होने का प्रमुख कारण निरा-फसली क्षेत्र में कमी, भाटा एवं निम्न उपजाऊ मिट्टी एवं सिंचाई स्रोतों में नहर एवं ट्यूबवेल का आभाव है।

मुख्य शब्द: शस्य गहनता, शस्य प्रतिरूप, भूमि उपयोग एवं कृषि गहनता।

प्रस्तावना

कृषि गहनता का आकलन उन भागों में आसानी से की जा सकती है जहां वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती है। चूंकि छत्तीसगढ़ अंचल में वर्तमान कृषि अर्थव्यवस्था में भूमि, श्रम, पूंजी एवं प्रबंध संबंधी चरों का प्रयोग कृषि गहनता निर्धारण में नहीं किया जाता क्योंकि यहां कृषि निर्वहन का एक मात्र माध्यम है और खेतों का आकार छोटा होता है। यहां धान की कृषि गहनता धान की किस्मों, सिंचाई, खाद, उर्वरक एवं मशीनों की उपलब्धता पर आधारित है। यही कारण है कि यहां छोटे आकार के फार्मों में कृषि गहनता बड़े फार्मों की तुलना में अधिक मिलती है।

कृषि क्षमता प्राकृतिक-सांस्कृतिक व्याप्त

वातावरण में मानव द्वारा किये गये प्रयत्नों से किसी भूमि की अधिकतम उपज को प्रकट करता है। इसे उत्पादित फसलों के मात्रात्मक महत्व, अंतर एवं क्षेत्रीय प्रभाव को ज्ञात करने में सहायता मिलती है। भौगोलिक विविधता के कारण विभिन्न भागों में कृषि के स्वरूप में बहुत विषमताएँ हैं। सामान्य रूप से कृषि के प्रकार या खेती के तरीके को कृषि योग्य भूमि के आपूर्ति, आर्द्रता, कृषि गहनता तथा वाणिज्यीकरण की मात्रा, इत्यादि कारणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं।

उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र के भूमि उपयोग एवं शस्य प्रतिरूप का स्थानिक वितरण ज्ञात करना,

क्षेत्र में उपलब्ध सिंचाई के विभिन्न साधनों का आंकलन कर सिंचाई प्रतिरूप का मूल्यांकन करना, कृषि निवेशों के उपयोग पर सिंचाई के प्रभाव का विश्लेषण करना, शस्य प्रतिरूप पर सिंचाई के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

स्थिति एवं विस्तार

दुर्ग जिला 20°22' 30" से 22°01' 30" उत्तरी अक्षांश एवं 80°49' 20" से 81°56' 32" पूर्वी देशांतर के मध्य छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण-पश्चिम भाग में स्थित है। दुर्ग जिले के उत्तर में बिलासपुर, उत्तर-पूर्व में रायपुर, दक्षिण-पूर्व में धमतरी, दक्षिण में कांकेर, दक्षिण-पश्चिम में राजनांदगाँव एवं उत्तर-पश्चिम में कबीरधाम जिला स्थित है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 8,515.01 वर्ग किलोमीटर है। जिले के अंतर्गत 12 तहसील यथा—नावागढ़, बेमेतरा, साजा, बेरला, दुर्ग, धमधा, पाटन, गुण्डरदेही, डौण्डी—लोहारा, डौण्डी, गुरुर एवं बालोद शामिल हैं। जिले की समुद्रतल से औसत ऊँचाई 317 मीटर है। जिले में तीन प्रमुख नदियाँ शिवनाथ, खारुन एवं तांदुला अपवाहित हैं, जो कृषि के साथ-साथ प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करती हैं। जिले की प्रमुख मिट्टी बलुई, कन्हार (काली), लाल-पीली एवं मटासी हैं।

शस्य प्रतिरूप

शस्य प्रतिरूप का तात्पर्य एक प्रदेश के सकल फसल क्षेत्रफल से विभिन्न फसलों के प्रतिशत की मात्रा का पता लगाकर उनका सापेक्षिक महत्व ज्ञात करने से है। किसी क्षेत्र में उगाई जाने वाली विविध फसलों के क्षेत्रीय वितरण से बने प्रतिरूप को शस्य प्रतिरूप कहा जाता है। शस्य प्रतिरूप किसी क्षेत्र के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के परस्पर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न और विकसित होता है। अतः शस्य प्रतिरूप इन कारकों के सम्मिलित प्रभाव का द्योतक है (गुप्ता एवं गोले, 2004)। कृषि प्रधान देश, प्रदेश या क्षेत्र विशेष में विभिन्न फसलें कुल बोये गये क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर बोई गई एवं उनका परस्पर सापेक्षिक महत्व का अध्ययन शस्य प्रतिरूप को स्पष्ट करता है साथ ही विशेष क्षेत्र में एक ऋतु विशेष फसल का उत्पादन किया जाता है तो दूसरे क्षेत्र

में उसी ऋतु में अनेक फसलों के आधार पर वर्गीकृत कर इनके निश्चित क्षेत्रों को निर्धारित करना शस्यों के वितरण या प्रतिरूप का अध्ययन कहलाता है (शर्मा, 1971)। दुर्ग जिले की कृषि में मुख्य रूप से खरीफ एवं रबी फसल प्रतिरूप परिलक्षित है।

खरीफ फसल

खरीफ फसलें मध्य जून से मानसून आने के साथ बोयी जाती हैं एवं शीत ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती हैं। खरीफ की फसल में मुख्य रूप से धान, कोदो-कुटकी, तिल, ज्वार, मक्का, मूंगफली सम्मिलित हैं।

प्रदेश में मुख्य आहार चावल होने के कारण धान की खेती सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। जिले में खरीफ मौसम में अनाज एवं तिलहन की फसल प्रमुख है। जिले में अनाज का क्षेत्रफल 4,54,936 हेक्टेयर है जिसमें धान 86.84 प्रतिशत में, मक्का 0.05 प्रतिशत, कोदो कुटकी 0.64 प्रतिशत क्षेत्र में उत्पादित किये जाते हैं। जिले में तिलहन के अंतर्गत 6.32 प्रतिशत कृषि भूमि सम्मिलित है जिसमें मुख्य रूप से सोयाबीन की कृषि 6.10 प्रतिशत, तिल 0.14 प्रतिशत एवं मूंगफली कुल खरीफ फसली क्षेत्र के 0.08 प्रतिशत में ली जाती है। दुर्ग जिले में खरीफ फसल में दलहन के अन्तर्गत 1.59 प्रतिशत कृषि क्षेत्र आता है। जिसमें मुख्य रूप से अरहर 0.96 प्रतिशत में बोयी जाती है वहीं अन्य दलहनों का क्षेत्र कम है (सारणी 01)।

प्रमुख खरीफ फसलों का वितरण

धान (Paddy)

धान छत्तीसगढ़ राज्य के साथ-साथ अध्ययन क्षेत्र की संस्कृति में पूरी तरह से रचा-बसा है, नैसर्गिक सम्पदा से धनी इस प्रदेश में धान की बेशुमार किस्में परम्परागत रूप से पाई जाती हैं। धान की फसल को पूरे जीवनकाल में उच्च तापमान एवं आर्द्रता के साथ समुचित जल की आवश्यकता होती है। प्रदेश में धान के उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक दशाएँ उपलब्ध हैं साथ ही इस फसल से अधिक जनसंख्या का भरण-पोषण भी संभव है। 1990-93 में अध्ययन क्षेत्र में कुल खरीफ फसली क्षेत्र के 89.36

प्रतिशत में धान का उत्पादन किया जाता था वहीं 2011-13 में अध्ययन क्षेत्र में कुल खरीफ फसली क्षेत्र के 86.84 प्रतिशत एवं कुल रबी फसली क्षेत्र के 1.89 प्रतिशत पर धान का उत्पादन प्राप्त हुआ। धान का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाटन तहसील में 74.55 प्रतिशत एवं सबसे कम डौण्डी में 29.98 प्रतिशत क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। जिसका मुख्य कारण वनाच्छादित एवं भाठा मिट्टी की अधिकता, सिंचाई स्रोतों का अभाव एवं जनजातीय बाहुल्य जनसंख्या द्वारा पुरानी पद्धति से कृषि है।

मक्का (Maize)

मक्का एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जिसका वनस्पति नाम 'जिया मेज' है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से मक्का की असिंचित खेती बस्तर के पठार एवं सरगुजा के पहाड़ी क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में की जाती है। अध्ययन क्षेत्र में 1990-93 में कुल खरीफ फसलीय क्षेत्र के 0.04 प्रतिशत में वहीं 2011-13 में 0.05 प्रतिशत में मक्के की खेती की जाती है। डौण्डी, डौण्डीलोहारा एवं धमधा तहसील में मक्के की खेती की जाती है, वहीं प्रदेश के अन्य तहसीलों में मक्के की खेती नगण्य है। सिंचाई सुविधा होने पर मक्के की कृषि वर्तमान में खरीफ एवं रबी दोनों फसलों में की जाती है।

कोदो-कुटकी (Kodo-Kutki)

अध्ययन क्षेत्र में 1990-93 में कुल खरीफ फसलीय क्षेत्र के 6.71 प्रतिशत कृषि भूमि में कोदो-कुटकी का उत्पादन किया जाता था वहीं 2011-13 में जिले के कुल खरीफ फसल के 0.64 प्रतिशत में कोदो-कुटकी का उत्पादन होता है। बेमेतरा में सर्वाधिक 0.92 प्रतिशत एवं सबसे कम बेरला तहसील में 0.33 प्रतिशत भाग में कोदो-कुटकी का उत्पादन किया जाता है। कोदो-कुटकी का उत्पादन प्रमुख रूप से खरीफ की मौसम में किया जाता है।

अरहर (Arhar)

अरहर की खेती आर्द्र एवं शुष्क दोनों प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में आसानी से की जाती है। फसल की अच्छी

बढ़वार के लिये गर्म एवं तर जलवायु की आवश्यकता होती है। अध्ययन क्षेत्र में 1990-93 में 1.38 प्रतिशत वहीं 2011-13 में 0.96 प्रतिशत क्षेत्र पर अरहर की कृषि की जाती है। जिले में सबसे अधिक अरहर का उत्पादन बेमेतरा तहसील में कुल खरीफ फसली क्षेत्र के 2.34 प्रतिशत एवं सबसे कम गुरुर तहसील में 0.04 प्रतिशत पर किया जाता है।

उड़द (Urad)

अध्ययन क्षेत्र में 1990-93 में कुल रबी फसलीय क्षेत्र के 5.48 प्रतिशत में उड़द का उत्पादन किया जाता था वहीं 2011-13 में जिले के 2.87 प्रतिशत भाग में उड़द की खेती की जाती है। सबसे अधिक डौण्डीलोहारा तहसील में 1.16 प्रतिशत वहीं सबसे कम दुर्ग तहसील में कुल फसली क्षेत्र के 0.08 प्रतिशत पर उड़द की कृषि की जाती है।

सोयाबीन (Soyabean)

अध्ययन क्षेत्र में 1990-93 में कुल खरीफ फसलीय क्षेत्र के 0.06 प्रतिशत में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता था वहीं 2011-13 में सोयाबीन एक प्रमुख तिलहनी फसल के रूप में 6.10 प्रतिशत पर उत्पादित की जाती है। जिले में सबसे अधिक साजा तहसील में कुल फसली क्षेत्र के 17.49 प्रतिशत में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है इसका मुख्य कारण साजा में काली मिट्टी एवं सोयाबीन की कृषि हेतु उपलब्ध अनुकूल दशाएं हैं वहीं अन्य तहसीलों में धान की कृषि के विस्तार के कारण सोयाबीन के क्षेत्र में कमी आयी है।

तिल (Sesame)

दुर्ग जिले में 1990-93 में कुल खरीफ फसलीय क्षेत्र के 0.75 प्रतिशत पर वहीं 2011-13 में 0.14 प्रतिशत पर तिल की खेती की जाती है। डौण्डीलोहारा तहसील में सबसे अधिक कुल खरीफ क्षेत्र के 0.95 प्रतिशत पर तिल की खेती की जाती है (सारणी 01)।

रबी फसल

रबी फसलें भूमि की नमी एवं सिंचाई पर निर्भर

होती है। रबी मौसम की मुख्य फसलें चना, तिवरा, गेहूँ, उड़द, अलसी, मसूर, मटर, मूँग, सरसों, सूरजमुखी, कुसुम है। कुल फसली क्षेत्र का 28.58 प्रतिशत रबी मौसम में कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य कारण वर्षा आधारित कृषि एवं सिंचाई में ट्यूबवेल का अभाव है। दुर्ग जिले में रबी की प्रमुख फसलों में ग्रीष्मकालीन धान, गेहूँ, चना, तिवरा, राई—सरसों एवं शाक—सब्जी हैं (सारणी 01)।

प्रमुख रबी फसलों का वितरण

गेहूँ (Wheat)

अध्ययन क्षेत्र में गेहूँ की फसल रबी मौसम की एक महत्वपूर्ण फसल है। जिले में 1990—93 में कुल रबी फसलीय क्षेत्र के 8.64 प्रतिशत कृषि भूमि पर गेहूँ का उत्पादन किया जाता था वहीं 2011—13 में जिले के कुल रबी क्षेत्र के 11.07 प्रतिशत क्षेत्र इसके अन्तर्गत है। जिसमें सबसे अधिक साजा तहसील में कुल रबी फसली क्षेत्र का 5.98 प्रतिशत वहीं सबसे कम डौण्डी तहसील में 0.30 प्रतिशत पर गेहूँ की फसल ली जाती है।

चना (Gram)

दुर्ग जिले में 1990—93 में कुल रबी फसली क्षेत्र के 31.20 प्रतिशत पर एवं 2011—13 में 50.81 प्रतिशत पर चने की खेती की जाती है। सबसे अधिक चने का क्षेत्र साजा तहसील में 42.64 प्रतिशत वहीं सबसे कम डौण्डी तहसील में 0.19 प्रतिशत प्राप्त हुआ है जिसका प्रमुख कारण डौण्डी तहसील में सिंचाई साधनों का अभाव एवं कम उपजाऊ मृदा की उपलब्धता है।

तिवरा (Teora)

तिवरा (लाखड़ी) छत्तीसगढ़ की प्रमुख दलहनी फसल है। प्रदेश में सिंचाई के सीमित स्रोत होने के कारण द्विफसलीय कृषि पद्धति का अनुपम तरीका छत्तीसगढ़ के किसान उतेरा के रूप में दीर्घकाल से अपनाते चले आ रहे हैं, उतेरा के रूप में दलहन एवं तिलहन की विभिन्न फसलें ली जाती हैं, किन्तु तिवरा उनमें सफलतम होने के कारण आज भी इसकी खेती की जाती है। प्रदेश में 1990—93 में कुल रबी फसली क्षेत्र के 41.66 प्रतिशत पर तिवरा का उत्पादन किया

जाता था, वहीं 2011—13 में 44.75 प्रतिशत पर तिवरा का उत्पादन किया गया है। दुर्ग जिले के सभी 12 तहसीलों में तिवरा का उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक तिवरा का उत्पादन डौण्डीलोहारा तहसील में कुल रबी क्षेत्र के 21.78 प्रतिशत पर एवं सबसे कम उत्पादन डौण्डी तहसील में कुल फसली क्षेत्र के 2.37 प्रतिशत में की जाती है।

अन्य तिलहन

जिले में अन्य तिलहनों में सरसों, मूँगफली, राई, रामतिल, कुसुम को लिया गया है। 1990—93 में कुल फसली क्षेत्र के 1.56 प्रतिशत में इनका उत्पादन किया जाता था वहीं 2011—13 में 1.00 प्रतिशत प्राप्त हुआ है। अतः तिलहनों का क्षेत्र कम हुआ है जिसका मुख्य कारण धान की उत्पादन क्षेत्र में विस्तार, तिलहनों में कम आर्थिक लाभ की प्राप्ति एवं सिंचाई स्रोतों का विस्तार है।

गन्ना (Sugercane)

गन्ना खरीफ एवं रबी दोनों मौसम में बोया जाता है। 1990—93 में जिले में गन्ने की कृषि 0.32 प्रतिशत पर की जाती थी, वहीं 2011—13 में 0.57 प्रतिशत पर प्राप्त हुई है। जिले में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन क्षेत्र बेरला तहसील में 1.47 प्रतिशत वहीं डौण्डी एवं डौण्डीलोहारा में गन्ने का उत्पादन कम क्षेत्रों में किया जाता। जिसका मुख्य कारण ट्यूबवेल से सिंचाई का अभाव है (सारणी 01)।

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नवागढ़, बेमेतरा, साजा एवं बेरला तहसीलों में खरीफ मौसम में धान एवं रबी मौसम में लाख—तिवरा, चना एवं गेहूँ फसलें मुख्यतः ली जाती हैं जिसका मुख्य कारण इन तहसीलों में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल एवं उपजाऊ कन्हार मिट्टी की उपलब्धता है, वहीं बालोद, डौण्डी, डौण्डीलोहारा, गुरुर, धमधा, दुर्ग एवं पाटन तहसीलों में तिवरा, चना एवं गेहूँ कम क्षेत्र में उगायी जाती है जिसका कारण धान का उत्पादन रबी फसल में अधिकांश क्षेत्र में होना है।

शस्य प्रतिरूप में स्थानिक कालिक परिवर्तन (1990—93 से 2011—13)

दुर्ग जिले में विगत वर्षों में फसलों के तुलनात्मक

महत्व में हुये अन्तरों की विवेचना करने के उद्देश्य से जिले में पूर्व योजना वर्ष 1990-93 से 2011-13 के मध्य विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र में हुये परिवर्तन का अध्ययन किया गया है। विगत वर्षों में किसानों द्वारा कम क्षेत्रों में अधिकाधिक लाभ प्राप्ति की प्रवृत्ति के कारण अनेक फसलों विशेषकर तिलहन एवं दलहन फसलों के क्षेत्र में कमी आयी है। दुर्ग जिले में 1990-93 में प्रमुख खाद्य फसलों में धान प्रथम फसल थी कुल फसली क्षेत्र के 60.69 प्रतिशत भाग पर उत्पादित की जाती थी, जो 2011-13 में बढ़कर 61.21 प्रतिशत भू-भाग पर उत्पादित की जाती है। जिले में द्वितीयक खाद्य फसल गेहूँ का उत्पादन 1990-93 में कुल फसली क्षेत्र के 2.77 प्रतिशत थी जो 2011-13 में बढ़कर 3.41 प्रतिशत हो गयी है। दुर्ग जिले में ज्वार एवं जौ जैसे मोटे अनाजों का उत्पादन क्षेत्र घटा है, वहीं मक्के की आधुनिकतम खेती से हुये उत्पादन वृद्धि के कारण मक्के के क्षेत्र में 0.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। दुर्ग जिले में उन्नत बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग एवं सिंचाई साधनों की सुविधा के कारण धान के क्षेत्र में विस्तार पाया गया है।

दुर्ग जिले में चने को छोड़कर सभी दलहन फसलों के क्षेत्र में कमी आयी है जिसका कारण फसल चक्र ना अपनाना एवं अधिक लाभ देने वाली फसलों का अधिक विस्तार है। जिले में 1990-93 में खरीफ फसल के बाद दलहनी फसलों का उत्पादन किया जाता था जो ग्रीष्म कालिन फसलों के पहले काट ली जाती थी परन्तु अब कृषकों द्वारा खरीफ के बाद सीधे धान की खेती की जाती है जिससे दलहनी फसलों के क्षेत्र में कमी देखने को मिलती है। जिले में 1990-93 में अरहर कुल फसली क्षेत्र के 0.94 प्रतिशत पर बोयी जाती थी जिसका क्षेत्र घटकर 2011-13 में 0.68 प्रतिशत प्राप्त हुआ। उड़द कुल फसली क्षेत्र के 1.76 प्रतिशत भू-भाग पर बोयी जाती थी जो 2011-13 में 0.44 प्रतिशत हो गयी, जिले में चने की कृषि 10.02 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में की जाती थी वर्तमान में चने के क्षेत्र में विस्तार के कारण 13.76 प्रतिशत भाग पर वहीं तिवरा का उत्पादन जिले के 13.37 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में किया जाता था जो 2011-13 में घटकर 12.12 प्रतिशत ही शेष रहा। अतः दुर्ग जिले में मूंग,

उड़द, तिवरा एवं अरहर के कृषि क्षेत्र में कमी आयी है वहीं जिले में प्रमुख रबी फसल चने की उन्नत कृषि में विस्तार है (सारणी 02)।

दुर्ग जिले में तिलहन फसलों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुये है। जिले में 1990-93 में अलसी का उत्पादन 4.09 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में किया जाता था जो 2011-13 में नगण्य क्षेत्र में प्राप्त हुई है। प्रदेश में 1990-93 में सोयाबीन की कृषि मात्र 0.04 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में की जाती थी जो 2011-13 में बढ़कर 4.30 प्रतिशत क्षेत्र में की जाती है। जिले में इसी प्रकार मूंगफली, तिल एवं राई सरसों के उत्पादन क्षेत्र में कमी आयी है। अतः स्पष्ट है कि जिले में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों (धान, चना एवं सोयाबीन) का उत्पादन क्षेत्र बढ़ा है, वहीं परम्परागत उतरे पद्धति से ली जाने वाली कृषि फसलों (अलसी, तिल एवं तिवरा) का क्षेत्र कम हुआ है।

दुर्ग जिले में गन्ने का उत्पादन 1990-93 में 0.32 प्रतिशत पर की जाती थी जो 2011-13 में बढ़कर 2.62 प्रतिशत हो गयी है, वहीं अन्य फसल जिसमें शाक सब्जी सम्मिलित है 1990-93 में 0.50 प्रतिशत में उत्पादन की जाती थी जो 2011-13 में बढ़कर 18.24 प्रतिशत पर की जाने लगी है। जिले में व्यापारिक फसलों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, व्यापारिक फसलों की ओर बढ़ते हुये आकर्षण का प्रमुख कारण प्रति इकाई क्षेत्र में इनके द्वारा प्राप्त होने वाली अधिक आय है। नयी उन्नतशील किस्मों के प्रयोग से होने वाली प्रति हेक्टेयर अधिक उपज एवं उपज के गुणात्मक सुधार ने लाभ की मात्रा में और अधिक वृद्धि कर दी है परिणामस्वरूप अधिक उपज देने वाली फसलों के क्षेत्र में विस्तार वहीं उतरे में दलहन एवं तिलहन फसलों के कम उपज दर के कारण उत्पादन क्षेत्र में कमी परिलक्षित है (सारणी 02)।

शस्य गहनता

शस्य गहनता का तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र में एक कृषि वर्ष में ली जाने वाली फसलों की संख्या है। दूसरे शब्दों में एक वर्ष में एक ही कृषि क्षेत्र पर उगायी जाने वाली फसलों की संख्या शस्य गहनता कहलाती है। एक क्षेत्र में वर्ष में एक ही फसल उत्पन्न होती है तो उसकी गहनता 100 मानी जाएगी, यदि दो फसलें उत्पादित की जायेंगी तो शस्य

गहनता 200 हो जायेगी। फसलों की संख्या बढ़ने से शस्य-गहनता-सूचकांक अधिक होता है, जबकी कम होने से न्यून। यदि सूचकांक कम होगा तो भूमि का उपयोग भी कम होगा अर्थात् शस्य-गहनता-सूचकांक एवं भूमि उपयोग का धनात्मक सह-संबंध रहता है (हारून, 2001)।

त्यागी की श्रेणी गुणांक विधि के आधार पर तहसील स्तर पर दुर्ग जिले की शस्य-गहनता-सूचकांक का परिकलन किया गया है। दुर्ग जिले में तहसीलवार शस्य-गहनता-सूचकांक का श्रेणीगत वितरण (सारणी 03) किया गया है।

परिकलन सूत्र निम्नानुसार है -

$$CI = \frac{C}{N} \times 100$$

जहाँ

CI = शस्य गहनता सूचकांक

C = कुल कृषि गत क्षेत्र

N = शुद्ध बोया गया क्षेत्र

शस्य गहनता के आधार पर दुर्ग जिले के कृषि क्षेत्रों को उच्च, मध्यम एवं निम्न शस्य गहनता कृषि क्षेत्र में विभाजित किया गया है:-

उच्च शस्य गहनता

1990-93 में जिले के बालोद के मैदानी भाग में स्थित गुण्डरदेही एवं डौण्डीलोहारा तहसीलों में सर्वाधिक शस्य-गहनता-सूचकांक दृष्टव्य थी। 2011-13 में दुर्ग जिले में बेमेतरा (146.83प्रतिशत) एवं साजा (157.18 प्रतिशत) तहसीलों में उच्च शस्य गहनता प्राप्त हुई है। जिले में साजा एवं बेमेतरा तहसील में सिंचाई हेतु नलकूप के प्रयोग एवं दो फसली क्षेत्र में विस्तार के कारण शस्य गहनता उच्च प्राप्त हुई। साजा तहसील में धान के साथ-साथ अरहर एवं सोयाबीन की कृषि भी की जाती है, वहीं इन तहसीलों में कृषकों द्वारा फसल चक्र अपनाने के कारण इन तहसीलों में शस्य गहनता सर्वाधिक दृष्टव्य है।

सारणी 01 : जिला दुर्ग : शस्य गहनता सूचकांक

क्रमांक	तहसील का नाम	वर्ष 1990-91	वर्ष 2013-14
1.	नवागढ़	134.21	125.50
2.	बेमेतरा	144.10	146.83
3.	साजा	122.56	157.18
4.	बेरला	154.40	130.31
5.	बालोद	153.75	53.75
6.	गुण्डरदेही	165.70	124.40
7.	डौण्डी	-	47.70
8.	डौण्डीलोहारा	167.36	123.40
9.	गुरुर	146.83	74.36
10.	धमधा	130.31	124.10
11.	दुर्ग	157.18	124.21
12.	पाटन	145.50	122.56
	औसत	135.15	112.85

स्रोत :- व्यक्तिगत गणना

मध्यम गहनता

1990-91 में सर्वाधिक 8 तहसीलें क्रमशः गुरुर, नवागढ़, बालोद, धमधा, दुर्ग, पाटन, बेमेतरा एवं बेरला में (130-160) मध्यम शस्य गहनता स्तर परिलक्षित थी वहीं वर्तमान में जिले के गुरुर (74.36 प्रतिशत), पाटन (122.56 प्रतिशत), डौण्डीलोहारा (123.40 प्रतिशत), धमधा (124.1 प्रतिशत), दुर्ग (124.21 प्रतिशत), गुण्डरदेही (124.4 प्रतिशत), नवागढ़ (125.5 प्रतिशत), एवं बेरला तहसील में

(130.31 प्रतिशत) मध्यम शस्य गहनता प्राप्त हुई, जो की मध्यम शस्य गहनता सूचकांक स्तर (70-140) को प्रदर्शित करती है। जिले के इन तहसीलों में खरीफ में तांदुला जलाशय की नहरों द्वारा सिंचाई की अधिकता एवं रबी फसलों में सिंचाई साधनों की कमी, अत्यधिक भूमिगत जल के दोहन के परिणामस्वरूप जलस्तर में गिरावट से रबी में नलकूप से सीमित क्षेत्र में सिंचाई की उपलब्धता से शस्य गहनता का मध्यम स्तर प्राप्त हुआ है।

सारणी 02 : जिला दुर्ग : शस्य गहनता स्तर

क्र.	शस्य गहनता स्तर	1990-93		2011-13	
		शस्य गहनता सूचकांक	तहसीलों के नाम	शस्य गहनता सूचकांक	तहसीलों के नाम
1.	उच्च शस्य	160<	गुण्डरदेही, डौण्डीलोहारा	140<	साजा, बेमेतरा
2.	मध्यम	130 - 160	गुरुर, नवागढ़, बालोद, धमधा, दुर्ग, पाटन, बेमेतरा, बेरला	70 - 140	बेरला, नवागढ़, गुण्डरदेही, दुर्ग, धमधा, डौण्डी लोहारा, पाटन, गुरुर
3.	निम्न	<130	साजा	<70	बालोद, डौण्डी

स्रोत— व्यवस्थित गणना

निम्न शस्य गहनता

अध्ययन क्षेत्र में 1990-93 में साजा तहसील (130) निम्न शस्य-गहनता-सूचकांक के अंतर्गत था इसका कारण साजा तहसील में 1990-93 में सिंचाई स्रोतों का अभाव एवं रबी में उन्हारी फसलों का विस्तार था, वहीं 2011-13 में दुर्ग जिले के डौण्डी (47.7) एवं बालोद (53.75) तहसीलों में निम्न शस्य गहनता स्तर प्राप्त होने का प्रमुख कारण निरा-फसली क्षेत्र में कमी, भाटा एवं कम उपजाऊ मिट्टी एवं सिंचाई स्रोतों में नहर एवं ट्यूबवेल का अभाव है। जिले में बालोद तहसील में खरीफ में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र 11,338 हेक्टेयर है, किन्तु रबी एवं ग्रीष्म ऋतु की फसलों में सिंचाई के साधन का अभाव है, जिसके कारण बालोद में शस्य गहनता निम्न स्तर पर दृष्टव्य है (सारणी 02)।

कृषि दक्षता

कृषि दक्षता प्राकृतिक-सांस्कृतिक व्याप्त वातावरण में मानव द्वारा किये गये प्रयत्नों से किसी भूमि की अधिकतम उपज को प्रकट करती है। कृषि-दक्षता भौतिक (जलवायु एवं मिट्टी), सामाजिक एवं आर्थिक (खेतों के आकार, कृषि के प्रकार, फसलों की हेरफेर, सिंचाई एवं यंत्रिकरण) आदि कारणों के संगठित कार्यों एवं प्रभावों का ही प्रतिफल है, क्योंकि इन सभी कारणों के संगठित प्रभावों के परिणामस्वरूप किसी क्षेत्र की उत्पादकता एवं उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है (मोहम्मद हारून, 2001)। 'कृषि दक्षता' से तात्पर्य भूमि विशेष में उत्पादन क्षमता से है। कृषि दक्षता प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में मानव द्वारा किए गए प्रयत्नों से किसी भूमि की अधिकतम उपज को प्रकट करती है। कृषि की दक्षता भौतिक (भू आकृतिक, जलवायु एवं मिट्टी) सामाजिक, आर्थिक, जोतों के आकार एवं कृषि

तकनीकी एवं संगठनात्मक कारकों के संगठित कार्यों एवं प्रभावों का ही प्रतिफल है, क्योंकि इन सभी कारणों के संगठित प्रभावों के परिणामस्वरूप किसी क्षेत्र की उत्पादकता एवं उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है (माहेश्वरी, दीपक, 2008)। एस. एस. भाटिया (1967) ने उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता के निर्धारण हेतु उत्पादकता सूचकांक का उपयोग किया इसकी गणना हेतु सूत्र :-

$$I_{ya} = \frac{yc}{yr} \times 100$$

जहाँ -

I_{ya} = 'a' फसल की उपज सूची

yc = 'a' फसल की प्रति एकड़ उपज

yr = 'a' फसल की प्रमाणिक इकाई की उपज दर

उत्पादकता सूचकांक का निर्धारण उपज सूचकांकों के प्रत्येक फसल के प्रतिशत क्षेत्रफल से गुणा करके ज्ञात किया गया। इसके लिए सूत्र -

$$E_i = \frac{I_{ya}Ca + I_{yb}Cb + \dots + I_{yn}Cn}{ca + cb + \dots + cn}$$

जहाँ -

E_i = उत्पादकता सूचकांक

सारणी 03 : जिला दुर्ग : कृषि दक्षता सूचकांक

क्रमांक	तहसील का नाम	वर्ष 1990-93	वर्ष 2011-14
1.	नवागढ़	11.56	7.90
2.	बैमैतरा	10.55	9.70
3.	सजा	11.08	8.60
4.	बेरला	9.61	10.80
5.	बालोद	11.66	12.80
6.	गुण्डरदेही	13.84	10.70
7.	झौण्डी	-	9.30
8.	झौण्डीलोहारा	1.75	9.11
9.	गुरुर	12.37	16.50
10.	धमधा	6.54	7.21
11.	दुर्ग	10.38	9.51
12.	पाटन	7.9	11.01

स्रोत :- व्यक्तिगत गणना

I_{ya}, I_{yb}, I_{yn} = फसलों की उपज सूची

ca, cb, cn = फसलों के क्षेत्रफल का प्रतिशत

अध्ययन क्षेत्र में कृषि दक्षता की गणना भाटिया द्वारा प्रतिपादित सूत्र को प्रयुक्त करते हुये तहसीलों में प्राप्त प्रमुख फसलों धान, गेहूँ, चना, अरहर, तिवरा, सोयाबीन, कोदो-कुटकी एवं गन्ना के प्रति हेक्टेयर उपज जिला सांख्यिकी पत्रिका दुर्ग 1990-93 एवं 2011-13 द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गयी है (सारणी 03)। तत्पश्चात् सूचकांक की मात्रा के आधार पर अध्ययन क्षेत्र को तीन कृषि दक्षता प्रदेश स्तर उच्च, मध्यम एवं निम्न में वर्गीकृत किया गया है:-

उच्च दक्षता सूचकांक

1990-93 में अध्ययन क्षेत्र के दो तहसील गुण्डरदेही एवं गुरुर में उच्च कृषि दक्षता परिलक्षित थी वहीं 2011-13 में गुरुर एवं बालोद तहसीलों में उच्च दक्षता सूचकांक प्राप्त हुआ इसका कारण इन तहसीलों में 1990 से पूर्व की स्थिति में नहरी सिंचाई तंत्रों का विकास, कृषि में सिंचाई की उपलब्धता रासायनिक उर्वरकों एवं खादों का प्रयोग, उन्नत बीजों का प्रयोग एवं कृषि क्षेत्रों का विस्तार है। जिले के अन्य तहसीलों से इन दोनों तहसीलों में कृषकों द्वारा अधिक उपजदर प्राप्त करने के कारण कृषि दक्षता का उच्च स्तर दृष्टव्य है।

मध्यम दक्षता सूचकांक

1990-93 में जिले के बालोद (डौण्डी), नवागढ़, साजा, बेमेतरा एवं दुर्ग तहसीलों में मध्यम कृषि दक्षता वहीं वर्तमान में जिले के पाटन, बेरला, गुण्डरदेही, बेमेतरा, दुर्ग, डौण्डी एवं डौण्डी-लोहारा तहसीलों में मध्यम कृषि दक्षता सूचकांक परिलक्षित है। इन तहसीलों में सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी संगठनों का प्रभाव कृषि उत्पादकता

पर हुआ है यही कारण है कि इन क्षेत्रों में कृषि दक्षता में सतत वृद्धि दर प्राप्त हुई है। डौण्डी एवं डौण्डी-लोहारा तहसीलों का उच्च एवं वनाच्छादित प्रदेश में स्थित के कारण कृषि दक्षता कम वहीं बेरला तहसील में सिंचाई स्रोतों में वृहद कृषकों के पास ट्यूबवेल की सुविधा वहीं सीमांत एवं लघु कृषकों के पास ट्यूबवेल से सिंचाई का अभाव होने के कारण कृषि दक्षता का मध्यम स्तर प्राप्त हुआ है।

सारणी 04 : जिला दुर्ग : कृषि दक्षता सूचकांक

क्र.	शस्य गहनता स्तर	1990-93		2011-13	
		कृषि दक्षता सूचकांक	तहसीलों के नाम	कृषि दक्षता सूचकांक	तहसीलों के नाम
1.	उच्च शस्य	12<	गुण्डरदेही, गुरुर	12<	गुरुर, बलोद
2.	मध्यम		बालोद, नवागढ़, साजा, बेमेतरा, दुर्ग, बेरला, पाटन, धमधा	9-12	गुण्डरदेही, बेमेतरा, दुर्ग, पाटन, डौण्डी, बेरला डौण्डीलोहारा
3.	निम्न	< 6	डौण्डीलोहारा	< 9	साजा, नवागढ़, धमधा

स्रोत- व्यक्तिगत गणना

निम्न दक्षता सूचकांक

वर्ष 1990-93 में जिले के बेरला, पाटन, धमधा एवं डौण्डीलोहारा तहसीलों में निम्न कृषि दक्षता प्राप्त हुई जिसका कारण अनुपजाऊ मिट्टी, सिंचाई स्रोतों का अभाव परंपरागत कृषि पद्धति, आदि का प्रभाव था। वर्ष 2011-13 में जिले के साजा, नवागढ़ एवं धमधा तहसीलों में कृषि दक्षता निम्न होने का मुख्य कारण नवागढ़ एवं साजा तहसीलों में नहरी सिंचाई योजना का अभाव है। वहीं धमधा तहसील में सिंचाई सुविधा का अभाव एवं परंपरागत कृषि की अधिकता के कारण उत्पादकता एवं कृषि दक्षता निम्न प्राप्त हुई है।

अध्ययन क्षेत्र में कृषि दक्षता के उन्नयन हेतु सिंचाई सुविधा एवं क्षमता का विकास आवश्यक है, क्योंकि सिंचाई स्रोतों एवं सिंचाई क्षमता में वृद्धि से ही कृषि दक्षता प्राप्त किया जा सकेगा, फलतः शस्य गहनता में अभिवृद्धि

होगी एवं कृषि दक्षता में वृद्धि से प्रति इकाई कृषिगत क्षेत्र से अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। अतः जिले में कृषि दक्षता को मृदा की उर्वरता सिंचाई स्रोत, उर्वरकों का प्रयोग, कृषि पद्धतियाँ, आदि प्रभावित करती है वहीं मानवीय कारक कृषि दक्षता को प्रभावित एवं नियंत्रित भी करते हैं।

निष्कर्ष

भूमि उपयोग की दृष्टि से जिले का 68.47 प्रतिशत भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र एवं 31.89 प्रतिशत भाग द्विफसली भूमि के अंतर्गत सम्मिलित है। अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी उच्च प्रदेश में सिंचाई स्रोतों के अभाव के कारण निराफसली क्षेत्र अपेक्षाकृत कम है, वहीं जिले के शिवनाथ पार मैदान में निराफसली क्षेत्र अधिक है, जिसका मुख्य कारण उपजाऊ कृषि भूमि एवं शिवनाथ दोआब क्षेत्र एवं ट्यूबवेल का सिंचाई हेतु प्रयोग है, वहीं अध्ययन क्षेत्र में खरीफ फसल में अनाज का उत्पादन 87.54 प्रतिशत,

दलहन का उत्पादन 1.59 प्रतिशत एवं तिलहन का उत्पादन 6.32 प्रतिशत है, जबकी रबी में गेहूँ का उत्पादन 11.07 प्रतिशत, चना 45.75 प्रतिशत, तिवरा 40.29 प्रतिशत एवं राई सरसों का उत्पादन मात्र 1 प्रतिशत कृषि भूमि पर उपलब्ध है, यद्यपि अध्ययन क्षेत्र में अनाज में धान, दलहन में चना एवं तिलहन में सोयाबीन की प्रधानता है। अध्ययन क्षेत्र में उच्च शस्य गहनता शिवनाथ पार मैदान में वहीं निम्न शस्य गहनता दक्षिणी उच्च प्रदेश में दृष्टव्य है। शस्य विविधता की दृष्टि से जिले के गुण्डरदेही तहसील (24.02 प्रतिशत) में सर्वाधिक एवं बालोद तहसील में निम्न शस्य विविधता सूचकांक प्राप्त हुआ। अध्ययन क्षेत्र में बालोद के मैदान (गुरुर एवं बालोद तहसीलो) में उच्च कृषि दक्षता एवं शिवनाथ पार मैदान में निम्न कृषि दक्षता प्राप्त हुई है। जिले में बालोद के मैदान (500 व्यक्ति/वर्ग किमी.) में सर्वाधिक वहीं जिले के शिवनाथ पार मैदान में (300 व्यक्ति/वर्ग किमी.) निम्न भूवहन क्षमता दृष्टव्य है। अध्ययन क्षेत्र में धान, गेहूँ, चना, तुअर, सोयाबीन की उच्च संकेन्द्रीयता शिवनाथ पार मैदान में है, वहीं जिले के दक्षिणी उच्च प्रदेश में गेहूँ, चना, तुवर एवं सोयाबीन की संकेन्द्रीयता निम्न प्राप्त हुई। जिसका मुख्य कारण सिंचाई स्रोतों का अभाव, निम्न उपजाऊ कृषि भूमि एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या की अधिकता से परम्परागत कृषि फसलों की अधिकता है।

References

1. Gole, Uma, 2006, Agriculture Intensity And Agricultrural Efficiency : A Geographical Analysis, THE SOCIAL PROFILE, A Research Journal of Social Sciences, Vol: 10, No. 182, Page no. -9-16.
2. Gole, Uma, 2009, CARRYING CAPACITY OF LAND IN SEONATH BASIN, THE GOA GEOGRAPHER, The Research Journal of Geographers Association Goa (GAG), Vol. VI No. 1, PP 49-53.
3. Jadhav, Satish and Suryawanshi, 2008, SPATIAL ANALYSIS OF CROPPING PATTERN IN JALGAON DISTRICT, THE GOA GEOGRAPHER, The Research Journal of Geographer's Association Goa (GAG), Vol. VI, No. 1, PP. 63-68.
4. गुप्ता, एम.पी. एवं गोले उमा, 2004, "मस्तूरी तहसील में शस्य प्रतिरूप परिवर्तन", चर्मण्वती : भूगोल शोध पत्रिका, अंक 4, पृ. 39-48।
5. गोले, उमा, 2006, "राजनांदगांव जिले की अर्थव्यवस्था में फसल प्रतिरूप परिवर्तन", शोध प्रकल्प, अंक 34, वर्ष-11, संख्या 1, पृ. 26-29।
6. साहू, सुरेश कुमार एवं टी.एल. वर्मा, 2018, "कृषि गहनता एवं कृषि क्षमता : जिला धमतरी (छत्तीसगढ़) का भौगोलिक अध्ययन" रिसर्च लिंक, अंक 175, सं. XVII (8), अक्टूबर, पृ. 49-52।
7. सिंह, शशांक शेखर, 2004, "सुल्तानपुर जनपद (उ.प्र.) में शस्य विविधता का स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण", उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अंक 40, सं. 1, पृ. 95-99।
8. सिंह, संदीप कुमार एवं प्रसाद, ओंकार, 2011, "भूमि उपयोग में परिवर्तन एवं ग्रामीण विकास : बडागांव विकास खण्ड का एक भौगोलिक अध्ययन", उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अंक 41, सं. 1, पृ. 47-52।
9. हारुन, मोहम्मद, 2001, "शस्य गहनता एवं कृषि दक्षता : बहराइच जनपद का एक प्रतीक अध्ययन", उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अंक 37, सं. 1 एवं 2, पृ. 91-98।
10. श्रीवास्तव, प्रभाशंकर एवं पाठक, रमापति, 2011, "जनपद उन्नाव में कृषि भूमि उपयोग एवं शस्य गहनता", उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अंक 41, सं. 4, पृ. 23-26।



गोरखपुर महानगर (उ०प्र०) में मलिन बस्तियों में साक्षरता प्रतिरूप

संजीव कुमार सिंह एवं चन्द्र मिलन वर्मा

शोध सारांश

किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा एक आधारभूत तत्त्व है क्योंकि यह परिवर्तन तथा प्रगति का सबसे बड़ा औजार होता है। शिक्षा के बिना सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है, ज्ञान और विकास के लिए साक्षरता प्रथम सोपान है। किसी भी क्षेत्र के सामाजिक विकास एवं साक्षरता स्तर के मध्य सदैव उच्च धनात्मक सहसम्बन्ध पाया जाता है। चूँकि नगरीय समाज सभ्य समाज के नाम से जाना जाता है इसलिए नगरों में शिक्षा का महत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। महानगर में अवस्थित मलिन बस्तियों में अनेक समस्याएँ हैं उन समस्याओं की जननी वहाँ के लोगों में शिक्षा की कमी है। गोरखपुर महानगर के मलिन बस्तियों की कुल साक्षरता 36.5 प्रतिशत है जिसमें 44.1 प्रतिशत पुरुष एवं 29.7 प्रतिशत महिला साक्षरता है। इन बस्तियों की कुल साक्षरता में 58.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक, 25 प्रतिशत हाईस्कूल, 9.7 प्रतिशत इण्टरमीडिएट एवं 6.8 प्रतिशत उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त है। स्पष्ट है कि इन बस्तियों की साक्षरता 36.5 प्रतिशत जो महानगर की साक्षरता 83.9 प्रतिशत एवं गोरखपुर जनपद की साक्षरता 70.83 प्रतिशत से काफी कम है। इस प्रकार मलिन बस्तियों की निम्न साक्षरता उनके सामाजिक-आर्थिक दशा को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। इस निम्न साक्षरता का मुख्य कारण अभिभावकों की आर्थिक स्थिति का दयनीय होना, अभिभावकों का निम्न शैक्षिक स्तर, मलिन बस्तियों में विद्यालय का न होना, आदि है। इन समस्याओं के समाधान हेतु सरकारी, गैर सरकारी एवं स्थानीय निकाय द्वारा मलिन बस्तियों में निवसित बच्चों एवं अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, स्थानीय स्तर पर विद्यालयों की स्थापना, सरकार द्वारा चलायी गयी योजना का कठोरता से पालन करते हुए गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के बच्चों को न्यूनतम शुल्क के साथ महानगर में स्थापित विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित कराया जाय, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराया जा सके ताकि मलिन बस्तियों के लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपना योगदान दे सकें।

मुख्य शब्द: महानगर, मलिन बस्ती, साक्षरता, शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च।

प्रस्तावना

शिक्षा मानव जीवन के विकास का आधार है इसलिए शिक्षा का महत्व किसी निश्चित क्षेत्र के लिए न होकर सार्वदेशिक व सार्वभौमिक होता है। शिक्षा के बिना सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है (वर्मा, 2007)। ज्ञान और विकास के लिए साक्षरता प्रथम सोपान है। साक्षरता से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो किसी भी भाषा में पढ़ एवं लिख सकते हैं (त्रिपाठी, 1999)। साक्षरता स्वमेव एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो मानव को महामानव की

श्रेणी में प्रतिस्थापित करने में सहायक होता है (Islam, 2001)। साक्षरता का गरीबी उन्मूलन, शान्तिपूर्ण व बन्धुत्व वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के निर्माण और जनांकिकीय प्रक्रियाओं के स्वतंत्र विकास को निर्धारित करने में बहुत अधिक सहायक होता है (Chandna, and Siddhu, 1980)।

किसी भी क्षेत्र के सामाजिक विकास व साक्षरता स्तर के मध्य हमेशा उच्च धनात्मक सहसम्बन्ध पाया जाता है क्योंकि राष्ट्र के भावी विकास, आर्थिक विकास व परिवार नियोजन कार्यक्रम में साक्षरता प्रसार की उच्च दर वरदान

1. डा० संजीव कुमार सिंह, Post Doctoral Fellow, भूगोल विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273001, Email:sanjeevsinghddu@gmail.com, Mob. No. 9451883888.
2. डा० चन्द्रमिलन वर्मा, पूर्व शोध अध्येता, भूगोल विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273001, Email:cmverma1@gmail.com, Mob. No. 8423748912.

एवं इसकी निम्न दर बाधक सिद्ध होती है। स्पष्ट है कि साक्षरता की कमी किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक परिपक्वता में अवरोध का कार्य करती है। इसके अलावा साक्षरता का प्रभाव दूसरे जनांकिकीय व सामाजिक पक्षों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, व्यावसायिक संरचना, वैवाहिक स्वरूप, रोजगार एवं आय के अवसर, रहन-सहन के स्तर, जीवन शैली एवं धार्मिक विश्वास पर बहुत अधिक पड़ता है (तिवारी, 2014)। चूँकि नगरीय समाज, सभ्य समाज के नाम से जाना जाता है इसलिए नगरों में शिक्षा का महत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है लेकिन इस नगरीय समाज में मलिन बस्तियों की अधिकाधिक समस्याओं में सबसे प्रमुख समस्या वहाँ की जनसंख्या में साक्षरता की कमी है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत शोध प्रपत्र गोरखपुर महानगर के मलिन बस्तियों में साक्षरता प्रतिरूप का अध्ययन किया गया है।

ऑकड़ों के स्रोत एवं विधितंत्र

यह शोध प्रपत्र प्राथमिक तथा द्वितीयक ऑकड़ों पर आधारित है। गोरखपुर महानगर में मलिन बस्तियों की स्थिति तथा उसमें निवास करने वाले परिवारों की जनसंख्या, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) गोरखपुर तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त किये गये हैं जबकि मलिन बस्तियों की अवस्थिति, शैक्षिक सुविधा एवं उनकी दशा तथा साक्षरता स्तर, परिवार में शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों एवं उसमें अधिकतम शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों से सम्बन्धित तथ्यों को द्विस्तरीय सर्वेक्षण कर प्राप्त किया गया है। सर्वप्रथम महानगरीय क्षेत्र में फ़ैले 110 मलिन बस्तियों का सामान्य सर्वेक्षण उनकी अवस्थिति, दशा एवं शैक्षिक सुविधाओं, आदि का सामान्य अध्ययन किया गया है। तत्पश्चात् द्वितीय चरण में गहन अध्ययन के लिए महानगर के कुल 110 मलिन बस्तियों में से प्रतिचयनित 34 मलिन बस्तियों के 1200 परिवारों का गहन सर्वेक्षण किया गया है। अध्ययनार्थ मलिन बस्तियों का प्रतिचयन उनकी बसाव की कालिक अवस्थिति तथा शिक्षा की सुविधा के आधार पर सम्पूर्ण महानगर को चार क्षेत्रों (पश्चिमी तथा संलग्न समीपवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र,

उत्तरी, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा पूर्वी एवं दक्षिणी-पूर्वी भाग) में विभक्त कर प्रत्येक क्षेत्र से उसमें अवस्थित बस्तियों का समानुपातिक चयन किया गया, जिसमें नगर के मध्य में स्थित एक, नगर के वाह्य भाग में स्थित एक तथा दोनों के मध्य में स्थित एक मलिन बस्ती का चयन किया गया है ताकि निष्कर्ष से सामान्यीकरण किया जा सके। महानगर में स्थित मलिन बस्तियों के यादृश्चिक 1200 परिवारों से गहन साक्षात्कार कर प्रश्नावली को पूर्ण किया गया। परिवारों के चयन में सदैव इस बात का ध्यान रखा गया है कि उत्तरदाताओं की सामान्य दशा, सभी जातियों, वर्गों, धर्मों, आय वर्ग एवं आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व हो सके। प्राप्त ऑकड़ों का सारणीयन करके तथ्यों को आरेखों द्वारा प्रदर्शित किया गया।

अध्ययन का उद्देश्य


प्रस्तुत शोध प्रपत्र गोरखपुर महानगर (उ0प्र0) में मलिन बस्तियों में साक्षरता प्रतिरूप के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है—

1. गोरखपुर महानगर के मलिन बस्तियों में साक्षरता के क्षेत्रीय प्रतिरूप का अध्ययन करना।
2. अध्ययन क्षेत्र के मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के शैक्षिक स्तर का विवेचन करना है।
3. अध्ययन क्षेत्र के मलिन बस्तियों में साक्षरता के निम्न स्तर होने के कारणों को रेखांकित करते हुए शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु सुझावों का निर्वचन करना है।

अध्ययन क्षेत्र

गोरखपुर महानगर भौगोलिक दृष्टिकोण से मध्य गंगा मैदान के मध्य उत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वोत्तर में स्थित यह नगर राप्ती व रोहिन नदियों के संगम पर उनके बायें किनारे पर अवस्थित है। गोरखपुर नगर अपने नाम के मण्डल, जिला और तहसील का मुख्यालय है। यह महानगर पूर्वी उत्तर प्रदेश का वाणिज्यिक एवं व्यापारिक केन्द्र होने के साथ-साथ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक केन्द्र भी है। 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार महानगर की

कुल जनसंख्या 6,72,925 है। नगर का क्षेत्रफल 147 वर्ग किमी० है तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह महानगर 70 वार्डों में विभक्त है। (मानचित्र 01)



चित्र 01

मलिन बस्तियों में साक्षरता

किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा एक आधारभूत तत्त्व है क्योंकि यह परिवर्तन तथा प्रगति का सबसे बड़ा औजार होता है। गोरखपुर महानगर के 110 मलिन बस्तियों में से 34 मलिन बस्तियों का साक्षरता से सम्बन्धित तथ्यों यथा कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, शैक्षिक स्तर, आदि आँकड़ों को संग्रहीत किया गया है जिसमें सर्वेक्षित मलिन बस्तियों में औसत साक्षरता 36.5 प्रतिशत है जो गोरखपुर महानगर की कुल साक्षरता 83.9 प्रतिशत, गोरखपुर जनपद की कुल साक्षरता 70.83 प्रतिशत एवं उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.7 प्रतिशत से काफी कम है।

तालिका 01 से स्पष्ट है कि इन बस्तियों में 63.5 प्रतिशत अर्थात् लगभग दो तिहाई के करीब जनसंख्या निरक्षर है।

पुरुष एवं महिला साक्षरता

महानगर के मलिन बस्तियों के सर्वेक्षण से विदित हुआ है कि इन बस्तियों में यद्यपि कुछ पढ़ी-लिखी महिलायें जरूर हैं लेकिन इनकी साक्षरता पुरुषों की अपेक्षा काफी कम है। इन बस्तियों में औसत पुरुष साक्षरता 44.1 प्रतिशत तथा औसत महिला साक्षरता 29.1 प्रतिशत है। तालिका 01 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित सभी मलिन बस्तियों में महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता से कम है अर्थात् पुरुष एवं महिला साक्षरता में काफी विषमता है। इन मलिन बस्तियों में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता मिर्जापुर 58.8 प्रतिशत तथा सबसे कम पुरुष साक्षरता भगवानपुर नं०-2 34.7 प्रतिशत है, जबकि सबसे अधिक महिला साक्षरता कुर्मियान टोला 39.5 प्रतिशत तथा सबसे कम महिला साक्षरता नौसड़ हरिजन बस्ती 19.2 प्रतिशत है।

मलिन बस्तियों में शैक्षिक स्तर

महानगर के मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के शैक्षिक स्तर की जानकारी हेतु कुल शिक्षित व्यक्तियों की शैक्षिक योग्यता को आधार मानकर कुल पाँच वर्गों—प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट

तथा उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों में बाँटकर अध्ययन किया गया है।

तालिका 02 : गोरखपुर महानगर : मलिन बस्तियों में शैक्षिक स्तर।


शैक्षिक स्तर	प्रतिशत
प्राथमिक	31.10
उच्च प्राथमिक	27.40
हाईस्कूल	25.00
इण्टरमीडिएट	9.70
उच्च शिक्षा	6.80
योग	100.00

स्रोत—लेखकगण द्वारा परिगणित।

महानगर के मलिन बस्तियों में कुल शिक्षित व्यक्तियों के प्रतिशत को तालिका 02 में प्रदर्शित किया गया है तालिका से स्पष्ट है कि प्राथमिक तक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति 31.1 प्रतिशत है (चित्र संख्या 02)। प्राथमिक तक शिक्षा ग्रहण करने वाले सबसे अधिक व्यक्ति नौसड़ हरिजन बस्ती 40.4 प्रतिशत में तथा सबसे कम व्यक्ति पुर्दिलपुर 20.5 प्रतिशत में है। उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति 27.4 प्रतिशत है। उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाले सबसे अधिक व्यक्ति छोटा महेवा 38.6 प्रतिशत में तथा सबसे कम व्यक्ति मिर्जापुर 19.8 प्रतिशत में है। हाईस्कूल स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने वाले कुल 25 प्रतिशत व्यक्ति है। हाईस्कूल स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने वाले सबसे अधिक व्यक्ति पुर्दिलपुर 34.2 प्रतिशत में तथा सबसे कम बहरामपुर दक्षिणी 17.3 प्रतिशत में है। इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने वाले कुल 9.7 प्रतिशत व्यक्ति है। इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने वाले सबसे अधिक व्यक्ति पुर्दिलपुर 14.7 प्रतिशत में तथा सबसे कम नौसड़ हरिजन बस्ती 3.0 प्रतिशत में है। मलिन बस्तियों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने

वाले बहुत ही कम व्यक्ति मात्र 6.8 प्रतिशत हैं। सबसे अधिक उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति उत्तरी हुमायूँपुर

9.7 प्रतिशत में तथा सबसे कम नौसड़ हरिजन बस्ती 2.8 प्रतिशत में है।



मलिन बस्तियों में साक्षरता प्रतिरूप

साक्षरता प्रतिरूप के अध्ययन हेतु महानगर के सर्वेक्षित मलिन बस्तियों को कुल पाँच वर्गों में बाँटकर अध्ययन किया गया है जो निम्नलिखित है—

अति निम्न साक्षरता वाली मलिन बस्तियाँ (<30 प्रतिशत)

इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाली कुल 4 मलिन बस्तियाँ (छोटा महेवा, बहरामपुर दक्षिणी, नौसड़ हरिजन बस्ती तथा रमदत्तपुर) है, इस वर्ग के अन्तर्गत सबसे अधिक साक्षरता बहरामपुर दक्षिणी में 29.9 प्रतिशत है तथा इस सबसे न्यून साक्षरता नौसड़ हरिजन में 27.5 प्रतिशत है। इस संवर्ग के अन्तर्गत आने वाली मलिन बस्तियों का कुल सर्वेक्षित मलिन बस्तियों का 11.8 प्रतिशत है।

निम्न साक्षरता वाली मलिन बस्तियाँ (30–35 प्रतिशत)

निम्न साक्षरता वर्ग के अन्तर्गत कुल 9 मलिन बस्तियाँ (जाफरा बाजार, चरगाँवा, सुड़ियाकुआँ बशारतपुर, बेतियाहाता हरिजन बस्ती, भगवानपुर नं0-2, झरना टोला, घोसीपुर हरिजन बस्ती, गोपलापुर, गांगोली टोला) है, जो

समस्त सर्वेक्षित मलिन बस्तियों का 26.5 प्रतिशत है। इस संवर्ग में सबसे अधिक साक्षरता चरगाँवा (35.00 प्रतिशत) में, जबकि सबसे कम साक्षरता भगवानपुर नं0-2 (30.20 प्रतिशत) में है।

मध्यम साक्षरता मलिन बस्तियाँ (35–40 प्रतिशत)

साक्षरता के इस वर्ग में कुल 14 मलिन बस्तियाँ (जंगल तुलसीराम, रामपुर नया गाँव, बरगदवाँ, नौसड़ यादव बस्ती, जाहिदाबाद, नकहा नं0-1, अंधियारीबाग, माधोपुर हरिजन बस्ती, महुईसुधरपुर, रानीडीहा, विसुनपुरवा, उत्तरी हुमायूँपुर, महादेव झारखण्डी नं0-2, जटेपुर दक्षिणी) है, जो कुल सर्वेक्षित मलिन बस्तियों का 41.1 प्रतिशत है। इस संवर्ग में सबसे अधिक साक्षरता अंधियारीबाग (39.9 प्रतिशत) में तथा सबसे कम साक्षरता विसुनपुरवा (35.4 प्रतिशत) में है।

उच्च साक्षरता मलिन बस्तियाँ (40–45 प्रतिशत)

उच्च साक्षरता वर्ग के अन्तर्गत कुल 5 मलिन बस्तियाँ (शाहपुर, सिंघड़िया, शिवपुर हरिजन बस्ती, धर्मशाला हरिजन बस्ती, कुर्मियान टोला) है, जो कुल मलिन

तालिका 03 : गोरखपुर महानगर : मलिन बस्तियों में साक्षरता प्रतिरूप

साक्षरता का स्वरूप	साक्षरता प्रतिशत में	मलिन बस्तियों के नाम	मलिन बस्तियों की संख्या	कुल का प्रतिशत
अति निम्न साक्षरता	< 30	छोटा महेवा, बहरामपुर दक्षिणी, नौसढ़ हरिजन बस्ती तथा रमदत्तपुर	04	11.7
निम्न साक्षरता	30-35	जाफरा बाजार, चरगावा, सुड़ियाकूआँ, बशास्तपुर, बेतियाहाता हरिजन बस्ती, भगवानपुर नं02, झरना टोला, घोसीपुर हरिजन बस्ती, गोपलापुर, गांगोली टोला	09	26.5
मध्यम साक्षरता	35-40	जंगल तुलसीराम, रामपुर नया गांव, बरगदवां, नौसड़ यादव बस्ती, जाहिदाबाद, नकहा नं01, अधियारी बाग, माधोपुर हरिजन बस्ती, महुईसुधरपुर, रानीडीहा, विसुनपुरवा, उत्तरी हुमायूँपुर, महादेव झारखण्डी नं0 2, जटेपुर दक्षिणी	14	41.1
उच्च साक्षरता	40-45	शाहपुर, सिंघड़िया, शिवपुर हरिजन बस्ती, धर्मशाला हरिजन बस्ती, कुर्मियान टोला	05	14.7
अति उच्च साक्षरता	> 45	मिर्जापुर, पुर्दिलपुर	02	5.9
योग			34	100.00

बस्तियों का 14.7 प्रतिशत है। इस वर्ग में सर्वाधिक साक्षरता कुर्मियान टोला में 43.7 प्रतिशत है तथा सबसे न्यून साक्षरता सिंघड़िया में 40.90 प्रतिशत है।

अति उच्च साक्षरता वाली मलिन बस्तियाँ (>45 प्रतिशत)

इस संवर्ग के अन्तर्गत कुल 2 मलिन बस्तियाँ जिसमें मिर्जापुर 47.5 प्रतिशत एवं पुर्दिलपुर 45.8 प्रतिशत है, जो कुल सर्वेक्षित मलिन बस्तियों का 5.9 प्रतिशत है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महानगर के मलिन बस्तियों में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है जो मलिन बस्तियों के सामाजिक-आर्थिक दशा को प्रभावित कर रहा है। इन मलिन बस्तियों में अभिभावकों का अशिक्षित या बहुत कम पढ़ा-लिखा होना, गरीबी के कारण शिक्षा को प्राथमिकता न देना, आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बच्चों का नामांकन अच्छे विद्यालय में न कराना, स्थानीय स्तर पर विद्यालय का न होना तथा बच्चों को विद्यालय भेजने के बजाय अपने कार्यों में काम पर लगाकर धनार्जन

को प्रोत्साहन देना आदि निम्न साक्षरता के उल्लेखनीय कारण हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

महानगर के मलिन बस्तियों के साक्षरता प्रतिरूप के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इनमें औसत साक्षरता बहुत कम (36.5 प्रतिशत) है अर्थात् 63.5 प्रतिशत जनसंख्या अशिक्षित या निरक्षर है जो सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अवरोधक है। महानगर के सर्वेक्षित 34 मलिन बस्तियों में से मात्र 2 मलिन बस्तियाँ (मिर्जापुर तथा पुर्दिलपुर) ही ऐसी हैं जिनमें साक्षरता 45 प्रतिशत से अधिक है अर्थात् 32 मलिन बस्तियों में 45 प्रतिशत लोग भी साक्षर नहीं हैं। इन बस्तियों में औसत पुरुष साक्षरता 44.1 प्रतिशत तथा औसत महिला साक्षरता 29.1 प्रतिशत है। इन बस्तियों में 50 प्रतिशत से अधिक (58.5 प्रतिशत) जनसंख्या मात्र उच्च प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षा ग्रहण किये हैं तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों का प्रतिशत मात्र 6.8 प्रतिशत है जो बहुत ही कम है। इन बस्तियों के अधिकांश बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। उनके पढ़ाई छोड़ने का प्रमुख कारण या तो वे एक ही कक्षा में बार-बार अनुत्तीर्ण हो जाते हैं या फिर उनके अभिभावकों द्वारा उनकी पढ़ाई को बीच में ही रोककर उन्हें कहीं काम-काज पर लगाकर उनसे धनार्जन करना है।

मलिन बस्तियों में निम्न साक्षरता का प्रमुख कारण गरीबी, अशिक्षा, अभिभावकों का शिक्षा के प्रति उदासीनता, बच्चों का अपने काम काज में सहयोग लेना या अन्यत्र लगाकर धनार्जन करना, आदि है। इन मलिन बस्तियों में शिक्षा के स्तर को उच्च बनाने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर चलाये जा रहे सर्वशिक्षा अभियान से जोड़ने का प्रयास सघनता से करना चाहिए। बच्चों के अभिभावकों को भी हमारे जीवन में शिक्षा के उपयोग एवं

लाभ के प्रति आकर्षित कर जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें। सरकार द्वारा निर्धारित योजना में निजी विद्यालयों में भी गरीब बच्चों को न्यूनतम शुल्क पर प्रवेश दिलाने की कठोरता से पालन किया जाय। मलिन बस्तियों में स्तरीय विद्यालयों की स्थापना हो ताकि इन बस्तियों के बच्चे शिक्षित होकर समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सभ्य, योग्य, नागरिक बन सकें और समाज तथा राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें।

सन्दर्भ सूची

1. वर्मा, चन्द्र मिलन, 2007, गोरखपुर महानगर में मलिन बस्तियों में नागरिक सुविधायें : एक भौगोलिक अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, भूगोल विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, पृ0 सं0 89.
2. त्रिपाठी, आर0, डी0, 1999, जनांकिकी एवं जनसंख्या अध्ययन, वसुन्धरा प्रकाशन, पृ0 सं0 209.
3. Islam, M., 2001, Urbanization and Socio-Economic Development in Ballia District, Unpublished Ph.D. Thesis V.B.S.P. University, Jaunpur, p.p. 70-71.
- 4- Chandana, R.C. & Siddhu, M.S. (1980) : Introduction to Population Geography, Kalyani Publishers, New Delhi, p. 98.
5. तिवारी, ऋषिकेश, 2014, "साक्षरता प्रतिरूप : उत्तराखण्ड का एक भौगोलिक विश्लेषण", जर्नल आफ सोशल साइंस रिसर्च पर्सपेक्टिव, अंक-2, संख्या-2, पृ0सं0 124-125.



गोड़ जनजातियों में व्याप्त अंधविश्वास उनके पोषण, स्वास्थ्य एवं विकास में बाधक

काजल मोइत्रा एवं श्रीमती मंजूषा साहू

शोध सारांश

विश्व समाज दो समूहों में विभाजित है पहला नगरीय समाज दूसरा ग्रामीण समाज। नगरीय समाज में सभ्य एवं आधुनिक कहे जाने वाले व्यक्ति निवास करते हैं, जबकि ग्रामीण समाज में सरल एवं असभ्य कहे जाने वाले लोग रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई दूरस्थ ग्रामीण अंचल हैं जहाँ के लोग सभ्यता से कोसों दूर हैं। आज भी उन लोगों तक सुविधाओं का अभाव है ऐसी ही एक प्राचीन जनजाति है गोड़ जनजाति, जो धमतरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में फैले हुए हैं। सुविधाओं के अभाव के कारण आज भी ये जनजाति अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति पर पूर्ण विश्वास एवं आस्था रखती है, किसी भी समाज एवं व्यक्ति का विकास उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है जो समाज या व्यक्ति मानसिक, शारीरिक, एवं दैहिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होगा वही विकास के पथ पर आगे बढ़ पाता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस प्रकार स्वस्थ मस्तिष्क से सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक विकास कर पाता है।

जनजातियों की चिकित्सा व्यवस्था अंधविश्वास पर आधारित है ईलाज हेतु आधुनिक चिकित्सा केन्द्रों की ओर न जाकर वे सर्वप्रथम बेंगा, गुनिया, पुजारी अथवा शमन की शरण लेते हैं। बीमारी को वे दैविक प्रकोप के रूप में मानते हैं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की पद्धतियों को अपनाने की दिशा में जनजातियाँ काफी पीछे हैं। गोड़ जनजातियों के समाज में अंधविश्वास अत्यधिक व्याप्त है जिसके कारण वे बीमारियों का कारण और ईलाज अंधविश्वास के माध्यम से करते आ रहे हैं जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी स्वास्थ्य एवं पोषण में अत्यधिक कमी पायी जाती है।

वर्तमान वातावरणीय परिवेश जनजातीय समाज को भी प्रभावित किया है प्राचीन समय में गोड़ जनजातीय लोगों का स्वास्थ्य बहुत बुरा नहीं था परंतु लगातार संक्रमण से अक्सर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो गोड़ जनजाति बहुत सी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। परंतु सबसे अधिक पेट, आंत, तथा चर्म रोगों के शिकार हो जाते हैं। प्रस्तुत शोध में गोड़ जनजातियों के समाज में फैले अंधविश्वास एवं उनके पोषण एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषणात्मक शोध किया गया है।

मुख्य शब्द :- गोड़ जनजातीय, अंधविश्वास, पोषण एवं स्वास्थ्य।

प्रस्तावना

जनजातियों में पराशक्ति पर गहरा विश्वास होता है। यह विश्वास अनेक स्तर पर होता है। आदिवासियों में ग्रामीण समाज की भांति धर्म का विकसित स्वरूप, धर्म संबंधी मंदिर एवं विविध सम्प्रदाय तथा वाद, आदि नहीं पाये जाते हैं। परंतु आदिवासी समाज के व्यक्ति पूर्वजों एवं परंपरागत देवताओं की पूजा अवश्य करते हैं। पूजा प्रायः पशु पक्षियों की बलि करके मंत्र पाठ करके सम्पन्न की जाती है।

अंधविश्वास किसी विशेष समाज या देश से नहीं जुड़े है बल्कि यह हर जगह पाये जाते हैं। अंधविश्वास में आस्था रखने वाले अधिकतर गरीब, अनपढ़ व नीचले तबके के लोग होते हैं। प्रायः गोड़ जनजातियों में अंधविश्वास के प्रति अत्यधिक विश्वास देखने को मिलता है। स्वास्थ्य मानव जीवन की अनमोल सम्पत्ति है मनुष्य की जीवन और उसकी खुशी के लिये स्वास्थ्य से ज्यादा किसी अन्य वस्तु की कल्पना करना कठिन है। स्वास्थ्य किसी भी समाज की आर्थिक प्रगति के लिये अनिवार्य है।

1. डा. काजल मोइत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, डा. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा, विलासपुर, छ.ग.।

2. श्रीमती मंजूषा साहू, शोध छात्रा, भूगोल विभाग, डा. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा, विलासपुर, छ.ग.।

गोंड़ जनजाति के गांव समान्यतः जंगलों और पहाड़ों पर होता है। जंगलों और पहाड़ियों पर होने के कारण वे लोग जड़ी बुटियों का अच्छा ज्ञान रखते हैं। तंत्र, मंत्र, झाड़ फूंक इनकी परंपरागत चिकित्सा का एक रूप है।

अध्ययन का उद्देश्य एवं महत्व

प्रस्तुत शोध के माध्यम से गोंड़ जनजातियों के स्वास्थ्य में अंधविश्वास किस प्रकार बाधक है इस पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है—

1. गोंड़ जनजातियों की स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को ज्ञात करना तथा उनकी आर्थिक दशा ज्ञात करना।
2. गोंड़ जनजातियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनकी विचार, और दृष्टिकोण को पता करना।
3. बैगा जनजातियों के रूढ़िवादी अंधविश्वास जनित स्वास्थ्य संबंधी अवधारणाओं को ज्ञात करना।
4. गोंड़ जनजातियों की परंपरागत चिकित्सा पद्धति का मूल्यांकन करना तथा आधुनिक चिकित्सा पद्धति को अपनाने की स्थिति को ज्ञात करना।
5. दुर्लभ प्रजाति की जड़ी बुटियों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी जिससे उनका संरक्षण एवं संवर्धन में सहायता मिलेगी।
6. अध्ययन से बैगा जनजातियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान के लिये बनायी जाने वाली नीति निर्धारण की नवीन तथ्यों को ज्ञात करना।
7. होने वाली बीमारियों के कारणों को ज्ञात करना।

शोध प्रविधि एवं शोध क्षेत्रों का परिचय

एक उत्तम शोध कार्य के लिए आवश्यक है उचित अध्ययन पद्धति का चुनाव करना। अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक मानदंड के अनुसार हो जो तथ्यों को वैज्ञानिकता प्रदान कर सकें।

शोध कार्य को गहन रूप प्रदान करने के लिये धमतरी जिले का नगरी विकासखण्ड के गोंड़ जनजातियों में

अंधविश्वास का पोषण एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है—

1. शोध कार्य के लिये धमतरी जिले के नगरी विकासखण्ड के गोंड़ जनजातीय का चुनाव किया गया है।
2. अध्ययन के लिये 200 परिवारों का चुनाव किया जायेगा।
3. अध्ययन में 10 ग्रामों से 20-20 परिवारों का चयन किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित धमतरी जिले का निर्माण 6 जुलाई 1998 में हुआ था। धमतरी जिला 20°42' उत्तरी अक्षांश एवं 18°33' पूर्वी देशांतर में स्थित है। यह जिला जल संसाधन की दृष्टि से संपन्न जिला है। धमतरी जिला की कुल क्षेत्रफल 2,029 वर्ग किमी. है।

धमतरी जिला, छत्तीसगढ़ प्रदेश के ऊर्वरक मैदानी क्षेत्र में स्थित है। महानदी, धमतरी जिले की जीवन रेखा है। धमतरी जिले में महानदी के प्रवाह कारण कृषि भूमि की उपजाऊ उर्वरता अधिक है। धमतरी जिले के पूर्व में सतपुड़ा श्रेणी, पश्चिम में कांकेर जिला एवं उत्तर दिशा में रायपुर एवं दक्षिण में उड़ीसा राज्य की सीमा हैं। धमतरी जिले की कुल जनसंख्या 7,99,781 (2011 की जनगणना—नुसार है) जिसमें 25.98 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है

जनजाति स्वास्थ्य में बाधक अंधविश्वास

जनजातियों को प्रकृति पुत्र कहा जाता है। इसका मुख्य कारण जनजातियों का प्रकृति से जुड़ाव है। यह जनजाति संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी है, लेकिन अशिक्षा एवं गरीबी के कारण उनमें जागरूकता की भारी कमी है। उनकी दुनिया अपने चालीस पचास किलोमीटर की दूरी तक सीमित है। जनजाति परिवार अपनी जीवन में ब्लॉक या तहसील मुख्यालय से ज्यादा दूर की दुनिया से सर्वथा अपरिचित रहता है। महिलाये तो हाट बाजार स्थल तक ही सीमित रहती हैं। बारहमासी सड़क, विद्युतीकरण, रेडियो, टीवी, आदि सुविधाओं की कोई पहुंच नहीं है, अतः

बाहरी दुनिया का उनके जीवन में कोई दखल नहीं बन पायी है विज्ञान की प्रगति के युग में आज तक इंसान की पहुंच चांद एवं तारों तक बन गयी है, वहीं इस परिवेश में जी रहें जनजातियों को आज भी ऐसा लगता है, कि पूरी दुनिया वैसे ही है जैसे चालीस पचास किलोमीटर की सीमा में उनमें दिखाई देता है। इन परिस्थितियों में एक बच्चा जन्म लेता है जीवन जीता है और मर जाता है। जीवन के संकट या प्रत्येक घटनाओं को प्रकृति के साथ जोड़ दिया जाता है। प्रकृति पर विश्वास कोई खराब बात नहीं है, लेकिन मानवीय त्रुटियों, असावधानियों से उत्पन्न परिस्थितियों को प्राकृतिक प्रकोप या दैविक संकट के रूप में जोड़ देना अंधविश्वास या अंध श्रद्धा है। यह अंधविश्वास क्षेत्र में काफी गहरे तक बैठी हुई है। इन परिस्थितियों में गांव में जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे दैवीय नाराजगी के रूप में देखा जाता है। उपचार के लिये किसी डॉक्टर के पास ले जाने के स्थान पर उसे स्थानीय बेंगा के पास ले जाया जाता है। बेंगा के द्वारा चावल के दाने या कौड़ी या कोई अन्य वस्तु का उपयोग कर मंत्रोच्चारण एवं झाड़ फूंक, कर इस बात पर विचार किया जाता है कि उक्त बीमारी का कारण क्या है। बेंगा के द्वारा विचारोपरान्त बीमारी या महामारी का कारण किसी देवी देवता की नाराजगी बताई जाती है तथा उपचार करने के पूर्व उसे प्रसन्न करने की विधि बतायी जाती है। इस विधि में मुर्गा, बकरा, शराब विविध प्रकार की पूजन सामग्री मंगायी जाती है तथा इन सामग्रियों का उपयोग कर मंत्रोच्चारण कर देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा किया जाता है। मरीज के उपचार का कारण बाद में किया जाता है। इस प्रक्रिया में जहाँ एक ओर प्रभावित परिवार को झाड़ फूंक में अनावश्यक व्यय होता है वहीं बीमार व्यक्ति की बीमारी और बढ़ती जाती है। अक्सर यह देखा जाता है जब बीमारी काफी बढ़ जाती है, तब इनके द्वारा असमर्थता प्रकट कर दी जाती है तथा बाहरी ईलाज की सलाह दी जाती है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और बीमार की प्राणरक्षा कठिन हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के फलस्वरूप परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है एवं बीमार व्यक्ति का संक्रमण परिवार के अन्य सदस्यों को भी ग्रसित कर लेता है और पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने

लगता है। अपने आप को किसी दैवीय बाधा या क्रोध से ग्रसित मानकर अपने जीवन को एक अभिशाप के रूप में जीना प्रारंभ कर देता है।

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं एवं समस्याएं

जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, चिकित्सकों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, जो कार्यरत है वे भी अपने मुख्यालय में नहीं रहते हैं, उनकी उपलब्धता ग्रामवासियों को सहज रूप से उपलब्ध नहीं है अतः जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी नहीं मिल पाती है। उन्हें ये नहीं मालूम कि चिकित्सा विज्ञान ने आज कितनी प्रगति कर ली है। उन्हें ये नहीं मालूम की शासकीय अस्पतालों में उन्हें निशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। उन्हें ये नहीं मालूम की शासन के द्वारा उन्हें बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिये क्या क्या योजनाएं लागू की हैं। न तो स्वास्थ्य योजना की जानकारी है, न ही उसका लाभ लेने की प्रक्रिया की उन्हें जानकारी है। न तो उन्हें बीमारी के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी है और न ही उपचारात्मक उपायों की ही जानकारी है। उन्हें इस बारे में बताने वाला भी कोई नहीं है। अतः वे स्वास्थ्य सुविधाओं का, स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। परिणाम यह होता है कि आज भी जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया, डायरिया, रक्त अल्पता, क्षय, आदि साधारण बीमारियों से माहामारी के रूप में मृत्यु होते रहती हैं जो कि जनजातिय परिवारों के सामने एक गंभीर समस्या बन चुकी है।

गोंड जनजातियों की परंपरागत चिकित्सा

गोंड जनजाति के लोग अभी भी जड़ी बुटियों और तंत्र मंत्र से अपना उपचार करते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर उन्हें जरा भी विश्वास नहीं है वे अपने रोगों के उपचार के लिये आज भी डॉक्टर या किसी बाहरी व्यक्ति की सहायता नहीं लेते हैं। वे स्वयं ही जड़ी बुटियों की सहायता से अपनी शारीरिक बीमारी का ईलाज कर लेते हैं। यह कटु सत्य भी है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति (ऐलोपैथी) किसी भी बीमारी को तुरंत ठीक तो कर देती है परंतु यह बीमारी

को जड़ से ठीक नहीं करती है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति से ईलाज करने वाले चिकित्सकों आज भी अनेकों बीमारियों में आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ता है।

परंपरागत चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र में बैगा व गुनिया रोगियों का जड़ी बूटियों या तंत्र, मंत्र से उपचार करता है। प्रायः प्रत्येक बीमारी के लिये अलग अलग जड़ी बूटी होती है। जनजातीय ग्राम के अधिकांश बैगाओं को इन जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है। इन जड़ी बूटियों से तैयार की गई औषधि के सेवन करने से बीमारियों में स्थायी सुधार होता है ये औषधियां बीमारियों को जड़ से खत्म कर देती है इन जड़ी बूटियों के सेवन से किसी प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। ये अपने अनुभव से अनेकों बीमारियों का ईलाज कर लेते हैं। इनको अपनी चिकित्सा पद्धति पर अटूट विश्वास रहता है। असाध्य रोगों की चिकित्सा जड़ी बूटियों के अलावा गुनियों के द्वारा ही की जाती है, गुनिया अपना पुरा ज्ञान अपने शिष्यों को नहीं देते जिससे असाध्य बीमारियों की चिकित्सा पद्धति लुप्त होती जा रही है।

98 प्रतिशत उत्तर दाता स्वयं की चिकित्सा पद्धति में विश्वास करते हैं उन्हे किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति पर विश्वास नहीं है। 80 प्रतिशत गैर जनजातीय उत्तरदाता जड़ी बूटियों के उपचार से रोग मुक्त हो जाते हैं ऐसा उत्तरदाताओं ने बताया। 8 प्रतिशत लोग यह मानते हैं कि झाड़ फूंक से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं जिसमें ये बैगा सिद्धहस्त है। 93 प्रतिशत लोग तंत्र मंत्र के प्रयोग को अनुचित मानते हैं केवल 7 प्रतिशत लोग इससे स्वास्थ्य लाभ मिलना स्वीकार करते हैं।

सुझाव

1. अंधविश्वासों, जादू टोना, भूत-प्रेत, आदि विचारों का परिवर्तन किया जावे।
2. गोड़ जनजाति के व्यक्तियों को प्रौढ़ शिक्षा को अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा का दर्जा दिया जाना चाहिए और कक्षा पांच, कक्षा आठ तक अध्ययन की अंकसूचियां दिया जाये जिसका उपयोग सरकारी

अथवा अर्द्धशासकीय सेवा में कर सके।

3. गोड़ जनजातियों के लिये मोबाईल, हास्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए।
4. गोड़ जनजातीय में चिकित्सक की भूमिका अदा करने वाले बैगाओं को आधुनिक चिकित्सा पद्धति का ज्ञान दिया जाना चाहिए।
5. शिक्षा एवं जागरूकता का प्रसार किया जाना आवश्यक है।
6. अच्छी सड़कें एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
7. महिलाओं को विशेष मनोरंजनात्मक चिकित्सा शिक्षा दिया जाना चाहिए। दक्ष हो जाने पर दाई, आशा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सरकारी सेवा में लेना चाहिए ताकि इनके परंपरागत ज्ञान का लाभ प्राप्त हो सके।
8. इनकी सांस्कृतिक विरासत से छेड़छाड़ किये बिना नवीन योजनाओं का संचालन करना चाहिए।
9. इनकी बस्तियों के आसपास कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाये ताकि गोड़ जनजातीय के लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो सके।
10. गांवों में सामुदायिक भवन बनना चाहिए इस भवन में टेलीविजन, टेलीफोन जैसी अत्यधिक सुविधाएं प्रदान किया जाये ताकि ये नवीन चिकित्साविधियों एवं औषधियों का ज्ञान प्राप्त कर सके जिससे वे अंधविश्वास की ओर प्रेरित न हो पाये।
11. बिजली की सुविधा प्रत्येक गांवों को प्रदान की जावे जिससे की उनमें अंधविश्वास न पनपे। प्रायः लोग रात्रि में अंधेरे के कारण अंधविश्वासी हो जाते हैं।

उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखकर योजना और कार्यक्रम चलाया जाये तो गोड़ जनजातियों में अंधविश्वास कम होगा और वे चिकित्सा के आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के प्रति जागरूक होंगे इस बात का ध्यान रखना

आवश्यक है कि इनकी जड़ी बूटियों के द्वारा परंपरागत चिकित्सा पद्धति को नुकसान पहुंचाये बिना इन्हे आधुनिक चिकित्सा (ऐलोपैथी) से जोड़ा जाये।

निष्कर्ष

गोंड जनजाति के जीवन के विभिन्न पक्षों का समन्वित प्रभाव उनके स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। इस संदर्भ में वर्तमान शोध के अंतर्गत धमतरी जिले के नगरीय विकासखण्ड में जीवन यापन करने वाले गोंड जनजाति के स्वास्थ्य एवं विकास पर अंधविश्वास का प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है अंधविश्वास को प्रमुख समस्या के रूप चयनित कर तत् संबंधी स्थितियों का विश्लेषण किया गया है। गोंड जनजातीय वर्तमान में परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों पर अटूट विश्वास करती है और इन्ही विधियों एवं प्रक्रियाओं से बीमारी का ईलाज करते हैं। अपनी बीमारियों का कारण प्राकृतिक आपदा एवं दैवीय

शक्ति का प्रकोप मानते हैं। लेकिन सरकार के प्रयास एवं सामाजिक परिवेश के संपर्क में आने से आधुनिक चिकित्सा की ओर आकर्षित हो रहे हैं यद्यपि इसकी प्रक्रिया अत्यन्त धीमी है।

संदर्भ सूची

1. तिवारी, डी.एन., 2002, आदिवासी एवं पर्यावरण, शांति प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. अग्रवाल, वासुदेव शरण, 1949, पृथ्वीपुत्र, सस्ता साहित्य मंडल, दिल्ली।
3. तिवारी, वी. के., 1998, भारत की जनजातियां, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुंबई।
4. विद्यार्थी, एल. पी., 1975, भारतीय आदिवासी नागरिक प्रचारिणी सभा, वाराणसी।





धमतरी जिले में धान की जैव-विविधता पर मिट्टी का प्रभाव

सुरेश कुमार साहू एवं टी. एल. वर्मा

शोध सारांश

धान की जैव-विविधता के भौगोलिक कारक उच्चावच, मिट्टी, वर्षा, आदि प्रमुख रूप से धान की कृषि को प्रभावित करते हैं। निम्न उच्चावच समतल भू-भाग को प्रदर्शित करता है। यहां धान की विविधता कम एवं उन्नत प्रकार की है तथा उच्च उच्चावच में धान की अधिक प्रजातियों का उत्पादन है इसका मुख्य कारण उच्च उच्चावच वनाच्छादित पहाड़ी क्षेत्र है यहां जनजातियों की अधिकता होने के कारण परम्परागत कृषि की जाती है। धान की प्रजातिय विविधता का सर्वाधिक प्रभाव मिट्टी के प्रकारों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। चयनित ग्रामों में सर्वाधिक उन्नत किस्मों का उत्पादन कन्हार मिट्टी में एवं परम्परागत किस्मों का उत्पादन भाठा मिट्टी में प्राप्त हुआ है। चयनित ग्रामों में सर्वाधिक धान की प्रजातियों की संख्या वर्ष 2015-16 में ग्राम अमाली (17) में प्राप्त हुई है जो अध्ययन क्षेत्र के नगरी तहसील में पूर्व दिशा में स्थित है। इसका मुख्य कारण वनाच्छादित, भाठा मिट्टी एवं परम्परागत किस्मों के प्रयोग से कृषि एवं आधुनिक कृषि का निम्न उपयोग है। सबसे कम धान की प्रजातिय विविधता चयनित ग्राम कल्ले (5) में प्राप्त हुई है इसका मुख्य कारण समतल कृषि भूमि, वर्षा एवं सिंचाई जल की उपलब्धता से उन्नत कृषि का अधिक प्रयोग है। अध्ययन क्षेत्र में विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु इनको उन्नत प्रजातियों के रूप में परिवर्तन कर इनमें अधिक उत्पादन प्रदान करने की क्षमता का विकास आवश्यक है।

मुख्य शब्द: जैव-विविधता, धान की प्रजातियाँ, उच्चावच एवं मिट्टी।

प्रस्तावना

जैव-विविधता समकालीन विश्व की गंभीर समस्या है इसके अंतर्गत दो परस्पर संबंधित अवधारणाएं आनुवांशिक एवं पारिस्थितिकीय विविधता सम्मिलित है। पारिस्थितिकीय प्रणाली एवं मानव दोनों का संरक्षण आवश्यक है। प्राकृतिक एवं मानव प्रेरित कारण से जैव-विविधता लगातार घट रही है (चन्द्रकार एवं जायसवाल, 2004)। जैविक विविधता का संक्षिप्त रूप ही जैव-विविधता है। जीवित प्राणियों के बीच का अंतर तथा जिस जैविक जटिलताओं में वह रहता है, उसका अंतर ही जैव-विविधता है। जीव मंडल में उल्लभ जीवों की संख्या, प्रजाति तथा अंतर में विभिन्नताओं के कुल योग को ही जैव-विविधता कहते हैं (अरुण कात्यामन, 2013)।

बॉयो डाईवर्सिटी (Biodiversity) शब्द का नामकरण 1986 ई. में वाल्टर जी. रोसेन के द्वारा किया

गया। प्रजाति का अर्थ विभिन्न किस्मों के ऐसे समूह से है जो आनुवांशिक स्तर पर ऐसे मिलते-जुलते हैं कि उसको आपस में मिलाकर नई किस्मों की संतति उत्पन्न की जा सके। प्रजातीय विविधता एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न किस्मों की विविधता को निरूपित करता है। यह विविधता किसी भी क्षेत्र में धान प्रजातियों की संख्या से जानी जाती है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन का मुख्य उद्देश्य धमतरी जिले में धान की कृषि एवं धान की जैव-विविधता का अध्ययन करना और जिले के प्रतिदर्श ग्रामों में धान की प्रजातियों पर मिट्टी के प्रभाव का अध्ययन करना है।

विधितंत्र

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। सर्वप्रथम धमतरी जिले के चार तहसीलों

1. डॉ. सुरेश कुमार साहू, सहायक शिक्षक, शा.आ.प्रा.शा. कुरा, धमतरी (छ.ग.)।

2. डॉ. टी. एल. वर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, शासकीय छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।

को आधार माना गया है। अध्ययन वर्ष 2015-16 एवं 1985-86 के द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है तथा भू-अभिलेख पत्रक एवं सांख्यिकीय पुस्तिका में अंकित आंकड़ों का प्रयोग में लाया गया है। साथ ही धमतरी जिले के चार तहसीलों से कुल 12 प्रतिदर्श ग्रामों का दैवनिदर्शन विधि द्वारा चयन किया गया है तथा 1240 कृषक परिवारों से धान की कृषि संबंधी सूचनाएँ अनुसूची एवं साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के धान की जैव-विविधता पर मिट्टी के प्रभाव हेतु धान प्रजातियों का विश्लेषण की गई है।

अध्ययन क्षेत्र

धमतरी जिला छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य में स्थित है। जिले का गठन 6 जुलाई 1998 को हुआ। यह 20°2' 30" से 21°1' 32" उत्तरी अक्षांश एवं 81°23' 17" से 82°10' 35" पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 4,081.93 वर्ग किलोमीटर है। यह ऊपरी महानदी बेसिन का भाग है। धमतरी जिले के उत्तर में रायपुर, दुर्ग, उत्तर-पूर्व

में गरियाबंद, दक्षिण-पूर्व में उड़ीसा राज्य, कोंडागाँव एवं दक्षिण-पश्चिम में कांकेर तथा पश्चिम में बालोद जिला स्थित है।

धमतरी जिले में 2011 की जनगणना में जनसंख्या 7,99,781 है। जिसमें 49.75 प्रतिशत पुरुष एवं 50.25 प्रतिशत महिलाएँ है। जिसमें 81.35 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में एवं 18.65 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती हैं। कुल जनसंख्या में 25.96 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 7.32 प्रतिशत अनुसूचित जाति है।

धान का क्षेत्रफल

धान की जैव-विविधता से आशय-धान की विभिन्न प्रजातियों से हैं। यह अध्ययन क्षेत्र की आजीविका का मुख्य साधन है। धान की कृषि के स्वरूप में कृषकों की आर्थिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक गुणों का प्रभाव पड़ता है। जिले में कुल फसली क्षेत्र 2,06,551 हेक्टेयर है इसमें धान का क्षेत्र 1,39,991 हेक्टेयर है। यह कुल शस्य क्षेत्र का 67.77 प्रतिशत है।

सारणी 01 : जिला धमतरी : चयनित ग्रामों में धान का क्षेत्रफल, 2015-16

क्रमांक	सर्वेक्षित ग्राम का नाम	कुल शस्य क्षेत्र (हे.)	धान का क्षेत्रफल		धान का कुल क्षेत्रफल(हे.)	कुल शस्य क्षेत्र का प्रतिशत
			खरीफ	रबी		
1.	खपरी	759.00	385.00	370.00	755.00	99.47
2.	मथुराडीह	133.15	131.00	—	131.00	98.38
3.	बारगरी	18.52	17.74	—	17.74	95.79
4.	भैंसबोड़	415.10	415.10	—	415.10	100.00
5.	कल्ले	409.02	252.09	122.00	374.09	91.46
6.	परसट्टी	449.04	212.86	50.00	262.86	58.54
7.	तेन्दुभाठा	175.30	158.00	16.00	174.00	99.25
8.	नवागाँव	303.67	291.76	5.30	297.06	97.82
9.	नाहरडीह	276.00	157.54	112.24	269.78	97.75
10.	अमाली	177.33	94.13	—	94.13	53.08
11.	पोड़ागाँव	192.25	148.00	25.00	173.00	89.99
12.	चिवरी (माल)	249.40	178.00	—	178.00	71.37
	योग	3557.78	2441.22	700.54	3141.76	88.31

स्रोत : ग्राम पटवारीयों से प्राप्त

धान की कृषि के अध्ययन के लिए वर्ष 2015-16 में जिले के 4 तहसीलों के 12 ग्रामों से आँकड़े एकत्र किये गये। सारणी 01 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ट्रांस-महानदी मैदान में स्थित कुरुद तहसील के ग्राम भैंसबोड़ में धान का क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ धान का क्षेत्र शत प्रतिशत है। अमाली गांव का क्षेत्र सबसे कम है। यहां इसका क्षेत्र कुल शस्य क्षेत्र का 53.08 प्रतिशत है। खपरी गांव का द्वितीय स्थान है यहां धान का क्षेत्र कुल शस्य क्षेत्र 99.47 प्रतिशत है। ग्राम में नहर एवं ट्यूबवेल की सुविधा के कारण खरीफ मौसम में 50.99 प्रतिशत एवं रबी मौसम में 49.01 प्रतिशत क्षेत्र में धान की कृषि की जाती है।

धान प्रजाति की उपलब्धता

अध्ययन क्षेत्र में धान की विविधता के कारण पहले धान की विभिन्न किस्में पाई जाती थी। यह स्थान विशेष की जलवायु एवं मिट्टी के अनुसार उगती थी। इसकी विशेषता धान की ऐसी किस्में जो अधिक पानी में उत्पादित की जाती थी और कुछ किस्में निम्न जल की उपलब्धता में अच्छी उपज देती थी। जैव-विविधता का उपयोग धान की कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ रोग-रोधी एवं कीटरोधी फसलों की किस्मों के विकास में सहायक है। यही कारण है कि हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी धान की बौनी किस्मों का विकास ताइवान में पायी जाने वाली डी. जियो ऊ-जने नामक धान की प्रजाति से किया गया था।

वर्तमान समय में धान के रोग रोधी और कीटरोधी 20 प्रमुख जीन का उपयोग धान सुधार कार्यक्रम में हो रहा है। प्रजातीय स्तर कि विविधता महत्वपूर्ण है। यदि पूरे विश्व में किसी धान की एक ही प्रजाति हो तो उसे कोई रोग हो जाए तो संभव है कि उस प्रजाति का अस्तित्व ही मिट जाए। लेकिन प्रजातीय विविधता के कारण ऐसा नहीं हो सकता (कृष्ण चन्द्र, यादव, 2012)।

प्रजाति विविधता के भौगोलिक कारण

धान की हजारों प्रजातियाँ पाई जाती है। यह विभिन्न जलवायु एवं मिट्टी में मिलती है। इस प्रकार प्रजातियों में पायी जाने वाली विभिन्नता को प्रजातिय

विविधता कहा जाता है।

धान प्रजातियों की विविधता में भौगोलिक कारण महत्वपूर्ण होता है। उच्चावच, मिट्टी एवं वर्षा का प्रभाव धान प्रजातियों की विविधता पर पड़ता है। जिले के चयनित 12 ग्रामों में प्रजाति विविधता के भौगोलिक कारणों का विश्लेषण किया गया है –

उच्चावच एवं धान की प्रजाति

उच्चावच के अंतर्गत उच्चतम एवं न्यूनतम भागों की ऊँचाई के अंतर को उच्चावच की संज्ञा प्रदान करते हैं। उच्चावच कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। क्योंकि फसलों के वितरण एवं संबंधित कार्य धरातलीय स्वरूप पर आधारित है (सतनाम सिंह, 2008)। धान प्रजातियों की विविधता, कृषि विधि एवं उत्पादन धरातल के उच्चावच पर निर्भर करता है। धरातलीय स्थिति से ही धान प्रजातियों का स्थान विशेष के आधार पर निर्धारण होता है। चयनित ग्रामों में स्थानीय स्तर पर भी उच्चावच में भिन्नता पायी जाती है। इन्हीं के आधार पर उच्चावच को तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है –

- (i) निम्न उच्चावच (बाहरा)
- (ii) मध्यम उच्चावच (गभारा)
- (iii) उच्च उच्चावच (भांटा या टिकरा)

निम्न उच्चावच

अध्ययन क्षेत्र में निम्न उच्चावच वाले भाग को 'बाहरा' भूमि के नाम से जाना जाता है। प्रायः इस तरह की भूमि छोटे नाले, नदी एवं धरातलीय विषमता के समीपस्थ क्षेत्रों में होती है। इस प्रकार के कृषि भूमि का मेंड़ ऊँचे-ऊँचे होते हैं। यहां देर से पकने वाली (130 दिन से अधिक) धान की प्रजातियाँ बोयी जाती है। चयनित ग्रामों में निम्न उच्चावच में धान प्रजातियों का कुल क्षेत्रफल वर्ष 1985-86 में 981.68 हेक्टेयर था। इसमें 111 धान प्रजातियों का उत्पादन किया गया। ग्राम नवागांव में सबसे अधिक 128.00 हेक्टेयर तथा ग्राम बारगरी में सबसे कम 28.30 हेक्टेयर भूमि पर धान का उत्पादन किया गया। वर्ष 2015-16 में

448.24 हेक्टेयर कृषि भूमि में 48 धान प्रजाति बोया गया। ग्राम नवागांव में सबसे अधिक 82.95 हेक्टेयर पर एवं ग्राम चिंवर्री(माल) में सबसे कम 11.00 हेक्टेयर भूमि में धान की फसल बोई गई। इसका प्रमुख कारण यहां भाटा भूमि की अधिकता है (सारणी 02)।

मध्यम उच्चावच

अध्ययन क्षेत्र में मध्यम उच्चावच वाले भाग को 'गभार' भूमि के नाम से जाना जाता है। धान की कृषि हेतु उचित जलधारण क्षमता एवं नमी धारण करने की क्षमता निम्न उच्चावच से कम एवं उच्च उच्चावच से अधिक होती है। यहां धान की मध्यम अवधि (100 से 130 दिन) में पकने वाले प्रजातियाँ बोयी जाती है। अध्ययन क्षेत्र के चयनित

ग्रामों में मध्यम उच्चावच वाले कृषि क्षेत्र में धान प्रजातियों का कुल क्षेत्रफल वर्ष 1985-86 में 183.00 हेक्टेयर था। इसमें 45 धान प्रजातियों का उत्पादन किया गया। ग्राम भैंसबोड़ में सबसे अधिक 37.30 हेक्टेयर कृषि भूमि में 5 धान प्रजातियाँ एवं ग्राम मथुराडीह में 3.20 हेक्टेयर में 1 धान प्रजातियाँ सबसे कम प्राप्त हुईं। वर्ष 2015-16 में 578.59 हेक्टेयर में 62 धान प्रजातियाँ बोयी गयी इसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल ग्राम परसट्टी में 93.20 हेक्टेयर में 9 धान प्रजातियाँ प्राप्त हुईं। इसका प्रमुख कारण यहाँ का समतल कृषि भूमि का होना है। सबसे कम ग्राम नाहरडीह में 14.0 हेक्टेयर में 4 धान प्रजातियाँ प्राप्त हुईं। इसका प्रमुख कारण यहां निम्न उच्चावच कृषि भूमि की अधिकता है (सारणी 02)।

सारणी 02 : जिला घमतरी : चयनित ग्रामों में कृषि भूमि का उच्चावच एवं धान प्रजाति, 1985-86, 2015-16

क्र.	सर्वेक्षित गांव का नाम	उच्चावच के अनुसार धान का क्षेत्रफल (हे.)						प्रजाति की संख्या					
		निम्न		मध्यम		उच्च		1985-86			2015-16		
		1985-86	2015-16	1985-86	2015-16	1985-86	2015-16	निम्न	मध्यम	उच्च	निम्न	मध्यम	उच्च
1.	खपरी	82.58	44.93	18.50	76.10	14.30	4.10	7	5	2	2	5	1
2.	मथुराडीह	71.00	25.00	3.20	39.70	10.00	22.60	13	1	2	5	4	3
3.	बारगरी	28.30	15.00	6.70	14.60	3.20	12.00	8	3	1	4	4	2
4.	भैंसबोड़	121.90	51.20	37.30	90.90	27.20	40.20	9	5	6	4	3	1
5.	कल्ले	101.70	52.50	9.70	17.10	2.30	40.70	5	2	1	2	2	1
6.	परसट्टी	127.10	47.00	28.60	93.20	4.10	16.40	11	5	1	4	9	1
7.	तेन्दुभाठा	43.00	18.20	21.90	61.00	32.30	14.40	6	6	8	4	7	1
8.	नवागांव	128.00	82.95	12.60	40.20	18.70	32.20	12	3	3	5	6	2
9.	नाहरडीह	80.10	33.60	8.20	14.00	-	38.70	12	5	0	2	4	1
10.	अमाली	80.10	36.40	4.40	49.72	7.90	8.40	11	2	4	7	9	1
11.	पोड़ागांव	58.10	30.46	22.50	49.55	16.00	20.61	11	5	5	5	5	2
12.	चिंवर्री (माल)	59.80	11.00	9.40	32.52	30.30	61.56	6	3	6	4	4	7
	योग	981.	448.	183.	578.	166.	311.	111	45	39	48	62	23

स्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2015-16

उच्च उच्चावच

उच्च उच्चावच वाले कृषि भूमि को 'भांठा या टीकरा' भूमि कहा जाता है। यह कृषि भूमि निम्न श्रेणी की कम उर्वर भूमि होती है एवं इनकी जलधारण क्षमता कम होने से इस भूमि में नमी की मात्रा कम होती है। इस श्रेणी के खेतों में मेड़ों की ऊँचाई अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे वर्षा का जल खेतों में नहीं रुकता साथ ही रिसाव भी अधिक होता है। इस प्रकार की भूमि में कम अवधि (100 दिन से कम) में पकने वाली धान प्रजातियों का उत्पादन अधिक प्राप्त हुआ है।

चयनित ग्रामों में उच्च उच्चावच वाले कृषि क्षेत्र में

धान प्रजातियों का कुल क्षेत्रफल वर्ष 1985-86 में 166.30 हेक्टेयर था। इसमें 39 धान प्रजातियाँ बॉई गईं। इसमें सबसे ज्यादा धान का क्षेत्रफल ग्राम तेन्दुभाठा में 32.30 हेक्टेयर में 8 धान प्रजातियाँ प्राप्त हुईं। सबसे कम ग्राम कल्ले में 2.30 हेक्टेयर पर 1 धान प्रजातियाँ प्राप्त हुईं। वर्ष 2015-16 में कुल क्षेत्रफल 311.87 हेक्टेयर कृषि भूमि में 23 धान प्रजातियाँ बोयी गयी इसमें सबसे अधिक धान का क्षेत्रफल ग्राम चिंवर्री(माल) में 61.56 हेक्टेयर में 7 धान प्रजातियाँ प्राप्त हुईं। सबसे कम ग्राम खपरी में 4.10 हेक्टेयर पर 1 धान प्रजातियाँ प्राप्त हुई है। इसका प्रमुख कारण निम्न उच्चावच में समतल क्षेत्र का होना है (सारणी 02)।

सारणी 03 : जिला धमतरी : चयनित ग्रामों में कृषि भूमि का उच्चावच एवं धान प्रजाति

क्रमांक	उच्चावच स्तर	उच्चावच का प्रकार	धान का क्षेत्रफल (हे.)		धान प्रजाति की संख्या	
			1985-86	2015-16	1985-86	2015-16
1.	निम्न	बाहरा	981.68	448.24	111	48
2.	मध्यम	गभार	183.00	578.59	45	62
3.	उच्च	भाठा	166.30	311.87	39	23
योग			1,330.98	1,338.70	195	133

स्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2015-16

ग्रामों में उच्चावच सारणी 03 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित धान का क्षेत्रफल वर्ष 1985-86 में 1330.98 हेक्टेयर था। इसमें 195 धान प्रजातियाँ प्राप्त हुईं। वर्ष 2015-16 में 1338.70 हेक्टेयर क्षेत्र में 133 धान प्रजातियों की कृषि हुई।

मिट्टी एवं धान की प्रजाति

मिट्टी पोषणों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व तथा वायु का संचार करती है (शर्मा, भारद्वाज, 2012-13)। धान की कृषि में, धान प्रजातियों के निर्धारण में मिट्टियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। मिट्टी के आधार पर धान की प्रजाति एवं उपज निर्भर करती है। सर्वशुद्ध क्षेत्र में विस्तृत आक्रियन क्रम की शैलों के क्षेत्रों में अवर्गीकृत रवेदार, नीस एवं ग्रेनाइट शैल समूह के विखण्डन से बनी हल्की तथा

पतली मिट्टी में शीघ्र पकने वाली धान प्रजातियों की कृषि की जाती है। नदियों एवं नालों के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी में अपेक्षाकृत अधिक जलधारण क्षमता के कारण मध्यम एवं देर से पकने वाली प्रजातियों की कृषि के लिए अच्छी होती है। चयनित ग्रामों के मिट्टियों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है :-

कन्हार मिट्टी एवं धान की प्रजाति

कन्हार मिट्टी गहरी काली रंग की होती है। यह मिट्टी कड़ी एवं नमी के अभाव में बड़ी दरारें पाई जाती है। चिकनाई की प्रतिशत उच्च होती है एवं जल निकासी निम्न होती है (कृषि विज्ञान केंद्र, धमतरी, 2016)। इस में चूना, पोटैस, मैग्नीशियम, एल्युमीनियम की अधिकता एवं आर्द्रताग्राही होने के कारण यह मिट्टी धान की कृषि हेतु

सर्वोत्तम है। इस मिट्टी में देर से (130 दिन से अधिक) पकने वाले धान की प्रजातियों का उत्पादन की जाती है। अध्ययन क्षेत्र में इस मिट्टी में दूबराज, बांसपत्ती, सफरी, मासुरी, विष्णु भोग, बासमती, आदि बोई जाती है। चयनित ग्रामों में वर्ष 1985-86 में 690.08 हेक्टेयर में धान की 61 प्रजातियाँ बोई गईं। इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल ग्राम भैंसबोड़ में 136.20 हेक्टेयर था। इसमें 10 धान की प्रजातियाँ प्राप्त हुईं। ग्राम मथुराडीह, बारगरी एवं नाहरडीह में कन्हार मिट्टी नगण्य है। वर्ष 2015-16 में कुल क्षेत्रफल कन्हार मिट्टी का 707.20 हेक्टेयर में 43 प्रजातियाँ बोयी गईं। इसमें सबसे अधिक कन्हार मिट्टी में धान का उत्पादन ग्राम भैंसबोड़ में 138.30 हेक्टेयर है, यहां 4 प्रजातियों की कृषि की गई। ग्राम मथुराडीह बारगरी एवं नाहरडीह में नगण्य है।

मटासी मिट्टी एवं धान की प्रजाति

यह मिट्टी हल्के पीले रंग की होती है इसकी संरचना एवं उर्वरा शक्ति धान के लिए उपयुक्त होती है। जल धारण क्षमता एवं जल निकास सामान्य होती है, किन्तु जीवांश अधिक होती है। यह मिट्टी आसानी से टूटती एवं भुरभुरी होती है (कृषि विज्ञान केन्द्र, धमतरी, 2016)। चयनित ग्रामों में वर्ष 1985-86 में मटासी मिट्टी का क्षेत्र 430.61 हेक्टेयर था। इसमें 76 प्रजातियाँ बोयी गईं। सबसे अधिक धान का क्षेत्रफल ग्राम नाहरडीह में 63.80 हेक्टेयर में 9 धान प्रजातियाँ एवं ग्राम अमाली में सबसे कम 13.39 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 5 प्रजातियाँ प्राप्त हुईं। वर्ष 2015-16 में मटासी मिट्टी में धान की कृषि 474.84 हेक्टेयर में 53 प्रजातियों की कृषि की गई। इसमें सबसे ज्यादा ग्राम चिंवर्री(माल) में 70.12 हेक्टेयर क्षेत्र में 7 धान प्रजातियाँ एवं सबसे कम ग्राम खपरी में 4.60 हेक्टेयर क्षेत्र में 2 धान प्रजातियों का उत्पादन किया गया।

डोरसा मिट्टी एवं धान प्रजाति

यह मिट्टी गहरा मटमैला, धुसर रंग लिये होती है इसकी संरचना कन्हार एवं मटासी के मध्य होती है। इसमें दोनों मिट्टियों के गुण एवं विशेषताएँ होती है। डोरसा मिट्टी में धान की सभी प्रजातियाँ बोयी जाती है। चयनित

ग्रामों में वर्ष 1985-86 में 38.21 हेक्टेयर क्षेत्र था। इसमें 10 प्रजातियाँ बोयी गईं। वर्ष 2015-16 में 32.80 हेक्टेयर क्षेत्र में 8 प्रजातियों में धान की कृषि की गई है।

भाठा मिट्टी एवं धान प्रजाति

अध्ययन क्षेत्र में भाठा मिट्टी (लेटेराइट) हल्की लाल रंग, बड़े कणों से निर्मित होती है। यह धान उगाने के लिए सामान्य है, परंतु बहुत अच्छी नहीं है। इसमें जलधारण क्षमता एवं आयरन का प्रतिशत कम होता है। इस मिट्टी में शीघ्र पकने वाली धान की प्रजातियाँ बोयी जाती है। चयनित ग्रामों में वर्ष 1985-86 में 139.88 हेक्टेयर क्षेत्र था। इसमें 38 प्रजातियाँ बोयी गईं। ग्राम चिंवर्री (माल) में सबसे अधिक 31.90 हेक्टेयर में 6 प्रजातियाँ बोया गया। ग्राम नाहरडीह में सबसे कम भाठा मिट्टी का क्षेत्र नगण्य है। वर्ष 2015-16 में भाठा मिट्टी में धान का क्षेत्रफल 98.16 हेक्टेयर क्षेत्र में 23 प्रजातियाँ बोयी गईं। इसमें सबसे ज्यादा चिंवर्री(माल) में 27.76 हेक्टेयर क्षेत्र में 5 धान प्रजातियों का उत्पादन की गई।

कछारी मिट्टी एवं धान की प्रजाति

कछारी मिट्टी नदी एवं नालों के द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी होती है। इसमें रेत तथा चीका मिश्रित विक्षेपित मिट्टी, स्थानीय रूप से "कछारी मिट्टी" कहलाती है। इसमें 30 से 45 प्रतिशत चीका, 60-65 प्रतिशत बालू पायी जाती है। महानदी के तटवर्ती क्षेत्रों की कछारी मिट्टी काफी उपजाऊ है तथा इसकी जलधारण क्षमता अधिक है। अध्ययन क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली महानदी एवं बरसाती नदियों के किनारे इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार चयनित ग्राम तेन्दुभांठा एवं नाहरडीह में है। कछारी मिट्टी में धान की शीघ्र एवं मध्यम अवधि में पकने वाली प्रजातियों की कृषि की जाती है।

चयनित ग्रामों में वर्ष 1985-86 में तेन्दुभांठा एवं नाहरडीह में क्रमशः 7.70 एवं 24.50 हेक्टेयर क्षेत्र में 10 धान प्रजातियों की कृषि की गई। वर्ष 2015-16 में 25.70 हेक्टेयर क्षेत्र में 6 धान प्रजातियों है।

सारणी 04 : जिला धमतरी : चयनित ग्रामों में मिट्टियाँ एवं धान प्रजाति

क्रमांक	मिट्टी का प्रकार	धान की कृषि भूमि		धान प्रजातियों की संख्या	
		1985-86	2015-16	1985-86	2015-16
1.	कन्हार	690.08	707.20	61	43
2.	मटासी	430.61	474.84	76	53
3.	डोरसा	38.21	32.80	10	08
4.	भाठा	139.88	98.16	38	23
5.	कछारी	32.20	25.70	10	06
	योग-	1330.98	1338.70	195	133

स्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2015-16

चयनित ग्रामों की मिट्टियों में कुल धान का क्षेत्रफल वर्ष 1985-86 में 1,330.98 हेक्टेयर क्षेत्र था। इसमें 195 धान प्रजातियों की कृषि की गई। वर्ष 2015-16 में 1,338.70 हेक्टेयर क्षेत्र में 133 प्रजातियाँ हैं (सारणी 04)।

निष्कर्ष

धान की जैव-विविधता के भौगोलिक कारक उच्चावच, मिट्टी, वर्षा आदि प्रमुख रूप से धान की कृषि को प्रभावित करते हैं। निम्न उच्चावच समतल भू-भाग को प्रदर्शित करता है। यहां धान की विविधता कम एवं उन्नत प्रकार की है तथा उच्च उच्चावच में धान की अधिक प्रजातियों का उत्पादन है इसका मुख्य कारण उच्च उच्चावच वनाच्छादित पहाड़ी क्षेत्र है यहां जनजातियों की अधिकता होने के कारण परम्परागत कृषि की जाती है। धान की प्रजातिय विविधता का सर्वाधिक प्रभाव मिट्टी के प्रकारों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। चयनित ग्रामों में सर्वाधिक उन्नत किस्मों का उत्पादन कन्हार मिट्टी में एवं परम्परागत किस्मों का उत्पादन भाठा मिट्टी में प्राप्त हुआ है।

चयनित ग्रामों में सर्वाधिक धान की प्रजातियों की संख्या वर्ष 2015-16 में ग्राम अमाली (17) में प्राप्त हुई है जो अध्ययन क्षेत्र के नगरी तहसील में पूर्व दिशा में स्थित है। इसका मुख्य कारण वनाच्छादित, भाठा मिट्टी एवं परम्परागत किस्मों के प्रयोग से कृषि एवं आधुनिक कृषि का

निम्न उपयोग है। सबसे कम धान की प्रजातिय विविधता चयनित ग्राम कल्ले (5) में प्राप्त हुई है इसका मुख्य कारण समतल कृषि भूमि, वर्षा एवं सिंचाई जल की उपलब्धता से उन्नत कृषि का अधिक प्रयोग है। अध्ययन क्षेत्र में विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु इनको उन्नत प्रजातियों के रूप में परिवर्तन कर इनमें अधिक उत्पादन प्रदान करने की क्षमता का विकास आवश्यक है।

सन्दर्भ सूची

1. चंद्राकर, अवध राम एवं जायसवाल, अशोक, 2004, "वृष्टिछाया प्रदेश में धान प्रजाति की जैव-विविधता : एक भौगोलिक विश्लेषण, उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अंक-40, जून-दिसंबर, पृ. 8-15 ।
2. यादव, कृष्ण चंद्र, 2012, जैव-विविधता संरक्षण एवं विशेष आवास स्थलों का महत्व, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, छत्तीसगढ़, रायपुर, पृ. 8-9 ।
3. वर्मा, टोप लाल, 1992, "पूर्वोत्तर बस्तर की जनजातियों की कृषि एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ:- एक भौगोलिक विश्लेषण", अप्रकाशित पी-एच.डी., शोध-प्रबंध, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।
4. वर्मा, राजेश्वर कुमार, 2005, "रायपुर जिले में धान की कृषि एवं उसके संदर्भ में जैव-विविधता तथा उर्जा

- बजट”, अप्रकाशित पी-एच.डी., शोध-प्रबंध, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
5. सिंह, सतनाम, 2008, कृषि भूगोल, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, ISBN: 978.81.7555.205.0.
6. श्रीवास्तव, रंजना, त्रिपाठी, के. सी. एवं गुप्ता, गोपाल, 2011, “जैव-विविधता ह्रास एवं संरक्षण : एक भौगोलिक अध्ययन”, संपादक एस. अखिलेश एवं संध्या शुक्ला, सेंटर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवां (म. प्र.), पृ. 279, ISBN: 978.81.87364.43.6.
7. कृषि विज्ञान केंद्र, 2016, धमतरी में पाए जाने वाले मृदायें, कृषि विज्ञान केंद्र, धमतरी।
8. प्रमुख खरीफ फसलों की कृषि कार्यमाला, 2015, “निदेशालय विस्तार सेवाएं”, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर(छ.ग.), पृ. 23-24, 21-22, 25।





रायपुर नगर में बाल आयु वर्ग विद्यार्थियों में पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं पोषण दशाएँ

लक्ष्मी नायक

शोध सारांश

छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर में बाल आयुवर्ग विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति के संबंध में व्यापक स्तरीय अध्ययन किया गया। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि बाल आयुवर्ग में आहार के रूप में मुख्य रूप से अनाज शामिल थे (284.6 ग्रा.)। आयुवर्गानुसार हरी पत्तेदार सब्जियों, दुध एवं फलों का प्रयोग किया जाता है। दाल कि मात्रा भी पर्याप्त नहीं है। पोषक तत्वों के उपभोग में कैलोरी की मात्रा (293.9 कि. कैलोरी) पर्याप्त पायी गयी किंतु प्रोटीन (52 ग्रा.) वसा (23.6 ग्रा.) तथा कैल्शियम (494.3 मिग्रा.) के उपभोग प्रतिरूप में कमी पायी गयी इसके द्वारा ग्रहण किये जाने वाले प्रोटीन की मात्रा अनुशंसित दैनिक मात्रा से बहुत कम है समग्र रूप से शारीरिक विकास संबंधी मंदता 40 प्रतिशत स्कूल जाने वाले बच्चों में देखी गयी। लगभग 20 प्रतिशत बाल आयुवर्ग विद्यार्थी कुपोषण व उच्च पोषण की श्रेणी में आते हैं। शरीर के पोषण के लिए आवश्यक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों में बेरी-बेरी, एनीमिया रोग सर्वेक्षण क्षेत्र में दिखाई दिये। बाल आयुवर्ग के वजन में भी कमी पायी गयी। रायपुर नगर में सफाई एक प्रमुख समस्या है जिसके कारण होने वाले संक्रामक रोगों की संख्या इन वर्डों में अधिक पायी गयी स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत बच्चों को उचित पोषण आहार दिया जा रहा है जिससे उनके पोषण स्तर में क्रमशः वृद्धि हो रही है।

प्रस्तावना

पोषण मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है इसके बिना जीवित नहीं रहा जा सकता। स्वास्थ्य एवं सशक्त शरीर का निर्माण उचित पोषण पर निर्भर करता है। अतीत काल से भारत में जनता का पोषण स्तर उत्साहजनक रहा है। दूध, दही, और मक्खन की कमी नहीं थी। खेती की उपज जनसमूह के हिसाब से अच्छी थी। जनसंख्या की वृद्धि और आहार सामग्री की कमी से पोषण स्तर कम हो गया है। अनेक शोध कर्ताओं ने स्कूल जाने वाले बालकों एवं किशोरों के आहार एवं पोषण का सर्वेक्षण किया तथा उन्होंने कहा कि विकासशील राष्ट्रों में स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को अपर्याप्त भोजन मिलने से वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, इसका मुख्य कारण है— 1. भोज्य पदार्थों के उत्पादन में कमी, 2. गरीबी 3. पोषण संबंधी ज्ञान की कमी।

डी.एफ.टर्नर ने पोषण को इस प्रकार परिभाषित किया है “पोषण उन विभिन्न प्रक्रियाओं का संयोजन है

जिसके द्वारा कोई भी जीवित प्राणी भोज्य पदार्थ को प्राप्त कर पोषक तत्वों का उपयोग शारीरिक कार्यों को सम्पन्न करने के लिए, वृद्धि के लिए तथा इसके घटकों के पुर्ननिर्माण के लिए करता है।”

स्कूली बच्चों को शिक्षा देने के साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति सजग होने की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक, शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं में ताजा एवं पौष्टिक मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य रायपुर नगर में निवासरत बाल आयु वर्ग विद्यार्थियों में पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं पोषण दशाओं का अध्ययन, इनकी समस्याओं का विश्लेषण तथा उनके निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है। प्रत्येक विद्यार्थी हमारे राष्ट्र का भावी नागरिक है उसके बहुमुखी विकास के लिए उसका स्वस्थ रहना नितांत आवश्यक है। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का

विकास होता है।

आंकड़ों का संकलन एवं विधि तंत्र

प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। द्वितीयक आंकड़ों का आंशिक प्रयोग किया गया है। आंकड़ों का संकलन चयनित वार्डों में परिवारों के मुखिया से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है। विषय के सूक्ष्म, तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक अध्ययन हेतु आंकड़ों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

रायपुर नगर छत्तीसगढ़ के लगभग केन्द्र में स्थित है। इसका विस्तार 21°14'14" उत्तरी अक्षांश तथा 81°38'5" पूर्वी देशान्तर पर है। नगर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-53 द्वारा मुम्बई हावड़ा से तथा रेलमार्ग द्वारा देश के महत्वपूर्ण केन्द्रों से संबंधित है। वर्तमान में नगर 72 वार्डों में विभक्त है। नगर की कुल जनसंख्या (2011) 10,26,539 तथा घनत्व 161 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है। रायपुर नगर का

क्षेत्रफल 165 वर्ग किमी. है। चयनित वार्डों से 5 प्रतिशत ऐसे परिवारों का चयन किया गया जहाँ बाल आयु वर्ग के विद्यार्थी विद्यमान हैं।

पोषक तत्व

पोषक तत्वों की आवश्यकता व्यक्ति की उम्र, लिंग व शारीरिक स्थिति पर निर्भर करती है। वयस्क व्यक्तियों के लिए ये पोषक तत्व शरीर की उचित क्रियाशीलता व शारीरिक वजन को बनाये रखने के लिए आवश्यक होते हैं जबकि शिशुओं व छोटे बच्चों में शारीरिक क्रियाशीलता के अतिरिक्त वृद्धि व विकास के लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। स्कूल जाने वाले बाल आयु वर्ग का पोषण उद्योग-संचालकों पर बहुत हद तक निर्भर करता है। इन सबकी देखभाल और निरीक्षण का भार देश की राजव्यवस्था पर है। पोषक तत्वों की उचित मात्रा प्राप्त हो सके इसके लिए दैनिक अनुशंसित मात्रा Recommended Dietary Allowances (RDA) को आधार मानकर आहार की गणना की जाती है।

सारणी 01 : दैनिक अनुशंसित मात्रा 2010

आयु (वर्ष)	वजन (कि.ग्रा.)	ऊर्जा कि.कैलोरी /दिन	प्रोटीन (ग्राम)	वसा (ग्राम)	कैल्शियम (मि.ग्रा.)	आयरन (मि.ग्रा.)	विटामिन			एस्कॉर्बिक अम्ल (मि.ग्रा.)
							रेटिनॉल (मि.ग्रा.)	थियामिन (मि.ग्रा.)	राइबोफ्लेविन (मि.ग्रा.)	
4-6	18	1,690	30	25	400	18	400	0.9	1	40
7-9	25.1	1,950	41	25	400	26	600	1	1.2	40
10-12 बालक	34.3	2,190	54	22	600	34	600	1.1	1.3	40
10-12 बालिका	35	1,970	57	22	600	19	600	1	1.2	40
13-15 बालक	47.6	2,450	70	22	600	41	600	1.2	1.5	40
13-15 बालिका	46.6	2,060	65	22	600	28	600	1	1.2	40

स्रोत:- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.)

पोषक तत्व आहार के वे सभी संघटक होते हैं जिनका शरीर में उपयुक्त मात्रा में संभरण किया जाना चाहिए। पोषक तत्व भोज्य पदार्थों में निहित उपयोगी रासायनिक घटक होते हैं जिनका उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध होना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए परम आवश्यक है। रासायनिक आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है :-

- I- कार्बनिक पोषक तत्व II. अकार्बनिक पोषक तत्व

I- कार्बनिक पोषक तत्व :- इसमें प्रमुख पांच तत्व होते हैं:-1. कार्बोहाइड्रेट 2. प्रोटीन 3. वसा 4. विटामिन 5. जल।

II- अकार्बनिक पोषक तत्व :- ये रचनात्मक तत्व कहे जाते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। प्रमुख अकार्बनिक तत्व है :- कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडिन, आदि।

सारणी 02 : पोषक तत्वों के मुख्य कार्य एवं स्रोत

पोषक तत्व	मुख्य कार्य	भोजन (स्रोत)
प्रोटीन	1. शरीर का निर्माण 2. तंतुओं की टूट-फूट में मरम्मत 3. शरीर की रक्षा	दूध, अण्डा, दाल, सोयाबीन, पनीर मांस, मछली, बादाम, आदि।
वसा	1. ऊर्जा प्रदान करना	दूध, मांस, मछली मक्खन, मूंगफली तेल, घी, इत्यादि।
कार्बोहाइड्रेट	1. ऊर्जा प्रदान करना	अनाज, शक्कर, शहद, सूखे फल, दूध, फल, आलू, अंजीर, इत्यादि।
खनिज लवण	1. रक्षात्मक कार्य 2. शारीरिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण 3. शरीर का निर्माण एवं मरम्मत	दूध व दूध से बनी वस्तुयें, हरी पत्तेदार सब्जियाँ अण्डा, पालक, मेथी, अनाज, आदि।
विटामिन	1. शारीरिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण 2. शरीर रक्षात्मक	दूध, मछली का तेल, गाजर, पालक, गेहूँ, चावल हरी सब्जियाँ, खमीर, अण्डे, आदि।
जल	शारीरिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण	

कैलोरी

कैलोरी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होते हैं। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के बहुत सस्ते स्रोत हैं एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से चार किलो कैलोरी मिलती है। ग्लूकोज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बाल आयु वर्ग को अधिक

ऊर्जायुक्त भोजन की आवश्यकता होती है।

कैलोरी प्राप्ति तथा आयु वर्ग में महत्वपूर्ण संबंध है। आयु में वृद्धि के साथ-साथ कैलोरी प्राप्ति की मात्रा में भी वृद्धि होती जाती है। इन वर्गों में कैलोरी प्राप्ति का मुख्य स्रोत चॉवल है। प्राणिज पदार्थों, सब्जियों एवं खाद्य तेलों से कैलोरी का न्यून अंश प्राप्त होता है। उपर्युक्त सारणी में विभिन्न आयु वर्ग के 6-14 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिदिन

प्राप्त कैलोरी की मात्रा और अनुशंसित मात्रा से कमी या अधिकता को दर्शाया गया है। इस सारणी से स्पष्ट होता है कि चयनित वार्डों के अति निम्न आय वर्ग में कैलोरी उपभोग में कमी है। अति निम्न आय वर्ग में कैलोरी का औसत उपभोग 1989 किलो कैलोरी है जो अनुशंसित मात्रा से 3.1: कम है। वही निम्न, मध्यम, उच्च मध्यम और उच्च वर्गों में भी कैलोरी प्राप्त अनुशंसित मात्रा से क्रमशः 0.65%, 2.3%, 4.7% तथा 6-4% अधिक है।

बालक बालिकाओं में अनुशंसित कैलोरी की मात्रा 10-12 व 13-14 वर्ष में भिन्न-भिन्न होती है। अति निम्न आय वर्ग में कैलोरी का उपभोग 10-12 वर्ष बालकों में 2,183 किलो कैलोरी बालिकाओं में 1,887 है जो अनुशंसित मात्रा से 0.3% तथा 4.2% कम है। 7-9 आयु वर्ग में कैलोरी का औसत उपभोग प्रतिरूप 1,932.4 किलो कैलोरी है जो अनुशंसित मात्रा से 0.9% कम है। अन्य सभी आय वर्गों में कैलोरी का औसत उपभोग प्रतिरूप अधिक है। रायपुर नगर में सभी आय वर्गों में और शालाओं में मध्याह्न भोजन में मुख्य खाद्यान्न के रूप में चावल का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण कैलोरी की मात्रा बाल आयु वर्ग में अधिक है।

प्रोटीन

शरीर के निर्माण करने वाले भोज्य तत्वों में प्रमुख स्थान प्रोटीन का है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास में अपूर्व योगदान प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। प्रतिदिन के आहार के प्रोटीन का प्रायः अर्ध भाग ईंधन के रूप में खर्च होता है। आपातकाल में जब शरीर के कार्बोहाइड्रेट और वसा समाप्त हो जाते हैं तब पेशियों का प्रोटीन घुल घुल कर ऊष्मा प्रदान करता रहता है। मनुष्य के शरीर का मृदु ऊतक अंग (Soft Tissue) 75% प्रोटीन से बना हुआ है। इसी पोषक तत्व के कारण शिशु अवस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में तीव्र गति से वृद्धि और विकास होता है। यह कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करती है तथा एण्टीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है। प्रोटीन विविध ऐमिनो अम्लों से मिलकर बना है।

प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं :- दूध, अण्डा, गेहूँ, फली, दाल, पनीर, सोयाबीन, मांस-मछली, इत्यादि।

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि चयनित वार्डों में प्रोटीन का औसत उपभोग प्रतिरूप अतिनिम्न आय वर्ग में 48.6 ग्राम तथा निम्न मध्यम आय वर्ग में 50.3 ग्राम है, जो अनुशंसित मात्रा से 7.8%, तथा 4.8% कम है। वहीं मध्यम (53.4ग्राम), उच्च मध्यम (55.2ग्राम) और उच्च आय (56.7 ग्राम) वर्गों में प्रोटीन का औसत उपभोग प्रतिरूप अनुशंसित मात्रा से क्रमशः 0.8%, 4%, 7%, अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि आय में वृद्धि के साथ ही प्राणिज पदार्थ, दूध, चॉवल, गेहूँ और दालों का उपभोग बढ़ता है तथा इन प्रोटीन युक्त प्रदार्थों के उपभोग से शरीर को अधिक मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति होती है।

वसा

वसा एक कार्बनिक यौगिक है। ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से कैलोरी के पश्चात् वसा का स्थान है वसा में आवश्यक वसीय अम्ल उपस्थित रहते हैं जो शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। वसा शरीर में ज्वलित होकर उष्णता प्रदान करते हैं। चर्बी के रूप में शरीर में संग्रहित होकर हृदय, आदि अति कोमल अवयवों की बाह्य चोटों व धक्को से सुरक्षा करते हैं। यह विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है, त्वचा को चिकना व स्वस्थ बनाये रखने में सहायता प्रदान करता है।

आहार में पर्याप्त मात्रा में वसा का सेवन न करने से सामान्य वृद्धि रुक जाती है त्वचा सूखी खुरदरी व चमकहीन हो जाती है कोशिकाओं की कार्यक्षमता में कमी आ जाती है।

वसा मुख्य रूप से दूध, मांस, मछली, मक्खन, तेल, घी दही, सूरजमुखी, मूंगफली, इत्यादि में पाया जाता है। कुछ भोज्य पदार्थों में अदृश्य रूप में पाया जाता है जैसे - अनाज, दालें, फल, सब्जियां, आदि।

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि चयनित वार्डों में वसा उपभोग प्रतिरूप अति निम्न आय वर्ग में कम है, इसका मुख्य कारण आय में कमी है। वसा की प्राप्ति मुख्य रूप से प्राणिज पदार्थों दूध, घी, इत्यादि से होती है। अतिनिम्न व निम्न आय वर्गों में इन खाद्य पदार्थों का उपभोग बहुत कम मात्रा में होता है। अति निम्न आय वर्ग में

वसा का औसत उपभोग 22.5 ग्राम है, जो अनुशंसित मात्रा से 3.8% कम है। निम्न आय वर्ग में औसत उपभोग 23.5 ग्राम है जो अनुशंसित मात्रा से 1.9% कम है। वहीं मध्यम (23.6ग्राम), उच्च मध्यम (24.2ग्राम) और उच्च आय (24.8 ग्राम) वर्गों में वसा का औसत उपभोग प्रतिरूप अनुशंसित मात्रा से क्रमशः 0.9%, 3.2%, 5.8%, अधिक है। 4-6 वर्ष आयु वर्ग में वसा औसत उपभोग 24.4 ग्राम है जो अनुशंसित मात्रा से 2.4% कम है, वहीं 10-12 वर्ष आयु वर्ग में वसा औसत उपभोग 22.94 ग्राम है जो अनुशंसित मात्रा से 4.2% अधिक है। प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट होता है कि आय वर्ग में वृद्धि के साथ वसा उपभोग में भी वृद्धि होती है।

विटामिन

यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। विटामिन अधिकांशतः

जन्तुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं साथ ही अनेक पौधों भी इसके अच्छे स्रोत हैं। विटामिन शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है और शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है।

विटामिन-ए (रेटिनॉल)

वसा में विलेय यह विटामिन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है तथा शरीर के उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाये रखता है। इसकी कमी से रतौंधी, आँखों का शुष्क होना तथा पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। दूध, मक्खन, घी, मछली का तेल, अण्डे की जर्दी, गाजर, पालक, इत्यादि में विटामिन-ए सर्वाधिक पाया जाता है। वनस्पति पदार्थों में इसकी प्राप्ति कैरोटिन के रूप में होती है जो बाद में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है।

सारणी 03 : रायपुर नगर : आय वर्ग एवं आयु वर्गानुसार विटामिन-ए उपभोग प्रतिरूप (मि.ग्राम में)

आयु वर्ग (वर्ष)	अनुशंसित मात्रा	आय वर्ग (रु. में)											
		अतिनिम्न		निम्न		मध्यम		उच्च मध्यम		उच्च		औसत	
		उपभोग	कमी / अधिकता%	उपभोग	कमी / अधिकता%	उपभोग	कमी / अधिकता%	उपभोग	कमी / अधिकता%	उपभोग	कमी / अधिकता%	उपभोग	कमी / अधिकता%
4-6	400	390	-2.5	395.7	-1	398.9	-0.3	402	0.4	411.6	2.9	399.5	-0.11
7-9	600	556.3	-7.2	587.3	-2.1	594.6	-0.9	602	0.3	611.6	1.9	590.4	-1.6
10-12	600	568.7	-5.2	589.6	-1.7	603.4	0.6	608	1.3	610.2	1.7	595.9	-0.68
13-14	600	586.4	-2.2	576.8	-3.8	590.8	-1.5	604	0.6	621.4	3.5	595.8	-0.7
औसत	550	525.4	-4.2	537.4	-2.5	546.9	-0.5	554	0.65	563.7	2.5	545.4	-0.83

स्रोत - व्यक्तिगत सर्वेक्षण (2013-14)

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि चयनित वर्गों में अति निम्न, निम्न एवं मध्यम आय वर्ग में विटामिन-ए का औसत उपभोग क्रमशः 525.4 मि.ग्राम, 537.4 मि.ग्राम तथा 546.9 मि.ग्राम होता है जो अनुशंसित मात्रा से 4.2%, 2.5% एवं 0.5% कम है। उच्च मध्यम (554 मि.ग्राम) एवं उच्च

आय वर्ग (563.7 मि.ग्राम) में विटामिन-ए का औसत उपभोग अति निम्न, निम्न आय वर्ग की तुलना में अधिक है। विटामिन-ए के उपभोग को आय वर्ग प्रभावित करता है अति निम्न, निम्न आय वर्ग में दूध, अण्डा, मछली, गाजर जैसे विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बहुत कम मात्रा में

करते हैं, जिसके कारण उनमें विटामिन-ए की कमी पाई जाती है, तथा प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट होता है कि चयनित वार्डों में विटामिन-ए की प्राप्ति आवश्यकता से कम मात्रा में होती है। सभी आयु एवं आय वर्गों में औसत उपभोग प्रतिरूप 545.4 मि.ग्राम है जो अनुशंसित मात्रा से 0.83% कम है।

विटामिन-बी1

विटामिन-बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। यह जल में घुलनशील है। इसकी कमी से "बेरी-बेरी" नामक रोग होता है। इसके प्रमुख स्रोतः-खमीर, गाजर, गेहूँ, चावल, इत्यादि है।

सारणी 04 : रायपुर नगर : आय वर्ग एवं आयु वर्गानुसार विटामिन-बी1 (थायमिन) उपभोग प्रतिरूप (मि.ग्राम में)

आयु वर्ग (वर्ष)	अनुशंसित मात्रा	आय वर्ग (रु. में)											
		अतिनिम्न		निम्न		मध्यम		उच्च मध्यम		उच्च		औसत	
		उपभोग	कमी / अधिकता%	उपभोग	कमी / अधिकता%	उपभोग	कमी / अधिकता%	उपभोग	कमी / अधिकता%	उपभोग	कमी / अधिकता%	उपभोग	कमी / अधिकता%
4-6	0.9	0.8	-11.1	1.2	33.3	1.25	38.8	1.3	44.4	1.2	33	1.15	27.78
7-9	1	0.7	-30	1.1	10	1.2	20	1.25	25	1.28	28	1.12	10.6
10-12 (बालक)	1.1	1.8	63.3	1.85	68.1	1.7	54.5	1.8	63.6	2	82	1.83	66.36
10-12 (बालिका)	1	0.8	-20	1.1	10	1.25	25	1.64	64	1.7	70	1.23	29.8
13-14 (बालक)	1.2	0.9	-25	1.1	-8.3	1.3	8.3	1.5	25	1.8	50	1.32	10
13-14 (बालिका)	1	1.1	10	1.3	30	1.5	50	1.6	60	1.8	80	1.46	46
औसत	1.03	1.02	-2.1	1.3	23.9	1.3	32.8	1.52	47	1.6	57	1.35	30.87

स्रोत - व्यक्तिगत सर्वेक्षण (2013-14)

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अति निम्न आय वर्ग में थायमिन का औसत उपभोग 1.02 मि. ग्राम है। जो अनुशंसित मात्रा से 2.1% कम है। अन्य सभी आय वर्गों में थायमिन का उपभोग अनुशंसित मात्रा से अधिक है क्योंकि इन आय वर्गों में चावल का उपयोग अधिक किया जाता है, जिसके कारण थायमिन की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। 10-12 वर्ष आयु वर्ग के बालकों में थायमिन का औसत उपभोग सर्वाधिक 1.83 मि. ग्राम है। जो बालिकाओं के तुलना में अधिक है वहीं 13-14 वर्ष आयु वर्ग बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा उपभोग 1.46 मिली ग्राम अनुशंसित

मात्रा से 46% अधिक है। सभी आयु एवं आय वर्गों में थायमिन का औसत उपभोग अनुशंसित मात्रा से 30.87% अधिक है।

विटामिन-सी

यह जल में विलेय विटामिन है। इसका रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। खट्टे रसदार फल जैसे :- नींबू, संतरा, चीकू, आंवला, टमाटर पत्तेदार सब्जियाँ तथा अंकुरित अनाज विटामिन-सी के प्रमुख स्रोत हैं।

सारणी 05 : रायपुर नगर : आय वर्ग एवं आयु वर्गानुसार विटामिन-सी का उपभोग प्रतिरूप (मि.ग्राम में)

आयु वर्ग (वर्ष)	अनुशंसित मात्रा	आय वर्ग (रु. में)											
		अतिनिम्न		निम्न		मध्यम		उच्च मध्यम		उच्च		औसत	
		उपभोग	कमी / अधिकता%	उपभोग	कमी / अधिकता%	उपभोग	कमी / अधिकता%	उपभोग	कमी / अधिकता%	उपभोग	कमी / अधिकता%	उपभोग	कमी / अधिकता%
4-6	40	38.1	-4.75	39.1	-2.3	40.5	1.3	41.8	4.5	42.1	5.3	40.3	0.8
7-9	40	36.5	-8.75	37.2	-7	40.2	0.5	42.1	5.3	42.6	6.5	39.7	-0.7
10-12	40	37.8	-5.5	39.4	-1.5	41.3	3.4	42.4	6	42.7	6.7	40.5	1.8
13-14	40	39.6	-1	40.1	0.25	40.8	2	41.2	3	41.6	4	40.6	1.65
औसत	40	38	-5	39	-2.6	40.7	1.8	41.9	4.7	42.3	5.6	40.4	0.9

स्रोत - व्यक्तिगत सर्वेक्षण (2013-14)

प्रस्तुत सारणी क्रमांक 05 से स्पष्ट होता है कि 4-6 वर्ष आयु वर्ग में विटामिन-सी का औसत उपभोग 40.3 मिली ग्राम होता है। जो अनुशंसित मात्रा से 0.8% अधिक है। अति निम्न, निम्न, निम्न मध्यम आय वर्ग में क्रमशः 38 मि.ग्राम तथा 39 मि.ग्राम है जो अन्य आय वर्गों की अपेक्षा कम है। इसका कारण यह है कि इन आय वर्गों में खट्टे रसदार फलों का उपभोग कम होता है। उच्च आय वर्ग में औसत उपभोग 42.3 मिली ग्राम है जो अनुशंसित मात्रा से 5.6% अधिक है। 13-14 वर्ष आयु वर्ग में विटामिन-सी का औसत उपभोग 40.6 मिली ग्राम है। जो सभी आयु वर्गों में अधिक है।

उपर्युक्त समस्त सारणीयों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आय वर्ग की दृष्टि से चयनित वार्डों में कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन-ए, विटामिन-बी तथा विटामिन-सी की अति निम्न आय वर्ग में अत्यधिक कमी है। कैलोरी की कमी से कार्यक्षमता प्रभावित होती है लोहा ही ऐसा तत्व है जो अनुशंसित मात्रा से अधिक प्राप्त होता है। सरकार के द्वारा स्कूल जाने वाले बाल आयु वर्ग के स्वास्थ्य व पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए शाला में मध्याह्न भोजन करवाया जाता है, जो प्रोटीन व विटामिन युक्त होता है

जिसके कारण बाल आयु वर्ग प्रायः कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन-ए, विटामिन-बी तथा विटामिन-सी की औसत उपभोग की मात्रा अनुशंसित मात्रा से अधिक है।

References

1. Bansal, Richa, 1992, Health Status of Pre-School Children in Slums of Bhilai and Raipur, Unpublished Ph.D Thesis, Pt. R.S.S. University Raipur.
2. Gopalan, C.et.at, 1971, "Nutritive Value of Indian Foods", National Institute of Nutrition, Hyderabad.
3. Kochar, G.K., Neha Bansal & Maninder Kaur, 2010, "Nutritional Status of Private and Government School Going Adolescent Males", The Indian Journal of Nutrition and Dietetics, Vol-47, No.12, PP-533-537.
4. Kumari, K, 2005, "Health and Nutrition Status of School Going Children in Patna", Health And Population ,National Institute of Health And Family Welfare, Munirka, New Delhi, Vol. 28, No.-1.
5. Kumari, K, 2007, "Differentials of Nutritional Status In school-Age Children And the

- Associated Factors”, Health And Population, National Institute of Health And Family Welfare, Munirka ,New Delhi, Vol. 30,No.- 4.
6. Nalwade, Vijaya, Manu Mahadevi & Varsha Zanver, 2006, “Nutritional Intervention for Iron and Vitamin A Deficient School Children”, The Indian Journal of Nutrition and Dietetics, Vol-43, No.10, PP-465-474.
 7. डॉ. खान. जेड. टी., नौषीन अंजुम, 2015, “राजनादगांव नगर (छ.ग.) की मलिन बस्तियों में बाल आयु वर्ग की पोषण दशाएं”, संविकास संदेश, Journal of Eco Develpoment “ Institute for Rural Eco-Development , Gorakhpur, Vol-23, No. I & II, P.P-72-75.
 8. नायक, लक्ष्मी, 2008, रायपुर नगर की मलिन बस्तियों में बाल आयु वर्ग की स्वास्थ्य एवं पोषण दशाएं, अप्रकाशित (एम.फिल.भूगोल) लघु शोध प्रबंध, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय.





भारत-चीन सम्बन्धों में डोकलाम का स्त्रातेजिक महत्व STRATEGIC IMPORTANCE OF DOKLAM IN INDO-CHINA RELATIONS

संध्या सिंह एवं अजय कुमार सिंह

शोध सारांश

भारतीय स्वाधीनता के ठीक दो वर्ष पश्चात् एशिया में भारत का एक और पड़ोसी 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' के नाम से एक दूसरा साम्यवादी राष्ट्र बना। जिसे मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम राष्ट्र वर्मा था तथा दूसरा भारत बना। यद्यपि भारत व चीन के सम्बन्ध मधुर रहे परन्तु चीन ने वर्ष 1950 में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। चीन ने भारत और अपने मध्य आजाद मध्यवर्ती राष्ट्र तिब्बत पर हमला किया और देखते ही देखते उस पर कब्जा कर उसे अपना एक प्रांत घोषित कर दिया। जिससे चीन और भारत के मध्य फासला खत्म हो गया और अब तक जो सरहद सिर्फ कश्मीर तक छोटे से भाग पर फैला था वह बढ़कर उत्तराखण्ड से पूर्वोत्तर भारत तक फैल गया। भारत, चीन व भूटान के त्रिजंक्शन पर स्थित 'डोकलाम' एक विवादित क्षेत्र है। डोकलाम में एक सड़क निर्माण को लेकर भारत सशस्त्र बल और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मध्य विवाद तब शुरू हुआ जब 18 जून, 2017 को भारतीय सैनिकों ने चीन को सड़क बनाने से रोका। दरअसल 2007 में भारत व भूटान की मैत्री संधि को लेकर भारत ने डोकलाम विवाद में अपनी ताकत झाँकी और चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया और चीन ने भी अब भारत की शक्ति का लोहा मानते हुए 28 अगस्त, 2017 को वहाँ से अपने सैनिक पीछे हटाये। अब आगे देखना है कि वक्त इन दोनों देशों को किस मोड़ पर ले जाता है।

प्रस्तावना

भूटान की भौगोलिक स्थिति

एशिया के दो विशाल राष्ट्रों – भारत व चीन के मध्य लगभग 46,500 वर्ग किमी० क्षेत्र में विस्तृत भूटान एक स्थलबद्ध राष्ट्र है। चीन-भूटान के मध्य 500 किमी० लम्बी सीमा रेखा है जबकि भारत के साथ भूटान की 670 किमी० लम्बी सीमा रेखा मिलती है। जहाँ तक चीन व भूटान के द्विपक्षीय संबंधों का प्रश्न है साम्राज्यवादी मनोवृत्ति के कारण चीन भूटान को अपना भू-भाग बताता रहा है। सन् 1930 में चीन के प्रमुख माओत्सेतुंग ने कहा कि, 'चीन की साम्यवादी पार्टी भूटान को अपना एक खोया हुआ भू-भाग मानती है। तिब्बत चीन का एक हाथ है तथा नेफा, भूटान सिक्किम नेपाल व लद्दाख' उसकी पाँच अंगुलियाँ हैं। भूटान नरेश ने राष्ट्रीय असेंबली में यह बताया कि चीन व भूटान के मध्य

चार विवादित क्षेत्र हैं। जो पश्चिम में 'डोकलाम' से प्रारंभ होकर 'गेमोचेन' से 'बटांगला' तक विस्तृत है। 'डोकलाम' क्षेत्र में 89 वर्ग किलोमीटर तथा सिन्चुमा व ग्यू क्षेत्र में 180 किमी० भू-भाग विवादित है।

डोकलाम की अवस्थिति

'डोकलाम' चीन, भारत और भूटान के त्रिजंक्शन पर स्थित एक संकीर्ण पठार है। यह चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र की याडोंग (Yadong) काउंटी और भूटान की 'हा' (Haa) घाटी के पास स्थित है। 'डोकलाम' पठार 'डोलम' पठार के उत्तर-पूर्व में 30 किमी० दूर स्थित है। यह क्षेत्र कीप के आकार जैसी चुम्बी घाटी के उत्तरी छोर के निकट स्थित है। चुम्बी घाटी चीन के तिब्बत क्षेत्र में फैली हुई है। इस विवादित क्षेत्र पर भूटान और चीन दोनों ही अपना-अपना दावा जताते हैं। यह क्षेत्र सिक्किम में

1. डा० संध्या सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन, डी०ए-वी० कालेज, कानपुर।

2. डा० अजय कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन, पी०पी०एन० कालेज, कानपुर।

भारत-चीन सीमा पर स्थित 'नाथू-ला' दर्रे से लगभग 15 किमी० दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य डोकलाम के भू-राजनीतिक एवं स्त्रातेजिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए भारत व चीन के मध्य विद्यमान सीमा संबंधी मुद्दों एवं चीन द्वारा भारत के खिलाफ की जा रही घेराबंदी से क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति के लिए उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना है जिससे कि भविष्य में डोकलाम विवाद जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

विधितंत्र

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र डोकलाम के भू-राजनीतिक एवं स्त्रातेजिक महत्व से सम्बन्धित जानकारी द्वितीयक आंकड़ों राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशनों से प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं एवं लेखों, आदि से प्राप्त किये गये हैं।

चीन-भूटान सीमा विवाद

1959 में प्रकाशित चीनी मानचित्रों में भूटान को चीन के भू-भाग के रूप में प्रदर्शित किया गया। यद्यपि उसी वर्ष लगभग 300 वर्षों से भूटान के भू-भाग रह चुके पश्चिमी तिब्बत के एक प्रमुख भाग पर चीन ने अधिकार कर लिया। तदुपरांत बदल रहे भू-राजनैतिक घटनाक्रम व भूटान-भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को देखते हुए चीन ने भी भूटान के प्रति सौहार्दपूर्ण संबंधों को विकसित करने की कोशिश प्रारंभ कर दिया। उधर अपने भू-राजनैतिक व सामरिक परिस्थितियों को देखते हुए भूटान ने भी अपने पृथक अस्तित्व को विकसित करते हुए न केवल कोलंबो प्रस्ताव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई अपितु 21 सितम्बर, 1971 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता अर्जित करने के साथ-साथ 1973 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का सक्रिय सदस्य बन गया।²

भारत एवं भूटान

सिविकम से मिला हुआ भूटान लगभग 46,500 वर्गकिमी० के ऊँचे-नीचे पहाड़ी क्षेत्र पर बसा हुआ है।

भूटान के निवासी लम्बे समय तक वाह्य संसार से पूर्णतया असम्बद्ध जीवन बिताते रहे। 18 अगस्त, 1949 को भूटान ने स्वतंत्र भारत सरकार से एक संधि की जिसके अनुसार भूटान ने अपनी विदेश नीति का भार भारत को सौंप दिया। कालान्तर में भारत-चीन युद्ध के बाद भूटान ने प्रतिरक्षा का भार भी भारत को सौंप दिया।³

भारत की सहायता से 'दंतक प्रोजेक्ट' के अन्तर्गत लगभग 1,000 किमी० सड़क का निर्माण भारतीय सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। इसमें लगभग 30 करोड़ रुपये (तत्कालीन लागत) व्यय हुआ। इस प्रकार भूटान को संसार से जोड़ने का श्रेय भारत को प्राप्त है।⁴

डोकलाम विवाद

डोकलाम चीन और भूटान के मध्य एक विवादित क्षेत्र है। चीन द्वारा इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ जिसका भूटान ने विरोध किया। भूटान का चीन के साथ सीधा राजनयिक संबंध न होने के कारण भूटान ने अपना विरोध जून, 2017 में भारत स्थित चीन के दूतावास में दर्ज कराया। इसके बाद हुए घटनाक्रम में डोकलाम क्षेत्र में चीन द्वारा किये जा रहे सड़क निर्माण को भारतीय सैनिकों ने रुकवा दिया।

भारतीय सेना की इस कार्रवाई पर चीन ने कड़ा एतराज जताया। उसका कहना था कि 'डोकलाम' उसका हिस्सा है और वहाँ किये जा रहे निर्माण कार्य को रोककर भारतीय सेना ने उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। चीन ने भारत को विवादित क्षेत्र से अपनी सेना हटाने अथवा गम्भीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी। जबकि इस सम्बन्ध में भारत का स्पष्ट कहना है कि 'डोकलाम' भूटान का हिस्सा है एवं भारत के लिए रणनीतिक रूप से अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अतः चीन को वहाँ निर्माण कार्य रोककर भूटान के साथ बातचीत द्वारा मसले को सुलझाना चाहिए। भारत का मानना है कि चीन द्वारा विवादित क्षेत्र में किया जा रहा सड़क निर्माण 'जमफेरी रिज' (Jampheri Ridge) तक पहुँच बनाने का प्रयास है। यह रिज भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

भारत का यह मानना है कि तकनीकी रूप से भारतीय सैनिक चीनियों द्वारा भूटानी क्षेत्र में 'जमफेरी रिज' तक सड़क विस्तार को रोकने के लिए तैनात किये गए थे, क्योंकि ऐसा कोई भी निर्माण भारत की सुरक्षा में संधमारी होगी। यदि चीन की पहुँच 'जमफेरी रिज' तक हो जाती है तो उसके लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर या 'चिकन नेक' तक पहुँच आसान हो जाएगा। इससे भविष्य में चीन सिलीगुड़ी कारिडोर को अवरुद्ध कर भारत की मुख्यभूमि से पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों का सम्पर्क काट सकता है। इसके अलावा इस क्षेत्र तक पहुँच बनाने के बाद चीन पूर्वोत्तर राज्यों के अलगाववादी समूहों तक हथियार भी पहुँचा सकता है, जिससे इन राज्यों में शांति व्यवस्था को गम्भीर खतरा पैदा हो सकता है।

भारत-चीन सम्बन्धों पर डोकलाम विवाद का प्रभाव

चीन का कहना है कि त्रिजंक्शन पर स्थित जिस क्षेत्र पर वह सड़क का निर्माण कर रहा है, वह उसका क्षेत्र है। चीन का यह भी कहना है कि उक्त क्षेत्र की सीमा भूटान से लगती है न कि भारत से ऐसे में भारत को चीन-भूटान सीमा विवाद में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। चीन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए सिक्किम के नाथू-ला दर्रे से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रोक लगा दी थी। उसने इसके लिए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था और भारत में घुसपैठ का आरोप लगाते हुए भारतीय सैनिकों के पीछे हटने तक कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद करने की बात कही थी।

उक्त के सम्बन्ध में भारत ने यह माना कि तकनीकी रूप से भारतीय सैनिक चीनियों को 'जमफेरी रिज' तक सड़क विस्तार करने से रोकने के लिए भूटानी क्षेत्र में हैं। हालांकि यह सड़क निर्माण रोकने के लिए भारतीय त्रिजंक्शन पर उसके दावों के अनुरूप है, लेकिन 'जमफेरी रिज' का सैन्य महत्व भारत के मजबूत रुख का मुख्य कारण है। क्योंकि इस क्षेत्र में कोई भी निर्माण भारत के लिए गम्भीर सुरक्षा प्रभावों के साथ यथास्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव का वाहक होगा। यदि चीन की पहुँच 'जमफेरी रिज' तक हो जाती है तो उसके लिए सिलीगुड़ी

कॉरिडोर स्थित 'चिकन नेक' तक की दूरी लगभग 50 किमी० तक कम हो जाएगी जो कि उस क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की रक्षात्मक तैनाती के लिए अन्य सुरक्षा निहितार्थ भी भारत की चिंता का कारण है।

भारत के विकल्प

भारतीय राजनय के लिए वर्तमान स्थिति एक नाजुक और जोखिम भरी चुनौती है। एक ओर तो उसे इस स्थिति से बचाना होगा कि उस पर हस्तक्षेपकारी होने का आरोप लग सके तथा दूसरी ओर इस बात के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा कि अनावश्यक संकोच या शिष्टाचार में भारतीय राष्ट्रीय हितों को नुकसान नहीं पहुँचे। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि विश्वव्यापी तनाव शैथिल्य के इस दौर में जब भारत-चीन सम्बन्धों में तनाव चल रहा है, तब भारत के लिए भूटान विशेषकर 'डोकलाम' का सामरिक महत्व और बढ़ गया है। हमारा मानना है कि भारत का पूर्वोत्तरी सीमांत के संदर्भ में विशेषकर सिक्किम के परिप्रेक्ष्य में डोकलाम सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना रहेगा।¹⁶

चीनी सेना के आधुनिकीकरण और रह-रहकर उकसाने की गतिविधियाँ भारत के लिए चुनौती पेश करती हैं। उसे कम करके नहीं आंकना चाहिए। हमें चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। भारत को अनुसंधान विकास पर निवेश करके अपने उत्पादन को सुधारना होगा। अमेरिका अब हमें अपने सबसे करीबी देशों में गिनता है। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। हमें जापान, ताइवान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया और अन्य क्षेत्रीय देशों से रिश्ते भी सुधारने चाहिए। जिस प्रकार चीन पाकिस्तान को नाभिकीय हथियारों की तकनीक देने से जुड़ी भारतीय चिंताओं की परवाह नहीं करता उसी प्रकार हमें भी दूसरे देशों से रिश्ते बनाने में चीन की प्रतिक्रियाओं को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए।¹⁷

इस तरह वह भूटान को तैयार करना चाहता है कि वह भारत को आँख दिखाने लगे। इस दृष्टि से भारत और भूटान के सम्बन्ध नाजुक दौर से निकल रहे हैं। अतः उनकी ओर पूर्ण जागरूक रहने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि चीन के ही भड़काने पर 1992 के बाद

भूटान में मांग होने लगी कि 1949 की संधि की धारा 2 पर पुनर्विचार होना चाहिए। धीरे-धीरे कई मामलों पर वह भारत विपरीत राय व्यक्त करने लगा। हालांकि अब भूटान के दिन बदल गये हैं। आर्थिक विकास के लिए वह आज दूसरे देशों की ओर दौड़ रहा है।⁸

उपसंहार

चीन की भूटान में घुसपैठ निश्चित ही भारत की चिंता का कारण है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तिब्बत पर अधिकार के फलस्वरूप ही भारत और चीन के मध्य बफर राज्य समाप्त होने से भारत का उत्तरी सीमान्त क्षेत्र विशेषकर अरुणाचल प्रदेश चीन के अतिक्रमण का शिकार हुआ। यद्यपि भारत और चीन के बीच सीमा के प्रश्न पर व्यापक मतभेद कायम है, किन्तु दोनों पक्ष वार्ता जारी रखने के पक्ष में हैं। यदि भारत और चीन का सीमा समझौता हो जाए तो निःसंदेह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति पर उसका गम्भीर प्रभाव होगा और इसके व्यापक एवं दूरगामी परिणाम होंगे। भारत को चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने एवं रणनीतिक स्तर पर चीन को घेरने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि 'डोकलाम' एवं सीमा समस्या के पक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार हो सके। ऐसे में भारत को अपनी चीन संबंधी नीति पर पुनर्विचार कर नए विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। साथ ही भारत को अपनी सैन्य तैयारियों का भी पुनर्निरीक्षण करने की आवश्यकता है।

भारत को चीन सीमा से लगे राज्यों में सैन्य साजो-सामान के तीव्र आवागमन में सक्षम आधारभूत संरचनाओं, जैसे- सड़क, रेलवे पुल एवं हवाई अड्डों, आदि को तेजी से विकसित करना चाहिए। इसके साथ ही भारत को तीनों सेनाओं की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयात एवं स्वदेशी उत्पादन तंत्र को मजबूत बनाना होगा।

भारत के लिए भूटान का सामरिक महत्व है। भूटान को भटकने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि भारत के सामरिक हित खतरे में पड़ जायें क्योंकि चीन इस प्रयास में है कि भूटान को अपने प्रभाव में लाकर उसे नेपाल के स्तर पर ले आये। अतः भारत सरकार को अपने राष्ट्रीय हितों को दृष्टिगत रखते हुए, चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एकमुश्त समझौते की पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिए जिससे सभी मुद्दे स्वतः हल हो जाएँ।

संदर्भ सूची

1. पाण्डेय, रामसूरत, 2013, चीन केन्द्रित भारत की सुरक्षा चिंताएँ, आकृति प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ0 44.
2. कुदेसिया, कृष्णा, 1972, विश्व राजनीति में भारत, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, प्रथम संस्करण, पृ0 178.
3. वही, पृ0 178.
4. 'सुरक्षा', दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे, सितम्बर, 2017, पृ0 86.
5. वही, पृ0 86.
6. पंत, पुष्पेश, जैन, श्रीपाल एवं पंचौला राखी, 2016-17, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध (सिद्धान्त और व्यवहार) मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, बारहवाँ संशोधन संस्करण, पृ0 438
7. डिफेंस मॉनीटर, वर्ष 3, अंक 4, अगस्त-सितम्बर, 2014, दिल्ली, पृ0 45.
8. सिंह, लल्लन जी, 2017, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, तेरहवाँ संस्करण, पृ0 478.



ग्रामीण आवास की स्थिति एवं उसका तुलनात्मक अध्ययन अरुणाचल प्रदेश के विशेष संदर्भ में

मुन्ना लाल गुप्ता

शोध सारांश

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः वह अपने दैनिक क्रियाकलापों को निर्द्वंद रूप से करना चाहता है, इसके लिये उसे आवास की आवश्यकता है। अपने आवास में वह निद्रा जीवन को सामान्य रूप से समूहों में व्यतीत करता है, जिसे परिवार कहते हैं। सक्रिय होने पर वह हमेशा गतिशील रहता है और यह गतिशील पक्ष सक्रियता से अधिक सम्बंधित है। सक्रियता का क्षेत्र वस्तुतः आर्थिक क्षेत्र है और इस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत मानव के आवास आते हैं इन आवासों की स्थिति व संख्या विषम पायी जाती है। प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 13,83,727 आवादी है इनमें से 10,66,358 ग्रामीण जनसंख्या है जिनमें 5,46,011 पुरुष और 5,20,347 महिलाएँ हैं, तथा 2,70,546 आवास हैं। इनमें से 2,51,113 आवास ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जो अध्यावासित है। प्रदेश की 77.06 प्रतिशत आवादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो 2001 की अपेक्षा 2.19 प्रतिशत कम है। प्रदेश में औसतन 5.49 व्यक्ति प्रति आवास में निवास करते हैं। प्रदेशीय एवं जनपदीय स्तर पर दशकीय विषमताएँ आवासों के वितरण एवं वृद्धि में देखने को मिलती है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है, कि विभिन्न प्रयासों के द्वारा लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं में से आवासों की उपलब्धता पर ध्यान देने की है।

मुख्य विंदु: ग्रामीण आवास, विषमताएँ, आवास उपलब्धता एवं विभिन्न वर्ग के ग्रामीण आवासों की स्थिति।

प्रस्तावना

आवास मानव के लिए मात्र एक ऐसा खोल नहीं है, जिसमें वह अपनी ढेर सारी भावनाओं से परे रहता हो, बल्कि यह एक प्रकार की संस्था है जिसमें विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इसमें संश्लिष्ट संरचना पायी जाती है। अतः स्पष्ट है कि आवास मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, इसकी महत्ता विविध जलवायिक परिस्थितियों में भिन्न प्रकार की पायी जाती है। परंतु फिर भी मूल रूप से इसकी आवश्यकता कम या अधिक प्रत्येक मानव को होती है, क्योंकि यह मनुष्य को प्रत्येक प्रकार की जलवायिक परिस्थितियों में सुरक्षा एवं आश्रय प्रदान करता है। अतः इस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिये मानव उपलब्ध पदार्थों का प्रयोग करते हुए देशकाल - काल पारिस्थैतिकी के अनुरूप विविधरूपी आश्रयों - मंदिर, राजमहल, सरकारी भवन तथा अन्य प्रकार की इमारतों के निर्माण में अपनी

रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। इस प्रकार से आश्रय भूतकाल के सांस्कृतिक धरोहर और परंपरा के उत्तर-जीवित अवशेष है।

आवास या गृह को जनगणना मकान में समानार्थी रूप से व्याख्या की गई है - गृह एक पूर्ण रूप से निर्मित या उसका कुछ भाग एक पृथक ईकाई के रूप में निर्मित, जिसमें सड़क की ओर से, या मकान के आँगन से अथवा सीढ़ी से मुख्य प्रवेश द्वार हो, गृह या मकान कहलाता है। जनगणना 2011 में दोनों ही तरह के मकानों - अध्यावासित एवं परित्यक्त को सम्मिलित किया गया है। और इनका उपयोग आवासीय या गैर - आवासीय या दोनों ही तरह से किया जाता है। इस प्रकार से गृह मनुष्य के लिये एक आश्रयस्थल है, जिसमें रहकर वह अपना जीवन यापन करता है। बुन्स ने सही ही कहा है कि आवास प्राकृतिक परिस्थितियों में सांस्कृतिक रीतिरिवाजों का परिणाम है।

मुन्ना लाल गुप्ता, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चौखाम, आलुबारी, जनपद-नामसाई, अरुणाचल प्रदेश, 792102.

मकानों की अवस्थिति, स्वरूप, विन्यास आयोजन, इत्यादि पर प्राकृतिक एवं सामाजिक - आर्थिक कारकों का संश्लिष्ट प्रभाव पड़ता है। सामान्यरूप से मकानों को विविध जलवायु, निर्माण सामग्री, सुरक्षा, धर्म, संस्कार तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्परायें व्यापक रूप से प्रभावित करती है। इससे भी अधिक गृहों पर मानव की आर्थिक स्थिति का प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से प्रभाव पाया जाता है। परंतु मकानों की अवस्थिति में एक बात देखने को मिलती है कि सभी प्राकृतिक कारक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के गृहों पर ही अत्यधिक प्रभाव डालती है, क्योंकि ज्यों - ज्यों मानव आर्थिक रूप से सशक्त व तकनीकी रूप से दक्ष होता चला जाता है, त्यों-त्यों वह सभी प्राकृतिक कारकों की सीमाओं को लौघता जाता है।

प्रस्तुत शोध-पत्र में अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण आवासों की अवस्थिति का अध्ययन किया गया है। यहाँ पर लोग ज्यादातर मकानों को जमीन से ऊपर उठाकर बनाते हैं क्योंकि वर्ष के ज्यादातर दिनों में मिट्टी में पायी जाती है। प्रदेश के कतिपय भागों को छोड़कर सर्वत्र प्राकृतिक कारकों का प्रभाव हर जगह पाया जाता है। प्रदेश के उत्तरी भाग में वर्ष एवं अन्य भागों में अधिक वर्षा का प्रभाव होने के कारण लोग मकानों की छतें ज्यादातर ढालदार बनाते हैं। इसके अतिरिक्त वनांचल में निवास करने वाले लोग मकानों के निर्माण में स्थानीय सामग्री का उपयोग करते हैं, और आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न लोग भवन निर्माण में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हैं। लोग ज्यादातर अपने मकानों का विन्यास आयताकार एवं वर्गाकार रखते हैं। इस प्रकार से ग्रामीण जीवन में राजनीतिक, सामाजिक, एवं आर्थिक परिवर्तन के कारण अधिक बदलाव देखने को मिलते हैं। अतः ग्राम्य जीवन अपने चिरस्थाई रीतिरिवाजों एवं लोक परंपराओं का भावी पीढ़ी के लिए बहुमूल्य धरोरह है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्न है :-

- 1 भारत के उत्तर- पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण आवासों का अध्ययन करना।

2. विशेषकर बदलते परिवेश में राजनीतिक, आर्थिक, एवं सामाजिक कारकों का आवास के प्रकारों में परिवर्तन का अध्ययन करना।

3. विकसित तकनीक का आवासों पर होने वाले प्रभाव का वर्णन करना।

परिकल्पना

- 1 मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से आवास सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
- 2 प्रदेश के वनांचलों में रहने वाले लोग भवन निर्माण में अधिकतर सुलभता से प्राप्त स्थानीय सामग्री का उपयोग करते हैं।
- 3 प्रदेश के ग्रामीण आवास प्रायः जलवायिक स्थिति के अनुसार निर्मित किए जाते हैं, एवं विकसित तकनीक का अभाव पाया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध-पत्र का अध्ययन-क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश है। यह देश के सुदूर उत्तर-पूर्व में स्थिति है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर - पूर्वी राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य है तथा इसका कुल क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है। इसे 'उगते सूर्य का पर्वत' कहा जाता है। इस प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम, दक्षिण-पूर्व में नागालैंड, पूर्व व दक्षिण - पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर उत्तर-पूर्व चीन (तिब्बत) से मिलती है। प्रदेश का अक्षांसीय विस्तार 26° 28' उत्तर से 29° 30' उत्तर तक देशांतरीय विस्तार 91° 20' पूर्व से 97° 30' पूर्व तक है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 13,83,727 है, जिनमें 7,13,912 पुरुष एवं 6,69,815 महिलाएं हैं। इसमें से 10,66,358 जनसंख्या ग्राम्यांचल में निवास करती है, जिसमें से 5,46,011 पुरुष एवं 5,20,347 महिलाएं हैं। यह कुल जनसंख्या का 77.06 प्रतिशत है। यहाँ कुल 2,70,546 आवास हैं, जिसमें से 2,51,113 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं तथा इसमें 1,95,723 (2011 के अनुसार) परिवार निवास करते हैं।

ऑकड़ों के स्रोत एवं विधि-तंत्र

प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक ऑकड़ों पर आधारित है ,ये द्वितीयक ऑकड़े भारत की जनगणना पुस्तिका-2001 एवं 2011 तथा आवास जनगणना पुस्तिका - अरुणाचल प्रदेश 2001 एवं 2011 से प्राप्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जनपदों की वार्षिक सांख्यिकीय पत्रिका , समाचार पत्रों और इंटरनेट, आदि से प्राप्त आंकड़ें प्रयोग किए गए हैं। चूँकि एक पहाड़ी प्रदेश है, इसलिए प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी आवासों में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ज्यादातर आवासों के निर्माण में स्थानीय सामग्री का उपयोग करते हैं | और नवीन तकनीक जैसे - सीमेंट, पक्की ईंटों एवं लोहे की छड़ों का कम प्रयोग किया जाता है। अतः इन्हीं असमानताओं का अध्ययन करने के लिए प्रमुख रूप से

सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया गया है।

प्रदेश में ग्रामीण आवासों की स्थिति

गुफावासी मानव जिस क्षण विस्तृत भू-भाग पर अवतरित हुआ, उसे विभिन्न प्रकार के मौसम का सामना करना पड़ा था और उसके उपरांत ही उसने अपने बचाव के लिए आश्रय - गृह का निर्माण किया। ये आश्रय-गृह या आवास प्रदेश में 2001 की मकान जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2,17,766 थे जो 2011 में बढ़कर 2,70,546 हो गए, अर्थात इसमें 24.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार अध्यासित मकानों की संख्या 2001 में 2,01,834 थी जो 2011 में बढ़कर 2,51,113 हो गई। इस प्रकार से इसमें भी लगभग 24.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई |

तालिका : 01 ग्रामीण आवास वितरण एवं उपयोग,अरुणाचल प्रदेश, 2001 एवं 2011.

क्रम संख्या	मकानों का प्रयोग	मकानों की संख्या		वृद्धि - ह्रास (प्रतिशत)
		2001	2011	
1	कुल मकान	2,17,766	2,70,546	24.24
2	अध्यावासित मकान	2,01,834	2,51,113	24.42
3	परित्यक्त मकान	15,932	19,433	21.97
प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या की स्थिति				
1	कुल जनसंख्या	10,97,968	13,83,727	26.02
2	ग्रामीण जनसंख्या	8,70,087	10,66,358	22.56
3	कुल प्रतिशत	79.25	77.06	02.19

स्रोत: - भारत की जनसंख्या तथा मकान जनगणना 2001 एवं 2011 अरुणाचल प्रदेश

प्रदेश में परित्यक्त आवासों की संख्या 2001 में 15,932 थी, जो बढ़कर 2011 में 19,433 हो गई अर्थात इसमें 21.98 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी क्रम में, 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 8,70,087 थी जो कुल आवादी का लगभग 79.25 प्रतिशत था वह घटकर 2011 में 77.06 प्रतिशत ही रह गया अर्थात इसमें 2.19 प्रतिशत की ह्रास देखने को मिलती है। अतः स्पष्ट है कि लोगों में ग्राम्यांचल में रहने की इच्छा में कमी देखने को मिलती है। (तालिका 01)

प्रदेश में जनपदवार ग्रामीण मकानों की स्थिति

प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 16 जनपद हैं, जिसमें सबसे अधिक परित्यक्त मकानों की संख्या तवांग जनपद में हैं और इसका प्रतिशत 15.25 है। इसके पश्चात् दिबांग वैली व पश्चिमी कामेंग में क्रमशः 15.08 प्रतिशत एवं 13.94 प्रतिशत है। सबसे कम लोहित जनपद में परित्यक्त मकानों की संख्या 5.63 प्रतिशत है। परित्यक्त मकानों की स्थिति यह प्रदर्शित करती है कि लोग शहर की ओर प्रवास करने में अधिक रुचि लेने लगे हैं क्योंकि वहाँ पर

उच्च शिक्षा, अच्छे रोजगार एवं बेहतर जीवनयापन के अवसर तथा उच्च स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं पाई जाती हैं।

अध्यावासित मकान, जो मानव के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तथा जिस पर उनकी दिनचर्या निर्भर करती है, के जनपदवार वितरण में भी अधिक विभिन्नता पायी जाती है। प्रदेश में अध्यावासित मकान सबसे अधिक क्रमशः लोहित में 94.37 प्रतिशत, चांगलांग में 94.26 प्रतिशत एवं कुरुंगकुमे में 94.15 प्रतिशत हैं। इसके अलावा 7 अन्य जनपदों में भी 90 प्रतिशत से अधिक अध्यावासित मकान पाये जाते हैं। सबसे कम प्रतिशत तवांग जनपद में 88.75 प्रतिशत है। (तालिका 02)

प्रादेशिक एवं जनपदीय स्तर पर ग्रामीण अध्यावासित मकानों का उपयोग

मकान मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से

एक होते हुए इनका उपयोग रहने के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है, जो मनुष्य के लिए अत्यावश्यक है। जिसके बिना मनुष्य का जीवन सुचारु रूप से व्यतीत नहीं हो सकता है। प्रदेश में सबसे अधिक मकानों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत से अधिक रहने के उद्देश्य से किया जाता है। दूसरे स्थान पर गैर रहने योग्य मकान हैं, जो 19.64 प्रतिशत हैं। 1 प्रतिशत से कम मकानों का उपयोग होटल, अतिथि गृह, कारखाना एवं दुकानों, इत्यादि में है। जनपद स्तर पर आवासों का उपयोग रहने के उद्देश्य से सबसे अधिक क्रमशः तवांग में 81.63 प्रतिशत, पश्चिमी कामेंग में 75.04 प्रतिशत, ऊपरी सुबनसिरी में 82.58 प्रतिशत, तिरप में 83.58 प्रतिशत, पूर्वी कामेंग में 78.18 प्रतिशत और कुरुंगकुमे में 83.17 प्रतिशत है घ सबसे कम लोहित में 66.90 प्रतिशत है। आवास सह अन्य उपयोग में ग्रामीण आवासों का अधिकतम उपयोग तवांग में 3.08

तालिका 02 : जनपदवार विविध वर्ग के जनगणना मकानों की स्थिति, अरुणाचल प्रदेश, 2011.

क्रम संख्या	जनपद	परित्यक्त आवास (प्रतिशत)	अध्यावासित आवास (प्रतिशत)	अध्यावासित आवासों के विविध उपयोग				
				आवास	आवास सह अन्य	दुकान /ऑफिस	अन्य गैर आवासीय	अन्य
1	तवांग	15.25	84.75	81.63	3.08	4.33	6.18	4.78
2	पश्चिमी कामेंग	13.94	86.06	75.04	3.37	6.37	8.86	6.36
3	पूर्वी कामेंग	7.40	92.60	78.18	1.62	5.14	10.52	4.54
4	पापुमपारे	11.61	88.39	72.25	2.45	9.46	10.92	4.92
5	पूर्वी सुबनसिरी	6.82	93.18	82.58	1.11	4.62	7.56	4.13
6	पश्चिमी सियांग	9.20	90.80	70.74	2.01	7.35	13.42	6.48
7	पूर्वी सियांग	7.51	92.49	68.56	2.52	5.48	18.97	4.47
8	ऊपरी सियांग	9.32	90.68	71.81	1.65	5.04	16.77	4.73
9	चांगलांग	5.74	94.26	73.58	1.80	4.18	15.50	4.94
10	तिरप	7.62	92.88	83.58	1.00	4.19	6.65	4.58
11	निचली सुबनसिरी	11.33	88.67	70.14	1.62	6.14	17.30	4.80
12	कुरुंगा कुम	5.85	94.15	83.17	0.67	1.99	16.40	3.77
13	दिबांग वैली	15.08	84.92	67.15	0.95	4.37	17.79	9.74
14	निचली दिबांग वैली	7.76	92.24	70.64	3.03	6.11	15.06	5.16
15	लोहित	5.63	94.37	66.90	2.04	5.46	21.13	4.47
16	टंजाव	10.54	89.46	70.02	1.77	3.85	19.26	5.10
	अरुणाचल प्रदेश	8.77	91.23	73.72	1.99	5.70	13.66	4.93

स्रोत:- भारत की मकान जनगणना, अरुणाचल प्रदेश, 2011 के आधार पर संकलित

प्रतिशत व पश्चिमी कामेंग में 3.37 प्रतिशत है तथा सबसे कम प्रतिशत दिवांग वैली व कुरुंगकुमे में है। दुकानों व कार्यालय कार्यों के उद्देश्य से सबसे अधिक आवासों का उपयोग पापुमपारे जनपद में है। इसी प्रकार से अन्य गैर . आवासीय इमारतों का अधिकतम उपयोग लोहित जनपद में 21.13 प्रतिशत है इसके पश्चात अंजाव में 19.26 प्रतिशत, पूर्वी सियांग में 18.97 प्रतिशत तथा दिवांग वैली में 17.79 प्रतिशत पाया जाता है। इसके अतिरिक्त मानव मकानों का उपयोग अन्य कार्यों के लिए करते हैं। (तालिका 03)

प्रादेशिक एवं जनपदीय स्तर पर अच्छे स्तर के ग्रामीण आवासों की स्थिति

मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार मकानों के निर्माण पर धन व्यय करता है, जिससे उन्हे उसमें निवास करने में संतोष प्राप्त हो। मानव की आत्म- संतुष्टि ही जीवन का सबसे सुखद पहलू है। इस प्रकार से प्रदेश में 2011 की मकान जनगणना के अनुसार कुल 1,93,941 मकानों में से अच्छे स्तर के मकानों की संख्या 96,295 है, जो कि 49.65 प्रतिशत है और

तालिका 03 : अच्छे स्तर के ग्रामीण आवास,अरुणाचल प्रदेश, 2011

अंतराल	जनपद की संख्या	प्रतिशत	कुल आवास	रहने योग्य आवासों की संख्या	श्रेणी
>35	1	6.25	12,428	4,303	बहुत छोटे
35-45	6	37.50	62,214	25,676	छोटे
45- 55	4	25.00	44,769	21,828	मध्यम
55- 65	3	18.15	55,984	31,420	बृहद
>65	2	12.50	18,546	13,068	बहुत बृहद
कुल	16	100.00	1,93,941	96,295	49.65%

स्रोत :- लेखक के द्वारा संकलित

यह 2001 की अपेक्षा 40.85 प्रतिशत की वृद्धि है।

जनपदीय स्तर पर अच्छे स्तर के मकानों की स्थिति असमान पायी जाती है। ऊपरी सुबनसिरी जनपद में 35 प्रतिशत से भी कम अच्छे स्तर के मकान हैं, जो कुल मकानों का केवल 6.25 प्रतिशत ही है। सबसे अधिक अच्छे

स्तर के मकान पूर्वी सियांग व ऊपरी सियांग में 65 प्रतिशत से ज्यादा हैं तथा इनकी संख्या 13,068 है। अन्य जनपद जैसे पूर्वी कामेंग, कुरुंगकुमे, दिवांगवैली, निचली दिवांगवैली, लोहित एवं अंजाव हैं, जहाँ पर कम स्तर के अच्छे मकानों की संख्या 25,676 है और इसका प्रतिशत 37.

तालिका 04 : जनपदवार ग्रामीण आवासों की स्थिति, अरुणाचल प्रदेश, 2011.

क्रम संख्या	जनपद	अच्छी स्थिति के आवास	प्रतिशत	रहने योग्य आवास	प्रतिशत	जीर्ण-शीर्ण आवास	प्रतिशत
1	तवांग	3,861	49.00	3,693	46.88	324	4.12
2	पश्चिमी कामेंग	6,161	49.27	6,032	48.24	311	2.49
3	पूर्वी कामेंग	4,311	39.05	6,444	58.37	264	2.58
4	पापुमपारे	6,963	51.92	5,908	44.05	542	4.03
5	पूर्वी सुबनसिरी	4,303	34.63	7,807	62.82	318	2.55
6	पश्चिमी सियांग	8,885	58.32	6,234	40.92	118	0.76
7	पूर्वी सियांग	9,098	70.51	3,608	27.96	197	1.53
8	ऊपरी सियांग	3,970	70.35	1,650	29.24	23	0.41
9	चांगलांग	11,806	48.41	12,159	49.86	422	1.73
10	तिरप	8,597	55.66	6,692	43.33	156	1.01
11	निचली सुबनसिरी	6,975	58.67	4,733	39.80	181	1.53
12	कुरुंगा कुम	6,506	43.37	6,576	43.84	1918	12.79
13	दिवांग वैली	558	43.13	643	49.69	93	7.18
14	निचली दिवांग वैली	3,789	44.20	4,509	52.59	275	3.21
15	लोहित	8,855	39.74	12,102	54.30	1327	5.96
16	अंजाव	1657	41.18	2,125	52.80	242	6.02
	अरुणाचल प्रदेश	96,295	49.65	90,915	46.88	6731	3.47

स्रोत:- भारत मकान जनगणना, अरुणाचल प्रदेश, 2011

50 है। इसके अतिरिक्त मध्यम स्तर के मकान पश्चिमी सियांग, तिरप, व निचली सुबनसिरी में 25 प्रतिशत हैं। और इनकी संख्या 21,828 है। (तालिका 03 व 04)

प्रादेशिक एवं जनपदीय स्तर पर रहने योग्य ग्रामीण आवासों की स्थिति

प्रदेश में रहने योग्य आवासों की स्थिति अच्छी हालत के आवासों की अपेक्षा ज्यादा संतोष जनक नहीं है। मकान जनगणना 2011 के अनुसार इस तरह के आवासों की संख्या 90,915 है, जो कुल मकानों का 46.88 प्रतिशत है। परंतु 2001 में इनकी संख्या 85,120 थी और इसमें 7.11 प्रतिशत का ह्रास देखने को मिलता है, जिसका मुख्य कारण आर्थिक स्थिति में सुधार होना दर्शाता है। जनपद स्तर पर

भी इस तरह के आवासों की स्थिति विषम पायी जाती है। रहने योग्य ग्रामीण मकान सबसे अधिक 7 जनपदों— तवांग, पश्चिमी कामेंग, चांगलांग, दिवांगवैली, निचली दिवांग वैली, लोहित और अंजाव में पाये जाते हैं तथा इनका प्रतिशत 43.75 है। तत्पश्चात् 35-45 प्रतिशत के अंतर्गत 5 जनपद—पापुमपारे, पश्चिमी सियांग, तिरप, निचली सुबनसिरी एवं कुरुंगकुमे हैं और इनका प्रतिशत 31.25 है। इस तरह के रहने योग्य मकान 2001 की तुलना में 2011 में 6.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन 65 प्रतिशत से अधिक रहने योग्य मकानों की संख्या नगण्य है। इसके अतिरिक्त 35 प्रतिशत और 55 से 65 प्रतिशत रहने योग्य मकान क्रमशः पूर्वी सियांग, व ऊपरी सियांग तथा पूर्वी कामेंग व ऊपरी सुबनसिरी में हैं। (तालिका, 03 व 05)

तालिका 05 : रहने योग्य ग्रामीण आवास, अरुणाचल प्रदेश, 2011

अंतराल	जनपद की संख्या	प्रतिशत	कुल आवास	रहने योग्य आवासों की संख्या	श्रेणी
>35	2	12.50	18,546	5,258	बहुत छोटे
35- 45	5	31.25	70,984	30,143	छोटे
45- 55	7	43.75	80,944	41,263	मध्यम
55- 65	2	12.50	23,467	14,251	बृहद
>65	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	बहुत बृहद
कुल	16	100.00	1,93,941	90,915	46.88%

स्रोत :- लेखक के द्वारा संकलित

तालिका- 06 जीर्ण-शीर्ण ग्रामीण आवासों की स्थिति, अरुणाचल प्रदेश, 2011


अंतराल	जनपद की संख्या	प्रतिशत	कुल आवास	रहने योग्य आवासों की संख्या	श्रेणी
>3	9	56.25	1,21,745	2010	बहुत छोटे
3-6	4	25.00	52,148	2,468	छोटे
6- 9	2	12.50	5,318	335	मध्यम
9- 12	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	बृहद
>12	1	6.25	15,000	1918	बहुत बृहद
कुल	16	100.00	1,93,941	6,731	3.47%

स्रोत :- लेखक के द्वारा संकलित

प्रादेशिक एवं जनपदीय स्तर पर जीर्ण-शीर्ण मकानों की स्थिति

मनुष्य के आत्मिक व शारीरिक सुख में आर्थिक कारक की एक महत्वपूर्ण भूमिका पायी जाती है। वह अपनी क्षमता के अनुसार उसे सुसज्जित करना चाहता है जिसके लिए धन की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसा नहीं कर पाता है और अपने जीवन को भाग्याधीन समझ कर व्यतीत करता है। वह अपनी जीर्ण-शीर्ण कुटिया को ही एक महल समझ कर जीता है। मकान जनगणना 2001 में जीर्ण-शीर्ण मकानों की संख्या 4,168 थी जो 2011 में बढ़कर 6,731 हो गयी इसमें एक दशक में लगभग 61.49 प्रतिशत की वृद्धि

हुई तथा 2001 की अपेक्षा 1.04 प्रतिशत अधिक है। 12 प्रतिशत से अधिक जीर्ण-शीर्णआवासों की संख्या 1918 हैं और इनका कुल प्रतिशत 6.25 है। इसके विपरीत इस तरह के सबसे कम आवासों की संख्या 2,010 है और इनका सबसे ज्यादा प्रतिशत है। 9-12 प्रतिशत के मध्य के आवासों की संख्या नगण्य है। जनपद स्तर पर कुरुंगकुमे में सबसे अधिक इस प्रकार के आवासों की संख्या है और 1 प्रतिशत से भी कम ऊपरी सियांग व पश्चिमी सियांग में हैं। तथा मध्यम-स्तर पर जीर्ण-शीर्ण आवास अंजाव व दिवांगवैली में हैं। (तालिका- 03 व 06)



निष्कर्ष

1. ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी एवं रोजगार परख शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं तथा रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण पिछले एक दशक में लोगों का नगरीय प्रवास के कारण परित्यक्त आवासों में वृद्धि दर्ज हुई है।
2. प्रदेश में अच्छे स्तर के आवासों में दशकीय वृद्धि बहुत ही कम हुई है, परंतु जीर्ण-शीर्ण आवासों की संख्या में 61.49 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट

है कि लोगों की आर्थिक स्थिति में कम सुधार हुआ है।

3. सुदूर पहाड़ों पर स्थित ग्रामों में अच्छे स्तर के आवासों की संख्या मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा कम पायी जाती है।

सुझाव

1. संयुक्त राष्ट्र के एक फैसले के अनुसार वर्ष 1987 आवास हीनों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया, इसी को ध्यान में रख कर ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए

- आवास' जैसी नीति को अपनाने की आवश्यकता है।
2. जनसंख्या नियंत्रण संबंधी विभिन्न कार्य – क्रमों एवं योजनाओं को उचित ढंग से लागू किया जाय।
 3. संयुक्त परिवार को जहाँ तक संभव हो सके, बढ़ावा दिया जाय और इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाय।
 4. 'प्रधानमंत्री आवास योजना' को गाँवों में एक राष्ट्रीय कार्य-क्रम के तहत उचित ढंग से क्रियान्वित किया जाय, साथ ही लाभुकों की सहभागिता को भी सुनिश्चित किया जाय।
 5. पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वन संरक्षण को प्राथमिकता दी जाय।
 6. 'ग्रामीण आवास नीति' में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाय।
 7. सरकारी आवास नीति के तहत लाभुकों के प्रति आवास आवंटन में निष्पक्ष पारदर्शिता अपनायी जाय।
 8. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का नगरीय प्रवास को कम करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के उचित अवसर विकसित किए जाए।

संदर्भ-सूची

1. भारत की जनगणना पुस्तिका 2001 एवं 2011, अरुणाचल प्रदेश।
2. भारत की जनगणना मकान पुस्तिका 2001 एवं 2011, अरुणाचल प्रदेश।
3. "करण एम. पी., यादव जी. पी. एवं राम सुरेश", अधिवास भूगोल, 1983 पेज 177, 219 तथा 223।



MEMBERSHIP FORM

Name :

Receipt No. :

Date :

Amount (Rs.) :

Uttar Pradesh Geographical Journal

(Geography Research Journal of The Brahmavarta Geographical Society of India)

To,
The Secretary
The Brahmavarta Geographical
Society of India.



Sir,

Kindly enroll my names as Life / Individual / Student / Institutional / Institutional life member of The Brahmavarta Geographical Society of India Herewith, I am sending an amount of (in words) by Cash / M.O. / D.D. No. dated..... towards membership.

I have gone through the bye-laws and rules of the society and state that I will abide by them.

Name

Qualification..... Designation.....

Date of Birth..... Teaching Experience.....

Office address

Pin Code Telephone with STD Code and Mobile No.

Corresponding Address.....

Date :

Yours Sincerely

Place :

Signature of Applicant

Subscription Rate : (Contributors add ₹ 100 as postal charges)

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Life Member | Rs. 3000=00 or U.S \$ 200 |
| 2. Individual Member (Annual) | Rs. 700=00 or U.S \$ 70 |
| 3. Institutional Life Member | Rs. 8000=00 or U.S \$ 800 |
| 4. Institutional Member (Annual) | Rs. 500=00 or U.S \$ 50 |
| 5. Student Member (Annual) | Rs. 500=00 or U.S \$ 50 |
| 6. Back Volume | Rs. 400=00 or U.S \$ 50 |

Please send your payment by D.D. or by RTGS payable at State Bank of India, Indira Nagar, Kanpur in favour of "The Brahmavarta Geographical Society of India". Saving A/c. No. 10237589922, IFSC Code : SBIN0006824

INFORMATION FOR AUTHORS

Uttar Pradesh Geographical Journal is an annual research publication of the Brahmavarta Geographical Society of India, Kanpur. The Journal is primarily intended for the publication of papers submitted by the members of the society. It is required that authors of the paper must be member of the society. However, non-members may communicate through members of the society.

The journal invites original manuscripts for publication on any geographical theme reflecting efforts toward genuine scholarship of the authors. The general format of research papers should consist of 1. Title 2. Author's Name 3. Abstract 4. Full address (below in footnotes) 5. Introduction 6. Objectives 7. The study area 8. Data used and Methodology 9. Results and Discussion 10. Conclusion 11. References. The abstract should not exceed 150 words with 05 key words. It should highlight only techniques and significant findings. The manuscript, typed in double space on one side, should be submitted in two copies along with essential maps, diagrams, and a soft copy on disk. Hindi Article should be typed in Kurti Dev-10. The pages should be numbered consecutively. The length of the paper should not exceed 10 pages (double space) with tables and figures. If the paper exceeds the page limit, the editorial board is free to remove extra pages. Original drawing of maps only will be accepted. Photographs should be sharp and printed on black and white glossy bromide paper and if possible mounted on the light weight white card. Contributors name and figure No. should be written lightly on the back. Colour maps in any paper will not be printed, unless the payment is made by the author in advance @ ₹ 2500/- per map. Photocopy of coloured map will not be accepted. Author should read all the instructions carefully and fulfil all the requirements before sending his/her article for the publication. References should be placed at the end of the article as under :

Gupta, Rupesh, 2008, 'Urban Growth Monitoring Through Geo-Informatics : A Case of Ranchi City, 'Uttar Pradesh Geographical Journal, Vol. 13, p. 5.

The article must be accompanied by a letter of copy right Agreement and Ethical Agreement (down load proforma from society website). **An article will be reviewed by Pear's Committee before publication in Uttar Pradesh Geographical Journal.** All manuscripts for publication, copies of books, monographs, reports, etc., intended for review in the journal should be submitted to Dr. J. P. Gupta, Editor, Uttar Pradesh Geographical Journal, 124 C-1, Indira Nagar, Kanpur - 208 026, U.P., India **before 31st of May every year. Journal is also available on web-site (See Home Page of web-site)**

Address all communication regarding the purchase of publications, subscription, advertisement, etc. to the Secretary, The Brahmavarta Geographical society of India, 124 C-1, Indira Nagar, Kanpur 208 026, U.P., India. **Phone No. 0512-2571304 and Mob. No. 09935718064 E-mail : jgupta100@gmail.com, Website : www.bgsi.in**

Membership Fee :

Subscription rates of the Brahmavarta Geographical Society of India with effect from 1st January 2018. Contributors will add ₹100/- or \$ 20 as postal charges.

1. Individual Member (Annual)	₹	700.00	or	U.S.	\$	70
2. Student Member (Annual)	₹	500.00	or	U.S.	\$	50
3. Life Member	₹	3000.00	or	U.S.	\$	200
4. Institutional life Member	₹	8000.00	or	U.S.	\$	800
5. Institutional Member (Annual)	₹	500.00	or	U.S.	\$	50
6. Back volumes	₹	400.00	or	U.S.	\$	50

Please send your payment in cash or by Bank Draft or by RTGS payable at State Bank of India, Indira Nagar, Kanpur, in favour of The Brahmavarta Geographical Society of India, Kanpur. Saving A/c No. 10237589922, IFSC Code - SBIN0006824.

डा० जे० पी० गुप्त, सचिव, ब्रह्मावर्त ज्याग्राफीकल सोसाइटी आफ इण्डिया स्वामी तथा प्रकाशक 124 C-1 इन्दिरानगर, कानपुर की ओर से श्री अजय गुप्ता, क्वालिटी ग्राफिक्स, 8/130, आर्यनगर, कानपुर से मुद्रित। सम्पादक- डा० जे० पी० गुप्त।

Uttar Pradesh Geographical Journal

(Research Journal of the Brahmavarta Geographical Society of India, Kanpur)

R.N.I. No. UPBIL/1996/7631, I.S.S.N. - 0975-4903

EDITORIAL BOARD

Chief Editor: Dr. J. P. GUPTA

Associate Professor and Head (Retd.), Department of Geography,
P.P.N. College, Kanpur (CSJM University, Kanpur), Mob. No. : 09935718064
E-mail : jpgupta100@gmail.com

- Editor :**
1. Dr. Rajesh Bhatt, Assistant Professor Geography Department, HNB Garhwal University, Srinagar, Garhwal, Uttarakhand.
 2. Dr. Anusuiya Baghel, School of Studies in Geography, Pt. R. S. Shukla, University, Raipur, (C.G.).
 3. Dr. Abhay Krishna Singh, Department of Geography, Dr. Shyama Prasad Mukherjee University, Ranchi, Morabadi, Ranchi, Jharkhand.
 4. Dr. Kumar Amit, Department of Geography, D.A.V. College, Kanpur, U.P.

Technical Advisor :

Shri Manish Kumar Gupta, Project Manager, Leading MNC, Noida,
Mob.: 9899487429, E-mail: manishgupta2k@gmail.com

- Advisors :**
1. Prof. M. P. Gupta, Professor and Head, (Retd.) Department of Geography, Pt. Ravi Shankar Shukla, University, Raipur (C.G.)
 2. Prof. B.C. Vaidya, Professor of Geography and Geopolitics, CIPOD/SIS, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.
 3. Dr. Chandra Bhan, Reader and Head (Retd.), Department of Geography, R. B. S. College, Agra,
 4. Dr. Suresh Chandra Bansal, Associate Professor and Head (Retd.) Department of Geography, J.V. Jain College, Saharanpur, U.P.
 5. Dr. C.P. Tiwari, Prof. and Head (Retd.), Deptt. of Geography, Govt. T.R.S. Autonomous P.G. College, Rewa (M.P.)
 6. Dr. Govind Prasad Gupta, Associate Professor and Head (Retd.), Department of Geography, Rana Pratap P.G. College, Sultanpur.
 7. Dr. Ganesh Kumar Pathak, Officiating Principal (Retd.), A.N.M. P.G. College, Dube Chhapra, Ballia.
 8. Dr. Virendra Singh, Principal, Digamber Jain P.G. College, Baraut, Baghpat, U.P.
 9. Prof. Debashis Das, Professor, Department of Geography, Visva Bharati, Santiniketan, W.B.

The statement and opinions expressed in various articles are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the Society or Editorial Board.

Submission of a paper to the Uttar Pradesh Geographical Journal will mean that the author has transferred the copyright to the publisher if and when the paper is accepted for publication. Any part of the Article published in the journal can not be reproduced without prior permission of the Secretary of the Society.

Copy Right - The Brahmavarta Geographical Society of India, Kanpur.